

रजिस्ट्री सं० डी०-221

REGISTERED NO. D.-221



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082023-248337
CG-DL-E-25082023-248337

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2 — अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, बुधवार, 17 अगस्त, 2022/26 श्रावण, 1944 (शक) [खंड LVIII
No. 3] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SRAVANA 26, 1944 (SAKA) [VOL. LVIII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022/26 श्रावण, 1944 (शक)

दि टेक्सेशन लाज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (2) दि एयरक्राफ्ट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (3) दि आरबिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021; (4) दि नेशनल कैपिटल टैरिटरी आफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रोविजन्स) सेकेंड (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021; (5) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2021; (6) दि नेशनल कमीशन फार एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स ऐक्ट, 2021; (7) दि मैरीन एड्स टू नैवीगेशन ऐक्ट, 2021 और (8) दि फैक्ट्रिंग रेग्यूलेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, August 17, 2022/Sravana 26, 1944 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Taxation Laws (Amendment) Act, 2019; (2) The Aircraft (Amendment) Act, 2020; (3) The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2021; (4) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2021; (5) The Finance Act, 2021; (6) The National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021; (7) The Marine Aids to Navigation Act, 2021 and (8) The Factoring Regulation (Amendment) Act, 2021 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

अनुभाग 1क]	भारत का राजपत्र असाधारण	388
		पृष्ठ
कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 46)	The Taxation Laws (Amendment) Act, 2019	389
वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 13)	The Aircraft (Amendment) Act, 2020	399
माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 3)	The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2021	405
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 4)	The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2021	407
वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 13)	The Finance Act, 2021	411
राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 14)	The National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021	599
नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 20)	The Marine Aids to Navigation Act, 2021	633
फेक्टर विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 21)	The Factoring Regulation (Amendment) Act, 2021	647

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 46)

[11 दिसम्बर, 2019]

आय-कर अधिनियम, 1961 का और संशोधन और वित्त
(संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित
हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।
- (2) यह अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 20 सितम्बर, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

अध्याय 2

आय-कर अधिनियम, 1961 में संशोधन

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 92खक में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

धारा 92खक का
संशोधन।

(क) खंड (v) में, “उपबंध लागू होते हैं ; या” शब्दों के स्थान पर “उपबंध लागू होते हैं ;” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(vक) धारा 115खक की उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के बीच संव्यवहार किया गया कोई कारबार ; या”।

धारा 115खक का संशोधन।

नई धारा 115खक और धारा 115खकख का अंतःस्थापन।

कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 115खक में 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) पार्श्व शीर्ष “कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर” के स्थान पर “कतिपय विनिर्माता देशी कंपनियों की आय पर कर” पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) में “इस अध्याय के अन्य के अधीन”, शब्दों के स्थान पर “धारा 115खक और धारा 115खकख के अधीन वर्णित उपबंधों से भिन्न, इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति धारा 115खक के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, वहां इस धारा के अधीन विकल्प को वापस लिया जा सकेगा।”।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 115खक के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

‘115खक. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किंतु इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 115खक और धारा 115खकख के अधीन वर्णित से भिन्न, किसी व्यक्ति, जो देशी कंपनी है, की कुल आय के संबंध में 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय आय-कर की, संगणना ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर बाईस प्रतिशत की दर से की जाएगी, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है :

परंतु जहां कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्त को पूरा करने में असफल रहता है, वहां उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध ऐसे लागू होंगे, मानो पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विकल्प का उपयोग नहीं किया गया था।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कंपनी की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (ii)क या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या उपधारा (2कख) या धारा 35कघ या धारा 35गग या धारा 35गगघ के उपबंधों के अधीन या धारा 80अअक के उपबंधों से भिन्न शीर्ष “ग—कतिपय आय के संबंध में कटौतियां” के अधीन अध्याय 6 के किन्हीं उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी ;

(ii) किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से अग्रणीत किसी हानि या अवक्षयण का मुजरा किए बिना की जाएगी, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुई मानी जा सकती है ;

(iii) किसी हानि या धारा 72क के अधीन किसी शेष अवक्षयण का मोक का मुजरा किए बिना की जाएगी, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुई मानी जा सकती है ; और

(iv) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ii) से भिन्न धारा 32 के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी अवक्षयण का दावा करके की जाएगी, यदि कोई हो, जिसका अवधारण ऐसी रीति में किया गया हो, जो विहित की जाए।

(3) उपधारा (2) के खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण के लिए यह समझा जाएगा कि उसे पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया है और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

परंतु जहां किसी आस्ति समूह के संबंध में कोई ऐसा अवक्षयण मोक है, जिसे 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व पूर्णतया प्रभावी नहीं किया गया है, 1 अप्रैल, 2019 को विहित रीति में ऐसे आस्ति समूह के अवलिखित मूल्य में तत्स्थानी समायोजन ऐसे किया जाएगा कि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का उपयोग 1 अप्रैल, 2020 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए किया गया है।

(4) किसी व्यक्ति की दशा में, जिसकी धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई इकाई है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का उपयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को उस परिमाण तक उपांतरित किया जाएगा कि धारा 80ठक के अधीन कटौतियां ऐसी इकाई को उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए उपलब्ध होंगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “इकाई” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में है।

2005 का 28

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात लागू नहीं होगी तब जब किसी व्यक्ति द्वारा विहित रीति में 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख को या उससे पूर्व विकल्प का उपयोग नहीं कर लिया जाता है और ऐसा विकल्प एक बार उपयोग कर लिए जाने पर पश्चात्पूर्व निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा :

परंतु किसी व्यक्ति की दशा में, जहां उसके द्वारा धारा 115खकख के अधीन उपयोग किया गया विकल्प उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या खंड (ख) में अंतर्विष्ट शर्तों के अतिक्रमण के कारण अविधिमान्य ठहराया गया है, ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन विकल्प का उपयोग कर सकेगा :

परंतु यह और कि एक बार किसी पूर्ववर्ष के लिए विकल्प का उपयोग कर लिया जाता है तो उसे उस या किसी अन्य पूर्ववर्ष के लिए पश्चात्पूर्व रूप से वापस नहीं लिया जा सकता है।

115खकख. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किंतु धारा 115खक और धारा 115खकक के अधीन वर्णित उपबंधों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति, जो देशी कंपनी है, की कुल आय के संबंध में 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय आय-कर की ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर पन्द्रह प्रतिशत की दर से संगणना की जाएगी, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तें पूरी की जाती हैं :

नई विनिर्माणकारी देशी कंपनियों की आय पर कर।

परंतु जहां व्यक्ति की कुल आय में कोई ऐसी आय सम्मिलित है, जो न तो किसी वस्तु या चीज के उत्पादन या विनिर्माण से व्युत्पन्न है न ही उसके आनुषंगिक है और जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन पृथक् रूप से किसी विनिर्दिष्ट कर दर का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी आय पर बाईस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और किसी व्यय या मोक के संबंध में कोई कटौती या मोक ऐसी आय की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि उपधारा (6) के दूसरे परंतुक के अधीन किसी व्यक्ति की इस प्रकार समझी गई आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना तीस प्रतिशत की दर से की जाएगी :

परंतु यह भी कि किसी पूंजी आस्ति, जिस पर अधिनियम के अधीन कोई अवक्षयण अनुज्ञेय नहीं है, के अंतरण से व्युत्पन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ से आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना बाईस प्रतिशत की दर से की जाएगी :

परंतु यह भी कि जहां व्यक्ति उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को किसी पूर्ववर्ष में पूरा करने में असफल रहता है, वहां विकल्प उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध व्यक्ति को ऐसे लागू होंगे मानो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विकल्प का उपयोग नहीं किया गया था।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, अर्थात् :—

(क) कंपनी 1 अक्तूबर, 2019 को या उसके पश्चात् स्थापित और रजिस्ट्रीकृत की गई है और उसने 31 मार्च, 2023 को या उससे पूर्व विनिर्माण या उत्पादन आरंभ कर दिया है, और,—

(i) कारबार, विभाजन द्वारा या पहले से ही विद्यमान किसी कारबार के पुनर्गठन द्वारा विरचित नहीं किया जाता है :

परंतु यह शर्त किसी कंपनी के संबंध में लागू नहीं होगी, जिसके कारबार की विरचना ऐसे किसी उपक्रम के कारबार के व्यक्ति द्वारा पुनःस्थापना, पुनर्गठन या पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप, जैसा कि धारा 33ख में निर्दिष्ट किया जाता है, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और अवधि के भीतर, की जाती है ;

(ii) किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसका पूर्व में किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, का उपयोग नहीं करती है।

स्पष्टीकरण 1—उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसका भारत से बाहर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया था, को किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र नहीं माना जाएगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :—

(अ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी भी समय भारत में उपयोग नहीं किया गया था ;

(आ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का भारत से बाहर किसी देश से भारत में आयात किया जाता है ; और

(इ) व्यक्ति द्वारा मशीनरी या संयंत्र के प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में अवक्षयण के मद्दे कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी व्यक्ति की दशा में, किसी मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग का किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है और ऐसी मशीनरी या संयंत्र या उसके भाग का कुल मूल्य कंपनी द्वारा उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अनधिक है, तब इस खंड के उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसमें विनिर्दिष्ट शर्त का अनुपालन किया गया समझा जाएगा ;

(iii) यथास्थिति, पूर्व में किसी होटल या किसी कन्वेंशन केन्द्र के रूप में उपयोग किए गए किसी भवन, जिसके संबंध में धारा 80झघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है और अनुज्ञात की गई है, का उपयोग नहीं करता है।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, “होटल” और “कन्वेंशन केन्द्र” पद का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका धारा 80झघ की उपधारा (6) के खंड (क) और खंड (ख) में है ;

(ख) कंपनी किसी चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन और उससे संबंधित अनुसंधान के कारबार से भिन्न किसी कारबार या ऐसी वस्तु या चीज के वितरण में नहीं लगी हुई है, जिसका विनिर्माण या उत्पादन उसके द्वारा किया जाता है ;

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में निम्नलिखित कारबार सम्मिलित नहीं होगा,—

(i) किसी प्ररूप या किसी मीडिया में कंप्यूटर साफ्टवेयर का विकास;

(ii) खनन ;

(iii) संगमरमर खंडों या वैसी ही मदों का स्लैबों में संपरिवर्तन ;

(iv) सिलेंडर में गैस का भरना ;

(v) पुस्तकों का मुद्रण या चलचित्र फिल्म का उत्पादन ; या

(vi) कोई अन्य कारबार, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ; और

(ग) कंपनी की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (i)क) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (ii)क) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या उपधारा (2कख) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के उपबंधों के अधीन या धारा 80अकक के उपबंधों से भिन्न शीर्ष “ग-कतिपय आयों की कटौतियां” के अधीन अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के कर ली गई है ;

(ii) किसी हानि का मुजरा या शेष अवक्षयण का मोक किए बिना, जिसे धारा 72क के अधीन ऐसा समझा गया है, जहां ऐसी हानि या अवक्षयण उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुई मानी जा सकती है ;

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी समामेलन की दशा में और उपधारा (7) के अधीन विकल्प केवल समामेलित कंपनी की दशा में, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को ऐसी कंपनी द्वारा पूरा किया जाना जारी रहता है, विधिमान्य रहेगा ; और

(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i)क) के सिवाय धारा 32 के उपबंधों के अधीन अवक्षयण का दावा करके कर ली गई है, जिसका अवधारण ऐसी रीति में किया गया हो, जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हानि के लिए यह समझा जाएगा कि उसे पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया है और ऐसी हानि के लिए किसी पश्चात्पूर्व वर्ष में कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) यदि, यथास्थिति, उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उक्त धारा के खंड (ख) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कठिनाई को दूर करने और नया संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करते हुए चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन का संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगा ।

(5) बोर्ड द्वारा उपधारा (4) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धान्त

संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और वह, उस व्यक्ति और उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारियों पर बाध्यकर होगा।

(6) जहां किसी निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू होती है और किसी अन्य व्यक्ति के बीच निकट संबंध के कारण या किसी अन्य कारण से, उनके बीच कारबार के अनुक्रम का इस प्रकार ठहराव किया गया है कि उनके बीच संव्यवहार किया गया कारबार साधारण लाभ, जिसके ऐसे कारबार में उद्भूत होने की प्रत्याशा है, से अधिक लाभ उत्पन्न करता है, तो निर्धारण अधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए, लाभ की उस रकम को गणना में लेगा, जो युक्तियुक्त रूप से उनसे प्राप्त की गई समझी जा सकेगी :

परंतु यदि पूर्वोक्त ठहराव में धारा 92खक में निर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अन्तर्वलित है, तो ऐसे संव्यवहार से लाभ की रकम का अवधारण धारा 92च के खंड (ii) में यथा परिभाषित सनिकट कीमत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :

परंतु यह और कि रकम, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित लाभ की रकम से अधिक लाभ है, को उस व्यक्ति की आय समझा जाएगा।

(7) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि व्यक्ति द्वारा विकल्प का 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए आय की पहली विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व विहित रीति में प्रयोग नहीं कर लिया जाता है और एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा :

परंतु एक बार किसी पूर्ववर्ष के लिए विकल्प का उपयोग कर लिया जाता है तो उसे तत्पश्चात् उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—धारा 115खकक और इस धारा के प्रयोजनों के लिए “शेष अवक्षयण” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 72क की उपधारा (7) के खंड (ख) में है।¹

धारा 115जकक का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 115जकक में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(8) इस धारा के उपबंध किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसने धारा 115खकक के अधीन विकल्प का उपयोग किया है।”।

धारा 115जख का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस उपधारा के उपबंधों का ऐसे प्रभाव होगा मानो दोनों स्थानों पर आने वाले “साढ़े अठारह प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “पन्द्रह प्रतिशत” शब्द रख दिए गए थे।”;

(ख) उपधारा (5क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(5क) इस धारा के उपबंध,—

(i) धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से किसी कंपनी को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय ;

(ii) किसी व्यक्ति को, जिसने धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन निर्दिष्ट विकल्प का उपयोग किया है,

को लागू नहीं होंगे।”।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 115थक की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 5 जुलाई, 2019 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 115थक का संशोधन।

1992 का 15

“परंतु इस उपधारा के उपबंध शेयरों के ऐसे वापस क्रय को (जो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर हैं), जिनके संबंध में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का वापस क्रय) विनियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार 5 जुलाई, 2019 को या उससे पूर्व कोई लोक उद्घोषणा की गई है, को लागू नहीं होंगे।”।

अध्याय 3

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 का संशोधन

8. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 [जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम कहा गया है] की धारा 2 की उपधारा (9) में 1 अप्रैल, 2019 से—

2019 के अधिनियम सं. 23 का संशोधन।

(क) दूसरे परंतुक में, “अधिभार” शब्दों के पश्चात् “सिवाय किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खक या धारा 15खक के अधीन कर से प्रभार्य है” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ख) तीसरे परंतुक में,—

(i) खंड (क) में, “प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति” शब्दों के पश्चात् “जिसकी, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और निम्नलिखित के संबंध में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

‘(कक) व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यक्ति निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय [आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक है किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय [आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] पांच करोड़ रुपए से अधिक होती है, ऐसे “अग्रिम कर” के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय [आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक होती है किंतु जो उपखंड (iii) और

उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परंतु ऐसी दशा में, जहां कुल आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर पर अधिभार पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;”;

(iii) खंड (ग) के प्रारंभिक भाग में “देशी कंपनी” शब्दों के स्थान पर, “देशी कंपनी, सिवाय ऐसी देशी कंपनी के, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) चौथे परंतुक में “उपरोक्त (क) में” शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर “उपरोक्त (क) और (कक) में” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) आठवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अधीन संगणित अग्रिम कर को, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे “अग्रिम कर” पर दस प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।”।

पहली अनुसूची के
दूसरे भाग का
संशोधन ।

9. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(क) भाग 2 में, “आय-कर पर अधिभार” उपशीर्ष के अधीन पैरा (i) के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2019 से—

(i) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में “ऐसी आयों का योग” शब्दों के पश्चात्, “(जिसके अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में “ऐसी आयों का योग” शब्दों के पश्चात् , “(आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iii) उपखंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(v) ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए आय या ऐसी आयों का योग (जिसके अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय भी है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आता है :

परंतु ऐसी दशा में, जहां कुल आय में आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग की बाबत कटौती किए गए आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;”;

(ख) भाग 3 के पैरा क में उपशीर्ष “आय-कर पर अधिभार” के अधीन आरंभिक भाग के पश्चात्,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) में, “जिसकी कुल आय” शब्दों के पश्चात्, “(जिसके अंतर्गत धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है)” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) और खंड (घ) में, “जिसकी कुल आय” शब्दों के पश्चात्, “(धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर)” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात् और परंतुक से पहले, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ङ) जिसकी कुल आय (जिसके अंतर्गत धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपये से अधिक है किंतु जो खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से लागू होगी :

परंतु ऐसी दशा में, जहां कुल आय में आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग पर संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;”।

2019 का अध्यादेश
सं. 15

10. (1) कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और
व्यावृत्तियां।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 13)

[19 सितम्बर, 2020]

वायुयान अधिनियम, 1934 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

संक्षिप्त नाम।

1934 का 22

2. वायुयान अधिनियम, 1934 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

धारा 2 का
संशोधन।

(क) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(1क) “वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो” से धारा 4ग के अधीन गठित वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो अभिप्रेत है;’;

(ख) खंड (2क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(2ख) “सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो” से धारा 4ख के अधीन गठित सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है;

(2ग) “सिविल विमानन महानिदेशालय” से धारा 4क के अधीन गठित सिविल विमानन महानिदेशालय अभिप्रेत है;’।

धारा 4क के स्थान पर नई धारा 4क, धारा 4ख, धारा 4ग और धारा 4घ का रखा जाना।

सिविल विमानन महानिदेशालय।

सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो।

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो।

केन्द्रीय सरकार का अधीक्षण।

3. मूल अधिनियम की धारा 4क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“4क. (1) केन्द्रीय सरकार, सिविल विमानन महानिदेशालय के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन कर सकेगी, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सिविल विमानन महानिदेशक के रूप में पदाभिहित एक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) सिविल विमानन महानिदेशालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत सुरक्षा अन्वेक्षा और विनियामक कृत्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सिविल विमानन महानिदेशालय का प्रशासन सिविल विमानन महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि सिविल विमानन महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

4ख. (1) केन्द्रीय सरकार, सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन कर सकेगी, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदाभिहित एक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विषयों की बाबत विनियामक और अन्वेक्षा कृत्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो का प्रशासन सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

4ग. (1) केन्द्रीय सरकार, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन कर सकेगी, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट वायुयान दुर्घटनाओं और घटनाओं के अन्वेषण संबंधी विषयों की बाबत कृत्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का प्रशासन वायुयान दुर्घटना ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

4घ. सिविल विमानन महानिदेशालय, सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा जिसे क्रमशः धारा 4क की

उपधारा (2), धारा 4ख और धारा 4ग के अधीन आने वाले किसी मामले पर, यदि लोक हित में ऐसा विचार किया जाना आवश्यक और समीचीन है तो इन संगठनों के प्रत्येक संगठन को निदेश जारी करने की शक्ति होगी।”।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में,—

धारा 5 का संशोधन।

(i) खंड (छग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(छघ) विमान चालन संबंधी सेवा का विनियमन, अर्थात् वैमानिक सूचना संबंधी सेवा, वैमानिक संबंधी चार्टिंग और मानचित्रकारी संबंधी सेवा, वैमानिक मौसम विज्ञान संबंधी सेवा, तलाशी और बचाव संबंधी सेवा, विमान चालन संबंधी सेवा के लिए प्रक्रिया और खंड (छख) में निर्दिष्ट से भिन्न वायुयान प्रचालन और विमान चालन से संबंधित सेवा संबंधी कोई अन्य विषय ;”;

(ii) खंड (थथ) को इसके खंड (थक) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःअक्षरांकित किए गए खंड (थक) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (थक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(थख) सुरक्षा अन्वेक्षा और विनियामक कृत्य ;

(थग) सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विषयों की बाबत विनियामक और अन्वेक्षा कृत्य ; और”।

5. मूल अधिनियम की धारा 5क में,—

धारा 5क का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, “(छग), (ज), (झ), (ड) और (थथ)” कोष्ठकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “(छग), (छघ), (ज), (झ), (ड), (थक) और (थख)” कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी उस दशा में, जहां सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की सुरक्षा के हित में या सिविल विमानन प्रचालन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह समय-समय पर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत निदेश जारी कर सकेगा, जो धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ड), खंड (च), खंड (छग) और खंड (थग) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित हो सकेंगे और ऐसे निदेश, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जारी किए जा सकेंगे जो विमान क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं या वायुयान के प्रचालनों, वायुयान यातायात नियंत्रण, विमान क्षेत्र के अनुरक्षण और प्रचालन में या सिविल विमानन को अविधिपूर्ण हस्तक्षेप के कार्यों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान किए जाने में नियोजित हैं।

(1ख) किसी व्यक्ति से किसी अभ्यावेदन की प्राप्ति पर या अन्यथा, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी और सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक को, यथास्थिति, ऐसे आदेश को विखंडित या उपांतरित करने के निदेश जारी कर सकेगी।”;

(iii) उपधारा (2) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, “या उपधारा (1क) या उपधारा (1ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 10 का
संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1क) में,—

(i) “खंड (थक)” शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “खंड (थक)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “एक करोड़ रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 10क और
धारा 10ख का अंतः
स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

शास्तियों का
न्यायनिर्णयन।

“10क. (1) धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, धारा 4, धारा 5, धारा 7, धारा 8, धारा 8क या धारा 8ख के अधीन किसी नियम को बनाने में किसी ऐसे नियम के उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित करने के लिए उपबंध कर सकेगी, जिसके ऐसे उल्लंघन के लिए अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों में अन्यत्र किसी अन्य दंड का उपबंध नहीं है।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, भारत सरकार के उप सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों को ऐसी संख्या में, जितनी वह आवश्यक समझे, ऐसी रीति में, जैसा कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए, उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिनिर्णीत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति करते समय उस क्रम में उनकी अधिकारिता भी विनिर्दिष्ट करेगी।

(4) जहां ऐसे पदाभिहित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा उल्लंघन की प्रकृति का, नियमों के ऐसे उपबंध का, जिसका उल्लंघन किया गया है और ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए कारणों का कथन करते हुए ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

परंतु पदाभिहित अधिकारी, कोई शास्ति अधिरोपित करने से पहले ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन किए गए आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अपील अधिकारी को, जिसको उस मामले में अधिकारिता है और जो ऐसा आदेश पारित करने वाले पदाभिहित अधिकारी से ठीक उच्चतर श्रेणी का अधिकारी है, अपील कर सकेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको पदाभिहित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप और रीति में फाइल की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस भी संलग्न की जाएगी, जैसा केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए।

(7) अपील अधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनने का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और वह ऐसे आदेशों की, जिनके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उन्हें उपांतरित कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा।

अनुज्ञप्ति या
प्रमाणपत्र या
अनुमोदन का रद्द
किया जाना।

10ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को जारी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को, ऐसी रीति में, जैसा केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए, निलंबित या रद्द किया जा सकेगा।”।

8. मूल अधिनियम की धारा 11 में, “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक करोड़ रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 11क में, “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक करोड़ रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11क का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 11ख की उपधारा (1) में, “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक करोड़ रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11ख का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

नई धारा 12क और धारा 12ख का अंतःस्थापन।

1974 का 2

“12क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 10, धारा 11, धारा 11क, धारा 11ख और धारा 12 या तद्वीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, यथास्थिति, सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक द्वारा ऐसी रीति में, जैसा केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए या तो अभियोजन संस्थित करने से पहले या उसके पश्चात्, शमन किया जा सकेगा।

अपराधों का शमन।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी बार या उसके पश्चात् वैसा ही अपराध करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर किए जाने वाले अपराध, जिसका पूर्वतर शमन किया गया था या जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को पूर्वतर दोषसिद्ध किया गया था, को लागू नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी केंद्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, अपराध के शमन की शक्ति का प्रयोग करेगा।

(4) अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में होगा, जैसा केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए।

(5) जहां किसी अपराध का, किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने से पहले शमन किया जाता है, वहां ऐसे अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में इस प्रकार अपराध का शमन किया गया है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(6) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसा शमन उस न्यायालय की, जिसमें अभियोजन लंबित है उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित में अवेक्षा में लाया जाएगा और इस प्रकार अपराध के शमन की ऐसी अवेक्षा पर, उस व्यक्ति को, जिसके अपराध का शमन किया गया है, उन्मुक्त किया जाएगा।

(7) इस धारा के अधीन अपराध के शमन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा जिसके अपराध का शमन किया गया है।

(8) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का इस धारा में उपबंधित के सिवाय शमन नहीं किया जाएगा।

12ख. (1) कोई न्यायालय, यथास्थिति, सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक द्वारा या उसकी पूर्व लिखित अनुमति से किए गए परिवाद के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अपराधों का संज्ञान।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद, उस तारीख से जिसको अपराध, यथास्थिति, सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान

दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक की जानकारी में आया है, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा।”।

1974 का 2

धारा 19 का
संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में,—

(क) “या वायुसेना” शब्दों के पश्चात् “या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा गठित संघ के अन्य सशस्त्र बल” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना के वायुयानों से भिन्न संघ के किसी सशस्त्र बल का कोई वायुयान, जिसके लिए वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख को इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंध लागू हैं, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस तारीख तक शासित होता रहेगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।”।

विद्यमान
प्राधिकरणों से
संबंधित
संक्रमणकालीन
उपबंध।

13. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व, मूल अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित किसी प्राधिकरण द्वारा की गई किसी बात या कोई कार्रवाई या किए गए विनिश्चय या किसी आदेश या जारी किए गए किसी निदेश को, जहां तक ऐसी कार्रवाई या विनिश्चय या निदेश, यथास्थिति, सिविल विमानन महानिदेशालय या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के कृत्यों से संबंधित है, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे इस अधिनियम की क्रमशः धारा 4क, धारा 4ख और धारा 4ग के अधीन गठित, यथास्थिति, सिविल विमानन महानिदेशालय या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई है या किया गया है या जारी किया गया है।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 3)

[11 मार्च, 2021]

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित
हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम,
2021 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह 4 नवंबर, 2020 को प्रवृत्त
हुआ समझा जाएगा।

1996 का 26

2. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल
अधिनियम कहा गया है) की धारा 36 की उपधारा (3) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित
अंतःस्थापित किया जाएगा और 23 अक्तूबर, 2015 से अंतःस्थापित किया गया समझा
जाएगा, अर्थात् :—

धारा 36 का
संशोधन।

“परंतु यह और कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि
प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है कि,—

(क) माध्यस्थम् करार या संविदा, जो कि पंचाट का आधार है ; या

(ख) पंचाट का दिया जाना,

कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित था या के कारण था, वह पंचाट पर बिना किसी शर्त
के धारा 34 के अधीन पंचाट पर आक्षेप के निपटान के लंबित रहते रोक लगा देगा।”।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त परंतुक, माध्यस्थम् कार्यवाहियों से उद्भूत या उसके संबंध में इस बात का विचार किए बिना कि माध्यस्थम् या न्यायालय कार्यवाहियां, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने से पहले या उसके पश्चात् प्रारंभ हुई थी, सभी न्यायालय मामलों को लागू होगा।”।

2016 का 3

धारा 43ज के
स्थान पर नई
धारा का रखा
जाना।

3. मूल अधिनियम की धारा 43ज के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,
अर्थात् :—

मध्यस्थों के
प्रत्ययन के लिए
सन्नियम।

आठवीं अनुसूची
का लोप।

निरसन और
व्यावृत्ति।

“43ज. मध्यस्थों के प्रत्ययन के लिए अर्हताएं, अनुभव और सन्नियम वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।”।

4. मूल अधिनियम की आठवीं अनुसूची का लोप किया जाएगा।

5. (1) माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2020 का
अध्यादेश सं. 14

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 4)

[12 मार्च, 2021]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध)
दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित
हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि
(विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह 29 दिसम्बर, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011
(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् शीर्ष में, "31 दिसंबर, 2020
तक की अतिरिक्त अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2023 तक की
अतिरिक्त अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

वृहत् शीर्ष का
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की उद्देशिका में,—

(क) चौथे पैरा से आठवें पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे,
अर्थात्:—

उद्देशिका का
संशोधन।

2011 का 20

“और वर्ष 2041 के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रगति पर है ;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019 एक बार विशेष अध्यापय के रूप में, अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के स्वामित्व या अंतरण अथवा बंधक अधिकारों को मान्यता प्रदान करने या प्रदत्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था ;

2019 का 45

और दिल्ली में अप्राधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए 24 मार्च, 2008 को अधिसूचित विनियमों का अधिक्रमण करते हुए तारीख 29 अक्तूबर, 2019 को भारत के राजपत्र में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 अधिसूचित किया गया था ;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 में यथा उपबंधित अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदत्त करने की प्रक्रिया तथा अप्राधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रण संनियम को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है और इसमें समय लगेगा ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण के संबंध में परिनिश्चित की गई नीति के आधार पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, का.आ. 97(अ), तारीख 17 जनवरी, 2011 द्वारा अधिसूचित विशेष क्षेत्र, अप्राधिकृत नियमित कॉलोनियों और ग्रामीण आबादियों के लिए भवन निर्माण विनियम बनाए गए हैं ;

1957 का 61

और अप्राधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण तथा विशेष क्षेत्रों के लिए परिकल्पित कार्रवाई को पूरा करने के लिए और समय अपेक्षित है ;”;

(ख) ग्यारहवें पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फार्म हाउसों के संबंध में पुनरीक्षित नीति तैयार की जा रही है और उसको अंतिम रूप से परिनिश्चित करने में कुछ और समय लगने की संभावना है ;”;

(ग) बारहवें पैरा में “दिल्ली मास्टर प्लान, 2021” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “मास्टर प्लान” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) तेरहवें पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“और केंद्रीय सरकार द्वारा 21 जून, 2018 को गैर-अनुरूप क्षेत्रों में विद्यमान गोदाम समूहों के मानक के संबंध में नीति अधिसूचित की गई है ;”;

(ङ) इक्कीसवें पैरा में,—

(i) “दिल्ली मास्टर प्लान, 2021” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “मास्टर प्लान” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि के लिए” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के आरंभिक भाग में, “अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “अधिनियम 31 दिसंबर, 2023 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 1 का
संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 2 का
संशोधन।

1957 का 61

‘(ड) “मास्टर प्लान” से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन यथा अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान अभिप्रेत है ;’।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

धारा 3 का
संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, “दिल्ली मास्टर प्लान, 2021” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “मास्टर प्लान” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) निम्नलिखित अंतिम तारीखों के अनुसार :—

2019 का 45

(i) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 में यथा उपबंधित अप्राधिकृत कॉलोनियों के लिए ;

(ii) 31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तार के लिए तथा जहां संनिर्माण कार्य उस तारीख से परे और 1 जून, 2014 तक किया गया है,

2019 का 45

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 और ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तारण के लिए विनियमों के उपबंधों के अनुसार क्रमबद्ध व्यवस्था ;”;

(ख) उपधारा (2) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 के अधीन पहचानी गई अप्राधिकृत कॉलोनियों की बाबत, ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तारण, जो 31 मार्च, 2002 को विद्यमान थे, और उपधारा (1) में यथा वर्णित पूर्वोक्त प्रवर्गों में जहां संनिर्माण कार्य 1 जून, 2014 तक हुआ है ;”;

(ग) उपधारा (3) में, “31 दिसंबर, 2020 तक” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “31 दिसंबर, 2023 तक” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) में, “31 दिसंबर, 2020 के पूर्व किसी भी समय” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “31 दिसंबर, 2023 के पूर्व किसी भी समय” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2020 का अध्यादेश
सं. 15

7. (1) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 निरसित किया जाता है।

निरसन और
व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

वित्त अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 13)

[28 मार्च, 2021]

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित
हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2021 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय,—

(क) धारा 2 से धारा 88 तक 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होंगी ;

(ख) धारा 108 से धारा 123, उस तारीख को प्रवृत्त होंगी, जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2021 को
प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से

आय-कर।

प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो]; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित अनुसार परिकलित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परन्तु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (iii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयकर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परन्तु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार, संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या सहकारी सोसाइटी की दशा में जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक,

1961 का 43

धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ड, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, की दशा में, जहां,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) ऐसे व्यष्टि या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय जिसमें लाभान्शों के रूप में आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति जिसमें लाभान्शों के रूप में आय या आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(v) कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति जिसमें लाभान्शों के रूप में आय या आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में, जिसमें लाभान्शों के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के अधीन प्रभार्य आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सिवाय ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खक के अधीन कर से प्रभार्य है, या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, सिवाय ऐसी देशी कंपनी के, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खक या धारा 115खक के अधीन कर से प्रभार्य है,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (कक) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, आय की रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम उस आय की रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम उस आय की रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115खक के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय

कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम उस आय की रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क में किए गए उपबंध के अनुसार परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गड की उपधारा (2क) या धारा 115थक या धारा 115थख या धारा 115नक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उन मामलों में, जहां-कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ड, धारा 194डड, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ज, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ट, धारा 194ड, धारा 194ड, धारा 194ण, धारा 194थ, धारा 196, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,

आयकर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा में के सिवाय,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परन्तुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां-कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, जहां,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन कटौती की जानी है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की

उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, “अग्रिम कर” की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परन्तु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित “अग्रिम कर” की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढा दिया जाएगा, सिवाय किसी देशी कंपनी की दशा में के, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या किसी निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115ककक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115जख और धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परन्तुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पचीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय है,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पचीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (कक) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह कि उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य ऐसी आय के संबंध में पहले परन्तुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” को ऐसे “अग्रिम कर” के पच्चीस प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परन्तुक के अधीन संगणित अग्रिम कर ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परन्तुक के अधीन संगणित अग्रिम कर, पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में यथा उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परन्तुक के अधीन संगणित अग्रिम कर ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा ‘क’ लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में, कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय, कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” होगी :

परन्तु ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि इस प्रकार प्राप्त आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की स्वास्थ्य सेवा क्वालिटी और आधारिक शिक्षा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा की क्वालिटी उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की कुल रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी, जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संचित किया जाता है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “देशी कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है,

जिसने 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए विहित ठहराव कर लिए हैं ;

(ख) “बीमा कमीशन” से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपास करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार भी है) कोई पारिश्रमिक या इनाम चाहे वह कमीशन के रूप में या अन्यथा अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, “शुद्ध कृषि-आय” से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में और पहली अनुसूची में प्रयुक्त, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का
संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (11) के उपखंड (ख) में, “उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार हैं” शब्दों के पश्चात्, “जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल नहीं हैं” शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (14) के उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) कोई यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी, जिसको धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट इस कारण लागू नहीं होती है क्योंकि उसका चौथा और पांचवां परन्तुक उसे लागू होता है ।”;

(iii) खंड (19कक) के स्पष्टीकरण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 6—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी का पृथक् कंपनियों में पुनःसंरचना या विभाजन को निर्विलयन समझा जाएगा, यदि ऐसी पुनःसंरचना या विभाजन निर्विलीन कंपनी की किसी आस्ति को परिणामी कंपनी में अंतरित करने के लिए किया गया है और परिणामी कंपनी,—

(i) ऐसी स्कीम में उपदर्शित नियत दिन को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या कंपनी अधिनियम, 2013 या इस निमित्त ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को शासित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा अनुमोदित की जाए ; और

(ii) ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा करती है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, इस निमित्त अधिसूचित की जाएं ;”;

(iv) खंड (29क) को उसके खंड (29कक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (29कक) के पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(29क) किसी व्यक्ति के संबंध में और किसी देश के संदर्भ में, “कर के लिए दायी” से यह अभिप्रेत है कि ऐसे व्यक्ति पर तत्समय प्रवृत्त उस देश की किसी विधि के अधीन आय-कर दायित्व है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसे तत्पश्चात्

2013 का 18

उस देश की विधि के अधीन ऐसे दायित्व से छूट प्रदान की गई है।’;

(v) खंड (42ग) में,—

(I) “प्रतिफल के लिए विक्रय के परिणामस्वरूप अंतरण” शब्दों के स्थान पर, “प्रतिफल के लिए किसी भी माध्यम से अंतरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 3—इस खंड के प्रयोजनों के लिए “अंतरण” का वही अर्थ होगा, जो उसका खंड (47) में है ;”;

(vi) खंड (48) में, 1 अप्रैल, 2022 से,—

(I) उपखंड (क) में, “अवसंरचना पूंजी निधि” शब्दों के पश्चात्, “या अवसंरचना ऋण निधि” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) उपखंड (ख) में, “अवसंरचना पूंजी निधि या” शब्दों के पश्चात्, “अवसंरचना ऋण निधि” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(III) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “अवसंरचना ऋण निधि” पद से धारा 10 के खंड (47) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि अभिप्रेत है।’

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9क में, 1 अप्रैल, 2022 से, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 9क का संशोधन।

“(8क) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ड) या उपधारा (4) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक या अधिक शर्त किसी पात्र विनिधान निधि को और उसके पात्र निधि प्रबंधक को, उस समय लागू नहीं होगी या ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होगी, जिन्हें ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यदि ऐसा पात्र निधि प्रबंधक धारा 80ठक के स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथापरिभाषित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और जिसने 31 मार्च, 2024 को या उसके पूर्व अपना काम आरंभ किया है।”।

5. आय-कर अधिनियम में, धारा 9क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 9ख का अंतःस्थापन।

‘9ख. (1) जहां कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के विघटन या पुनर्गठन के संबंध में विनिर्दिष्ट अस्तित्व से कोई पूंजी आस्ति या व्यापार स्टाक या दोनों को प्राप्त करता है, वहां यह समझा जाएगा कि विनिर्दिष्ट अस्तित्व ने, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी आस्ति या व्यापार स्टाक या दोनों विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, यथास्थिति, ऐसी पूंजी आस्ति या व्यापार स्टाक या दोनों का अंतरण किया है।

विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पूंजी आस्ति या व्यापार स्टाक की प्राप्ति पर आय।

(2) विनिर्दिष्ट अस्तित्व द्वारा, यथास्थिति, पूंजी आस्ति या व्यापार स्टाक या दोनों के ऐसे समझे गए अंतरण से उद्भूत होने वाला कोई लाभ और अभिलाभ,—

(i) ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसी पूंजी आस्ति या व्यापार स्टाक या दोनों विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए थे, की आय समझी जाएगी ; और

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, “किसी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन या “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में ऐसी आय, आय-कर से प्रभार्य होगी।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पूंजी आस्ति या व्यापार स्टाक या दोनों का, इसकी प्राप्ति की तारीख को, उचित बाजार मूल्य विनिर्दिष्ट अस्तित्व द्वारा पूंजी आस्ति या व्यापार स्टाक या दोनों के ऐसे समझे गए अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में समझा जाएगा।

(4) यदि इस धारा और धारा 45 की उपधारा (4) के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी प्रत्येक मार्गदर्शी सिद्धांत, इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और आय-कर प्राधिकारियों पर और निर्धारिती पर आबद्धकर होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) “विनिर्दिष्ट अस्तित्व का पुनर्गठन” से अभिप्रेत है, जहां,—

(क) ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के, यथास्थिति, एक या अधिक भागीदार या सदस्य नहीं रह जाते हैं; या

(ख) ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व में, यथास्थिति, एक या अधिक नए भागीदार या सदस्य ऐसी परिस्थितियों में सम्मिलित किए जाते हैं, कि एक या अधिक व्यक्ति, जो परिवर्तन से पूर्व, विनिर्दिष्ट अस्तित्व के, यथास्थिति, भागीदार या सदस्य थे, परिवर्तन के पश्चात् भागीदार या सदस्य बने रहते हैं; या

(ग) यथास्थिति, सभी भागीदार या सदस्य, ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के उनके अपने-अपने शेयर या उनमें से कुछ शेयरों में परिवर्तन के साथ बने रहते हैं;

(ii) “विनिर्दिष्ट अस्तित्व” से कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम या व्यष्टियों का निकाय (जो एक कंपनी या सहकारी सोसाइटी नहीं है) अभिप्रेत है;

(iii) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पूर्ववर्ष में किसी फर्म का भागीदार है या व्यक्तियों के अन्य संगम या व्यष्टियों के निकाय (जो एक कंपनी या सहकारी सोसाइटी नहीं है) का सदस्य है।

धारा 10 का
संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) 1 अप्रैल, 2022 से,—

(i) खंड (4घ) में,—

(I) “किसी अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों के संबंध में व्युत्पन्न (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है)”, शब्दों के पश्चात् “या, यथास्थिति, किसी अपतटीय बैंककारी यूनिट के विनिधान प्रभाग के संबंध में व्युत्पन्न” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(II) स्पष्टीकरण में,—

(अ) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) “अपतटीय बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग” से धारा 80उक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित अनिवासी की बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग अभिप्रेत है और जिसने 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व प्रचालन आरंभ कर दिया है;”

(आ) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,
अर्थात्:—

(ग) “विनिर्दिष्ट निधि” से,—

(i) किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में भारत में स्थापित या निगमित ऐसी निधि अभिप्रेत है,—

(I) जिसे प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित है ;

(II) जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित है ; और

(III) जिसकी किसी प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा धारण की गई यूनिट से भिन्न सभी यूनिटों को अनिवासियों द्वारा धारण किया जाता है ; या

(ii) किसी अपतटीय बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग, जिसे,—

(I) जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन प्रवर्ग-1 विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और जिसने 31 मार्च, 2024 को या उसके पूर्व अपने प्रचालन प्रारंभ कर दिए हैं ; और

(II) ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जिनके अंतर्गत उसके विनिधान प्रभाग के लिए पृथक् लेखाओं का रखा जाना सम्मिलित है, जो विहित की जाएं;

(ii) खंड (4घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(4ड) धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की किसी अपतटीय बैंककारी यूनिट के साथ की गई अग्रिम संविदा में अपरिदेय अंतरण के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी को उद्भूत हुई या उसके द्वारा प्राप्त ऐसी कोई आय जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है जो विहित की जाएं ;

(4च) किसी पूर्ववर्ष में किसी वायुयान को पट्टे पर देने के मद्दे स्वामिस्व या ब्याज के रूप में किसी अनिवासी की ऐसी कोई आय जिसको धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय

1992 का 15

2019 का 50

1992 का 15

सेवा केन्द्र की यूनिट द्वारा संदत्त किया गया है, यदि यूनिट ने 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व अपना प्रचालन आरंभ कर दिया है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “वायुयान” से कोई वायुयान या कोई हेलीकाप्टर, या किसी वायुयान या किसी हेलीकाप्टर का इंजन, या उसके कोई भी पुर्जे अभिप्रेत हैं।”;

(ख) खंड (5) में,—

(i) परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, ऐसे व्यष्टि द्वारा प्राप्त या उसको शोध्य किसी यात्रा रियायत या सहायता के बदले में मूल्य को भी ऐसी शर्तों को (जिसके अंतर्गत ऐसी अवधि के भीतर ऐसे व्यय की ऐसी रकम उपगत करने की शर्त भी है), जो विहित की जाएं, पूरा करने के अधीन रहते हुए इस खंड के अधीन छूट प्रदान की जाएगी।”;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां कोई व्यष्टि छूट का दावा करता है और विहित व्यय के संबंध में दूसरे परन्तुक के अधीन छूट अनुज्ञात की जाती है, वहां किसी अन्य व्यष्टि को ऐसे विहित व्यय के संबंध में इस खंड के अधीन कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी।”;

(ग) खंड (10घ) में,—

(i) तीसरे परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् जारी किसी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के संबंध में, यदि ऐसी पालिसी की अवधि के दौरान किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदेय प्रीमियम की रकम दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, लागू नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि यदि व्यक्ति द्वारा प्रीमियम 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् जारी एक से अधिक यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के लिए संदेय है तो इस खंड के उपबंध उन यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों के संबंध में ही लागू होंगे, जहां प्रीमियम की कुल रकम इन पालिसियों में से किसी भी पालिसी की अवधि के दौरान किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में चौथे परन्तुक में निर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है :

परन्तु यह भी कि चौथे और पांचवें परन्तुक के उपबंध किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त किसी राशि को लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह भी कि यदि इस खंड के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और इस परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा जारी प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और आय-कर प्राधिकारियों तथा निर्धारिती पर आबद्धकर होगा।”;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1938 का 4

1999 का 41

‘स्पष्टीकरण 3—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी” से ऐसी कोई जीवन बीमा पालिसी अभिप्रेत है, जिसमें विनिधान और बीमा, दोनों के घटक हैं और वह बीमा अधिनियम, 1938 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (यूनिट संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019 के विनियम 3 के खंड (डड) में यथा परिभाषित यूनिट से संबद्ध है।’;

(घ) 1 अप्रैल, 2022 से,—

(i) खंड (11) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु इस खंड के उपबंध किसी व्यक्ति के खाते में पूर्ववर्ष के दौरान उद्भूत व्याज के रूप में आय को उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक वह आय उस व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् उस निधि में किसी पूर्ववर्ष में दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक के अभिदाय की रकम या रकमों के कुल योग से संबंधित है और जिसे ऐसी रीति में संगणित किया गया है, जो विहित की जाए :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अभिदाय किसी ऐसी निधि में है, जिसमें ऐसे व्यक्ति के नियोजक द्वारा कोई अभिदाय नहीं है, तो पहले परन्तुक के उपबंधों का वैसा ही प्रभाव होगा, मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों ;”;

(ii) खंड (12) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“परन्तु इस खंड के उपबंध, किसी व्यक्ति के खाते में पूर्ववर्ष के दौरान व्याज के रूप में उद्भूत आय को, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक वह आय उस व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् उस निधि में किसी पूर्ववर्ष में दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक के अभिदाय की रकम या रकमों के कुल योग से संबंधित है, जिसे ऐसी रीति में संगणित किया गया है, जो विहित की जाए :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अभिदाय किसी ऐसी निधि में किया गया है, जिसमें ऐसे व्यक्ति के नियोजक द्वारा कोई अभिदाय नहीं किया गया है, तो पहले परन्तुक के उपबंधों का वैसा ही प्रभाव होगा, मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों ;”;

(iii) खंड (23ग) में,—

(I) उपखंड (iiiकघ) में, “यदि ऐसे विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था की कुल वार्षिक प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियों की रकम से, जो विहित की जाएं, अधिक नहीं हैं” शब्दों के स्थान पर, “यदि किसी व्यक्ति की ऐसे विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्था या शैक्षिक संस्थाओं से कुल वार्षिक प्राप्तियां पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) उपखंड (iiiकड) में,—

(अ) “यदि ऐसे अस्पताल या संस्था की कुल वार्षिक प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियों की रकम से, जो विहित की जाएं, अधिक नहीं हैं” शब्दों के स्थान पर, “यदि किसी व्यक्ति की ऐसे अस्पताल या अस्पतालों या संस्था या संस्थाओं से कुल वार्षिक प्राप्तियां पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं” शब्द रखे जाएंगे ;”

(आ) उपखंड (iiiकड) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—उपखंड (iiiकघ) और उपखंड (iiiकड) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उपखंड (iiiकघ) में यथानिर्दिष्ट विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्था या शैक्षिक संस्थाओं से और साथ ही उपखंड (iiiकड) में यथा निर्दिष्ट अस्पताल या

अस्पतालों या संस्था या संस्थाओं से कोई प्राप्तियां हैं तो इन खंडों के अधीन छूट उस समय लागू नहीं होगी, यदि ऐसे व्यक्ति की ऐसे विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्था या शैक्षिक संस्थाओं या अस्पताल या अस्पतालों या संस्था या संस्थाओं से वार्षिक प्राप्तिओं का कुल योग पांच करोड़ रुपए से अधिक है ; या” ;

(III) तीसरे परन्तुक में,—

(अ) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 में, “आय सम्मिलित नहीं होगी” शब्दों के पश्चात्, “इस शर्त के अधीन कि ऐसे स्वैच्छिक अभिदायों को ऐसे कार्पस के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाई रखी गई धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या पद्धतियों में विनिधानित या जमा किया जाता है” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ; और

(आ) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2—इस परन्तुक के अधीन उपयोजन की रकम को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए,—

(i) स्पष्टीकरण 1 में यथा निर्दिष्ट कार्पस से पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए किए गए उपयोजन को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय के उपयोजन के रूप में नहीं समझा जाएगा :

परन्तु इस प्रकार उपयोजन या उसके भाग के रूप में न समझी गई रकम या उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी रकम या उसके किसी भाग को उस वर्ष की आय से ऐसे कार्पस के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाई रखी गई धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या पद्धतियों में वापस विनिधानित या जमा किया जाता है और ऐसे विनिधान या निक्षेप की सीमा तक पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में समझा जाएगा ; और

(ii) किसी ऋण या उधार से पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए किए गए उपयोजन को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय के उपयोजन के रूप में नहीं समझा जाएगा :

परन्तु इस प्रकार उपयोजन या उसके भाग के रूप में न समझी गई रकम उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऋण या उधार या उसके किसी भाग को उस वर्ष की आय से प्रति संदत्त किया जाता है और इस प्रकार प्रति संदत्त किए जाने की सीमा तक पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में समझा जाएगा ;” ;

(IV) चौदहवें परन्तुक में, “12कक” अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा 12कख” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(V) बीसवें परन्तुक के पश्चात् स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां ऐसी किसी आय को जिसे पूर्ववर्ष के दौरान उपयोजित या संचित किया जाना अपेक्षित है, की संगणना पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती किसी वर्ष के किसी आधिक्य उपयोजन का कोई मुजरा या कटौती या मोक के बिना की जाएंगे ;” ;

(ड) खंड (23चड) में:—

(अ) उपखंड (iii) में:—

(i) मद (ग) में:—

(I) “सौ प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “कम से कम पचास प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) “मद (ख) में” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “मद (ख) या मद (घ) या मद (ङ) में या धारा 2 के खंड (13क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट कोई अवसंरचना विनिधान न्यास ; या” शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) मद (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(घ) 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् गठित और रजिस्ट्रीकृत देशी कंपनी, जिसका न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत विनिधान मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में है ; या

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना सं. आरबीआई/2009-10/316 में निर्दिष्ट “अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी” या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी - “अवसंरचना ऋण निधि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2011” में निर्दिष्ट परिभाषित “अवसंरचना ऋण निधि में गैर-बैंककारी वित्त कंपनी में”, जिसका न्यूनतम नब्बे प्रतिशत उधार मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या अस्तित्वों के लिए है ; या

(आ) तीसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि यदि उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट प्रवर्ग-1 या प्रवर्ग-2 वैकल्पिक विनिधान निधि की दशा में उक्त उपखंड की मद (ख) या मद (घ) या मद (ङ) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या अस्तित्वों में या उक्त उपखंड की मद (ग) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान न्यास में सौ प्रतिशत से कम विनिधान रखती है, ऐसे विनिधान के कारण, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उद्भूत या हुई या प्राप्त मानी जा सकने वाली आय, जो इस खंड के अधीन छूट प्राप्त है, का परिकलन उक्त उपखंड की मद (ख) या मद (घ) या मद (ङ) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या अस्तित्वों या उक्त उपखंड की मद (ग) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान निधि में किए गए विनिधान तक के अनुपात में ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए :

परन्तु यह भी कि यदि उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट देशी कंपनी उक्त उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में सौ प्रतिशत से कम विनिधान रखती है, तो ऐसे विनिधानों के कारण, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उद्भूत या हुई या प्राप्त मानी जा सकने वाली आय जो इस खंड के अधीन छूट प्राप्त है, का परिकलन उक्त उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में किए गए विनिधान के अनुपात में उस रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए:

परन्तु यह भी कि यदि उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी, या अवसंरचना ऋण निधि, उक्त उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में सौ प्रतिशत से कम उधार दिया है, ऐसे विनिधान के मद्दे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उद्भूत या हुई या प्राप्त हुई मानी

जा सकने वाली आय, जो इस खंड के अधीन छूट प्राप्त है, की संगणना उक्त उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनियों या उद्यमों या निकायों में दिए गए उधार के अनुपात में ऐसी रीति में की जाएगी जो विहित की जाए :

परन्तु यह भी कि यदि स्वयंभू धन निधि या पेंशन निधि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत में विनिधान करने के प्रयोजन के लिए ऋण या उधार हैं, तो ऐसी निधि को इस खंड के अधीन छूट के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा।”;

(इ) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 में,—

(i) खंड (ख) में,—

(I) उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के उपखंड भारत में विनिधान करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण या उधार देने हेतु उधार लेने वालों या जमाकर्ताओं को किए गए किसी संदाय को लागू नहीं होंगे ;”;

(II) उपखंड (v) में, “भारत में या उसके बाहर कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप करता है” शब्दों के स्थान पर, “वह विनिधानकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेता है, किंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के पास विनिधान के संरक्षण के लिए तंत्र की मानीटरी, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति भी है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में सहभागिता समझी जाएगी” शब्द रखे जाएंगे ;”;

(ii) खंड (ग) में,—

(I) उपखंड (ii) में, “दायी नहीं है” शब्दों के पश्चात् “या यदि कर का दायी है तो उसकी सभी आय के लिए कर से छूट का ऐसे दूसरे देश द्वारा उपबंध किया गया है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) उपखंड (iii) में, “जो विहित किया जाए ; और” शब्दों के स्थान पर “जो विहित किया जाए ;” शब्द रखे जाएंगे ;

(III) उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii)क वह विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग नहीं लेता है, किंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के पास विनिधान के संरक्षण के लिए मानीटरी तंत्र, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करने का अधिकार भी है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेना नहीं माना जाएगा ; और”;

(ई) स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “विनिधान प्राप्तकर्ता” से उपखंड (iii) की मद (ड) में निर्दिष्ट कोई कारबार न्यास या कंपनी या उद्यम या निकाय या प्रवर्ग-1 या प्रवर्ग-2 वैकल्पिक विनिधान निधि या कोई अवसंरचना विनिधान न्यास या देशी कंपनी या अवसंरचना वित्तीय कंपनी या अवसंरचना ऋण निधि अभिप्रेत है जिसमें, यथास्थिति, स्वयंभू धन

निधि या पेंशन निधि ने इस खंड के उपबंधों के अधीन प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान किया है ;

(ii) “ऋण और उधार” से,—

(क) ऐसे देश की सरकार, जिसमें स्वयंभू धन निधि स्थापित की गई है, से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से किसी स्वयंभू धन निधि द्वारा लिया गया कोई ऋण या उधार किसी स्वयंभू धन निधि में किया गया कोई निक्षेप या विनिधान अभिप्रेत है ;

(ख) किसी पेंशन निधि द्वारा किसी व्यक्ति से लिया गया कोई ऋण या उधार अथवा उस व्यक्ति द्वारा किसी पेंशन निधि में किया गया विनिधान अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा निक्षेप या विनिधान सम्मिलित नहीं होगा जो एक या अधिक निधियों की कानूनी बाध्यताओं या सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन, निःशक्तता, मृत्यु फायदों या यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों को वैसे ही किसी प्रतिकर का उपबंध करने के लिए योजनाओं के परिनिश्चित अंशदानों का प्रतिनिधित्व करता है ।

स्पष्टीकरण 3—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार यह विहित कर सकेगी कि उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट “पचास प्रतिशत” या मद (घ) में निर्दिष्ट “पचहत्तर प्रतिशत” या मद (ङ) में निर्दिष्ट “नब्बे प्रतिशत” की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए ;;

(च) खंड (23चड) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2022 से, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(23चच) पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की कोई आय जो किसी अनिवासी को उद्भूत होती है या उसके द्वारा या विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त की जाती है, जो भारत में निवासी किसी कंपनी के शेयर को पारिणामी निधि या विनिर्दिष्ट निधि में अंतरण के मद्दे उस सीमा तक प्राप्त होती है, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित यूनिटों के कारण मानी जा सकती है, और ऐसे शेयर पुनःस्थापन में मूल निधि से या उसके पूर्णतः स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान से अंतरित किए गए थे, और जहां ऐसे शेयरों पर पूंजी अभिलाभ कर से प्रभार्य शेयर तब नहीं होते, यदि ऐसा पुनःस्थापन नहीं हुआ होता ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “मूल निधि”, “पुनःस्थापन” और “पारिणामी निधि” पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमशः धारा 47 के खंड (viiकग) और खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण में है ;

(ख) “विनिर्दिष्ट निधि” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में है ;;

(ङ) खंड (48ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(48घ) संसद् के अधिनियम के अधीन स्थापित और इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अवसंरचना और विकास के वित्तपोषण के लिए स्थापित किसी संस्था को, उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसी संस्था स्थापित की गई है, के सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस क्रमिक निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए, प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय ;

(48ङ) खंड (48घ) में निर्दिष्ट, संसद् के अधिनियम के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञप्त और इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित

विकासात्मक वित्तपोषण संस्था को, उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसी संस्था स्थापित की गई है, के सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमिक निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए, प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय :

परंतु केंद्रीय सरकार, इस खंड के अधीन अधिसूचना जारी करके, ऐसी और अवधि के लिए, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के पूरा करने के अधीन रहते हुए, पांच और क्रमिक निर्धारण वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए, इस खंड के अधीन छूट की अवधि बढ़ा सकेगी ;”;

(ज) खंड (50) में,—

(I) “2021” अंकों के स्थान पर, “2020” अंक रखे जाएंगे ;

(II) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड में निर्दिष्ट आय में, ऐसी आय, जो धारा 90 या धारा 90क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित करार के साथ पठित इस अधिनियम के अधीन भारत में तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के रूप में कर से प्रभार्य है, सम्मिलित नहीं होगी और न ही कभी सम्मिलित हुई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाएं” का वही अर्थ होगा, जो वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 164 के खंड (गख) में उसका है ;

2016 का 28

(ii) “विनिर्दिष्ट सेवा” का वही अर्थ होगा, जो वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 164 के खंड (i) में उनका है।’।

2016 का 28

धारा 11 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 11 में, 1 अप्रैल, 2022 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) में, “संस्था” शब्द के स्थान पर, “संस्था इस शर्त के अधीन रहते हुए कि, ऐसे स्वैच्छिक अभिदायों, का ऐसे समग्र निधि के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाए रखे गए उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक स्वरूपों या ढंगों में विनिधान किया जाता है या उन्हें जमा किया जाता है” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 4—खंड (क) या खंड (ख) के अधीन उपयोजन की रकम का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए,—

(i) इस उपधारा के खंड (घ) में यथा निर्दिष्ट समग्र निधि से पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा :

परन्तु इस प्रकार उपयोजन के रूप में न समझी गई रकम या उसके भाग को उस पूर्ववर्ष में, जिसमें रकम या उसके भाग को ऐसी समग्र निधि के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुरक्षित उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक स्वरूपों या ढंगों में उस वर्ष की आय से विनिधान या ऐसे जमा किए जाने के विस्तार तक विनिधान किया जाता है या जमा किया जाता है, पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में माना जाएगा ; और

(ii) किसी ऋण या उधार से पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा :

परन्तु इस प्रकार उपयोजन के रूप में न समझी गई रकम या उसके भाग को उस पूर्ववर्ष में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए, जिसमें ऋण या उधार या उसके भाग को उस वर्ष की आय से प्रति संदत्त किया गया है, ऐसे प्रतिसंदाय के विस्तार तक, उपयोजन के रूप में माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण 5—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्ववर्ष के दौरान उपयोजित या संचित किए जाने के लिए अपेक्षित आय की संगणना पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती किसी भी वर्ष में किसी आधिक्य उपयोजन के किसी मुजरा या कटौती या मोक के बिना की जाएगी।”;

(ख) उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में, “12कक” अंकों और अक्षरों के पश्चात् “या धारा 12कख” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) के खंड (घ) में, “12कक” अंकों और अक्षरों के पश्चात् “या धारा 12कख” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में,—

धारा 32 का संशोधन ।

(क) खंड (ii) में, “अमूर्त आस्तियां हैं” शब्दों के पश्चात्, “जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल नहीं हैं और जो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 3 के खंड (ख) में, “या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार हैं” शब्दों के पश्चात्, “जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल नहीं हैं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 36 में, उपधारा (1) के खंड (vक) में स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 36 का संशोधन ।

‘स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 43ख के उपबंध इस खंड के अधीन “नियत तारीख” का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होंगे और उनके बारे में यह समझा जाएगा कि वे कभी भी लागू नहीं हुए थे।”

10. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ग) की मद (ii) में, “जिसका मद (i) में निर्दिष्ट रूप से बढ़ाकर या घटाकर समायोजन किया जाएगा ।” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

धारा 43 का संशोधन ।

“जिसका,—

(अ) मद (i) में निर्दिष्ट वृद्धि या कमी, जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल के अर्जन के कारण वृद्धि नहीं है, द्वारा समायोजन किया जाएगा ;

(आ) 1 अप्रैल, 2021 से पूर्व प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के संबंध में उस समूह के अंतर्गत आने वाली गुडविल की वास्तविक लागत के बराबर है, उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की गुडविल उन आस्तियों के समूह का भाग था, जिन पर ठीक पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा अवक्षयण प्राप्त किया गया था, उतनी रकम से घटाकर, जो निम्नलिखित को घटाकर आई,—

(क) इस अधिनियम के अधीन या ऐसी गुडविल के लिए, जिसके संबंध में 1 अप्रैल, 1988 से पूर्व आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के संबंध में ऐसे गुडविल के लिए भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन निर्धारिती को वास्तविक रूप से अनुज्ञात अवक्षयण की रकम द्वारा समायोजन किया जाएगा ; और

1922 का 11

(ख) अवक्षयण की उस रकम को घटाकर, जो 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात्, आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी गुडविल के लिए निर्धारिती को इस प्रकार अनुज्ञेय हो गई होती, मानो आस्तियों के सुसंगत ब्लॉक में गुडविल ही आस्ति होती, समायोजन किया जाएगा,

किंतु, घटाई गई ऐसी रकम अवलिखित मूल्य से अधिक न हो।”।

धारा 43ख का
संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, स्पष्टीकरण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 5—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के उपबंध किसी निर्धारिती द्वारा उसके कर्मचारियों में से ऐसे किसी कर्मचारी, जिसे धारा 2 के खंड 24 के उपखंड (x) के उपबंध लागू होते हैं, से प्राप्त किसी राशि को लागू नहीं होंगे और उनके बारे में यह समझा जाएगा कि वे कभी भी लागू नहीं हुए थे।”।

धारा 43गक का
संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 43गक में,—

(क) उपधारा (1) में परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि किसी आस्ति के अंतरण की दशा में, जो एक आवासीय इकाई है, इस परन्तुक के उपबंधों का यह प्रभाव होगा मानो “एक सौ दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “एक सौ बीस प्रतिशत” शब्द रख दिए गए हैं, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

(i) ऐसी आवासीय इकाई का अंतरण 12 नवंबर, 2020 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किया जाता है ;

(ii) ऐसा अंतरण किसी व्यक्ति को आवासीय इकाई के प्रथम बार आबंटन के माध्यम से किया जाता है ; और

(iii) ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।”;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए “आवासीय इकाई” से भवन के भीतर अन्य आवासीय इकाइयों से स्पष्ट रूप से पृथक् आवास, खाना पकाने का स्थान और स्वच्छता की अपेक्षा के लिए पृथक् सुविधाओं सहित एक स्वतंत्र आवासन इकाई अभिप्रेत है, जो किसी साझा हाल-रास्ते में बाहरी दरवाजे से या साझा गृह प्रवेश में भीतरी दरवाजे से होकर सीधे पहुंच योग्य हो और जहां किसी दूसरे गृह के आवास स्थान से होकर चलकर सीधे न पहुंचा जा सके।”।

धारा 44कख का
संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख के खंड (क) में,—

(i) परन्तुक की दीर्घ पंक्ति में, “पांच करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस करोड़ रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी बैंक के नाम लिखे गए चैक द्वारा या बैंक ड्राफ्ट द्वारा, जो पाने वाले के खाते में देय नहीं है, यथास्थिति, संदाय या प्राप्ति को, नकद रूप में, यथास्थिति, संदाय या प्राप्ति समझा जाएगा।”

धारा 44कघक का संशोधन।

2009 का 6

14. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघक की उपधारा (1) में, “ऐसे निर्धारिती के मामले में, जो भारत” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे निर्धारिती के मामले में, जो कोई सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न व्यष्टि या कोई भागीदारी फर्म है, जो भारत” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 44घख में,—

धारा 44घख का संशोधन।

(क) उपधारा (3) में, “उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को” शब्दों के स्थान पर, “उत्तराधिकारी सहकारी बैंक या किसी संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी को” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) में, “उत्तराधिकारी सहकारी बैंक” शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “या किसी संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी को” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1949 का 10

‘(गक) “बैंककारी कंपनी” का वही अर्थ होगा, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में उसका है ;

(ii) खंड (घ) में, “जिसमें किसी सहकारी बैंक का समामेलन या पुनर्विलयन” शब्दों के स्थान पर, “जिसमें किसी सहकारी बैंक का समामेलन या पुनर्विलयन या किसी प्राथमिक सहकारी बैंक का संपरिवर्तन” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(घक) “संपरिवर्तन” से किसी प्राथमिक सहकारी बैंक का तारीख 27 सितम्बर, 2018 के परिपत्र संख्या (डीसीबीआर.सीओ.एलएस.पीसीबी.परि.सं.5/07.01.000/2018-19) द्वारा यथा अधिसूचित भारतीय रिजर्व बैंक की किसी स्कीम के अधीन किसी बैंककारी कंपनी में परिवर्तन अभिप्रेत है ;

(घख) “संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी” से किसी प्राथमिक सहकारी बैंक से संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप सृजित कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है ;’;

(iv) खंड (ज) में, “पुनर्विलयित सहकारी बैंक” शब्दों के स्थान पर, “पुनर्विलयित सहकारी बैंक या कोई प्राथमिक सहकारी बैंक, जो किसी संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप उसका उत्तरवर्ती बना है,” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(जक) “प्राथमिक सहकारी बैंक” का वही अर्थ होगा, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गगफ) में उसका है।’

1949 का 10

16. आय-कर अधिनियम की धारा 45 में,—

धारा 45 का संशोधन।

(क) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘(1ख) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति

किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय किसी यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसी, जिसको धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन, उसके चौथे और पांचवें परन्तुक के लागू होने के कारण, छूट लागू नहीं होती है, के अंतर्गत कोई रकम प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित कोई रकम भी है, तब ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी रकम की प्राप्ति से उद्भूत होने वाला कोई लाभ या अभिलाभ “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा और उसे ऐसे व्यक्ति की उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में माना जाएगा, जिसमें उसे यह रकम प्राप्त हुई थी और कराधेय आय की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।’;

“(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

‘(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के पुनर्गठन के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट अस्तित्व से पूर्ववर्ष के दौरान कोई धन या पूंजी आस्ति या दोनों प्राप्त करता है, वहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ऐसे धन की प्राप्ति से उद्भूत होने वाले कोई लाभ या अभिलाभ, “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होंगे और उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसा धन या पूंजी आस्ति या दोनों विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए थे, ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में समझे जाएंगे और इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे लाभों या अभिलाभों का अवधारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :—

$$क = ख + ग - घ$$

जहां,—

क = “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में इस उपधारा के अधीन कर से प्रभार्य आय ;

ख = ऐसी प्राप्ति की तारीख को विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी धन का मूल्य ;

ग = ऐसी प्राप्ति की तारीख को विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त पूंजी आस्ति के उचित बाजार मूल्य की रकम ; और

घ = विनिर्दिष्ट अस्तित्व के पुनर्गठन के समय पर, उसके बही खाता में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते (किसी भी रीति में व्यपदिष्ट) में अतिशेष की रकम :

परंतु यदि उपरोक्त सूत्र में “क” का मूल्य नकारात्मक है, तो उसका मूल्य शून्य समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि विनिर्दिष्ट अस्तित्व के लेखा बहियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजीगत खाते में अतिशेष को, किसी आस्ति के पुनःमूल्यांकन के कारण या स्वसृजित गुडविल या किसी अन्य स्वसृजित आस्ति के कारण विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजीगत खाते में वृद्धि को हिसाब में लिए बिना संगणित किया जाना है।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “विनिर्दिष्ट अस्तित्व का पुनर्गठन” और “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” या “विनिर्दिष्ट अस्तित्व” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका धारा 9ख में है ;

(ii) “स्वसृजित गुडविल” और “स्वसृजित आस्ति” से, यथास्थिति, ऐसी गुडविल या आस्ति अभिप्रेत है, जिसे क्रय के लिए कोई खर्च उपगत किए बिना अर्जित किया गया है या जिसे कारबार या वृत्ति के दौरान सृजित किया गया है।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जब कोई पूंजी आस्ति किसी विनिर्दिष्ट अस्तित्व से ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के पुनर्गठन के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, तब इस उपधारा के उपबंध धारा 9ख के उपबंधों के अतिरिक्त प्रवृत्त होंगे और कराधान उक्त उपबंधों के अधीन स्वतंत्र रूप से गणना में लिया जाएगा।¹

17. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में,—

धारा 47 का
संशोधन।

(क) खंड (viगक) में, “उत्तराधिकारी सहकारी बैंक” शब्दों के पश्चात्, “या संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (viगख) में,—

(i) “उत्तराधिकारी सहकारी बैंक” शब्दों के पश्चात्, “या संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण में, ‘प्रयोजनों के लिए, “कारबार पुनर्गठन”, “पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक” और शब्दों के स्थान पर, ‘प्रयोजनों के लिए, “कारबार पुनर्गठन”, “संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी”, “पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक” और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (viiकख) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(viiकग) किसी पुनःस्थापन में मूल निधि द्वारा किसी पूंजी आस्ति का पारिणामिक निधि में अंतरण ;

(viiकघ) किसी पुनःस्थापन में किसी शेयर धारक या यूनिट धारक या किसी हित धारक द्वारा किसी पूंजी आस्ति, जो उसके द्वारा मूल निधि में धारित शेयर या यूनिट या हित है, पारिणामिक निधि में शेयर या यूनिट या हित के प्रतिफल के लिए कोई अंतरण ;

स्पष्टीकरण—खंड (viiकग) और खंड (viiकघ) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “मूल निधि” से भारत से बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसी निधि अभिप्रेत है, जो अपने सदस्यों से निधियों को, उनके फायदे हेतु उसका विनिधान के लिए एकत्रित करती है और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(i) ऐसी निधि, जो भारत में कोई निवासी व्यक्ति नहीं है ;

(ii) ऐसी निधि जो किसी ऐसे देश या ऐसे किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की निवासी है, जिसके साथ धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) के अधीन कोई करार किया गया है ; या जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी देश या किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत है ;

(iii) ऐसी निधि और उसके क्रियाकलाप उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जहां उसे स्थापित या निगमित किया गया है या जहां की वह निवासी है, लागू विनिधानकर्ता संरक्षण विनियमों के अध्याधीन हैं; और

(iv) निधि ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, जो विहित की जाएं ;

(ख) “पुनःस्थापन” से 31 मार्च, 2023 को या उससे पूर्व मूल निधि, या इसके पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान से किसी पारिणामिक

निधि को आस्तियों का अंतरण अभिप्रेत है, जहां ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल को,—

(i) मूल निधि के शेयर धारक या यूनिट धारक या हित धारक को पारिणामिक निधि में उसी अनुपात में, जिसमें ऐसे शेयर धारक या यूनिट धारक या हित धारक द्वारा ऐसी मूल निधि में उनके शेयरों या यूनिटों या हितों के बदले में ऐसी निधि में धारित किया गया था ; या

(ii) उपखंड (i) में यथानिर्दिष्ट मूल निधि में उसी अनुपात में, जिसके संबंध में शेयर या यूनिट या हित पारिणामिक निधि द्वारा इसके शेयर धारक या यूनिट धारक या हित धारक को जारी नहीं किए जाते हैं,

शेयर या यूनिट या हितों के रूप में उन्मोचित किया गया है ;

(ग) “पारिणामिक निधि” से भारत में किसी न्यास या कंपनी या कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में स्थापित या निगमित निधि अभिप्रेत है,—

(i) जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 या प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन विनियमित है ; और

1992 का 15

2019 का 50

(ii) जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है ;

(viiकड) भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड द्वारा संसद् के अधिनियम के अधीन गठित और इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अवसंरचना और विकास को वित्तपोषित करने के लिए स्थापित संस्था को पूंजी आस्ति का अंतरण ;

(viiकच) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अधीन, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा किसी अन्य पब्लिक सेक्टर कंपनी को या केंद्रीय सरकार को अथवा राज्य सरकार को पूंजी आस्ति का कोई अंतरण ;।

धारा 48 का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 48 में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(iii) धारा 45 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट अस्तित्व से, विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी धन या पूंजी आस्ति के मूल्य की दशा में, उस उपधारा के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य रकम, जिसकी संगणना विहित रीति में विनिर्दिष्ट अस्तित्व द्वारा पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप की गई मानी जा सकती है ।”।

धारा 49 का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ड) में, “खंड (viगग) या” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “या (viगग) या खंड (viiकग) या खंड (viiकघ) या खंड (viiकड) या खंड (viiकच) या” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2022 से रखे जाएंगे ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 50 का
संशोधन ।

“परन्तु उस दशा में, जहां किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल 1 अप्रैल, 2020 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आस्ति समूह का भागरूप है और अधिनियम के अधीन निर्धारिती द्वारा उस पर अवधायन अभिप्राय किया गया है, वहां उस आस्ति समूह और अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, यदि कोई हो, का अवलिखित मूल्य ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित किया जाएगा ।”।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 50ख में,—

धारा 50ख का
संशोधन ।

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) पूंजी आस्तियों के संबंध में, ऐसी जो मन्दी विक्रय के माध्यम से अंतरित कोई उपक्रम या प्रभाग है,—

(i) यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग का “शुद्ध मूल्य” धारा 48 और धारा 49 के प्रयोजनों के लिए अर्जन की लागत और उन्नयन की लागत मानी जाएगी और धारा 48 के दूसरे परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा ;

(ii) विहित रीति में संगणित, अंतरण की तारीख को पूंजी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य, ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा ।”;

(ख) स्पष्टीकरण 2 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल है, जिसका अर्जन निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ती स्वामी से क्रय द्वारा नहीं किया गया है, शून्य होगा ;”।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 54छख की उपधारा (5) के परन्तुक में, “2021” अंकों के स्थान पर, “2022” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 54छख का
संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 55 का
संशोधन ।

“(क) किसी पूंजी आस्ति के संबंध में, जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल या किसी कारबार वृत्ति से सहबद्ध कोई व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम है या किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार है या किसी कारबार या वृत्ति को चलाने का अधिकार है या कोई अभिधारण अधिकार या किसी मंजिली गाड़ी के परमिट या करघा घंटे हैं,—

(i) ऐसी आस्ति के निर्धारिती द्वारा किसी पूर्वतन स्वामी से क्रय के द्वारा अर्जन की दशा में, क्रय कीमत की रकम अभिप्रेत है ; और

(ii) धारा 49 की उपधारा (1) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) के अन्तर्गत आने वाले मामले में और जहां आस्ति का अर्जन पूर्वतर स्वामी (जैसा कि उस धारा में परिभाषित किया गया है) द्वारा क्रय करके किया गया था, ऐसे पूर्वतर स्वामी के लिए क्रय कीमत की रकम अभिप्रेत है ; और

(iii) किसी अन्य मामले में, उसे शून्य के रूप में माना जाएगा :

परन्तु जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल है, जिसके संबंध में धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती किसी

पूर्ववर्ष में अवक्षयण के मद्दे कोई कटौती अभिप्रास की गई है, वहां उपखंड (i) और उपखंड (ii) के उपबंध इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा अभिप्रास की गई अवक्षयण की कुल रकम को क्रय कीमत की रकम से घटा दिया जाएगा ;”।

धारा 56 का
संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) में,—

(क) उपखंड (ख) की मद (आ) में, तीसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि ऐसी संपत्ति की दशा में, जो धारा 43गक की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट की गई है मद (आ) की उपमद (ii) के उपबंध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “बीस प्रतिशत” शब्द रखे गए हों ;”;

(ख) परन्तुक के खंड (IX) में, “खंड (vii) या” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात्, “खंड (viiकघ) या खंड (viiकड) या खंड (viiकच) या” शब्द, कोष्ठक और अक्षर 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 72क का
संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 72क की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ग) एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों के साथ एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियां ; या

(घ) एक या अधिक कंपनी या कंपनियों के साथ कोई तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी, यदि सामरिक विनिवेश के अधीन किया गया शेयर क्रय करार में उक्त पब्लिक सेक्टर कंपनी के तुरंत समामेलन को निर्बंधित किया है और समामेलन उस पूर्ववर्ष, जिसमें शेयर क्रय करार में समामेलन पर निर्बंधन समाप्त होता है, के अंत से पांच वर्ष के भीतर किया जाता है”;

(ii) दीर्घ पंक्ति के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परन्तु खंड (घ) में निर्दिष्ट समामेलन की दशा में, समामेलक कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण, जिसे, यथास्थिति, हानि या समामेलित कंपनी का शेष अवक्षयण के लिए मोक समझा गया है, उस तारीख तक जिसको पब्लिक सेक्टर कंपनी सामरिक विनिवेश के परिणामस्वरूप पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रह जाती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—खंड (घ) के प्रयोजन के लिए,—

(i) “नियंत्रण” का वही अर्थ होगा, जो उसका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (2) के खंड (27) में है ;

2013 का 18

(ii) “तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी” से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जो पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में पब्लिक सेक्टर कंपनी थी और सरकार द्वारा सामरिक विनिवेश के माध्यम से पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रह गई है ;

(iii) “सामरिक विनिवेश” से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में उसकी शेयर धृति का ऐसा विक्रय अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शेयर धृति इक्यावन प्रतिशत से कम रह जाती है और नियंत्रण क्रेता को अंतरित हो जाता है ।’।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2022 से, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 79 का संशोधन।

“(ड) किसी कंपनी को इस परिमाण तक कि शेयर धृति में परिवर्तन पूर्ववर्ष के दौरान धारा 47 के खंड (viiकग) और खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट पुनःस्थापन के मद्दे हुआ है।”।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 80डडक की उपधारा (3) के खंड (i) में, 1 अप्रैल, 2022 से, “2021” अंकों के स्थान पर, “2022” अंक रखे जाएंगे।

धारा 80डडक का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में, “2021” अंकों के स्थान पर, “2022” अंक रखे जाएंगे।

धारा 80झकग का संशोधन।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक में, 1 अप्रैल, 2022 से,—

धारा 80झखक का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, जो किराया आवासन परियोजना के विकास तथा निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न हुए हैं, वहां ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।”;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में, “2021” अंकों के स्थान पर, “2022” अंक रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(घक) “किराया आवासन परियोजना” से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जो 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले इस खंड के अधीन राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है और उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों को पूरा करती है ;’।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक में, 1 अप्रैल, 2022 से,—

धारा 80ठक का संशोधन।

(i) उपधारा (1क) में, “या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया था” शब्दों के स्थान पर, “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन अनुमति या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया था” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(घ) किसी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाली, जो ऐसा वायुयान है, जिसे खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी यूनिट द्वारा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसे यूनिट ने 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व प्रचालन आरंभ कर दिया है, किसी व्यक्ति को पट्टे पर दिया गया था।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “वायुयान” का वही अर्थ होगा, जो इसका धारा 10 के खंड (4च) के स्पष्टीकरण (क) में है।’;

(iii) उपधारा (3) में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्राप्त की गई अनुमति की एक प्रति या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन अभिप्राप्त अनुमति या रजिस्ट्रीकरण की प्रति।”।

2019 का 50

1949 का 10

2019 का 50

धारा 89क का
अंतःस्थापन।

किसी
अधिसूचित देश
में बनाए रखे
गए खाते से
आय में कराधान
से राहत।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 89 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘89क. जहां किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पास किसी विनिर्दिष्ट खाते में उद्भूत आय है, तो ऐसी आय पर ऐसी रीति में और उस वर्ष में, जो विहित किया जाए, कर लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “अधिसूचित देश” से ऐसा कोई देश अभिप्रेत है, जिसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ;

(ख) “विनिर्दिष्ट खाता” से ऐसा कोई खाता अभिप्रेत है, जो किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी अधिसूचित देश में अपने सेवानिवृत्ति फायदों के संबंध में बनाए रखा गया है और ऐसे खाते से आय प्रोद्भवमान आधार पर कराधेय नहीं है किंतु उस पर ऐसे देश द्वारा निकासी या मोचन के समय कर लगाया जाता है ;

(ग) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से भारत में ऐसा निवासी व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी अधिसूचित देश में, भारत में अनिवासी और उस देश में निवासी होते हुए, कोई विनिर्दिष्ट खाता खोला है।’

धारा 112क का
संशोधन।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड (क) में,—

(i) “धारा 10 के खंड (23घ)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात्, “या किसी बीमा कंपनी की स्कीम के अधीन, जो यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों से मिलकर बनी हैं जिसको उक्त धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट उसके चौथे और पांचवें परन्तुक की अनुप्रयोज्यता के कारण लागू नहीं होते हैं” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) पहले परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि किसी बीमा कंपनी की किसी स्कीम के मामले में, जो यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों से मिलकर बनी है जिसे धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट उसके चौथे और पांचवें परन्तुक की अनुप्रयोज्यता के कारण लागू नहीं होते हैं, यथास्थिति, नब्बे प्रतिशत या पैसठ प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा ऐसी बीमा पालिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान समाधान करना अपेक्षित है ;”।

धारा 115कक का
संशोधन।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 115कक के स्पष्टीकरण में, 1 अप्रैल, 2022 से,—

(i) खंड (क) में, आरंभिक भाग में,—

(क) “भारत से बाहर विदेशी निक्षेपागार बैंक” शब्दों के पश्चात्, “या किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) पुरोधरण कंपनी के साधारण शेयर, जो भारत के बाहर निगमित कंपनी है, यदि ऐसी निक्षेपागार रसीद या प्रमाणपत्र किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पर सूचीबद्ध और व्यापार किया गया है ;”;

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में इसका है।”।

धारा 115कघ का
संशोधन।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ में, 1 अप्रैल, 2022 से,—

(i) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1992 का 15

“(1ख) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विनिर्दिष्ट निधि अपतट बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग है, इस धारा के उपबंध केवल आय की उस सीमा तक लागू होंगे, जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (आ) में निर्दिष्ट ऐसी बैंककारी यूनिटों के विनिधान प्रभाग के कारण हुई माने जा सकने वाली है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता विनियम, 2019) के अधीन प्रवर्ग 1 पोर्टफोलियो वाला विनिधानकर्ता है और जिसे ऐसी रीति में संगणित किया गया है, जो विहित की जाए।”;

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(कक) “अपतट बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग” पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) में उसका है।’

35. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख में,—

धारा 115जख का संशोधन।

(क) स्पष्टीकरण 1 में,—

(i) खंड (चख) के उपखंड (आ) में, “प्रभार्य व्याज, स्वामिस्व” शब्दों के स्थान पर, “प्रभार्य व्याज, लाभांश, स्वामिस्व” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दीर्घ पंक्ति के खंड (iiघ) के उपखंड (आ) में, “प्रभार्य व्याज, स्वामिस्व” शब्दों के स्थान पर, “प्रभार्य व्याज, लाभांश, स्वामिस्व” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2ग) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2घ) किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो कोई कंपनी है और जहां निर्धारिती द्वारा धारा 92गग के अधीन किए गए किसी अग्रिम कीमत निर्धारण करार के मद्दे या धारा 92गड के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित द्वितीय समायोजन के मद्दे बही लाभ में किसी पूर्ववर्ष या बही लाभ में सम्मिलित पूर्ववर्ष या वर्षों की आय के कारण पूर्ववर्ष की बही लाभ में कोई वृद्धि हुई है, वहां निर्धारण अधिकारी, उसे निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर, पूर्ववर्ष या वर्षों के बही लाभ और निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) के अधीन पूर्ववर्ष के दौरान संदेय कर, यदि कोई हो, की पुनः संगणना ऐसी रीति में करेगा, जो विहित की जाए और धारा 154 के उपबंध यथा शक्य रूप से लागू होंगे तथा उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि को उस वित्तीय वर्ष के अंत से गणना में लिया जाएगा, जिसमें निर्धारण अधिकारी को उक्त आवेदन प्राप्त होता है :

परंतु इस उपधारा के उपबंध तभी लागू होंगे, यदि निर्धारिती ने धारा 115जकक के अधीन किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में इस धारा के अधीन संदत्त कर के प्रत्यय का उपयोग नहीं किया है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले उस निर्धारण वर्ष को भी लागू होंगे और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपधारा के उपबंधों के मद्दे उद्भूत होने वाले प्रतिदाय पर ऐसे निर्धारिती को कोई व्याज संदेय नहीं होगा।”

36. आय-कर अधिनियम की धारा 115पख में, 1 अप्रैल, 2022 से स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में, “1992” अंकों के स्थान पर, “1992 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 115पख का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

धारा 139 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में,—

(i) खंड (क) के उपखंड (iii) में, “अपेक्षित है” शब्दों के पश्चात्, “या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी सम्मिलित होगा, यदि धारा 5क के उपबंध उन्हें लागू होते हैं” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, “अपेक्षित है,” शब्दों के पश्चात् “जिसके अंतर्गत ऐसे निर्धारिती होते हुए फर्म के भागीदार या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी (यदि धारा 5क के उपबंध ऐसे पति या पत्नी को लागू होते हैं) भी हैं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में, “निर्धारण वर्ष के अंत के” शब्दों के पश्चात् “वर्ष के अंत के पूर्व तीन मास पहले” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) में, “निर्धारण वर्ष के अंत के” शब्दों के स्थान पर, “वर्ष के अंत के पूर्व तीन मास पहले” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (9) के स्पष्टीकरण में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि स्पष्टीकरण के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से कोई शर्त निर्धारितियों के ऐसे वर्ग को लागू नहीं होगी या ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होगी, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए ।”।

धारा 142 का
संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) में विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस उपधारा के अधीन सूचना, विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा भी तामील की जा सकेगी ।”।

धारा 143 का
संशोधन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) दूसरे परन्तुक में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “नौ मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में,—

(I) उपखंड (iv) में “उपदर्शित व्यय की नामंजूरी किन्तु” शब्दों के स्थान पर “उपदर्शित व्यय की नामंजूरी या आय में वृद्धि किन्तु” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) उपखंड (v) में “धारा 10कक, धारा 80झक, धारा 80झकख, धारा 80झख, धारा 80झग, धारा 80झघ या धारा 80झड के अधीन दावा की गई कटौती की नामंजूरी,” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ‘धारा 10कक के अधीन या “ग--कतिपय आयों की बाबत कटौतियां” शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन’ शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के परन्तुक में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर, “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 147 के
स्थान पर नई
धारा का
प्रतिस्थापन ।
निर्धारण से छूट
गई आय ।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 147 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“147. यदि, किसी निर्धारिती की दशा में, किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य कोई आय निर्धारण से छूट गई है, तो निर्धारण अधिकारी, धारा 148 से धारा 153 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे निर्धारण वर्ष (जिसे इस धारा और निर्दिष्ट धारा 148 से धारा 153 में इसके पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष कहा गया है) के लिए ऐसी आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण कर सकेगा या हानि या अवक्षयण मोक या किसी अन्य मोक या कटौती की पुनः गणना कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी, किसी ऐसे मुद्दे के संबंध में आय का, जो निर्धारण से छूट गई है और

ऐसा मुद्दा इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के दौरान तत्पश्चात् उसके ध्यान में आता है, तो इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि धारा 148क के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है निर्धारण या पुनर्निर्धारण या पुनर्संगणना कर सकेगा।”।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 148 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“148. धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना करने से पूर्व और धारा 148क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी धारा 148क के खंड (घ) के अधीन उससे ऐसी अवधि के भीतर, जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, पारित आदेश की प्रति के साथ एक सूचना की तामील निर्धारिती को करेगा, यदि अपेक्षित हो, निर्धारिती पर तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह अपनी आय की विवरणी या किसी अन्य व्यक्ति की आय की विवरणी, जिसके संबंध में वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के तत्स्थानी पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उल्लिखित करते हुए प्रस्तुत करे ; और इस अधिनियम के उपबंध, यथाशक्य तदनुसार लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई सूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी सूचना न हो, जिससे यह प्रतीत होता हो कि किसी निर्धारिती की दशा में कर से प्रभार्य आय सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए छूट गई है और निर्धारण अधिकारी ने विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से ऐसी सूचना जारी करने का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया गया है।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी के पास सूचना, जिससे यह प्रतीत होता हो कि कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है, से—

(i) समय-समय पर बोर्ड द्वारा विरचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की दशा में चिन्हांकित कोई सूचना अभिप्रेत है ;

(ii) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा इस प्रभाव का किया गया कोई अंतिम आक्षेप कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की दशा में निर्धारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है, अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां,—

(i) निर्धारिती की दशा में, धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की गई है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् अपेक्षा की गई है ; या

(ii) निर्धारिती की दशा में, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् धारा 133क की उपधारा (2क) या उपधारा (5) से भिन्न, इस धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण किया गया है ; या

(iii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् अभिग्रहण किया गया है या धारा 132 या धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई है, निर्धारिती से संबंधित है ; या

(iv) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन या धारा 132क के अधीन अभिग्रहण या अपेक्षा की गई लेखा बहियां या दस्तावेज, उनमें अंतर्विष्ट किसी सूचना का है, जो निर्धारिती से संबंधित है,

धारा 148 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। सूचना जारी करना जहां आय निर्धारण से छूट गई है।

इस बारे में यह समझा जाएगा कि निर्धारण अधिकारी के पास सूचना है, जिससे यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती की दशा में उस पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी आरंभ की गई है या लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या किन्हीं आस्तियों की अपेक्षा की गई या सर्वेक्षण संचालित किया गया है, या धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखा बहियां या दस्तावेजों का किसी अन्य व्यक्ति की दशा में अभिग्रहण किया गया है या अपेक्षा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व तीन निर्धारण वर्षों के लिए कर से प्रभार्य आय निर्धारण से रह गई है।

स्पष्टीकरण 3—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।”।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 148 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“148क. निर्धारण अधिकारी धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी करने से पूर्व,—

(क) ऐसी सूचना जिससे यह प्रतीत हो कि कर से प्रभार्य आय, निर्धारण से छूट गई है, के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से कोई जांच, यदि अपेक्षित हो, करेगा ;

(ख) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से, निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस तामील करके, उसे ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और जो सात दिन से कम का नहीं होगा किन्तु ऐसी तारीख से, जिसको ऐसी सूचना जारी की जाती है, तीस दिन से अधिक का नहीं होगा या ऐसा समय, जो इस निमित्त किसी आवेदन के आधार पर उसके द्वारा बढ़ाया जाए, कि धारा 148 के अधीन जानकारी के आधार पर सूचना क्यों न जारी की जाए जिससे यह प्रतीत होता हो कि कर से प्रभार्य आय सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में निर्धारण से छूट गई है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और जिसका परिणाम खंड (क) के अनुसार की गई जांच, यदि कोई हो, है ;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के उत्तर में प्रस्तुत निर्धारिती के उत्तर, यदि कोई हों, पर विचार करेगा ;

(घ) अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, जिसके अंतर्गत निर्धारिती का उत्तर भी है, यह विनिश्चय करेगा कि क्या उस मास के अंत से, जिसमें खंड (ग) में निर्दिष्ट उत्तर उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है या जहां उस मास, जिसमें खंड (ख) के अनुसार उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय या बढ़ाया गया समय समाप्त हो जाता है, के अंत से एक मास के भीतर ऐसा उत्तर प्राप्त नहीं होता है, एक मास के भीतर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से आदेश पारित करके धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए यह उपयुक्त मामला है या नहीं :

परन्तु इस धारा के उपबंध उस मामले में लागू नहीं होंगे, जहां—

(क) निर्धारिती की दशा में, धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की गई है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की 1 अप्रैल, 2021 को या उससे पूर्व अपेक्षा की गई ; या

(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी में अभिग्रहण किया गया है या धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई है, निर्धारिती से संबंधित है ; या

नई धारा
148क का
अंतःस्थापन।

धारा 148 के
अधीन सूचना
जारी करने से
पूर्व जांच करना,
अवसर प्रदान
करना।

(ग) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोई लेखा बही या दस्तावेज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी में अभिग्रहण किया गया है या धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई है, उसमें अंतर्विष्ट ऐसी सूचना से संबंधित हैं, जिनका संबंध निर्धारिती से है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।”।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 149 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 149 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। सूचना की समय-सीमा।

“149. (1) धारा 148 के अधीन कोई सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए तब तक जारी नहीं की जाएगी, जब तक,—

(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष व्यपगत हो चुके हैं, तो जब तक वह मामला खंड (ख) के अधीन नहीं आता है ;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष किंतु दस से अनधिक वर्ष व्यपगत हो चुके हैं, तो जब तक निर्धारण अधिकारी के कब्जे में ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या ऐसा साक्ष्य न हो, जो यह प्रकट करता हो कि कर से प्रभार्य ऐसी आय, जिसे आस्ति के रूप में व्यपदिष्ट किया गया है जो निर्धारण से छूट गई है, उस वर्ष के लिए पचास लाख रुपए या उससे अधिक है या होनी संभाव्य है :

परन्तु धारा 148 के अधीन 1 अप्रैल, 2021 को या उससे पूर्व आरंभ होने वाले सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए किसी मामले में किसी भी समय कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी, यदि ऐसी सूचना इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2021 के आरंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थे, के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा से परे होने के कारण उस समय जारी नहीं की जा सकती थी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे जहां 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व जहां धारा 153क या धारा 153क के साथ पठित धारा 153ग के अधीन कोई सूचना धारा 132 के अधीन आरंभ की गई किसी तलाशी के संबंध में या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अपेक्षा के संबंध में जारी की जानी अपेक्षित है :

परन्तु यह भी कि इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए धारा 148क के खंड (ख) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना के अनुसार निर्धारिती को दिया गया समय या उसे अनुज्ञात किया गया कोई विस्तारित समय या वह अवधि, जिसके दौरान धारा 148क के अधीन किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दिया जाता है, अपवर्जित किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि जहां ठीक पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात् निर्धारण अधिकारी को धारा 148क के खंड (घ) के अधीन कोई आदेश पारित करने के लिए उपलब्ध परिसीमा की अवधि सात दिन से कम है, तो ऐसी शेष अवधि को सात दिन तक विस्तारित किया जाएगा और इस उपधारा के अधीन परिसीमा की अवधि को तदनुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, “आस्ति” के

अंतर्गत स्थावर संपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों, शेयर और प्रतिभूतियां, ऋण और अग्रिम, बैंक खाते में जमा भी हैं, होंगे।

(2) सूचना जारी करने के बारे में उपधारा (1) के उपबंध धारा 151 के उपबंधों के अधीन होंगे।”।

धारा 151 के
स्थान पर नई
धारा का
प्रतिस्थापन।
सूचना जारी की
जाने के लिए
मंजूरी।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“151. धारा 148 और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी,—

(i) प्रधान आयुक्त या प्रधान निदेशक या आयुक्त या निदेशक होगा, यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष या तीन वर्ष से कम व्यपगत हो गए हैं ;

(ii) प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या जहां कोई प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक नहीं है, वहां मुख्य आयुक्त या महानिदेशक होगा, यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष से अधिक व्यपगत हो गए हैं।”।

धारा 151क का
संशोधन।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 151क की उपधारा (1) के आरंभिक भाग में, “धारा 148 के अधीन सूचना जारी करना” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या जांच संचालित करना या हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करना या धारा 148क के अधीन आदेश पारित करना” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 153 का
संशोधन।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में,—

(i) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण के किसी आदेश के संबंध में, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो, “इक्कीस मास” शब्दों के स्थान पर “नौ मास” शब्द रख दिए गए हों।’;

(ii) स्पष्टीकरण 1 में,—

(क) खंड (viii) में, “अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष” शब्दों के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष या अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ix) में, “अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष” शब्दों के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष या अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 फरवरी, 2021 से भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी कि जहां निर्धारिती धारा 245ड की उपधारा (1) के अधीन आवेदन को वापस लेने के विकल्प का प्रयोग करता है, वहां यथास्थिति, निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्संशोधन का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को इस धारा के अधीन उपलब्ध परिसीमा की अवधि, उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात् एक वर्ष से कम नहीं होगी और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम है, वहां वह एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई समझी जाएगी:

परंतु यह भी कि धारा 149, धारा 154 तथा धारा 155 के अधीन परिसीमा की अवधि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए चौथे परंतुक के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।”।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 153क की उपधारा (1) के आरंभिक भाग में, “31 मई, 2003 के पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “किन्तु 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 153क का संशोधन।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख के स्पष्टीकरण में,—

धारा 153ख का संशोधन।

(क) खंड (vi) में, “अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष” शब्दों के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष या अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (vii) में, “अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष” शब्दों के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष या अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 फरवरी, 2021 से भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि जहां निर्धारिती धारा 245ड की उपधारा (1) के अधीन आवेदन को वापस लेने के विकल्प का प्रयोग करता है, वहां यथास्थिति, निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्संगणना का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध परिसीमा की अवधि उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात् एक वर्ष से कम नहीं होगी और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम है, वहां वह एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई समझी जाएगी।”।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 153ग का संशोधन।

“(3) 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन अपेक्षित लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किसी आस्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।”।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 194 के दूसरे परंतुक में खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से स्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

धारा 194 का संशोधन।

(घ) धारा 10 के खंड (23चग) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी विशेष प्रयोजन यान द्वारा, धारा 2 के खंड (13क) में परिभाषित कोई “कारबार न्यास” ;

(ङ) कोई अन्य व्यक्ति, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।”।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (x) में, “अवसंरचना पूंजी निधि” शब्दों के पश्चात्, “या अवसंरचना ऋण निधि” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 194क का संशोधन।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 194झख की उपधारा (4) में, 1 जुलाई, 2021 से, “धारा 206कक के उपबंधों” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 206कक या धारा 206कख के उपबंधों” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 194झख का संशोधन।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 194ण के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 194त का अंतःस्थापन।

‘194त. (1) अध्याय 17ख के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की दशा में, विनिर्दिष्ट बैंक, अध्याय 6क के अधीन अनुज्ञेय कटौती और धारा 87क के अधीन अनुज्ञेय रिबेट को प्रभावी करने के पश्चात्, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे व्यक्ति की कुल आय की संगणना करेगा और प्रवृत्त दरों के आधार पर ऐसी कुल आय पर आय-कर की कटौती करेगा।

विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की दशा में कर की कटौती।

(2) धारा 139 के उपबंध, पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती की गई है, विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों को लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिर्दिष्ट बैंक” से ऐसी बैंकारी कंपनी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया जाए ;

(ख) “विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक” से भारत में निवासी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(i) जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय पचहत्तर वर्ष या उससे अधिक आयु का है ;

(ii) जिसकी पेंशन की प्रकृति की आय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा उसी विनिर्दिष्ट बैंक में, जिसमें वह अपनी पेंशन आय प्राप्त कर रहा है, रखे गए किसी खाते से प्राप्त या प्राप्य व्याज की प्रकृति की आय के सिवाय, कोई अन्य आय नहीं है ; और

(iii) जिसने विनिर्दिष्ट बैंक को, ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाली, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित, जो विहित की जाए, कोई घोषणा प्रस्तुत की है।’

नई धारा 194थ
का अंतःस्थापन।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 194त के पश्चात्, 1 जुलाई, 2021 से, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

माल के क्रय के
लिए कतिपय
राशि के संदाय
पर स्रोत पर कर
की कटौती।

‘194थ. (1) कोई व्यक्ति, जो क्रेता है और किसी निवासी (जिसे इस धारा में इसके पश्चात्, विक्रेता कहा गया है) को किसी पूर्ववर्ष में ऐसे किन्हीं मालों के, जिनका मूल्य या ऐसे मूल्य का योग पचास लाख रुपये से अधिक है, क्रय के लिए किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि को विक्रेता के खाते में जमा किए जाने के समय या किसी अन्य पद्धति से उसके संदाय के समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पचास लाख रुपये से अधिक की ऐसी राशि पर उसके 0.1 प्रतिशत के बराबर की रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “क्रेता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें मालों का विक्रय किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या उसके द्वारा किए गए कारबार से आवर्त दस करोड़ रुपये से अधिक है और जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस प्रयोजन हेतु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट करे।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राशि, किसी खाते में जमा की जाती है, चाहे वह खाता ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की खाता बहियों में “उच्चत खाता” या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, वहां इस प्रकार जमा की गई आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के खाते में जमा की गई आय के रूप में समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(3) यदि इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धान्त, उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा तथा वह आय-कर प्राधिकारियों और कर की कटौती करने के लिए दायी व्यक्ति पर आवद्धकर होगा।

(5) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी संव्यवहार को लागू नहीं होंगे,—

(क) जिसके संबंध में इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन कर कटौती योग्य है ; और

(ख) जिसके संबंध में है ऐसे किसी संव्यवहार से भिन्न, जिसे धारा 206ग की उपधारा (1ज) लागू होती है धारा 206ग के उपबंधों के अधीन कर संग्रहणीय है ।।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 196घ का संशोधन ।

“परन्तु जहां धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार पाने वाले को लागू होता है और यदि पाने वाले ने, यथास्थिति, धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, तब उस पर आय-कर की कटौती बीस प्रतिशत की दर से या ऐसी आय के लिए ऐसे करार में उपबंधित आय-कर की दर या दरों पर, इनमें से जो भी निम्नतर हों, की जाएगी ।”।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक की उपधारा (1) में पहले परन्तुक के पश्चात्, 1 जुलाई, 2021 से निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 206कक का संशोधन ।

“परन्तु यह और कि जहां धारा 194थ के अधीन कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, वहां खंड (iii) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो “बीस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “पांच प्रतिशत” शब्द रख दिए गए थे ।”।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक के पश्चात्, 1 जुलाई, 2021 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 206कख का अंतःस्थापन ।

“206कख. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 192, धारा 192क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194ठखग या धारा 194ढ से भिन्न, अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् वह व्यक्ति, जिससे कटौती की गई, कहा गया है) द्वारा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त या संदेय या जमा की गई किसी राशि या आय या रकम के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, वहां कर की कटौती, निम्नलिखित दरों से उच्चतर दर पर की जाएगी, अर्थात् :—

आय-कर विवरणी फाइल न करने वाले व्यक्तियों के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए विशेष उपबंध ।

(i) अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दर का दोगुना ; या

(ii) प्रवृत्त दर या दरों का दोगुना ; या

(iii) पांच प्रतिशत की दर से ।

(2) यदि इस धारा के उपबंध के अतिरिक्त, धारा 206कक के उपबंध किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को लागू होते हैं तो कर की कटौती इस धारा और धारा 206कक में उपबंधित दोनों दरों से उच्चतर दर पर की जाएगी ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उस पूर्ववर्ष से, जिसमें कर की कटौती अपेक्षित है, से ठीक पहले दो पूर्ववर्षों से सुसंगत दो निर्धारण वर्षों में से दोनों के लिए आय की विवरणी फाइल नहीं की है और जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है ; और इन दो पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष में स्रोत पर कटौती किए गए कर और उसकी दशा में, स्रोत पर संग्रहीत कर का कुल योग पचास हजार रुपए या अधिक है :

परन्तु विनिर्दिष्ट व्यक्ति में ऐसा कोई अनिवासी सम्मिलित नहीं होगा, जिसके पास भारत में कोई स्थायी स्थापन नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “स्थायी स्थापन” पद में कारबार का ऐसा नियत स्थान सम्मिलित है, जिसके माध्यम से उद्यम का कारबार पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता है।”।

नई धारा
206गगक का
अंतःस्थापन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 206गग के पश्चात् 1 जुलाई, 2021 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आय-कर
विवरणी फाइल
न करने वाले
व्यक्तियों के लिए
स्रोत पर कर के
संग्रहण के लिए
विशेष उपबंध।

‘206गगक. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अध्याय 27खख के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् वह व्यक्ति, जिससे संग्रह किया गया है कहा गया है) द्वारा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्राप्त किसी राशि या रकम पर स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है, वहां कर का संग्रहण निम्नलिखित दो दरों में से उच्चतर दर पर संग्रहीत किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट का दोगुना दर पर ; या

(ii) पांच प्रतिशत की दर से।

(2) यदि इस धारा के उपबंधों के अतिरिक्त, धारा 206गग के उपबंध किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को लागू होते हैं तो कर का संग्रहण इस धारा और धारा 206गग में उपबंधित दोनों दरों में से उच्चतर दर पर किया जाएगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उस पूर्ववर्ष से, जिसमें कर का संग्रहण अपेक्षित है, से ठीक पहले दो पूर्ववर्षों से सुसंगत दो निर्धारण वर्षों में से दोनों के लिए आय की विवरणियां फाइल नहीं की हैं और जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है ; और उस दशा में इन दो पूर्ववर्षों में से प्रत्येक में स्रोत पर कटौती किए गए कर और स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर का कुल योग पचास हजार रुपए या उससे अधिक है :

परन्तु विनिर्दिष्ट व्यक्ति में ऐसा कोई अनिवासी सम्मिलित नहीं होगा, जिसके पास भारत में कोई स्थायी स्थापन नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “स्थायी स्थापन” पद में कारबार का ऐसा नियत स्थान सम्मिलित है, जिसके माध्यम से उद्यम का कारबार पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता है।”।

धारा 234ग का
संशोधन।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग की उपधारा (1) में,—

(i) पहले परन्तुक में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) लाभांश आय की रकम,”;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “लाभांश” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 2 के खंड (22) में है, किन्तु इसके अंतर्गत उसका खंड (ड) सम्मिलित नहीं होगा।”।

धारा 234च का
संशोधन।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 234च में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी व्यक्ति, जिससे धारा 139 के अधीन आय की विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, उक्त धारा की

उपधारा (1) के अधीन विहित समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, वह फीस के रूप में पांच हजार रुपए की धन राशि का संदाय करेगा :

परंतु जहां व्यक्ति की कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां इस धारा के अधीन संदेय फीस एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।”।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 234च के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“234छ. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी व्यक्ति से धारा 139कक की उपधारा (2) के अधीन उसकी आधार संख्या सूचित करने की अपेक्षा की जाती है और ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख, जो विहित की जाए, को या उससे पूर्व ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उक्त तारीख के पश्चात् धारा 139कक की उपधारा (2) के अधीन सूचित करने के समय एक हजार रुपए से अनधिक फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने का दायी होगा।”।

नई धारा
234छ का
अंतःस्थापन।
आधार संख्या की
सूचना से
संबंधित
व्यतिक्रम के लिए
फीस।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 245क में, 1 फरवरी, 2021 से,—

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और उक्त तारीख से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

‘(घक) “अंतरिम बोर्ड” से धारा 245कक के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड अभिप्रेत है ;’;

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और उक्त तारीख से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

‘(ङक) “अंतरिम बोर्ड के सदस्य” से अंतरिम बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङख) “लंबित आवेदन” से ऐसा कोई आवेदन अभिप्रेत है, जिसे धारा 245ग के अधीन फाइल किया गया था और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) उसे धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया था ; और

(ii) ऐसे किसी आवेदन के संबंध में 31 जनवरी, 2021 को या उससे पूर्व धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया था ;’।

धारा 245क का
संशोधन।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 245क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 फरवरी, 2021 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“245कक. (1) केंद्रीय सरकार, लंबित आवेदनों के निपटान हेतु एक या अधिक, जैसा आवश्यक समझा जाए, अंतरिम समझौता बोर्ड का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक अंतरिम बोर्ड तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें से प्रत्येक मुख्य आयुक्त की पंक्ति का अधिकारी होगा, जिसे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) यदि अंतरिम बोर्ड के सदस्यों के बीच किसी प्रश्न पर मतभेद होता है तो ऐसे प्रश्न के संबंध में विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।”।

धारा 245कक का
अंतःस्थापन।

समझौते के लिए
अंतरिम बोर्ड।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 245ख की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 फरवरी, 2021 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस प्रकार गठित आय-कर समझौता आयोग 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् कार्य करना बंद कर देगा।”।

धारा 245ख का
संशोधन।

धारा 245खग
का संशोधन।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 245खग में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 फरवरी, 2021 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु उपधारा (1) के उपबंध 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे।”।

धारा 245खघ
का संशोधन।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 245खघ में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 फरवरी, 2021 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु उपधारा (1) के उपबंध 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे।”।

धारा 245ग का
संशोधन।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 245ग की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 फरवरी, 2021 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“(5) इस धारा के अधीन 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।”।

धारा 245घ का
संशोधन।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 245घ में, 1 फरवरी, 2021 से,—

(i) उपधारा (2ग) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि जहां किसी आवेदन के संबंध में ऐसा कोई आदेश, जिसे इस उपधारा के अधीन 31 जनवरी, 2021 को या उससे पूर्व पारित किया जाना अपेक्षित था, 31 जनवरी, 2021 को या उससे पूर्व पारित नहीं किया गया है, वहां ऐसे आवेदन को विधिमान्य समझा जाएगा।”;

(ii) उपधारा (6ख) में, “उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “उपधारा (4) के अधीन पारित” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और उक्त तारीख से रखे गए समझे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी और अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

“(9) 1 फरवरी, 2021 से ही उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2ख), उपधारा (2ग), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (4क), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (6ख) के उपबंध अंतरिम समझौता बोर्ड को आबंटित लंबित आवेदनों को निम्नलिखित उपांतरणों के साथ लागू होंगे, अर्थात् :—

(i) “समझौता आयोग” शब्दों के, जहां-कहीं वे आते हैं, स्थान पर, “अंतरिम बोर्ड” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “न्यायपीठ” शब्द के स्थान पर, “अंतरिम बोर्ड” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 245ड की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तारीख को ऐसी तारीख समझा जाएगा, जिसको धारा 245ग के अधीन आवेदन किया गया था तथा उसे अंतरिम बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया था ;

(iv) जहां उपधारा (6ख) के अनुसार किसी आदेश को संशोधित करने या उसमें सुधार के लिए कोई आवेदन फाइल करने की समय-सीमा 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् समाप्त हो रही है तो परिसीमा की अवधि की संगणना करते समय, 1 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाली और उस मास के, जिसमें अंतरिम बोर्ड का गठन किया जाता है, के अंत पर

समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा और जहां ऐसी अवधि को अपवर्जित करने के पश्चात् अंतरिम बोर्ड के पास आदेश में संशोधन करने या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या आवेदक के पास आवेदन फाइल करने के लिए शेष अवधि साठ दिन से कम रहती है तो ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक विस्तारित किया जाएगा और परिसीमा की अवधि को तदनुसार विस्तार किया गया समझा जाएगा।

(10) 1 फरवरी, 2021 से ही, उपधारा (6क) और उपधारा (7) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “समझौता आयोग” शब्दों के स्थान पर, “समझौता आयोग या अंतरिम समझौता बोर्ड” शब्द रख दिए गए हों।

(11) केंद्रीय सरकार, अंतरिम बोर्ड द्वारा लंबित आवेदनों के संबंध में समझौते के प्रयोजनों हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोई स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित के माध्यम से अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके,—

(क) कार्यवाहियों के दौरान प्रौद्योगिकीय रूप में साध्य सीमा तक अंतरिम बोर्ड और निर्धारिती के बीच अंतरापृष्ठ को समाप्त करके ;

(ख) मापदंड और क्रियात्मक संबंधी विशेषज्ञता की मितव्ययिता के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके ;

(ग) एक परिवर्तनात्मक अधिकारिता वाले किसी तंत्र को सन्निविष्ट करके।

(12) केंद्रीय सरकार, उपधारा (11) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों, जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, के सहित लागू होगा :

परन्तु 31 मार्च, 2023 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(13) उपधारा (11) और उपधारा (12) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना यथासंभवशीघ्र जारी किए जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 245घघ की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 फरवरी, 2021 से, अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 245घघ का संशोधन।

“(3) 1 फरवरी, 2021 से ही इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को इस प्रकार लागू होंगे मानो वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।”।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 245च की उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 फरवरी, 2021 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 245च का संशोधन।

“(8) 1 फरवरी, 2021 से ही इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग या निर्वहन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को इस प्रकार लागू होंगे मानो वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।”।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 245छ में, पहले परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 फरवरी, 2021 से, अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 245छ का संशोधन।

“परन्तु यह और कि 1 फरवरी, 2021 से ही इस धारा के अधीन समझौता आयोग के कृत्यों का पालन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को इस प्रकार लागू होंगे मानो वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।”।

धारा 245ज का संशोधन।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 245ज की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 फरवरी, 2021 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) 1 फरवरी, 2021 से ही इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को इस प्रकार लागू होंगे मानो वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।”।

नई धारा 245ड का अंतःस्थापन।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 245ड में निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 फरवरी, 2021 से, अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“245ड. (1) किसी लंबित आवेदन के संबंध में, ऐसे निर्धारिती, जिसने ऐसा आवेदन फाइल किया था, अपने विकल्प पर ऐसे आवेदन को वित्त अधिनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर वापस ले सकेगा और वह ऐसे आवेदन वापस लिए जाने के बारे में सूचना विहित रीति में निर्धारण अधिकारी को देगा।

(2) जहां निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर उस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां लंबित आवेदन के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अंतरिम बोर्ड द्वारा उस तारीख को प्राप्त कर लिया गया है, जिसको ऐसा आवेदन उपधारा (3) के अधीन अंतरिम बोर्ड को आबंटित या अंतरित किया जाता है।

(3) बोर्ड, आदेश द्वारा, किसी लंबित आवेदन को किसी अंतरिम बोर्ड को आबंटित कर सकेगा और आदेश द्वारा किसी लंबित आवेदन को एक अंतरिम बोर्ड से दूसरे अंतरिम बोर्ड को अंतरित कर सकेगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी अंतरिम बोर्ड को कोई लंबित आवेदन आबंटित किया जाता है या किसी अन्य अंतरिम बोर्ड को तत्पश्चात् अंतरित किया जाता है, वहां समझौता आयोग के पास विद्यमान सभी अभिलेखों, दस्तावेजों या साक्ष्यों, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, को ऐसे अंतरिम बोर्ड को अंतरित किया जाएगा और उन्हें सभी प्रयोजनों के लिए उसके समक्ष विद्यमान अभिलेखों के रूप में समझा जाएगा।

(5) जहां निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग करते हुए किसी आवेदन को वापस लेता है, वहां ऐसे आवेदन के संबंध में कार्यवाहियों का उस तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन वापस लिया जाता है, उपशमन हो जाएगा और, यथास्थिति, ऐसा निर्धारण अधिकारी या कोई अन्य आय-कर प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदन किए जाने के समय कार्यवाहियां लंबित थीं, उस मामले का निपटारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार करेगा मानो धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया था :

परन्तु धारा 149, धारा 153, धारा 153ख, धारा 154 और धारा 155 के अधीन समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए और, यथास्थिति, धारा 243 या धारा 244 या धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए इस उपधारा के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के लिए धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग को आवेदन करने की तारीख से ही आरंभ होने वाली और इस उपधारा में निर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि आय-कर प्राधिकारी, समझौता आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री और अन्य सूचना या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में की गई जांच के परिणामों या लेखबद्ध किए गए साक्ष्य का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा :

लंबित आवेदन को वापस लेने का विकल्प।

परन्तु यह भी कि पहले परन्तुक में अंतर्विष्ट कोई बात, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई सामग्री और अन्य सूचना या उसके द्वारा की गई जांच के परिणामों या लेखबद्ध किए गए साक्ष्य के संबंध में इस बात को विचार में लाए बिना लागू नहीं होगी कि क्या ऐसी सामग्री या अन्य सूचना या जांच के परिणाम या साक्ष्य को निर्धारित या निर्धारण अधिकारी द्वारा समझौता आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था।”।

74. आय-कर अधिनियम के अध्याय 19क के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

नए अध्याय
19कक का
अंतःस्थापन।

‘अध्याय 19कक

कतिपय मामलों में विवाद समाधान समिति

245डक. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के मामले में विवाद समाधान के लिए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, एक या अधिक विवाद समाधान समितियां, जो आवश्यक हों, गठित करेगी, जो उसके मामले में विनिर्दिष्ट आदेश में किसी ऐसे फेरफार से उत्पन्न होने वाले विवाद के संबंध में और जो विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करता है, इस अध्याय के अधीन विवाद समाधान के लिए विकल्प दे सके।

विवाद समाधान
समिति।

(2) विवाद समाधान समिति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपणीय किसी शास्ति को कम करने या अधित्यजित करने या ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसके विवाद का इस अध्याय के अधीन समाधान होता है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के अधीन विवाद समाधान के प्रयोजनों के लिए, कोई स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित के द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

(क) प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक विवाद समाधान कार्यवाहियों के अनुक्रम में विवाद समाधान समिति और निर्धारित की बीच अंतरापृष्ठ को समाप्त करना ;

(ख) बड़े पैमाने की किफायतें और कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से संसाधनों का ईष्टतम उपयोग ;

(ग) गत्यात्मक अधिकारिता वाले किसी विवाद समाधान तंत्र का शुभारंभ।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (3) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू नहीं होगा या लागू होगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु 31 मार्च, 2023 के पश्चात्, ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के यथासंभव शीघ्र पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी व्यक्ति के संबंध में “विनिर्दिष्ट शर्त” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(I) जहां वह ऐसा व्यक्ति नहीं है,—

(अ) जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन निरोध का कोई आदेश दिया गया है:

1974 का 52

परन्तु—

(i) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व, वापस लिया गया है; या

(ii) निरोध का ऐसा आदेश जो एक ऐसा आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, उसे धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए या इसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट पर समय की समाप्ति से पूर्व वापस नहीं लिया गया है; या

(iii) निरोध का ऐसा आदेश जो एक ऐसा आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, उसे उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन पहले पुनर्विलोकन के लिए या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर समय की समाप्ति से पूर्व वापस नहीं लिया गया है; या

(iv) निरोध का ऐसा आदेश सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है;

(आ) जिसके संबंध में भारतीय दंड संहिता, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन को संस्थित किया गया है और वह उन अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है;

1860 का 45

1967 का 37

1985 का 61

1988 का 45

1988 का 49

2003 का 15

(इ) जिसके संबंध में अभियोजन इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सिविल दायित्व के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अभियोजन आरंभ किया गया है या ऐसा व्यक्ति किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा आरंभ किए गए अभियोजन के परिणामस्वरूप किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है;

1860 का 45

(ई) जिसे विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किया गया है;

1992 का 27

(II) ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जाएं;

(ख) “विनिर्दिष्ट आदेश” से ऐसा आदेश अभिप्रेत है, जिसमें ऐसा प्ररूप आदेश सम्मिलित है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और,—

(i) ऐसे आदेश में प्रस्तावित या किए गए फेरफार की कुल राशि दस लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

(ii) ऐसा आदेश जो धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी पर या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति की दशा में धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण या धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त सूचना पर आधारित नहीं है ;

(iii) जहां ऐसे आदेश के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा विवरणी फाइल की गई है, वहां ऐसी विवरणी के अनुसार कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है ।”।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 245ड में,—

धारा 245ड का संशोधन ।

(i) खंड (ख) के उपखंड (आ), उपखंड (इ) और उपखंड (ई) का उस तारीख से लोप किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(ii) खंड (ग) में “प्राधिकरण” शब्द के पश्चात्, “या अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 245णख के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय बोर्ड अभिप्रेत है”;

(iv) खंड (च) में, “उपाध्यक्ष” शब्द के पश्चात् “या अग्रिम विनिर्णय बोर्ड का सदस्य” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 245ण की उपधारा (1) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 245ण का संशोधन ।

“परन्तु यह और कि इस प्रकार गठित प्राधिकरण ऐसी तारीख से ही प्रवर्तन में नहीं रहेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए ।”।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 245णक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 245णख का अंतःस्थापन ।
अग्रिम विनिर्णय बोर्ड ।

“245णख. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, एक या अधिक अग्रिम विनिर्णय बोर्डों का गठन करेगी जो इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय देने के लिए आवश्यक हो ।

(2) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से प्रत्येक मुख्य आयुक्त की पंक्ति से नीचे का अधिकारी होगा, जो बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।”।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 245त को इसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 245त का संशोधन ।

“(2) उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस धारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा मानो “प्राधिकरण” शब्द के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” शब्द रखे गए हों ।”।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 245थ में,—

धारा 245थ का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, “इस अध्याय के अधीन” शब्दों के पश्चात्, “या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय 3क के अधीन या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5क के अधीन” शब्दों का, ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4) जहां इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए ऐसी तारीख के पूर्व, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, आवेदन किया गया है और जिसके संबंध में ऐसी तारीख के पूर्व धारा 245द की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है या धारा 245द की उपधारा (4) के अधीन कोई अग्रिम विनिर्णय सुनाया नहीं गया है, वहां प्राधिकरण की फाइल पर, सभी सुसंगत अभिलेखों, दस्तावेजों या सामग्री के साथ, ऐसा आवेदन जिस भी नाम से ज्ञात हो, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को अंतरित हो जाएगा और सभी प्रयोजनों के लिए अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष अभिलेख समझा जाएगा।”।

धारा 245द का संशोधन।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 245द में, उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

‘(8) ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस धारा के उपबंधों का वही प्रभाव होगा मानो “प्राधिकरण” शब्द के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” शब्द रखे गए हों और इस धारा के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे प्राधिकरण को लागू होते हैं।

(9) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय देने के प्रयोजनों के लिए स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

(क) प्रौद्योगिकी रूप से साध्य सीमा तक कार्यवाहियों के दौरान अग्रिम विनिर्णय बोर्ड और आवेदक के बीच अंतरापृष्ठ समाप्त करना ;

(ख) बड़े पैमाने की किफायतें और कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करना ;

(ग) गत्यात्मक अधिकारिता वाला तंत्र का शुभारंभ।

(10) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (9) के अधीन स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परन्तु कोई भी ऐसा निदेश 31 मार्च, 2023 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

(11) उपधारा (9) और उपधारा (10) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।’।

धारा 245ध का संशोधन।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 245ध में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) इस धारा में की अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, धारा 245द के अधीन सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय को लागू नहीं होगी।”।

धारा 245न का संशोधन।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 245न में,—

(क) उपधारा (1) में, “उपधारा (6) के अधीन” शब्दों के पश्चात् “उसके द्वारा” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘(3) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस धारा के उपबंधों का वही प्रभाव होगा मानो “प्राधिकरण” शब्द के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” शब्द रखे गए हों।’।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 245प में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 245प का संशोधन।

“(3) ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस धारा के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग बोर्ड द्वारा अग्रिम विनिर्णय के लिए किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे प्राधिकरण को लागू होते हैं।”।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 245फ में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 245फ का संशोधन।

“परन्तु इस धारा में की अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, लागू नहीं होगी।”।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 245फ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 245ब का अंतःस्थापन।

“245ब. (1) आवेदक, यदि वह अग्रिम विनिर्णय बोर्ड या निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनाए गए किसी विनिर्णय या पारित किए गए आदेश से व्यथित है, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के निदेशों पर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस विनिर्णय या आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के ऐसे विनिर्णय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :

अपील।

परन्तु आवेदक द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर, जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था, तो वह ऐसी अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की और अवधि मंजूर कर सकेगा।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन, उच्च न्यायालय को अपील फाइल करने के प्रयोजनों के लिए एक स्कीम बना सकेगी जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके,—

(क) बड़े पैमाने की किफायत और कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करना ;

(ख) गत्यात्मक अधिकारिता वाले टीम आधारित तंत्र का शुभारंभ करना।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु कोई ऐसा निदेश 31 मार्च, 2023 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।”।

86. आय-कर अधिनियम की धारा 255 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 255 का संशोधन।

“(7) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपील अधिकरण द्वारा अपीलों के निपटारे के प्रयोजनों के लिए एक स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

(क) प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अपीली कार्यवाहियों के दौरान अपील अधिकरण और अपील के पक्षकारों के बीच अंतरापृष्ठ को समाप्त करना ;

(ख) बड़े पैमाने की किफायतों और कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करना ;

(ग) गत्यात्मक अधिकारिता वाला अपीली तंत्र का शुभारंभ करना ।

(8) केंद्रीय सरकार, उपधारा (7) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों तथा अनुकूलनों के साथ लागू होगा, जैसा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु 31 मार्च, 2023 के पश्चात् ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(9) उपधारा (7) और उपधारा (8) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।”।

धारा 263 का संशोधन ।

87. आय-कर अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण के पूर्व “प्रधान आयुक्त” शब्द के स्थान पर “प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे और 1 नवंबर, 2020 से रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 281ख का संशोधन ।

88. आय-कर अधिनियम की धारा 281ख की उपधारा (1) में, “जो निर्धारण से छूट गई है” शब्दों के पश्चात्, “या धारा 271ककघ के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए जहां उक्त धारा के अधीन अधिरोपित की जाने वाली संभाव्य शास्ति की रकम या कुल रकम दो करोड़ रुपए से अधिक है” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष-कर

सीमाशुल्क

धारा 2 का संशोधन ।

89. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1962 का 52

“(7ख) “सामान्य पोर्टल” से धारा 154ग में निर्दिष्ट सामान्य सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल अभिप्रेत है;”।

धारा 5 का संशोधन ।

90. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) में, “अध्याय 15 और धारा 108” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “अध्याय 15, धारा 108 और धारा 110 की उपधारा (1घ)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

91. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4क) जहां कोई छूट उपधारा (1) के अधीन इस शर्त के अध्याधीन दी जाती है वहां ऐसी छूट, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट या उसमें फेरफार या विखंडित न कर दिया जाए ऐसे अनुदत्त किए जाने या फेरफार की तारीख से ठीक दो वर्ष के पश्चात् आने वाली 31 मार्च तक वैध होगी :

परन्तु ऐसी तारीख तक जिसको वित्त विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, दो वर्ष की उक्त अवधि की गणना 1 फरवरी, 2021 से की जाएगी ।”।

नई धारा 28खख का अंतःस्थापन ।

92. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28खक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“28खख. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच या अन्वेषण जिसकी परिणति धारा 28 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन नोटिस जारी करने के रूप में होती है, यथास्थिति, लेखापरीक्षा, तलाशी, अभिग्रहण या समन आरंभ करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी :

कतिपय कार्रवाइयों को पूरा करने के लिए समय सीमा ।

परन्तु प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त पर्याप्त हेतुक दर्शित करने पर और उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, उक्त अवधि का एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तार कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अवधि की संगणना करने के लिए, वह अवधि जिसके दौरान किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक को मंजूर किया गया था या विधिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी विदेशी प्राधिकारी से सूचना की ईप्सा करने की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा में की अंतर्विष्ट कोई बात उस तारीख से पूर्व आरंभ की गई ऐसी किसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी जिसको वित्त अधिनियम, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है।

93. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) में,—

धारा 46 का संशोधन।

(i) “आगामी दिवस (अवकाश के दिन को छोड़कर) के अंत से पूर्व” शब्दों के स्थान पर “दिन से पूर्ववर्ती दिन (अवकाश के दिन को छोड़कर) के अंत से पूर्व” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “परन्तु कोई प्रवेश पत्र” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु बोर्ड ऐसे मामलों में, जो वह उचित समझे, प्रवेश पत्र को प्रस्तुत करने के लिए भिन्न-भिन्न समय-सीमाएं विहित कर सकेगा, जो ऐसे आगमन के दिन के अन्त से पश्चात् की नहीं होंगी :

परन्तु यह और कि कोई प्रवेश पत्र”;

(iii) “परन्तु यह और कि” शब्दों के स्थान पर “परन्तु यह भी कि” शब्द रखे जाएंगे।

94. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (1ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 110 का संशोधन।

“(1घ) जब उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण किया गया माल, उपधारा (1क) के अधीन यथा अधिसूचित किसी रूप में स्वर्ण है, तब समुचित अधिकारी, मजिस्ट्रेट को उपधारा (1ख) के अधीन कोई आवेदन करने की बजाय, अधिकारिता रखने वाले आयुक्त (अपील) को ऐसा आवेदन करेगा, जो यथाशीघ्र आवेदन को अनुज्ञात करेगा और तत्पश्चात् समुचित अधिकारी ऐसे माल का ऐसी रीति में निपटान करेगा जो केंद्रीय सरकार अवधारित करे।”।

95. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 113 के खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 113 का संशोधन।

“(जक) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में सदोष दावा करने के लिए छूट के दावे या किसी शुल्क या कर या उदग्रहण के परिहार या प्रतिदाय के अधीन निर्यात के लिए प्रविष्ट कोई माल ;”।

96. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114कख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 114कग का अंतःस्थापन।

“114कग. जहां किसी व्यक्ति ने किसी बीजक को कपट, दुस्संधि, जानबूझकर मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर ऐसे बीजक के आधार पर इनपुट कर प्रत्यय ऐसे माल, जिसे ऐसे शुल्क या कर का प्रतिदाय का दावा करने के अधीन निर्यात के लिए प्रविष्ट किया जाता है, पर किसी शुल्क या कर को चुकाने के लिए अभिप्राप्त किया है वहां ऐसा व्यक्ति प्रतिदाय किए गए दावे से पांच गुणा से अनधिक शास्ति का दायी होगा।

प्रतिदाय का दावा करने के लिए इनपुट कर प्रत्यय के कपटपूर्ण उपयोग के लिए शास्ति।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “इनपुट कर प्रत्यय” पद का वही अर्थ होगा जो उसका केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (63) में है।”।

धारा 139 का संशोधन।

97. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 139 के स्पष्टीकरण में, “मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 110 की उपधारा (1ग)” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 110 की उपधारा (1ग) के अधीन मजिस्ट्रेट या उपधारा (1घ) के अधीन आयुक्त (अपील)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 149 का संशोधन।

98. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 149 में परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि ऐसा प्राधिकार या संशोधन समुचित चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे संशोधन, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा किए जा सकेंगे।”।

धारा 153 का संशोधन।

99. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) उसे सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराकर ;”।

नई धारा 154ग का अंतःस्थापन।

100. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 154ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सामान्य सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल।

“154ग. बोर्ड, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने, प्रवेश पत्रों, पोत परिवहन बिलों, अन्य दस्तावेजों और विहित अन्य प्ररूपों, फाइल करने के लिए, शुल्क का संदाय करने के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए सामान्य सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के नाम से ज्ञात सामान्य पोर्टल, जैसा कि बोर्ड अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अधिसूचित कर सकेगा,।”।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 8ख का संशोधन।

101. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 8ख की उपधारा (6) में,—

1975 का 51

(i) खंड (i) में, “यूनिट” शब्द के स्थान पर, “यूनिट, या” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम” पद का वही अर्थ होगा जो उसका केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में है;

1944 का 1

(ख) “विशेष आर्थिक जोन” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (यक) में है।”।

2005 का 28

धारा 9 का संशोधन।

102. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 में,—

1975 का 51

(i) उपधारा (1क) में, “ऐसी अन्य वस्तु पर भी प्रतिशुल्क विस्तारित कर सकेगी” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी अन्य वस्तु को भी, ऐसी तारीख से, जो जांच के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्वतर नहीं होगी और जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रतिशुल्क विस्तारित कर सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1ख) जहां केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन का अवशोषण हुआ है, जिसके कारण इस प्रकार अधिरोपित प्रतिपाटन निष्प्रभावी हो गया है, वहां वह ऐसे शुल्क को ऐसे अवशोषण के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए ऐसे शुल्क को ऐसी तारीख से, जो ऐसी जांच, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रारंभ करने की तारीख से पूर्वत्तर नहीं हो, उपांतरित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रतिपाटन का अवशोषण” तब हुआ कहा जाएगा,—

(क) यदि निर्यात करने वाले देश या राज्यक्षेत्र से आयातित ऐसी वस्तु की भारत में ऐसी वस्तु के उत्पादन की लागत या भारत से भिन्न देशों को ऐसी वस्तु की निर्यात कीमत या पुनःविक्रय कीमत में किसी आनुपातिक परिवर्तन के बिना किसी वस्तु की निर्यात कीमत में कमी हुई है ; या

(ख) किन्हीं अन्य ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो नियमों द्वारा विहित की जाए”;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

‘(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित कोई प्रतिपाटन किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा या किसी विशेष आर्थिक जोन की किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को तब तक लागू नहीं होगा जब तक,—

(i) वह विनिर्दिष्ट रूप से ऐसी अधिसूचना में या ऐसे उपक्रम या यूनिट को लागू नहीं किया गया हो ; या

(ii) ऐसी वस्तु की उस रूप में देशीय टैरिफ क्षेत्र में निकासी नहीं की गई हो या उसका उपयोग ऐसे किन्हीं मालों के विनिर्माण में नहीं किया जाता है, जिनकी निकासी देशीय टैरिफ क्षेत्र में की जाती है, जिस दशा में, इस प्रकार निकासी की गई या उपयोग की गई वस्तु के उस भाग पर अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि वह उस समय लागू था जब उसका भारत में आयात किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम” पद का वही अर्थ होगा जो उसका केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में है;

(ख) “विशेष आर्थिक जोन” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (यक) में है।’;

(iv) उपधारा (6) में,—

(क) पहले परन्तुक में, “पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष तक” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह भी कि यदि उक्त शुल्क अस्थायी रूप से प्रतिसंहत कर दिया जाता है तो ऐसे प्रतिसंहरण की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।”।

1944 का 1

2005 का 28

धारा 9क का
संशोधन।

103. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क में,—

(i) उपधारा (1क) में, “ऐसी वस्तु या ऐसे देश से उद्भव होने वाली या निर्यातित किसी वस्तु को भी प्रतिपाटन शुल्क विस्तारित कर सकेगी” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी वस्तु या ऐसे देश से उद्भव होने वाली या निर्यातित किसी वस्तु को भी, ऐसी तारीख से, जो जांच के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्वतन्त्र नहीं होगी और जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रतिपाटन शुल्क विस्तारित कर सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ; या

(ii) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1ख) जहां केंद्रीय सरकार की, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का अवशोषण हुआ है, जिसके कारण इस प्रकार अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क निष्प्रभावी हो गया है, वहां वह ऐसे शुल्क को ऐसे अवशोषण के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए ऐसे शुल्क को ऐसी तारीख से, जो ऐसी जांच, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रारंभ की तारीख से पूर्वतन्त्र नहीं हो, उपांतरित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रतिपाटन शुल्क का अवशोषण” हुआ तब कहा जाएगा,—

(क) यदि निर्यातकर्ता देश या राज्यक्षेत्र से आयातित ऐसी वस्तु की उत्पादन लागत या भारत से भिन्न देशों को ऐसी वस्तु की निर्यात कीमत या भारत में पुनःविक्रय कीमत में किसी आनुपातिक परिवर्तन के बिना ऐसी वस्तु की निर्यात कीमत में कमी हुई है ; या

(ख) ऐसी अन्य परिस्थितियों के अधीन, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं।”;

(iii) उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित कोई प्रतिपाटन शुल्क, किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा या किसी विशेष आर्थिक जोन की किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को तब तक लागू नहीं होगा जब तक—

(i) वह विनिर्दिष्ट रूप से ऐसी अधिसूचना में या ऐसे उपक्रम या यूनिट को लागू नहीं किया गया हो ; या

(ii) ऐसी वस्तु की उस रूप में देशीय टैरिफ क्षेत्र में निकासी नहीं की गई हो या उसका उपयोग ऐसे किन्हीं मालों के विनिर्माण में किया जाता है, जिनकी निकासी देशीय टैरिफ क्षेत्र में की जाती है, जिस दशा में, प्रतिशुल्क इस प्रकार निकासी की गई या उपयोग की गई वस्तुओं के उस भाग पर अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि वह उस समय लागू था जब उनका भारत में आयात किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम” पद का वही अर्थ होगा जो उसका केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में है;

2005 का 28

(ख) “विशेष आर्थिक जोन” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (यक) में है।”;

(iv) उपधारा (5) में,—

(क) पहले परन्तुक में, “पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष तक” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि यदि उक्त शुल्क अस्थायी रूप से प्रतिसंहृत कर दिया जाता है तो ऐसे प्रतिसंहरण की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।”।

104. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,—

पहली अनुसूची का संशोधन।

(i) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ii) 1 अप्रैल, 2021 से तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ;

(iii) 1 जनवरी, 2022 से चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा।

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

105. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की चौथी अनुसूची का,—

चौथी अनुसूची का संशोधन।

(i) 1 अप्रैल, 2021 से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ii) 1 जनवरी, 2022 से छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा।

106. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में, 1 जनवरी, 2020 से—

चौथी अनुसूची के अध्याय 27 का संशोधन।

(i) टैरिफ मद 2710 12 49 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “आई एस 17076 मानक के अनुरूप एम15 ईंधन” प्रविष्टि रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2710 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “14% + 15.00 रु0 प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2710 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “14% + 15.00 रु0 प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी।

1944 का 1

107. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.978(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2019 के पैरा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचना द्वारा उसकी चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में किए गए संशोधन, 1 जनवरी, 2020 से ही किए गए समझे जाएंगे और सभी प्रयोजनों के लिए सदैव प्रभावी होंगे।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3ग के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा चौथी अनुसूची में किए गए संशोधनों को प्रभावी करने वाली पुनरीक्षित तारीख।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियमधारा 7 का
संशोधन।

108. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात्, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

2017 का 12

“(कक) किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति से भिन्न, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्यय को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और कार्यकलापों या संव्यवहारों की पूर्ति परस्पर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे।”।

धारा 16 का
संशोधन।

109. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तकर्ता को संसूचित किए गए हैं।”।

धारा 35 का
संशोधन।

110. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।

धारा 44 के
स्थान पर, नई
धारा का
प्रतिस्थापन।

111. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“44. किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलैक्ट्रानिक रूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ, एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ मिलाते हुए, एक स्वप्रमाणित समाधान विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा :

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा में की कोई बात, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्वधीन हैं या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्वधीन हैं, लागू नहीं होगी।”।

धारा 50 का
संशोधन।

112. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय और नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में

घोषित कर पर व्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग पर संदेय होगा, जिसे इलैक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।”।

113. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ii) में, “तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “तो धारा 122 और धारा 125 के” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 74 का संशोधन।

114. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (12) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 75 का संशोधन।

‘स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “स्वनिर्धारित कर” पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी जावक पूर्तियों के व्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।’।

115. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 83 का संशोधन।

“(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।”।

116. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 107 का संशोधन।

“परन्तु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।”।

117. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 129 में,—

धारा 129 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है ;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, इनमें से जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है ;”;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, यथास्थिति, अभिरक्षा या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्,

उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।”;

(iv) उपधारा (4) में, “कर, ब्याज या शास्ति” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखा जाएगा ;

(v) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या उसका अन्यथा निपटान किया जा सकेगा :

परन्तु परिवाहक द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रुपए, जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय बीतने के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि समुचित अधिकारी द्वारा, कम की जा सकेगी।”।

धारा 130 का
संशोधन।

118. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 130 में,—

(क) उपधारा (1) में, “इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि”, शब्दों के स्थान पर, “जहां” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक में, “धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

धारा 151 के स्थान
पर, नई धारा का
प्रतिस्थापन।

119. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“151. आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में कार्यवाही किए जाने वाले किसी मामले से संबंधित, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।”।

सूचना मांगने की
शक्ति।

धारा 152 का
संशोधन।

120. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 152 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) “कोई व्यक्ति विवरणी या उसके भाग की” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) “ऐसी सूचना” शब्दों के पश्चात् “संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

धारा 168 का
संशोधन।

121. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) में,—

(i) “धारा 44 की उपधारा (1)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 44” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) “धारा 151 की उपधारा (1)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

122. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 में, पैरा 7 का 1 जुलाई, 2017 से लोप किया जाएगा और उक्त तारीख से उसका लोप किया गया समझा जाएगा।

अनुसूची 2 का संशोधन।

एकीकृत माल और सेवा कर

2017 का 13

123. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 में,—

धारा 16 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में, “विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को” शब्दों के पश्चात् “प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(3) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो शून्य दर पूर्ति करता है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 या तद्वती बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, ऐसी शर्तों, सुरक्षोपायों और प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, बंधपत्र या वचन बंधपत्र के अधीन, एकीकृत कर के संदाय के बिना, माल या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति पर अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने का पात्र होगा :

1999 का 42

परन्तु विक्रय आगमों की वसूली न किए जाने की दशा में, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल की शून्य दर पर पूर्ति करता है, विदेशी मुद्रा विप्रेषणादेशों की प्राप्ति के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन विहित समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन के भीतर धारा 50 के अधीन लागू ब्याज सहित ऐसा संदत्त प्रतिदाय जमा करने का दायी होगा।

(4) सरकार, परिषद् की सिफारिश पर और ऐसी शर्तों, सुरक्षोपायों और प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेंगे,—

(i) ऐसे वर्ग के व्यक्ति, जो एकीकृत कर के संदाय पर शून्य दर पूर्ति कर सकेंगे और इस प्रकार संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेंगे;

(ii) ऐसे वर्ग की माल या सेवाओं का, जो एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात की जा सकेंगी और ऐसे माल या सेवाओं का पूर्तिकर्ता इस प्रकार संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।”।

अध्याय 5

कृषि अवसंरचना और विकास उपकर

1975 का 51

124. (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर नामक सीमाशुल्क, संघ के प्रयोजनों के लिए, इस धारा के उपबंधों के अनुसार, ऐसे माल पर, कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के सुधार के वित्तपोषण के प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर से अनधिक की दर पर, जो भारत में आयात किए जाते हैं, सीमाशुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।

आयातित माल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर।

(2) केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन उद्गृहीत कृषि अवसंरचना और विकास उपकर की ऐसी धनराशियों का उपयोग कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

(3) जहां ऐसे माल पर उसके मूल्य की किसी प्रतिशतता पर शुल्क उद्ग्रहणीय है, वहां इस धारा के अधीन कृषि अवसंरचना और विकास उपकर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे

माल के मूल्य की संगणना वैसी ही रीति में की जाएगी, जैसे कि माल के मूल्य की संगणना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन सीमाशुल्क के प्रयोजन के लिए की जाती है।

1962 का 52

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आयातित माल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य सीमाशुल्क के अतिरिक्त होगा।

1962 का 52

(5) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और तद्वीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत निर्धारण, गैर-उद्ग्रहण, अल्प उद्ग्रहणीय, प्रतिदाय, छूट, ब्याज, अपील, अपराध और शास्तियों से संबंधित नियमों और विनियमों के उपबंध भी हैं, यथाशक्य आयातित माल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त अधिनियम या नियम या विनियम के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

1962 का 52

उत्पाद-शुल्क
माल पर कृषि
अवसंरचना और
विकास उपकर।

125. (1) सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुसूचित माल कहा गया है), जो विनिर्मित या उत्पादित माल है, पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर नामक, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, इस धारा के उपबंधों के अनुसार संघ के प्रयोजनों के लिए, कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्तपोषण के प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट दरों पर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन उद्गृहीत कृषि अवसंरचना और विकास उपकर ऐसी धनराशियों का उपयोग कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर, जो अनुसूचित माल पर प्रभार्य है, ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य उत्पाद-शुल्कों के अतिरिक्त होगा।

1944 का 1

(4) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और तद्वीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत निर्धारण, गैर-उद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, प्रतिदाय, छूट, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से संबंधित नियम और विनियम भी हैं, यथाशक्य अनुसूचित माल के संबंध में इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त अधिनियम या नियम या विनियम के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

1944 का 1

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

नई धारा 8छ का
अंतःस्थापन।

126. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 8च के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1899 का 2

सरकारी कंपनी
के सामरिक
विक्रय, विनिवेश,
आदि का स्टाम्प
शुल्क के लिए
दायी न होना।

“8छ. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी कंपनी, उसकी समनुषंगी, यूनिट या संयुक्त उद्यम,—

(i) सामरिक विक्रय या विनिवेश, निर्विलयन या ठहरावों की किसी अन्य स्कीम के माध्यम से या किसी अन्य विधि के माध्यम से किसी अन्य सरकारी कंपनी

को या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विकास वित्तीय संस्था को ; या

(ii) जिसका परिसमापन किया जाना है, बंद किया जाना है, काट दिया जाना है, समापन किया जाना है या अन्यथा बंद कर दिया जाना है, से अन्य सरकारी कंपनी या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को,

यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन शुल्क की दायी नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “सरकारी कंपनी” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में उसका है।

2013 का 18

भाग 2

भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का संशोधन

127. भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 2 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) उस तारीख से ही, जिसको वित्त विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, वह राशि जो उपधारा (2) के अधीन भारत की संचित निधि से भारत की आकस्मिकता निधि में संदत्त की जाएगी, बढ़कर तीस हजार करोड़ रुपए हो जाएगी।”।

1950 के
अधिनियम
संख्यांक 49 का
संशोधन।

भाग 3

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 का संशोधन

128. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस भाग के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

इस भाग का
प्रारंभ।

1956 का 31

129. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

धारा 2 का
संशोधन।

(i) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(1क) “संपरीक्षा समिति” से धारा 19ग के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(1ख) “निदेशक बोर्ड” या “बोर्ड” से धारा 4 के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट या उस रूप में समझा गया निदेशकों का सामूहिक निकाय अभिप्रेत है ;

(1ग) “अध्यक्ष” से धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(1घ) “मुख्य कार्यपालक” से,—

(i) आरंभिक अवधि के दौरान, धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ii) आरंभिक अवधि के पश्चात्, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;

(1ङ) “मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक” से धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;

(1च) “कंपनी अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है ;

2013 का 18

(1छ) “न्यायालय” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित “न्यायालय” अभिप्रेत है ;

2013 का 18

(ii) खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(4क) “निदेशक” से धारा 4 के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट या उस रूप में समझा गया निदेशक अभिप्रेत है ;

(4ख) निगम के संबंध में “वित्तीय विवरण” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन पत्र ;

(ii) वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा ;

(iii) वित्तीय वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण ;

(iv) साम्या में परिवर्तनों का विवरण, यदि लागू हो, ; और

(v) उपखंड (i) से उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज से उपाबद्ध कोई स्पष्टीकारक टिप्पण या उसका भागरूप ;

(4ग) “पूर्णतया तनुकृत आधार” से ऐसे आधार पर केंद्रीय सरकार की प्रतिशत धृति के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा धृत शेयरों की कुल संख्या अभिप्रेत है जिन्हें निगम के ऐसे कुल शेयरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है जो तब बकाया होंगे, जब संपरिवर्तन के सभी संभव स्रोतों का उपयोग किया जाता है ;

(4घ) “स्वतंत्र निदेशक” से धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (च) में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक अभिप्रेत है ;

(4ङ) “आरंभिक अवधि” से तीन वर्ष की वह अवधि अभिप्रेत है, जिसकी गणना उस तारीख से की जाएगी, जिसको वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 121 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ;

(iii) खंड (6) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(6क) “प्रबंध निदेशक” से धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;

(iv) खंड (7) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

‘(7) “सदस्य” से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिप्रेत है जो निगम के शेयर धारण करता है और जिसका नाम धारा 5ग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट हैं ;

(7क) “नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति” से धारा 19ख के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(7ख) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(v) खंड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(8क) “विशेष संकल्प” से कोई ऐसा संकल्प अभिप्रेत है, जिसके लिए उसे विशेष संकल्प के रूप में उसी को प्रस्तावित करने के आशय को साधारण बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को दी गई सूचना में सम्यक् रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है और संकल्प के पक्ष में सदस्यों द्वारा दिए गए मतों की संख्या से, यदि कोई है, तीन गुना से कम नहीं है, जो संकल्प के विरुद्ध डाले गए हैं ;

(vi) खंड (10) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

1938 का 4
2013 का 18

“(10) जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में उनके विरुद्ध न हो, सभी अन्य शब्दों और पदों, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और बीमा अधिनियम, 1938 में या कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उक्त अधिनियमों में हैं।”।

130. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 4 का
प्रतिस्थापन।

‘4. (1) निगम के कार्यकलापों और कारबार का साधारण अधीक्षण निदेशक बोर्ड में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे सभी कार्य और बातें करेगा जिनका निगम द्वारा प्रयोग किया जाए या की जाएं और जिनका निगम द्वारा साधारण बैठक में इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से किया जाना निदेशित या अपेक्षित न हो।

निदेशक बोर्ड।

(2) निगम का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित अठारह से अनधिक निदेशकों से मिलकर बनेगा जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, अर्थात् :—

“(क) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला बोर्ड का अध्यक्ष, जो—

(i) आरंभिक अवधि के दौरान, निगम का पूर्णकालिक निदेशक होगा ;
और

(ii) आरंभिक अवधि के पश्चात्, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित या नामनिर्देशित किए जाने वाले गैर-कार्यपालक निदेशकों में से होगा ;

(ख) आरंभिक अवधि के पश्चात् मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला निगम का पूर्णकालिक निदेशक होगा :

परंतु यह कि जहां आरंभिक अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त नहीं किया जाता है, वहां अध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति ऐसी समाप्ति की तारीख से ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा ;

(ग) चार से अनधिक प्रबंध निदेशक, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाए, निगम के पूर्णकालिक निदेशक होंगे ;

(घ) भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के केंद्रीय सरकार का एक अधिकारी जिसका नामनिर्देशन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ;

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास बीमांकिक विज्ञान, कारबार प्रबंध, अर्थशास्त्र, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, बीमा, विधि, जोखिम प्रबंधन में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो या किसी अन्य क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, जो केंद्रीय सरकार की राय में निगम के लिए उपयोगी हो या जो पालिसीधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो ;

(च) जहां निगम की समादत्त साधारण पूंजी में केंद्रीय सरकार से भिन्न सदस्यों की कुल धृति :—

(क) दस प्रतिशत से अनधिक है, एक व्यक्ति ;

(ख) दस प्रतिशत से अधिक है, दो व्यक्ति,

जिनका निर्वाचन, बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे सदस्यों द्वारा और ऐसे सदस्यों में से तथा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किया जाएगा ; और

(छ) नौ से अनधिक ऐसी संख्या में स्वतंत्र निदेशक जिनकी नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश की जाए और जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाएं।

(3) निगम के संबंध में निगम का स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्रता के उसी मानदंड को पूरा करेगा जिसकी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक से कंपनी के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (6) के अधीन पूरा करने की अपेक्षा होती है :

परन्तु ऐसा निदेशक, पूर्वोक्त मानदंड के अतिरिक्त, किसी ऐसे मानदंड को भी पूरा करेगा जो अर्हताओं, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के संबंध में नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति विरचित करे :

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी परिस्थितियों में कोई ऐसा परिवर्तन होता है, जो उसकी स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी प्रास्थिति को प्रभावित कर सकता है, एक घोषणा करेगा कि वह इस उपधारा के अधीन स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करता है और वह ऐसी किसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं है जो विद्यमान है या जिसकी युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी बाहरी प्रभाव के बिना उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी योग्यता को क्षीण कर सकती है या प्रभावित कर सकती है।

(4) उपधारा (2) के खंड (च) या खंड (छ) के अधीन बोर्ड द्वारा निदेशक के रूप में कोई नियुक्त व्यक्ति अगली वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक या उस अंतिम तारीख तक जिसको वार्षिक साधारण बैठक आयोजित हो जानी चाहिए थी, इनमें से जो भी पूर्वोक्त हो, अपना पद धारण करेगा और ऐसी तारीख से परे केवल तभी पद धारण करेगा जब उसकी नियुक्ति का अनुमोदन वार्षिक साधारण बैठक में किया जाता है।

(5) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति की निदेशक के रूप में नियुक्ति या नामनिर्देशन से पूर्व, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या नामनिर्देशन या पारिश्रमिक समिति, अपना स्वयं का यह समाधान करेगी कि निदेशक के रूप में ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होगा जिससे उसके द्वारा निदेशक कृत्यों के प्रयोग या उनके पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है :

परन्तु बोर्ड उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक से भिन्न प्रत्येक निदेशक के संबंध में समय-समय पर स्वयं का यह समाधान करेगा कि उसका ऐसा कोई हित नहीं है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसा कोई व्यक्ति, जो या जिसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन या निर्वाचन का प्रस्ताव किया गया है और जिसने निदेशक होने के लिए सहमति दे दी है, ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति या बोर्ड अपेक्षा करे।

(6) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियत तारीख से ही, धारा 4 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति जो धारा 4क के अधीन ऐसी नियत तारीख से ठीक पूर्व निदेशक होने के लिए या निदेशक बने रहने के लिए पात्र है, निगम के सदस्य का पद—

(i) निगम के अध्यक्ष की हैसियत में पद धारण किया है, को उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन निदेशक और अध्यक्ष समझा जाएगा ;

(ii) निगम के प्रबंध निदेशक की हैसियत में पद धारण किया है, को उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन निदेशक और प्रबंध निदेशक समझा जाएगा ;

(iii) और जो भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून केंद्रीय सरकार का कोई अधिकारी है, को उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक समझा जाएगा ;

(iv) और जो ऐसी अवधि के लिए पद पर रहा है जो खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट अन्य सदस्यों से भिन्न सदस्यों में सबसे अधिक अवधि के लिए पद पर रहा है, को उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक समझा जाएगा :

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उसकी निगम के सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय विनिर्दिष्ट पदावधि, यदि कोई हो या तब तक जब तक उपधारा (2) के अधीन ऐसे व्यक्ति के स्थान पर निदेशक की, यथास्थिति, नियुक्ति नहीं की जाती है या नामनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है, पद धारण नहीं कर लेता है, पद धारण करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसी नियत तारीख से पूर्व धारा 4 के अधीन निगम का गठन करने वाले सदस्यों के सामूहिक निकाय का कोई कृत्य या कार्यवाही को, यथास्थिति, बोर्ड का कृत्य या कार्यवाही समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) धारा 2 के खंड (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, “सदस्य” पद से [जैसी वह वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 130 के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान थी] के अधीन गठित निगम में नियुक्त किया गया कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ख) “नियत तारीख” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसको वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 130 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

“4क. कोई व्यक्ति निदेशक होने के लिए या नहीं बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—

निदेशक की
निरर्हताएं ।

(क) वह विकृतचित्त का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ;

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(ग) उसने दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है ;

(घ) उसे न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, चाहे उसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो या अन्यथा और उसके संबंध में छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और दंडादेश के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है :

परन्तु यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और उसके संबंध में सात वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है तो वह निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होगा ;

(ड) उसको निदेशक के रूप में निरर्हित करने वाला आदेश किसी न्यायालय या कंपनी अधिनियम की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा पारित किया गया है ;

(च) उसने, निगम के उसके द्वारा धृत किन्हीं शेयरों के संबंध में किन्हीं मांगों का चाहे एकल रूप या अन्य के साथ संयुक्त रूप से, संदाय नहीं किया है और ऐसी मांग के संदाय के लिए नियत अंतिम दिन से छह मास बीत गए हैं ;

(छ) उसे कंपनी अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन कंपनी का निदेशक होने के कारण कोई निरर्हता लागू होती है, उसके ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ;

(ज) वह धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन व्यक्ति नामनिर्दिष्ट निदेशक से भिन्न कोई वेतन प्राप्त सरकारी पदाधिकारी है ;

(झ) वह कोई बीमा अभिकर्ता या कोई मध्यवर्ती या कोई बीमा मध्यवर्ती है ;

(ञ) वह निगम या उसकी किसी समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के मुख्य कार्यपालक या प्रबंध निदेशक से भिन्न कोई कर्मचारी है ;

(ट) वह निगम की किसी समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक से भिन्न कोई निदेशक है ;

(ठ) वह निगम की समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी या किसी बीमाकर्ता की किसी नियंत्री कंपनी, या समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से भिन्न विश्व में कहीं भी जीवन बीमा कारबार चलाने वाले बीमाकर्ता का कोई कर्मचारी या निदेशक या संप्रवर्तक है ;

(ड) वह बारह मास की अवधि के दौरान बोर्ड से अनुपस्थिति की अनुमति प्राप्त करने के साथ या उसके बिना बोर्ड द्वारा आयोजित सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है :

परन्तु खंड (घ) और खंड (ड) में निर्दिष्ट निरर्हताओं का लागू होना जारी रहेगा भले ही दोषसिद्धि या निरर्हता के आदेश के विरुद्ध कोई अपील या याचिका क्यों न फाइल की गई है ।

4ख. (1) प्रत्येक निदेशक, बोर्ड की पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी पहले से ही किए गए प्रकटनों में कोई परिवर्तन होता है तब वह ऐसे परिवर्तन के पश्चात् आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में, किसी निगमित निकाय में उसके सरोकार या हित, जिसके अंतर्गत शेयर धृति सम्मिलित होगी का ऐसी रीति में प्रकटन करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) प्रत्येक निदेशक, जो किसी भी रूप में चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निगम की किसी ऐसी संविदा या ठहराव या ऐसी प्रस्तावित संविदा या ठहराव, जो किया गया है या किया जाना है, में कोई सरोकार रखता है या हितबद्ध है—

(क) किसी ऐसे निगमित निकाय के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक या किसी अन्य निदेशक के साथ मिलकर ऐसा निदेशक उस निगमित निकाय में दो प्रतिशत से अधिक शेयर धृति धारण करता है या उस निगमित निकाय में संप्रवर्तक, प्रबंधक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या न्यासी है ; या

(ख) किसी फर्म या अन्य अस्तित्व, जिसमें ऐसा निदेशक, यथास्थिति, भागीदार, स्वामी या सदस्य है,

ऐसे बोर्ड या उसकी ऐसी किसी समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी संविदा या ठहराव पर विचार-विमर्श किया जाता है या ऐसी संविदा या ठहराव के संबंध में किसी अन्य विचार-विमर्श या चर्चा में भाग नहीं लेगा और बोर्ड या उसकी समिति की बैठक में विचार-विमर्श की दशा में, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के अपने सरोकार या हित की प्रकृति का प्रकटन करेगा :

परन्तु जहां कोई निदेशक, जो ऐसी संविदा या ठहराव करने के समय इस प्रकार सरोकार नहीं रखता है या हितबद्ध नहीं है, वहां वह यदि संविदा या ठहराव करने के पश्चात् सरोकार रखता है या हितबद्ध नहीं है, तो वह अपना सरोकार रखने के या हितबद्ध होने के तुरंत पश्चात् या उसके इस प्रकार सरोकार रखने के या हितबद्ध होने के पश्चात् आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में अपने सरोकार या हित का प्रकटन करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रकटन किए बिना निगम के साथ की गई संविदा या ठहराव या किसी निदेशक द्वारा, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संविदा या ठहराव में किसी भी प्रकार से सरोकार रखता है या हितबद्ध है, भाग लेने पर निगम के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएगा ।

(4) ऐसे कर्मचारी, जिन्हें बोर्ड निगम का ज्येष्ठ प्रबंधन को गठित करने के रूप में विनिर्दिष्ट करे, बोर्ड को सभी तात्त्विक वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहारों से संबंधित प्रकटन करेंगे, जिनमें उनका ऐसा वैयक्तिक हित है, जिसके निगम के हित के साथ संभावित द्वंद की संभावना हो और बोर्ड ऐसे संव्यवहारों पर, एक नीति तैयार करेगा जिसके अंतर्गत उनके लिए कोई तात्त्विक

निदेशक और
ज्येष्ठ प्रबंधन
द्वारा हित का
प्रकटन ।

अवसीमा सम्मिलित है तथा वह प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार ऐसी रीति का पुनर्विलोकन करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, हित का द्वंद निगम या उसकी किन्हीं समनुषंगियों या सहयुक्त कंपनियों के शेयरों में व्यौहार, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक व्यौहारों से संबंधित है जिनमें ज्येष्ठ प्रबंधन व्यक्ति या उसके नातेदारों की शेयर धृति आदि है।

(5) यदि कोई व्यक्ति, जो निदेशक है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उपधारा (4) में निर्दिष्ट कर्मचारी उस उपधारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी, एक लाख रुपए की धनराशि की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निगम के लिए किसी निदेशक या किसी ऐसे अन्य कर्मचारी जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी कोई संविदा या ठहराव किया है के विरुद्ध संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप उसे हुई किसी हानि की वसूली के लिए कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

स्पष्टीकरण—धारा 4ख और धारा 4ग के प्रयोजनों के लिए, “निगमित निकाय” पद के अंतर्गत कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (11) के अधीन यथापरिभाषित कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई वित्तीय संस्था या कोई अनुसूचित बैंक या किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित पब्लिक सेक्टर उद्यम और व्यक्तियों या व्यष्टियों के निकाय के कोई अन्य निगमित संगम सम्मिलित होंगे।

4ग. (1) बोर्ड की सहमति के बिना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निगम निम्नलिखित के संबंध में किसी संबद्ध पक्षकार के साथ कोई संविदा या ठहराव करेगा—

संबद्ध पक्षकार
संव्यवहार।

(क) किन्हीं माल या सामग्रियों का विक्रय, क्रय या पूर्ति ;

(ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या अन्यथा निपटान या क्रय करना ;

(ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना ;

(घ) किन्हीं सेवाओं का लाभ लेना या देना ;

(ङ) माल, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति का क्रय या विक्रय करने के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति ;

(च) ऐसे संबद्ध पक्षकार की निगम, उसकी समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में किसी पद पर नियुक्ति ; और

(छ) निगम की किन्हीं प्रतिभूतियों या उसके व्युत्पन्नों के अंशदान के लिए हामीदारी:

परन्तु ऐसी कोई संविदा या ठहराव, जिसमें ऐसी धनराशि से अधिक धनराशि अंतर्वलित है, जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, साधारण बैठक में बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कोई सदस्य ऐसी साधारण बैठक में किसी ऐसे संविदा या ठहराव का अनुमोदन करने के लिए मत नहीं देगा, जो निगम द्वारा किया जाए, यदि ऐसा सदस्य संबद्ध पक्षकार है :

परन्तु यह भी कि इस उपधारा में की कोई बात निगम द्वारा ऐसे संव्यवहारों से भिन्न जो सन्निकट आधार पर नहीं है, अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में किए गए किन्हीं संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के अधीन अनुमोदन की अपेक्षा निगम और निम्नलिखित के बीच किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी—

(क) उसके पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी, यदि कोई हो, जिसके वित्तीय विवरण निगम के पास समेकित किए जाते हैं और साधारण बैठक में सदस्यों के समक्ष अंगीकार किए जाने के लिए रखे जाते हैं ;

(ख) किसी सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके बीच हुई संविदा या ठहराव के संबंध में उनका कोई संयोजन ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,—

(क) “पद या लाभ का स्थान” अभिव्यक्ति से कोई ऐसा पद या स्थान अभिप्रेत है,—

(i) जहां ऐसे पद या प्रास्थिति को निदेशक द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसको धारण करने वाला निदेशक उसे निगम से उस पारिश्रमिक के रूप में उस पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई ऐसी चीज प्राप्त करता है जिसका वह निदेशक के रूप में वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धियों, कोई भाटक मुक्त आवास या अन्यथा के रूप में पाने का हकदार है ;

(ii) जहां ऐसा पद या प्रास्थिति निदेशक से भिन्न किसी व्यक्ति या किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसे धारण करने वाला व्यक्ति, फर्म, प्राइवेट कंपनी या निगमित निकाय, निगम से पारिश्रमिक, वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धियों, भाटक मुक्त आवास या अन्यथा के रूप में प्राप्त करता है ;

(ख) “संनिकट संव्यवहार” पद से दो संबद्ध पक्षकारों के बीच ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है, जिसको इस प्रकार किया गया हो मानो वे संबद्ध न हों जिससे वहां कोई हित का टकराव नहीं होता हो ।

(2) बोर्ड संबंधित पक्षकार संव्यवहारों की तात्त्विकता और संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के साथ व्यवहार करने संबंधी, एक नीति तैयार करेगा जिसके अंतर्गत स्पष्ट अवसीमाएं हैं और ऐसी नीति का प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करेगा और उसे अद्यतन करेगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार को तात्त्विक माना जाएगा यदि किए जाने वाले संव्यवहार की रकम व्यक्तिगत रूप से या किसी वित्त वर्ष के दौरान किए गए पूर्व संव्यवहारों को एक साथ मिलाकर उसके अंतिम बार संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निगम के वार्षिक, समेकित आवर्त के ऐसे प्रतिशत से अधिक होती है, जो इस निमित्त प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी विनियम में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक संविदा या ठहराव ऐसी संविदा या ठहराव करने के लिए न्यायोचित्य के साथ सदस्यों को बोर्ड द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) जहां कोई संविदा या ठहराव किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा बोर्ड की सहमति अभिप्राप्त किए बिना या उपधारा (1) के अधीन साधारण बैठक में संकल्प द्वारा अनुमोदन के बिना किया जाता है और यदि, उसका, यथास्थिति, बोर्ड या सदस्यों द्वारा उस तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, जिसको ऐसी संविदा या ठहराव किया गया था, अनुसमर्थन नहीं किया जाता है, तो ऐसी संविदा या ठहराव, यथास्थिति, बोर्ड या सदस्यों के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा और यदि संविदा या ठहराव किसी निदेशक के संबद्ध

पक्षकार के साथ किया जाता है या उसे किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तो संबंधित निदेशक निगम को उसके द्वारा उपगत किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम को, किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध, जिसने ऐसी संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप उसे हुई किसी हानि की वसूली के लिए इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी किसी संविदा या ठहराव के लिए कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

(6) निगम का कोई निदेशक या कोई अन्य कर्मचारी, जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई संविदा या ठहराव किया था या उसे प्राधिकृत किया था, पच्चीस लाख रुपए तक की धनराशि की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।

4घ. (1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को या उसके समतुल्य व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

शास्तियों का
न्यायनिर्णयन।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में की गई शिकायत पर और सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात्, आदेश द्वारा शास्ति के लिए दायी किसी निदेशक या कर्मचारी पर उसकी ओर से किए गए किसी अतिलंघन या उल्लंघन के मद्दे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(3) किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते हुए किसी व्यक्ति को समन करने के लिए और उसे हाजिर कराने के लिए तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करने के लिए और दस्तावेजों या अन्य इलेक्ट्रानिकी अभिलेखों का प्रकटन और उन्हें पेश करने की अपेक्षा करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

1908 का 5

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई निदेशक या कर्मचारी केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी को जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की पंक्ति से उच्चतर पंक्ति का हो जैसा केन्द्रीय सरकार अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की उस तारीख से जिसको व्यथित आदेश को व्यष्टि द्वारा प्रति प्राप्त होती है तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त अधिकारी व्यष्टि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अपील किए गए आदेश की पुष्टि, उपांतरित या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे या न्यायनिर्णायक अधिकारी को ऐसे निदेशों के साथ, जो वह ठीक समझे, मामले को निपटान के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा।

(5) जब निगम का निदेशक या कर्मचारी, जो पहले से ही इस अधिनियम के उपबंधों के किन्हीं उल्लंघन या अतिलंघन के लिए इस अधिनियम के अधीन शास्ति का भागी रहा है, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पुनः ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा उल्लंघन या अतिलंघन करता है तो वह दूसरे या पश्चात्त्वर्ती उल्लंघन या अतिलंघन के लिए उसके लिए उपबंधित शास्ति की दुगुनी रकम के लिए दायी होगा।

131. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 5 के स्थान
पर, नई धारा का
प्रतिस्थापन।

'5. (1) निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी पच्चीस हजार करोड़ रुपए होगी जो दस रुपए प्रत्येक के दो हजार पांच सौ करोड़ शेयरों में विभाजित की जाएगी :

निगम की पूंजी।

परन्तु केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत शेयर पूंजी की वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 131 के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व निगम की समादत्त पूंजी की रकम से अन्यून ऐसी रकम में वृद्धि या कमी कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे :

परन्तु यह और कि निगम, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, शेयरों के अभिहित या अंकित मूल्य का समेकन या उसमें कमी कर सकेगी, प्राधिकृत शेयर पूंजी को साधारण शेयर पूंजी या साधारण और अधिमानी शेयर पूंजी के संयोजन में विभाजित कर सकेगी और शेयरों के अभिहित या अंकित मूल्य को ऐसे मूल्य में विभाजित कर सकेगी, जो निगम विनिश्चय करे।

(2) निगम, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से केंद्रीय सरकार द्वारा निगम को उपबंधित समादत्त साधारण पूंजी के प्रतिफलस्वरूप वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 131 के प्रारंभ होने से पूर्व साम्या शेयर जारी करेगा।

(3) निगम की शेयर पूंजी साम्या शेयरों और अधिमानी शेयरों से मिलकर बनेगी जो पूर्णतः संदत्त या भागतः संदत्त हो सकेंगे :

परन्तु बोर्ड, भागतः समादत्त शेयरों और ऐसे भागतः समादत्त शेयरों के संदाय की मांग के निबंधनों को अवधारित कर सकेगा।

(4) निगम, समय-समय पर केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपनी जारी की गई शेयर पूंजी को चाहे, पब्लिक इश्यू या राइट्स इश्यू या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या साधारण शेयर धृत करने वाले विद्यमान सदस्यों को बोनस शेयरों के निर्गम या शेयर आधारित कर्मचारी फायदा स्कीमों के अनुसरण में कर्मचारियों को शेयर जारी करके या निगम के जीवन बीमा पालिसी धारकों को शेयर जारी करके या अन्यथा बढ़ा सकेगा :

परन्तु केंद्रीय सरकार पूर्णतः तनुकृत आधार पर,—

(क) सभी समयों पर इक्यावन प्रतिशत से अन्यून निगम की निर्गमित साधारण पूंजी को धारण करेगी ;

(ख) केंद्रीय सरकार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को शेयरों के प्रथम निर्गमन की तारीख को पांच वर्ष की अवधि के दौरान, निगम को जारी की गई साधारण शेयर पूंजी कम से कम पचहत्तर प्रतिशत से धारण करेगी :

परन्तु कोई शेयर राइट्स इश्यू के रूप में से भिन्न तब तक जारी नहीं किए जाएंगे, जब तक विशेष संकल्प द्वारा, ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, जहां धारा 23क की उपधारा (1) के दूसरे और तीसरे परंतुक के उपबंध लागू होते हैं, प्राधिकृत न किया जाए :

परन्तु यह भी कि निगम के जीवन बीमा पालिसी धारकों को शेयरों का जारी करना अधिमानी आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से नहीं किया जाएगा।

(5) जहां निगम प्रीमियम पर चाहे नकदी के लिए या अन्यथा शेयरों का निर्गमन करता है, वहां उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल रकम के समतुल्य धनराशि को शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किया जाएगा और उपधारा (6) में यथाउपबंधित के सिवाय उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो शेयर प्रीमियम खाता निगम की समादत्त शेयर पूंजी हो।

(6) निगम उपयोजन द्वारा उपधारा (5) में निर्दिष्ट शेयर प्रीमियम खाते का निम्नलिखित के लिए,—

(क) निगम के सदस्यों को जारी करने, पूर्णतया समादत्त बोनस शेयरों के रूप में अनिर्गमित शेयरों के लिए ;

(ख) निगम के शेयरों या डिबेंचरों के किसी निर्गमन के व्ययों को या इन पर संदत्त कमीशन या उस पर अनुज्ञात बट्टे को अपलिखित करने में ;

(ग) निगम के किन्हीं मोचनीय अधिमानी शेयरों के या किन्हीं डिबेंचरों या किन्हीं प्रतिभूतियों के मोचन पर संदेय प्रीमियम का उपबंध करने में ; या

(घ) उसके स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के क्रय के लिए, उपयोजन किया जा सकेगा।

(7) निगम, विशेष संकल्प द्वारा अपने समादत्त साधारण शेयर पूंजी को निम्नलिखित रीति में कम कर सकेगा :—

(क) निगम द्वारा आशयित कटौती की प्रत्येक सदस्य और लेनदारों के ऐसे वर्ग या वर्गों को पूर्व सूचना, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) समिति का गठन ऐसे अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या अधिकरण का अध्यक्ष रहा है और ऐसे दो से अनधिक स्वतंत्र विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी जिन्हें बोर्ड उन अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के लिए जो आशयित कटौती के संबंध में खंड (क) में निर्दिष्ट सदस्यों और लेनदारों द्वारा किए जाएं और बोर्ड को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने लिए नियुक्त करे ; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा कटौती के लिए सूचना में दिए गए अनुसार या ऐसे उपांतरणों सहित, जैसा बोर्ड आवश्यक समझे, केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए सिफारिशें करना।

(8) निगम, उपधारा (7) के अधीन शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपनी साधारण शेयर पूंजी को—

(क) ऐसी असमादत्त शेयर पूंजी के संबंध में, अपने साधारण शेयरों पर किसी दायित्व को निर्वापित करके या कम करके ; या

(ख) अपने ऐसे किन्हीं समादत्त साम्या शेयरों, ऐसे किसी समादत्त साधारण शेयर पूंजी के संबंध में किसी दायित्व को निर्वापित करके या कम करके या किए बिना रद्द करना, जो या तो खो गए हैं या किन्हीं उपलब्ध आस्तियों द्वारा उन्हें व्यपदिष्ट नहीं किया गया है ; या

(ग) अपने किन्हीं समादत्त साम्या शेयरों, किसी समादत्त साम्या शेयर पूंजी के संबंध में किसी दायित्व को निर्वापित करके या कम करके या किए बिना चुकाना, जो निगम की मांग से अधिक हों।

(9) तत्समय किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) व्यक्तियों के ऐसे विभिन्न प्रवर्गों के संबंध में, जिनके पक्ष में कोई निर्गमकर्ता प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर, किसी पब्लिक इश्यू के संबंध में, आरक्षण कर सकेगा, वहां निगम वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 131 के प्रारंभ होने से पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय, अपने जीवन बीमा पालिसी धारकों के पक्ष में, इश्यू की राशि में से प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दस प्रतिशत की सीमा तक ऐसे पब्लिक इश्यू के लिए आरक्षित प्रवर्गों में से एक के रूप में आरक्षण कर सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी पालिसी धारक को साधारण शेयरों के आबंटन का मूल्य दो लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से अधिक नहीं होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु यह और कि पालिसी धारक के आरक्षित भाग में न्यून अभिदाय की दशा में, न्यून अभिदाय भाग पहले परन्तुक में निर्दिष्ट मूल्य से अधिक किसी पालिसी धारक को कुल आबंटन जो पांच लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से अधिक नहीं होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, आनुपातिक आधार पर आबंटित किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे पालिसी धारकों को, जिनके पक्ष में इस उपधारा के अधीन कोई आरक्षण किया गया है, ऐसी कीमत पर शेयरों की प्रस्थापना की जा सकेगी, जो उस कीमत, जिस पर आवेदकों के अन्य प्रवर्ग को लोक साधारण की शुद्ध प्रस्थापना की जाती है, का दस प्रतिशत अधिक कीमत से कम नहीं होगी ;

(ख) लोक साधारण के लिए प्रारंभिक प्रस्थापना के माध्यम से पब्लिक इश्यू के संबंध में, संप्रवर्तक के न्यूनतम अभिदाय की संगणना के लिए अपात्रता के संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा धारित निगम के सभी साम्या शेयरों, जिनके अंतर्गत ऐसी पब्लिक प्रस्थापना के खुलने से पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि के दौरान अर्जित सभी शेयर भी हैं, जो किसी बोनस इश्यू या अन्यथा के पारिणामिक हैं, ऐसी संगणना के लिए पात्र होंगे ;

(ग) लोक साधारण के लिए प्रारंभिक प्रस्थापना के माध्यम से पब्लिक इश्यू के संबंध में, लोक साधारण को विक्रय के लिए ऐसे शेयरों की प्रस्थापना हेतु शर्त के रूप में न्यूनतम धृति अवधि के लिए विक्रेताओं द्वारा समादत्त साम्या शेयर को धारण करने की अपेक्षा करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा धारित निगम के सभी पूर्णतया समादत्त साधारण शेयर विक्रय हेतु ऐसी प्रस्थापना के लिए पात्र होंगे :

परन्तु प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी विनियम के अधीन रहते हुए निगम द्वारा आस्तियों के पुनःमूल्यांकन के प्रति या पुनःमूल्यांकन आरक्षितियों के उपयोजन द्वारा, या वसूल न किए गए लाभों से जारी शेयर, संप्रवर्तक के न्यूनतम अभिदाय की संगणना के लिए और आरंभिक लोक साधारण प्रस्थापना के माध्यम से पब्लिक इश्यू के संबंध में विक्रय की प्रस्थापना के लिए पात्र नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—उन शब्दों और पदों का जो इस उपधारा में प्रयुक्त हैं, जिन्हें इस अधिनियम में या बीमा अधिनियम या कंपनी अधिनियम में परिभाषित नहीं है, उस सीमा तक जो इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध नहीं है क्रमशः वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा पूंजी के निर्गम और प्रकटन अपेक्षाओं के संबंध में बनाए गए विनियमों में उनका है ।

(10) निगम अपने कारबार की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु निधियों को जुटाने के प्रयोजन के लिए बंधपत्रों, डिबेंचरों, टिप्पणों, वाणिज्यिक कागजों और अन्य ऋण लिखतों सहित अन्य प्रतिभूतियों को जारी कर सकेगा ।

शेयरों की
अंतरणीयता ।

5क. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निगम के शेयर निर्मुक्त रूप से अंतरणीय होंगे :

परन्तु शेयरों के अंतरण के संबंध में दो या अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया कोई ठहराव संविदा के रूप में प्रवर्तनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, केंद्रीय सरकार को उसके द्वारा निगम में धारित किन्हीं शेयरों का अंतरण करने के लिए हकदार नहीं बनाएगी यदि ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप, उसके द्वारा धारित शेयर पूर्णतया तनुकृत आधार पर, निगम की निर्गमित साधारण शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम रह जाएंगे ।

(3) केंद्रीय सरकार से भिन्न कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति रूप से या ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्य गति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ या संघटकों के समूह के साथ निगम की प्रोद्भूत साम्या शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक या ऐसे उच्चतर प्रतिशत में, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, साम्या शेयर धारण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

2003 का 12

(क) “समूह” पद का वही अर्थ होगा, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में उसका है ;

(ख) “सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों” पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा शेयरों के अर्जन और प्रबंध ग्रहण करने के संबंध में बनाए गए विनियमों में उसका है ।

5ख. (1) निगम ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा, अर्थात् :—

सदस्यों का
रजिस्टर, आदि ।

(क) सदस्यों का रजिस्टर, जिसमें भारत में या भारत से बाहर निवास करने वाले प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित साधारण और अधिमानी शेयरों के प्रत्येक वर्ग को पृथक् रूप से उपदर्शित किया जाएगा ;

(ख) डिबेंचर धारकों का रजिस्टर ; और

(ग) किसी अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए रखे गए प्रत्येक रजिस्टर में उसमें सम्मिलित नामों की अनुक्रमणिका सम्मिलित होगी ।

1996 का 22

(3) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अधीन किसी निक्षेपागार द्वारा बनाए रखे गए फायदाग्राही स्वामियों का रजिस्टर और अनुक्रमणिका को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्समानी रजिस्टर और अनुक्रमणिका समझा जाएगा ।

(4) किसी न्यास का कोई नोटिस, चाहे वह स्पष्ट, विवक्षित या रचनात्मक हो, सदस्यों के रजिस्टर से प्रविष्ट नहीं किया जाएगा या वह निगम द्वारा प्राप्य नहीं होगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी निक्षेपागार को, फायदाग्राही स्वामियों की ओर से रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 5ग के प्रयोजनों के लिए, “फायदाग्राही स्वामी”, “निक्षेपागार” और “रजिस्ट्रीकृत स्वामी” पदों का वही अर्थ होगा, जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के क्रमशः खंड (क), खंड (ड) और खंड (ज) में उनका है ।

1996 का 22

5ग. (1) जहां किसी व्यक्ति के नाम को निगम के सदस्यों के रजिस्टर में निगम में शेयरों के धारक के रूप में प्रविष्ट किया गया है किंतु जो ऐसे शेयरों में फायदाग्राही हित धारण नहीं करता है तो वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 89 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए, निगम को एक घोषणा करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी, जो ऐसे शेयरों में फायदाग्राही हित को धारण करता है ।

शेयरों में
फायदाग्राही हित
के संबंध में
घोषणा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो निगम के शेयरों में कोई फायदाग्राही हित धारण करता है या उसका अर्जन करता है, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 89 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए, निगम को एक घोषणा करेगा, जिसमें उसके हित की प्रकृति, उस व्यक्ति की विशिष्टियां, जिसके नाम पर निगम की बहियों में शेयर रजिस्ट्रीकृत है और ऐसी अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी, जो उक्त धारा के अधीन विहित की जाएं ।

(3) जहां निगम के शेयरों में फायदाग्राही हित में कोई परिवर्तन होता है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट फायदाग्राही स्वामी, ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, निगम को ऐसे प्ररूप में और ऐसी

विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए, जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 89 के अधीन विहित किया जाए, एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(4) ऐसे किसी शेयर, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन कोई घोषणा करना अपेक्षित है किंतु जिसे फायदाग्राही स्वामी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, के संबंध में कोई भी अधिकार, उसके द्वारा या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी शेयर में फायदाग्राही हित के अंतर्गत प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, किसी संविदा, ठहराव के माध्यम से या अन्यथा किसी अकेले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के साथ निम्नलिखित करने का कोई अधिकार या हकदारी भी होगी,—

(क) ऐसे शेयर से जुड़े किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करना या प्रयोग करवाना ; या

(ख) ऐसे शेयर के संबंध में किसी लाभांश या किसी अन्य संवितरण को प्राप्त करना या उसमें भाग लेना।

(6) कोई व्यक्ति, जो अकेले या इकट्ठे कार्य करते हुए या एक या अधिक व्यक्तियों के माध्यम से निगम के शेयरों में पच्चीस प्रतिशत या किसी ऐसे अन्य प्रतिशत, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 90 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए, फायदाग्राही हितों को धारण करता है या प्रयोग करने के अधिकार या निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् “महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामी” कहा गया है) पर कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (27) में यथा परिभाषित किसी महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण का वास्तविक रूप में प्रयोग करता है, ऐसी रीति में और फायदाग्राही हित या अधिकारों के अर्जन और उनके किसी परिवर्तन की ऐसी अवधि के भीतर, जो कंपनी अधिनियम की धारा 90 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित की जाए, निगम को एक घोषणा करेगा।

(7) निगम उपधारा (6) के अधीन व्यष्टियों द्वारा घोषित हित और उसमें हुए परिवर्तनों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें व्यष्टि का नाम, उसकी जन्म-तिथि, पता, निगम में उसके स्वामित्व के ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे सम्मिलित होंगे, जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 90 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए।

शेयरों का प्रतिभूतियां होना।

5घ. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम के शेयरों को अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित प्रतिभूतियों के रूप में समझा जाएगा।

1956 का 42

रजिस्ट्रीकृत सदस्यों का नामांकन करने का अधिकार।

5ड. (1) प्रत्येक व्यष्टि रजिस्ट्रीकृत सदस्य, किसी भी समय, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे किसी व्यष्टि को नामांकित कर सकेगा, जिसमें ऐसे सदस्य की मृत्यु की दशा में शेयरों में उसके सभी अधिकार निहित हो जाएंगे।

(2) जहां शेयर एक या अधिक व्यष्टि के नाम में संयुक्त रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं, वहां संयुक्त धारक इकट्ठे ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे किसी व्यष्टि को नामांकित कर सकेंगे, जिसमें ऐसे सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में शेयरों में उनके सभी अधिकार निहित हो जाएंगे।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी विन्यास में, चाहे वह वसीयती या अन्यथा हो, जहां शेयरों के संबंध में कोई नामांकन किया जाता है और जो नामनिर्देशिती में शेयरों के निहित करने के अधिकार को प्रदत्त किया जाना तात्पर्यित है वहां ऐसा नामनिर्देशिती, यथास्थिति, सदस्य की मृत्यु या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु पर, यथास्थिति, सदस्य या सभी संयुक्त धारकों के ऐसे शेयरों के संबंध में सभी अधिकारों का हकदार बन जाएगा और अन्य सभी व्यक्तियों को तब तक विवर्जित किया जाएगा जब तक

कि नामनिर्देशन को नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में परिवर्तित या रद्द न कर दिया जाए।

(4) जहां नामनिर्देशिनी अप्राप्तवय है वहां शेयरों के रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह नामनिर्देशन द्वारा ऐसी रीति में, जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी व्यक्ति को इस रूप में नामनिर्देशित कर सके, जो उसकी मृत्यु की दशा में नामनिर्देशन व्यक्ति की अल्पवयता के दौरान शेयरों का हकदार होगा।

132. मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 19 का प्रतिस्थापन।

“19. (1) बोर्ड, बोर्ड की एक कार्यपालक समिति का गठन कर सकेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

कार्यपालक समिति।

(i) अध्यक्ष ;

(ii) प्रबंध निदेशक ;

(iii) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक ; और

(iv) चार निदेशक, जिन्हें बोर्ड द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) बोर्ड की कार्यपालक समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो बोर्ड उसे सौंपे।

19क. बोर्ड, निगम की निधियों के विनिधान से संबंधित ऐसे कृत्यों के लिए, जिन्हें बोर्ड उसे सौंपे, बोर्ड की विनिधान समिति का गठन करेगा, जो मुख्य कार्यपालक और सात से अनधिक अन्य निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिसमें से कम से कम दो निदेशक धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन नियुक्त निदेशकों से भिन्न होंगे :

विनिधान समिति।

परन्तु निगम के ऐसे अधिकारियों, जो वित्त, जोखिम, विनिधान और विधि से संबंधित कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही उसके नियुक्त बीमांकक को भी समिति की प्रत्येक बैठक में आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें बैठक में सुनवाई का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 24ख के प्रयोजनों के लिए, “नियुक्त बीमांकक” से ऐसा बीमांकक अभिप्रेत है, जिसे नियुक्त किए गए बीमांकक के संबंध में बीमा अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बीमांककों के संबंध में बनाए गए विनियमों के अधीन निगम द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया है।

19ख. (1) बोर्ड, बोर्ड की नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा, जो तीन या अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी, जो धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नियुक्त किए गए निदेशकों से भिन्न निदेशकों में से होंगे और जिनमें से कम से कम आधे ऐसे किसी समय पर स्वतंत्र निदेशकों में से होंगे, जब कार्यालय में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या समिति की सदस्यता के ऐसे अनुपात को गठित करने के लिए पर्याप्त हो :

नामांकन और पारिश्रमिक समिति।

परन्तु अध्यक्ष को नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा किंतु वह समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि निगम द्वारा प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन अपने साधारण शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन की दशा में, निगम यह सुनिश्चित करेगा कि नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति में स्वतंत्र निदेशकों का समानुपात इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित अपेक्षाओं के अनुसार होगा।

(2) नामांकन और पारिश्रमिक समिति,—

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ड), खंड (च) और खंड (छ) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले निदेशक की अर्हताएं, उनके सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता का अवधारण करने के लिए मानदंडों को तैयार करेगी ;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार ऐसे व्यष्टियों की पहचान करेगी, जो उस रूप में निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हैं :

परन्तु व्यष्टियों की पहचान करते समय समिति धारा 19ग की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अपेक्षाओं का सम्यक्तः ध्यान रखेगी ;

(iii) बोर्ड को ऐसे किसी व्यष्टि की नियुक्ति और उसे हटाए जाने के संबंध में अपनी सिफारिशें करेगी और अपने कार्यपालन का मूल्यांकन करेगी ; और

(iv) बोर्ड को, धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ड) या खंड (च) और खंड (छ) के अधीन नामनिर्देशित या नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों को आसीन फीस के रूप में संदेय राशि से संबंधित नीति की ऐसी सीमा से अनधिक ऐसी फीस के अध्यक्षीन सिफारिश करेगी, जो कंपनी अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के निदेशक को संदेय आसीन फीस के संबंध में लागू होती है।

संपरीक्षा समिति।

19ग. (1) बोर्ड, बोर्ड की संपरीक्षा समिति का गठन करेगा, जो न्यूनतम तीन निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिसमें उस समय स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा, जब कार्यालय में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या संपरीक्षा समिति की सदस्यता के ऐसे अनुपात में गठन करने के लिए पर्याप्त हो :

परन्तु संपरीक्षा समिति में अधिकांश निदेशक, जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है, ऐसे व्यष्टि होंगे, जिनके पास वित्तीय विवरणों का परिशीलन करने और उन्हें समझने का सामर्थ्य हो और कम से कम एक व्यष्टि के पास लेखांकन या संबद्ध वित्तीय प्रबंध में विशेषज्ञता होगी :

परंतु यह और कि निगम द्वारा प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी विनियम के अधीन अपने साम्या श्रेयों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करने की दशा में, निगम यह सुनिश्चित करेगा कि संपरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों का समानुपात इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित अपेक्षाओं के अनुसार होगा।

(2) संपरीक्षा समिति, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देश निबंधनों के अनुसार कार्य करेगी, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) निगम के संपरीक्षकों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों के संबंध में सिफारिशें करने ;

(ख) संपरीक्षकों की स्वतंत्रता और उनके कार्यपालन तथा संपरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन और मानीटरी करने ;

(ग) वित्तीय विवरणों की समीक्षा और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करने ;

(घ) निगम के संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए संव्यवहारों का पूर्वानुमोदन करना :

परन्तु संपरीक्षा समिति उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए निगम द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के लिए बहु-प्रयोजनीय अनुमोदन कर सकेगी :

परन्तु यह और कि धारा 4ग में निर्दिष्ट संव्यवहारों से भिन्न किसी संव्यवहार की दशा में और जहां संपरीक्षा समिति संव्यवहार का अनुमोदन नहीं करती है, वहां वह इस संबंध में बोर्ड को अपनी सिफारिशें करेगी :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी संव्यवहार की दशा में, जिसमें अंतर्वर्तित कोई रकम एक करोड़ रुपए से अनधिक है, जिसे निगम के किसी निदेशक या अधिकारी द्वारा संपरीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया है और जिसे संपरीक्षा द्वारा संव्यवहार की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अनुसमर्थित नहीं किया गया है, वहां ऐसा संव्यवहार निगम के विकल्प पर संपरीक्षा समिति के अनुमोदन से शून्यकरणीय होगा और यदि ऐसा संव्यवहार किसी निदेशक के संबद्ध पक्षकार के साथ किया गया है या किसी अन्य निदेशक द्वारा उसे प्राधिकृत किया गया है तो संबद्ध निदेशक, निगम की उसके द्वारा उपगत किसी हानि के प्रति क्षतिपूर्ति करेगा ;

(ड) अंतर-निगम ऋणों और विनिधानों की संवीक्षा करने ;

(च) निगम के उपक्रमों या उसकी आस्तियों का मूल्यांकन करना, जहां-कहीं आवश्यक हो ;

(छ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंध प्रणालियों का मूल्यांकन करना ;

(ज) पब्लिक प्रस्थापनाओं और संबद्ध विषयों के माध्यम से जुटाई गई निधियों के अंत्य उपयोग की मानीटरी करना ।

(3) संपरीक्षा समिति निगम द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में बहुप्रयोजन अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) संपरीक्षा समिति धारा 4ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट पालिसी के अनुरूप बहुप्रयोजन अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानदंड अधिकथित करेगी जिसमें ऐसे संव्यवहारों के संबंध में अनुमोदन भी है, जो पुनरावृत्ति की प्रकृति का है ;

(ख) संपरीक्षा समिति स्वयं का यह समाधान करेगी कि बहुप्रयोजन अनुमोदन की आवश्यकता है और ऐसा अनुमोदन निगम के हित में है ;

(ग) बहुप्रयोजन अनुमोदन निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करेगा, अर्थात् :—

(i) संबंधित पक्षकार के नाम और प्रकृति, कालावधि के संबंध में ब्यौरे और ऐसे संव्यवहारों की अधिकतम रकम जो विहित किए जाएंगे ;

(ii) उपदर्शक आधारीक मूल्य या कीमत में परिवर्तन के लिए फार्मूला, यदि कोई हो, चालू संविदा की, की गई कीमत ; और

(iii) ऐसी अन्य शर्तें, जो संपरीक्षा समिति उचित समझे :

परंतु जहां संबंधित पक्षकार संव्यवहार की आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है तथा उक्त ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां संपरीक्षा समिति ऐसे संव्यवहारों के लिए उनके प्रतिस्व्यवहार मूल्य के एक करोड़ रुपए से अनधिक होने की शर्त के अधीन रहते हुए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान कर सकेगी ;

(घ) संपरीक्षा समिति कम से कम त्रैमासिक आधार पर दिए गए प्रत्येक बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अनुसरण में निगम द्वारा किए गए संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के ब्यौरों का पुनर्विलोकन करेगी ; और

(ङ) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा और एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नए अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

(4) संपरीक्षा समिति, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, संपरीक्षा की परिधि, जिसके अंतर्गत संपरीक्षकों द्वारा किए गए संप्रेक्षण भी सम्मिलित हैं और वित्तीय विवरणों के

पुनर्विलोकन पर बोर्ड को उन्हें प्रस्तुत किए जाने से पूर्व संपरीक्षकों की टीका-टिप्पणियों की मांग कर सकेगी तथा वह संपरीक्षकों और निगम के प्रबंधन के साथ किन्हीं संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा कर सकेगी।

(5) संपरीक्षा समिति के पास उपधारा (2) में निर्दिष्ट मदों के संबंध में किसी विषय या बोर्ड द्वारा उसे विनिर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए, उसके पास बाह्य स्रोतों से वृत्तिक सलाह अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी और उसके पास निगम के अभिलेखों में अंतर्विष्ट जानकारी तक पूर्ण पहुंच होगी।

(6) निगम के संपरीक्षकों और ऐसे मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, जिन्हें बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, के पास संपरीक्षा समिति की बैठकों में उस समय सुनवाई का अधिकार होगा जब वह संपरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करें।

अन्य समितियां।

19घ. बोर्ड, बोर्ड ऐसी अन्य समितियों का गठन कर सकेगा, जिन्हें वह ऐसे विषयों पर, जो उसे साधारणतया या विशेष रूप से निर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो बोर्ड उन्हें सौंपे, के संबंध में सलाह देना उचित समझे।

धारा 20 का
प्रतिस्थापन।

133. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अध्यक्ष और प्रबंध
निदेशक।

“20. (1) मुख्य कार्यपालक को, बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन रहते हुए निगम के संपूर्ण कार्यों के संबंध में प्रबंधन की सारवान् शक्तियां सौंपी जाएंगी।

(2) मुख्य कार्यपालक निगम के कार्यकलापों के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो बोर्ड समय-समय पर उसे सौंपे और इस प्रयोजन के लिए वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो बोर्ड द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं :

परन्तु बोर्ड, मुख्य कार्यपालक को अपने ऐसे कर्तव्यों और शक्तियों को सौंप सकेगा या उन्हें प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(3) प्रत्येक प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो बोर्ड द्वारा या मुख्य कार्यपालक द्वारा उपधारा (2) के अधीन उसे सौंपी या प्रत्यायोजित की जाएं।”

धारा 22 का
संशोधन।

134. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(i) उपधारा (1) में, “उस व्यक्ति को दे सकेगा, जो चाहे सदस्य हो या नहीं हो, तथा” शब्दों के स्थान पर, “किसी पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न निगम के किसी कर्मचारी को दे सकेगा, तथा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

नई धारा 23क
का अंतःस्थापन।

135. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वार्षिक साधारण
बैठक और अन्य
साधारण बैठकें।

“23क. (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे समय पर, जिसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, निगम के केंद्रीय कार्यालय में या भारत में ऐसे अन्य स्थान पर, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार बोर्ड की सिफारिशों पर अनुमति प्रदान करे, सदस्यों की एक साधारण वार्षिक बैठक या अन्य साधारण बैठक आयोजित की जाएगी :

परन्तु निगम की एक वार्षिक साधारण बैठक की तारीख और अगली वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के बीच पन्द्रह मास से अधिक का अंतराल नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई साधारण बैठक केवल तब आयोजित की जाएगी जब निगम में केंद्रीय सरकार से भिन्न ऐसे सदस्य हों, जो मत देने के हकदार हैं :

परन्तु यह भी कि जब तक प्रथम वार्षिक साधारण बैठक या अन्य साधारण बैठक आयोजित नहीं की जाती है तब तक बोर्ड ऐसी बैठक में निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी कृत्यों का पालन करेगा।

(2) वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे—

(क) धारा 24ख में यथानिर्दिष्ट निगम के वित्तीय विवरणों और धारा 25ख में यथानिर्दिष्ट संपरीक्षक रिपोर्ट, जिसके साथ धारा 24ग में यथा निर्दिष्ट बोर्ड की रिपोर्ट भी लगी होगी, के संबंध में विचार-विमर्श करने और ऐसे सभी अन्य दस्तावेजों के, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है, साथ वित्तीय विवरणों को अंगीकृत करने ;

(ख) धारा 27 के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने और उसे अंगीकृत करने ;

(ग) धारा 28ख की उपधारा (1) के अधीन लाभांश की घोषणा का अनुमोदन करने ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन निदेशकों की नियुक्ति का अनुमोदन करने ;

(ङ) धारा 25 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन संपरीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करने और धारा 25 की उपधारा (7) के अधीन उनके पारिश्रमिक को नियत करने।

(3) प्रत्येक सदस्य वैयक्तिक रूप से या किसी परोक्षी के माध्यम से या किसी सम्यक् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से साधारण बैठक में भाग लेने का हकदार होगा :

परन्तु प्रत्येक निदेशक वैयक्तिक रूप से या इलैक्ट्रानिक माध्यम से साधारण बैठक में भाग लेने का हकदार होगा :

परन्तु यह और कि किसी साधारण बैठक की सभी सूचनाओं और उससे संबंधित अन्य सूचनाओं को निगम के लिए नियुक्त संपरीक्षक को अग्रेषित किया जाएगा और ऐसा संपरीक्षक, जब तक कि उसे निगम द्वारा छूट प्रदान न की जाए, या तो वैयक्तिक रूप से या ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जो संपरीक्षक के रूप में अर्हित है, किसी साधारण बैठक में भाग लेगा और उसे ऐसी बैठक में कारबार के ऐसे किसी भाग के संबंध में, जिससे वह संपरीक्षक के रूप में संबंध रखता है, सुनवाई का अधिकार होगा।

(4) कोई सदस्य, जो मत डालने के लिए हकदार है, किसी साधारण बैठक में या तो वैयक्तिक रूप से या परोक्षी के माध्यम से या किसी सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपने मत का प्रयोग कर सकेगा।

(5) किसी साधारण बैठक में भाग लेने और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार व्यक्ति इलैक्ट्रानिक माध्यमों से भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे और बैठक में भाग लेने और मतदान करने की रीति वह होगी, जिसे विहित किया जाए।

(6) अध्यक्ष की अभिव्यक्त सहमति के बिना, वार्षिक साधारण बैठक में तब तक उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न किसी कारबार के संबंध में संव्यवहार या चर्चा नहीं की जाएगी जब तक कि उसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा या बैठक में मताधिकार रखने वाले न्यूनतम सौ सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को इस संबंध में कम से कम छह सप्ताह पूर्व कोई सूचना न दे दी जाए :

परन्तु ऐसी कोई सूचना एक निश्चित संकल्प के रूप में होगी, जिसे बैठक के समक्ष रखा जाएगा और यह कि ऐसे संकल्प को बैठक की सूचना को सम्मिलित किया जाएगा।

(7) अध्यक्ष की सहमति के बिना, साधारण बैठक में उस कारबार से भिन्न किसी कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा या किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी, जिसके लिए साधारण बैठक को बुलाया गया है।

(8) साधारण बैठक में तब तक कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी और उसमें तब तक कोई कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्य ऐसी गणपूर्ति का गठन न करें, जिसे विहित किया जाए :

परन्तु जहां गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक नहीं की जा सके, वहां उसे स्थगित किया जा सकेगा और उसे ऐसी रीति में आयोजित किया जा सकेगा, जो विहित की जाए।

(9) निगम साधारण बैठक की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तकों में करवाएगा।”।

धारा 24 का
प्रतिस्थापन।

निगम की
निधियां।

136. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

‘24. (1) निगम की अपनी स्वयं की निधि या निधियां होंगी, उनमें निगम की सभी प्राप्तियों को जमा किया जाएगा और निगम द्वारा किए जाने वाले सभी संदायों को उनमें से ही किया जाएगा :

परन्तु बोर्ड, निगम की निधियों में से किसी निधि या अन्यथा के संबंध में ऐसी आरक्षितियों की स्थापना कर सकेगा, जिन्हें किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए भी आबंटित किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा और ऐसी राशियों को, जिन्हें बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए, ऐसी आरक्षितियों को अंतरित किया जा सकेगा या उनमें से अंतरित किया जा सकेगा।

(2) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 136 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, निम्नलिखित को बनाए रखवाएगा,—

(क) एक भाग लेने वाली पालिसी धारक निधि, जिसमें भाग लेने वाले पालिसी धारकों से प्राप्त होने वाली सभी प्राप्तियों को जमा किया जाएगा और उस निधि में से ही ऐसे पालिसी धारकों को सभी संदाय किए जाएंगे ; और

(ख) किसी भाग न लेने वाली पालिसी धारक निधि, जिसमें किसी भाग न लेने वाले पालिसी धारकों से प्राप्त होने वाली सभी प्राप्तियों को जमा किया जाएगा और उस निधि से ही ऐसे पालिसी धारकों को सभी संदाय किए जाएंगे :

परन्तु सदस्य, साधारण बैठक में संकल्प द्वारा दो वित्तीय वर्षों तक एक बार में एक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी निधियों को बनाए रखने से छूट प्रदान कर सकेंगे।

लेखा बहियां,
आदि।

24क. (1) निगम, अपने केंद्रीय कार्यालय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियां और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख तथा वित्तीय विवरण तैयार करेगा और रखेगा, जो उसके आंचलिक कार्यालयों के कार्यकलापों सहित उसके कार्यकलापों की स्थिति के संबंध में सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत करेंगे और जो केंद्रीय कार्यालय और उसके आंचलिक कार्यालयों, दोनों में किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करेंगे।

(2) निगम, अपने प्रत्येक आंचलिक कार्यालय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियां और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख तथा वित्तीय विवरण तैयार करेगा और रखेगा, जो ऐसे आंचलिक कार्यालय के तत्स्थानी जोन में स्थापित प्रत्येक प्रभागीय कार्यालय के कार्यकलापों की स्थिति के संबंध में सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत करेंगे और जो केंद्रीय कार्यालय और जो वहां पर किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करेंगे।

(3) निगम अपने प्रत्येक प्रभागीय कार्यालय में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियां और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख तथा वित्तीय विवरण तैयार करेगा और रखेगा, जो ऐसे प्रभागीय कार्यालय के अधीन स्थापित प्रत्येक शाखा के कार्याकलापों की स्थिति के संबंध में सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत करेंगे और जो वहां पर किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करेंगे।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं लेखा बहियों और अन्य सुसंगत बहियों और अभिलेखों को भारत में ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर रखा जा सकेगा, जैसा बोर्ड विनिश्चय करे।

(5) निगम के संबंध में उस समय यह समझा जाएगा कि उसने, केंद्रीय कार्यालय से भिन्न किसी आंचलिक कार्यालय या किसी प्रभागीय कार्यालय या निगम की किसी शाखा, चाहे वह भारत के भीतर या बाहर स्थित हो, के संबंध में उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन किया है, यदि ऐसे कार्यालय या शाखा में किए गए संव्यवहारों से संबंधित समुचित लेखा बहियों को वहां पर रखा जाता है और केंद्रीय कार्यालय या तत्स्थानी आंचलिक कार्यालय या तत्स्थानी प्रभागीय कार्यालय या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान को आवधिक रूप से समुचित संक्षिप्त विवरणियां भेजी जाती हैं।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट लेखा बहियां और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख इलैक्ट्रानिक रूप में, ऐसी रीति में रखे जा सकेंगे जो कि बोर्ड अवधारित करे।

(7) निगम के, किसी वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कम से कम दस वित्तीय वर्षों से अन्यून की अवधि से संबंधित लेखा बहियों को, ऐसी लेखा बहियों में की गई प्रविष्टि से सुसंगत वाक्यों सहित सुव्यवस्थित रखा जाएगा :

परन्तु जहां केंद्रीय सरकार ने धारा 25घ के अधीन कोई विशेष संपरीक्षक नियुक्त किया है या उसकी यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है तो वह निगम को यह निदेश दे सकेगी कि लेखा बहियों को ऐसी और दीर्घावधि के लिए रखा जाए, जिसे केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

24ख. (1) निगम के वित्तीय विवरण निगम के कार्यकलापों की स्थिति के संबंध में सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत करेंगे और वे ऐसी लागू लेखांकन अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे, जो ऐसे वित्तीय विवरणों के लिए लागू हों :

वित्तीय विवरण।

परन्तु वित्तीय विवरणों को मात्र इस तथ्य के कारण से कि वे ऐसे किन्हीं विषयों का प्रकटन नहीं करते हैं, जिन्हें इस अधिनियम या बीमा अधिनियम द्वारा या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं है, इस रूप में नहीं माना जाएगा कि वे निगम के कार्यकलापों की स्थिति का सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं।

(2) बोर्ड, प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को ऐसी बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) निगम, उपधारा (2) के अधीन उपबंधित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप निगम का एक समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगा और वह ऐसे वित्तीय विवरण को उपधारा (2) के अधीन अपने वित्तीय विवरणों को रखने के साथ-साथ वार्षिक साधारण बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परन्तु निगम अपने वित्तीय विवरणों के साथ एक ऐसा पृथक् विवरण भी संलग्न करेगा, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं अंतर्विष्ट होंगी।

(4) उपधारा (1) और धारा 24ग के अधीन वित्तीय विवरणों, धारा 25ख में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में संपरीक्षक की जांच और इसके अधीन लेखाओं के संबंध में संपरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए जाने तथा धारा 23क के अधीन वार्षिक साधारण बैठक में वित्तीय विवरणों को अंगीकृत किया जाना इस अधिनियम के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (3) में निर्दिष्ट समेकित वित्तीय विवरण को लागू होंगे।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां वित्तीय विवरण उनको लागू मानकों के अनुरूप नहीं है, वहां निगम वित्तीय विवरणों में ऐसे लागू मानकों से विचलन, उसके कारणों और ऐसे विचलन से उद्भूत होने वाले वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हों, का प्रकटन करेगा।

(6) समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, सहित वित्तीय विवरणों को उनके संबंध में संपरीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो पूर्णकालिक निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न एक निदेशक, निगम के वित्त और अनुसचिवीय कृत्यों के प्रधान और उसके नियुक्त बीमांकक द्वारा बोर्ड की ओर से उन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(7) प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ संपरीक्षक की रिपोर्ट को संलग्न किया जाएगा।

(8) प्रत्येक वित्तीय विवरण, जिसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी है, की एक हस्ताक्षरित प्रति को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति सहित जारी, परिचालित या प्रकाशित किया जाएगा,—

(क) ऐसे वित्तीय विवरणों से संलग्न या उनका भागरूप किन्हीं टिप्पणों ;

(ख) संपरीक्षक की रिपोर्ट ; और

(ग) धारा 24ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड की रिपोर्ट।

बोर्ड की रिपोर्ट।

24ग. (1) साधारण बैठक के समक्ष रखे जाने वाले वित्तीय विवरणों के साथ बोर्ड द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट संलग्न की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(क) बोर्ड की बैठकों की संख्या ;

(ख) निदेशक का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण ;

(ग) संपरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए कपटों के संबंध में ब्यौरे ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के अधीन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा संबंधी विवरण ;

(ङ) निगम की, निदेशकों की नियुक्ति पर नीति, जिसके अंतर्गत निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और उसकी स्वतंत्रता को अवधारित करने के लिए मानदंड भी हैं, जिन्हें धारा 19ख में निर्दिष्ट किया गया है ;

(च) संपरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित प्रत्येक अर्हता, संचय या प्रतिकूल टिप्पणी या दावा त्याग के संबंध में बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टीका-टिप्पणियां ;

(छ) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा निगम को लागू किए गए अनुसार बीमा अधिनियम की धारा 27क के उपबंधों के निबंधनानुसार विनिधानों के संबंध में विशिष्टियां ;

(ज) धारा 4ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबद्ध पक्षकारों के साथ संविदाओं या ठहरावों की विशिष्टियां ;

(झ) निगम के कार्यकलापों की स्थिति ;

(ज) वे रकमें, यदि कोई हों, जिन्हें किन्हीं आरक्षितियों में अग्रणीत किया गया है ;

(ट) वह रकम, यदि कोई हो, जिसकी वह सिफारिश करती है उसका संदाय लाभांश के रूप में किया जाना चाहिए ;

(ठ) ऐसे सारवान् परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं और जो उस वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच की अवधि में घटित हुई हैं ;

(ड) यह रीति उपदर्शित करते हुए एक विवरण, जिसमें धारा 19 के अधीन व्यष्टि निदेशकों के निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन किया गया है ;

(ढ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं :

परन्तु जहां इस उपधारा में निर्दिष्ट प्रकटनों को वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है, वहां ऐसे प्रकटनों को बोर्ड की रिपोर्ट में दोहराने की बजाय निर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु यह और कि जहां खंड (ड) में निर्दिष्ट नीति को निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाता है, यह उक्त खंड के अधीन अपेक्षा का पर्याप्त अनुपालन समझा जाएगा, यदि नीति की प्रमुख विशिष्टियों और उनमें किए गए किन्हीं परिवर्तनों को संक्षेप में बोर्ड की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जाता है और वह वेब-पता, जिस पर ऐसी नीति उपलब्ध है, उसमें उपदर्शित किया जाता है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में निम्नलिखित कथित किया जाएगा कि,—

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में सारवान् विचलनों के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ धारा 24ख में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुसरण किया गया है ;

(ख) लेखांकन नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया था तथा किए गए निर्णय और प्राक्कलन युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण थे, जिससे वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निगम के कार्यकलापों की और उस अवधि के लिए निगम के लाभ और हानि की स्थिति के संबंध में सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत कर सकें ;

(ग) निगम की आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा किसी कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है ;

(घ) वार्षिक लेखाओं को चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किया गया था ;

(ङ) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ज) में निर्दिष्ट सतर्कता प्रशासन, निगम में केंद्रीय सतर्कता आयोग के पर्यवेक्षणाधीन कार्यरत था और इसके अतिरिक्त, निगम द्वारा अनुसरित किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिकथित किया गया था और वे प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे ; और

(च) लागू विधियों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की गई थीं और वे प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “आंतरिक वित्तीय नियंत्रण” पद से निगम के कारबार का सुव्यवस्थित और दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए अंगीकृत पालिसियां और प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं, जिनके अंतर्गत इसकी पालिसियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना का तैयार किया जाना भी है।

(3) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड की रिपोर्ट और उसके किन्हीं उपाबंधों पर बोर्ड की ओर से दो पूर्णकालिक निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

शास्तियां।

24घ. यदि मुख्य कार्यपालक या वित्त का भारसाधक प्रबंध निदेशक या निगम के वित्त कृत्य का प्रधान या धारा 24क या धारा 24ख या धारा 24ग के उपबंधों का अनुपालन करने के कर्तव्य से बोर्ड द्वारा भारित निगम का कोई अन्य व्यक्ति उक्त उपबंधों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो ऐसा मुख्य कार्यपालक या प्रबंध निदेशक या वित्त कृत्य का प्रधान या अन्य व्यक्ति, ऐसी प्रत्येक धारा के लिए, जिसके उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, केंद्रीय सरकार को ऐसी राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का दायी होगा जो पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी।

धारा 25 का
प्रतिस्थापन।

संपरीक्षकों की
नियुक्ति।

137. मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

‘25.(1) निगम, अपनी प्रथम वार्षिक साधारण बैठक में, उतने संपरीक्षकों, (जो व्यष्टि या फर्म हो सकते हैं) नियुक्त करेगा, जितने वह ठीक समझे और ऐसा संपरीक्षक उसके पश्चात् उस बैठक के समापन से उसकी छठवीं वार्षिक साधारण बैठक के समापन तक पद धारण करेगा और इस प्रकार एक समय में पांच वर्ष की पश्चात्वर्ती कालावधियों के लिए संपरीक्षक नियुक्त करेगा, और ऐसी बैठक में सदस्यों द्वारा संपरीक्षकों के चयन की रीति और प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए :

परन्तु ऐसी नियुक्ति किए जाने से पूर्व, ऐसी नियुक्ति के लिए संपरीक्षक की लिखित सहमति और संपरीक्षक से ऐसा प्रमाणपत्र कि नियुक्ति यदि की जाती है तो वह ऐसी शर्तों के अनुसार होगी जो विहित की जाएं, संपरीक्षक से प्राप्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रमाणपत्र में यह घोषणा भी होगी कि संपरीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 141 के अधीन किसी कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता के लिए उपबंधित मानदंड को पूरा करता है।

(2) निगम किसी व्यष्टि को पांच निरंतर वर्षों की एक से अधिक पदावधि के लिए संपरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं करेगा :

परन्तु ऐसा संपरीक्षक जिसने नियुक्ति की पदावधि पूरी कर ली है, ऐसे समापन से पांच वर्ष की अवधि के लिए संपरीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए या नई नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि किसी संपरीक्षा फर्म को पांच वर्ष की अवधि के लिए संपरीक्षक रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसे, यदि नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति की तारीख को, ऐसी संपरीक्षा फर्म का सामान्य भागीदार रहा हो या भागीदार रहे हों जिसकी निगम में संपरीक्षक के रूप में अवधि उस वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में समाप्त हो गई थी जिसमें नई नियुक्ति की जानी है या जो संपरीक्षा फर्म के रूप में संपरीक्षा फर्मों के उसी नेटवर्क से सहयोजित है जिसकी पदावधि उपरोक्त रूप में समाप्त हो गई थी :

परन्तु यह भी कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी संपरीक्षक को हटाने के लिए निगम के अधिकार या निगम के ऐसे पद से संपरीक्षक द्वारा त्यागपत्र देने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

1949 का 38

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “उसी नेटवर्क” पद के अंतर्गत सामान्य ब्रांड नाम या व्यापार नाम के अधीन या सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य कर रही या कृत्य कर रही फर्म भी सम्मिलित हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी नेटवर्क के लिए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन यथा परिभाषित नेटवर्क फर्म हैं।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम साधारण बैठक में यह उपबंध करने के लिए यह संकल्प कर सकेगा कि—

(क) इसके द्वारा नियुक्त संपरीक्षा फर्म में, संपरीक्षण भागीदार और उसकी टीम ऐसे अंतरालों पर चक्रानुक्रमित की जाएगी जिसका सदस्यों द्वारा संकल्प लिया जाए ;

(ख) संपरीक्षा एक से अधिक संपरीक्षक द्वारा संचालित की जाएगी।

(4) किसी संपरीक्षक के कार्यालय में कोई आकस्मिक रिक्ति बोर्ड द्वारा तीस दिन के भीतर भरी जाएगी किंतु यदि ऐसी आकस्मिक रिक्ति किसी संपरीक्षक के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप उद्भूत होती है तो ऐसी नियुक्ति इस निमित्त सिफारिशें करने वाले बोर्ड की तीन मास के भीतर बुलाई गई साधारण बैठक में निगम द्वारा अनुमोदित भी की जाएगी और इस प्रकार नियुक्त संपरीक्षक अगली वार्षिक साधारण बैठक की समाप्ति तक पद धारण करेगा।

(5) जहां किसी वार्षिक साधारण बैठक में, किसी संपरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है, वहां विद्यमान संपरीक्षक निगम के संपरीक्षक के रूप में बना रहेगा।

(6) सभी नियुक्तियां, जिनके अंतर्गत इस धारा के अधीन किसी संपरीक्षक की आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना भी है, संपरीक्षा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् की जाएंगी।

(7) संपरीक्षक का पारिश्रमिक साधारण बैठक में या ऐसी रीति में जो उसमें अवधारित की जाए, नियत किया जाएगा।

(8) जब तक प्रथम वार्षिक साधारण बैठक आयोजित नहीं की जाती है तब तक कंपनियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन कंपनियों के संपरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्तः अर्हित संपरीक्षकों की केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जाएगी, और वे निगम से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय सरकार नियत करे।

(9) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी संपरीक्षक की नियुक्ति वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 25 (जैसी वह वित्त अधिनियम की धारा 137 के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान थी) या उसके पश्चात् उपधारा (8) के अधीन प्रथम वार्षिक साधारण बैठक से पूर्व की गई है और ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है तथा संपरीक्षक उपधारा (1) में निर्दिष्ट मानदंड को पूरा करता है, वहां ऐसा संपरीक्षक इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक बना रहेगा :

परन्तु इस उपधारा या धारा 25क में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे परीक्षक को निगम द्वारा हटाए जाने के उसके अधिकार या निगम के पद से परीक्षक द्वारा त्यागपत्र देने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(10) उपधारा (1) या उपधारा (8) या उपधारा (9) के अधीन नियुक्त संपरीक्षक निगम या इसकी समनुषंगियों को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती हैं, किंतु इनमें ऐसी सेवाओं में से कोई सेवा चाहे वह प्रत्यक्षतः या

अप्रत्यक्षतः की गई हों, सम्मिलित नहीं होंगी, जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 144 में प्रगणित किया गया है :

परन्तु कोई संपरीक्षक, जो वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 137 के प्रवृत्त होने पर या उससे पूर्व कोई गैर-संपरीक्षा सेवाएं दे रहा है, उस प्रथम वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व जिसमें उक्त धारा प्रवृत्त होती हैं, इस धारा के उपबंधों का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “फर्म” शब्द के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन निगमित सीमित दायित्व भागीदारी भी सम्मिलित है।¹

2009 का 6

संपरीक्षक का
हटाया जाना और
उसका त्यागपत्र।

25क. (1) धारा 25 के अधीन नियुक्त संपरीक्षक को विशेष संकल्प के द्वारा ही नियुक्ति की अवधि की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाई करने से पूर्व, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित संपरीक्षक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसमें निगम को लिखित में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी सम्मिलित हैं, जहां संपरीक्षक यह अनुरोध करता है कि प्रत्येक सदस्य को प्रेषित उसकी एक प्रति प्राप्त करने हेतु सदस्यों के लिए ऐसा अभ्यावेदन अधिसूचित किया जाए और यदि प्रति उपरोक्त रूप में नहीं भेजी जाती है क्योंकि यह बहुत विलंब से प्राप्त हुई थी मौखिक रूप से सुने जाने वाले अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभ्यावेदन को बैठक में पढ़ा जाएगा।

(2) ऐसे संपरीक्षक जिसने निगम से त्यागपत्र दे दिया है, त्यागपत्र की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, निगम के पास विहित प्ररूप में ऐसा विवरण फाइल करेगा जिसमें ऐसे कारण और अन्य तथ्य उपदर्शित होंगे जो त्यागपत्र के संबंध में सुसंगत हों।

(3) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन की गई कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केन्द्रीय सरकार का भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से यह समाधान हो जाता है कि संपरीक्षक का कोई बदलाव अपेक्षित है तो वह आदेश कर सकेगी कि संपरीक्षक उस रूप में कार्य नहीं करेगा और ऐसे संपरीक्षक के स्थान पर अन्य संपरीक्षक की नियुक्ति कर सकेगी।

संपरीक्षकों की
शक्तियां तथा
कृत्य और
संपरीक्षक की
रिपोर्ट।

25ख.(1) निगम के प्रत्येक संपरीक्षक को सभी समयों पर निगम की लेखा बहियों और उसके वाउचरों तक पहुंच का अधिकार होगा और वे ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण जो संपरीक्षक, संपरीक्षक के रूप में कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे, निगम के अधिकारियों से मांगने के हकदार होंगे और, अन्य मामलों के साथ निम्नलिखित मामलों में भी जांच करेंगे, अर्थात् :—

(क) क्या निगम द्वारा प्रतिभूति के आधार पर दिए गए ऋणों और अग्रिमों को उचित रूप से प्रतिभूत किया गया है ;

(ख) क्या वे निबंधन जिन पर ऋण और अग्रिम दिए गए हों, निगम या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों ;

(ग) क्या निगम के संव्यवहार जिनको केवल बही प्रविष्टियों द्वारा व्यपदिष्ट किया गया है, उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ;

(घ) क्या निगम की आस्तियों का उतना भाग जितना शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों से मिलकर बनता है, उस कीमत से कम कीमत पर विक्रय किया गया है जिस पर उन्हें क्रय किया गया था ;

(ङ) क्या निगम द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम निक्षेप के रूप में दर्शाए गए हैं ;

(च) क्या वैयक्तिक व्ययों को राजस्व खाते से भारित किया गया है ;

(छ) जहां निगम की बहियों और दस्तावेजों में यह कथन किया गया है कि कोई शेयर नकदी के लिए आबंटित किए गए हैं चाहे नकदी वास्तविक रूप से ऐसे आबंटन की बाबत प्राप्त की गई है या नहीं और यदि कोई नकदी इस प्रकार वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लेखा-बहियों और तुलनपत्र में यथाकथित स्थिति सही, नियमित है और भ्रामक नहीं है :

परन्तु संपरीक्षक को निगम की सभी समनुषंगी कंपनियों और सहयुक्त कंपनियों के अभिलेखों तक पहुंच का भी अधिकार वहां तक होगा जहां तक उनका संबंध निगम के वित्तीय विवरणों के समेकन के ऐसी समनुषंगी कंपनियों और सहयुक्त कंपनियों के वित्तीय विवरणों के समेकन से हैं।

(2) संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित लेखाओं पर सदस्यों को रिपोर्ट करेगा और प्रत्येक वित्तीय विवरण पर जिसकी अपेक्षा ऐसी साधारण बैठक में विधि के द्वारा या उसके अधीन की जाती है और ऐसी रिपोर्ट में इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों, धारा 24ख में निर्दिष्ट मानकों और ऐसे विषयों, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, पर विचार करने के पश्चात् और संपरीक्षा की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार यह कथन होगा कि निगम के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उक्त लेखाओं और वित्तीय विवरणों में निगम के कार्यकलापों के और वर्ष के लिए उसके लाभ या हानि तथा नकद प्रवाह की स्थिति का सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत करता है।

(3) संपरीक्षक की रिपोर्ट में यह भी कथन होगा—

(क) क्या संपरीक्षक ने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग की है और उन्हें प्राप्त कर लिया है जो संपरीक्षक के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी और यदि नहीं तो उसके ब्यौरे और वित्तीय विवरणों पर ऐसी जानकारी के प्रभाव;

(ख) क्या संपरीक्षक की राय में, जहां तक इन बहियों की संपरीक्षक की परीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है विधि की अपेक्षानुसार उचित लेखा बहियां निगम के द्वारा रखी गई हैं और संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए ऐसी उचित पर्याप्त विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हो गई हैं जिनका दौरा संपरीक्षक ने नहीं किया था ;

(ग) क्या उपधारा (6) के परन्तुक में निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट, निगम के संपरीक्षक को भेज दी गई है और वह रीति जिसमें निगम के संपरीक्षक ने संपरीक्षक रिपोर्ट तैयार करने में कार्रवाई की है ;

(घ) क्या रिपोर्ट में चर्चा किए गए निगम के तुलनपत्र तथा लाभ तथा हानि लेखे, लेखाबहियों और विवरणी के अनुरूप हैं ;

(ङ) क्या संपरीक्षक की राय में वित्तीय विवरण लागू मानकों का अनुपालन करते हैं ;

(च) ऐसे वित्तीय संव्यवहारों और मामलों पर जिनका निगम के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, के संबंध में संपरीक्षकों के संप्रेक्षण या टीका-टिप्पणियां ;

(छ) क्या कोई निदेशक धारा 4क के खंड (i) के अधीन निदेशक होने या बने रहने के लिए निरर्हित है ;

(ज) कोई अर्हता, आरक्षण या लेखाओं के बनाए रखने से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणी और उनसे संबंधित विषय ;

(झ) क्या निगम विद्यमान वित्तीय विवरणों के प्रतिनिर्देश से पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता रखता है ;

(ज) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं।

(4) जहां इस धारा के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित विषयों में से किसी विषय का उत्तर नकारात्मक रूप से या परिमाण के साथ दिया जाता है तो रिपोर्ट में उसके लिए कारणों का उल्लेख होगा।

(5) ऐसे वित्तीय संव्यवहारों या विषयों, जिनका निगम के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हों, के संबंध में निगम के लिए नियुक्त संपरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी अर्हताओं, संप्रेक्षणों या टीका-टिप्पणियों को साधारण बैठक में पढ़ा जाएगा और किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

(6) निगम की किसी शाखा या उसके किसी कार्यालय के संबंध में, इस धारा में लेखाओं की संपरीक्षा या तो निगम के लिए नियुक्त संपरीक्षक (जिसे इसमें "निगम का संपरीक्षक" कहा गया है) द्वारा या निगम के किसी संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा और धारा 25 के अधीन उस रूप में नियुक्त संपरीक्षक द्वारा की जाएगी या जहां ऐसी शाखा या कार्यालय भारत से बाहर के देश में स्थित है, वहां शाखा या कार्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा या तो निगम के संपरीक्षक द्वारा या किसी लेखाकार द्वारा या उस देश की विधियों के अनुसार शाखा या कार्यालय की लेखाओं के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्तः अर्हित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी और शाखा या कार्यालय की संपरीक्षा के प्रतिनिर्देश से और निगम के संपरीक्षक और उसके संपरीक्षक, यदि कोई हों, के कर्तव्य और शक्तियां वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु किसी शाखा या कार्यालय के लिए संपरीक्षक शाखा या कार्यालय के ऐसे लेखाओं पर, जिनकी परीक्षा ऐसे संपरीक्षक द्वारा की गई है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे निगम के संपरीक्षक को भेजेगा, जो निगम के संपरीक्षक की रिपोर्ट पर ऐसी रीति में कार्यवाई करेगा जो निगम का संपरीक्षक आवश्यक समझे।

आंतरिक संपरीक्षा।

25ग. (1) बोर्ड, संपरीक्षा समिति की सिफारिश पर, एक आंतरिक संपरीक्षक नियुक्त करेगा जो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल होगा या ऐसा अन्य वृत्तिक होगा जो निगम के कृत्यों और क्रियाकलापों की आंतरिक संपरीक्षा संचालित करने के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) संपरीक्षा समिति—

(क) आंतरिक संपरीक्षक की नियुक्ति, उसकी नियुक्ति का पारिश्रमिक और उसके निबंधनों के लिए बोर्ड को सिफारिश करेगी ;

(ख) आंतरिक संपरीक्षक से परामर्श करके, आंतरिक संपरीक्षा संचालित करने के लिए कार्यक्षेत्रों, कार्यकरण, आवधिकता और पद्धति तैयार करेगी ;

(ग) आंतरिक संपरीक्षक के निष्पादन और संपरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन करेगी और उसको मानीटर करेगी।

विशेष संपरीक्षक।

25घ. धारा 19ग, 23क, 25, 25क और 25ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति कर सकेगी जो वह निगम के लेखाओं की परीक्षा करने और उन पर रिपोर्ट देने के लिए विशेष संपरीक्षक के रूप में ठीक समझे और ऐसे संपरीक्षक को निगम की लेखा बहियों और वाउचरों तक पहुंच का और निगम के अधिकारियों से सूचना और स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने की हकदारी के वही अधिकार प्राप्त होंगे जैसे वह धारा 25ख के अधीन निगम के संपरीक्षक को प्राप्त है।

धारा 26 का
संशोधन।

138. मूल अधिनियम की धारा 26 में, —

(i) "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) “केन्द्रीय सरकार” शब्दों के स्थान पर “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा।

139. मूल अधिनियम की धारा 27 में “और रिपोर्ट में ऐसे क्रियाकलापों, यदि कोई हों, का लेखा-जोखा भी दिया जाएगा जिनकी आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा किए जाने की संभावना है” का लोप किया जाएगा।

धारा 27 का संशोधन।

140. मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 28 का संशोधन।

“28.(1) यदि किसी अन्वेषण के परिणामस्वरूप जो धारा 26 के अधीन बोर्ड द्वारा किया गया है कोई अधिशेष निकलता है तो,—

जीवन बीमा कारबार से प्राप्त अधिशेष का कैसे उपयोग किया जाएगा।

(क) ऐसे वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए धारा 24 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निधियां बनाई रखी जानी हैं और ऐसे किसी पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष जिसके लिए सदस्य ऐसी निधियों के रखरखाव से छूट प्रदान कर सकेंगे,—

(i) ऐसे अधिशेष का, नब्बे प्रतिशत या उतना अधिकतर प्रतिशत जितना बोर्ड अनुमोदित करे, निगम के जीवन बीमा पालिसी धारकों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा; और

(ii) शेष अधिशेष का उतना प्रतिशत जितना बोर्ड अनुमोदित करे, सदस्यों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा और उसे या तो निगम द्वारा रखे गए पृथक् खाते में जमा किया जा सकेगा या ऐसी आरक्षिति या आरक्षितियों में अंतरित किया जा सकेगा जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट वर्ष से भिन्न प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए,—

(i) भाग लेने वाले पालिसी धारकों के संबंध में,—

(I) ऐसे पालिसी धारकों से संबंधित अधिशेष का नब्बे प्रतिशत या उतना अधिकतर प्रतिशत जैसा बोर्ड अनुमोदित करे, भाग लेने वाले पालिसी धारकों की निधि में अंतरित किया जाएगा और निगम के भाग लेने वाले जीवन बीमा पालिसी धारकों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा ; और

(II) शेष अधिशेष का उतना प्रतिशत जिसे बोर्ड अनुमोदित करे, सदस्यों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा और उसे या तो निगम द्वारा रखे गए पृथक् खाते में जमा किया जा सकेगा या ऐसी आरक्षिति या आरक्षितियों में अंतरित किया जा सकेगा, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे ;

(ii) भाग न लेने वाले पालिसी धारकों के संबंध में, ऐसे पालिसी धारकों से संबंधित अधिशेष का एक सौ प्रतिशत निगम द्वारा सदस्यों को आबंटित किया जाएगा या आरक्षित किया जाएगा और उसके द्वारा बनाए रखे गए पृथक् खाते में जमा किया जा सकेगा या ऐसी आरक्षिति या आरक्षितियों में अंतरित किया जा सकेगा जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे।

(2) यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) में या उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) की मद (ii) में निर्दिष्ट शेष अधिशेष और उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट अधिशेष और धारा 28 के अधीन सदस्यों को आबंटित या आरक्षित किया गया लाभ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिसके अंतर्गत लाभांश की घोषणा या संदाय के प्रयोजन, सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस शेयरों का निर्गम और ऐसी कोई आरक्षिती जिसे बोर्ड ने किसी प्रयोजन के लिए सृजित किया है, भी हैं, जिन्हें बोर्ड अनुमोदित करे, उपयोजित किया जाएगा।

(3) निगम, बोर्ड के अनुमोदन से, पांच वर्ष में या तीन वर्ष से अन्यून ऐसी अल्पतर अवधि में कम से कम एक बार, जैसा बोर्ड ठीक समझे, अपनी वेबसाइट पर अपनी अधिशेष वितरण पालिसी को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और ऐसी पालिसी में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिशतता को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।”।

धारा 28क का
संशोधन।

141. मूल अधिनियम की धारा 28क में “केंद्रीय सरकार को दे दिया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “सदस्यों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 28ख और
धारा 28ग का
अंतःस्थापन।

142. मूल अधिनियम की धारा 28क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

लाभांश की
घोषणा।

“28ख. (1) कोई लाभांश, अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् आए ऐसे वर्ष के लिए या अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् आए किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए और शेष पूर्वोक्त अधिशेषों और शेष अवितरित या लाभों में से धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिशेषों और लाभों में से किसी वित्तीय वर्ष के लिए (अवसूलीकृत अभिलाभों, कल्पित अभिलाभों को व्यपदिष्ट करने वाली किसी रकम, आस्तियों के या दायित्व के मूल्यांकन और किसी आस्ति की या उचित मूल्य पर आस्ति के मापमान पर दायित्व की रकम या उचित मूल्य पर दायित्व की रकम को अग्रणीत करने में किसी परिवर्तन को अपवर्जित करने के पश्चात्) निगम द्वारा घोषित या संदत्त किए जाएंगे अन्यथा नहीं :

परन्तु मुक्त आरक्षिती से भिन्न अपने आरक्षितियों से निगम द्वारा कोई लाभांश घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि निगम द्वारा कोई लाभांश तब तक घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा जब तक पूर्ववर्षों से कोई हानि अग्रणीत नहीं की जाती है और उस वित्तीय वर्ष जिसके लिए लाभांश का घोषित किया जाना या संदत्त किया जाना प्रस्तावित है, धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिशेषों और लाभों के प्रति पूर्ववर्षों में उपबंधित नहीं किए गए किसी अवक्षयण का मुजरा नहीं किया जाता है।

(2) बोर्ड, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान या उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक के आयोजित किए जाने तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए ऐसा अंतरिम लाभांश घोषित किया जाना चाहा गया है, के अधिशेषों और लाभों में से या चालू वित्तीय वर्ष में सृजित उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिशेषों और लाभों में से ऐसे अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पूर्व तिमाही की समाप्ति तक के लिए अंतरिम लाभांश घोषित कर सकेगा :

परन्तु यदि निगम ने अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से ठीक पूर्व तिमाही की समाप्ति तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि उपगत की है, तो ऐसा अंतरिम लाभांश ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निगम द्वारा घोषित लाभांशों की औसत से अधिक दर पर घोषित नहीं किया जाएगा।

(3) लाभांश की रकम, जिसके अंतर्गत अंतरिम लाभांश भी है, ऐसे लाभांश की घोषणा की तारीख से पांच दिन के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में पृथक् खाते में जमा की जाएगी।

(4) निगम के किसी शेयर के संबंध में निगम द्वारा कोई लाभांश ऐसे सदस्य को ही दिया जाएगा जिसके नाम में धारा 5ग में निर्दिष्ट सदस्यों के रजिस्टर पर ऐसे शेयर को प्रविष्ट किया जाता है या उसके आदेशानुसार या उसके बैंककार को ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं तथा वह नकद में संदेय होगा न कि स्टॉक या मूल्य के किसी अन्य रूप में:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात पूर्णतः संदत्त बोनस शेयर जारी करने या सदस्यों

द्वारा धारित किन्हीं शेयरों पर तत्समय असंदत्त किसी रकम का संदाय करने के प्रयोजन के लिए धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिशेष और लाभों के पूंजीकरण को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी :

परन्तु यह और कि नकद रूप में संदेय किसी लाभांश का ऐसे संदाय के हकदार सदस्य को चेक या वारंट या किसी इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा संदत्त किया जा सकेगा ।

28ग. (1) जहां निगम द्वारा लाभांश की घोषणा कर दी गई है किंतु उसे उसके संदाय के हकदार किसी सदस्य को घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, तो निगम तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान से सात दिन के भीतर, लाभांश की उस कुल रकम को जो असंदत्त लाभांश खाता के नाम से ज्ञात किसी अनुसूचित बैंक में इस निमित्त निगम द्वारा खोले जाने वाले विशेष खाते में असंदत्त या अदावाकृत रहती है, अंतरित करेगा ।

असंदत्त लाभांश खाता ।

(2) निगम, असंदत्त लाभांश खाते में उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का अंतरण करने के नब्बे दिन के भीतर एक विवरण तैयार करेगा जिसमें ऐसे असंदत्त लाभांश के हकदार प्रत्येक सदस्य का नाम और अंतिम ज्ञात पता तथा उसको संदेय असंदत्त लाभांश की रकम अंतर्विष्ट होगी और ऐसे विवरण को अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य वेबसाइट पर रखेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) यदि असंदत्त लाभांश खाते में उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल रकम या उसका भाग अंतरण करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो निगम ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से उतनी रकम पर जिसे उक्त खाते में अंतरित नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम की धारा 124 में विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ऐसी रकम पर प्रोद्भूत ब्याज सदस्यों को असंदत्त रहने वाली रकम के अनुपात में सदस्यों के फायदे के लिए सुनिश्चित करेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन असंदत्त लाभांश खाते में अंतरित किसी धन का हकदार होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, दावा किए गए धन के संदाय के लिए निगम को आवेदन कर सकेगा ।

(5) सात वर्ष की अवधि के लिए शेष अदावाकृत और असंदत्त रकम, उस तारीख से जिसको यह असंदत्त लाभांश खाते में संदाय के लिए देय हुई थी, कंपनी अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाएगी और उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन उक्त निधि में जमा रकम समझी जाएगी ।

(6) ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लगातार सात या उससे अधिक वर्षों के लिए लाभांश संदत्त नहीं किया गया है या उसका दावा नहीं किया गया है, निगम द्वारा ऐसे व्यौरों जो विहित किए जाएं, को अंतर्विष्ट करते हुए, के साथ विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिए जाएंगे :

परन्तु ऐसे शेयरों का प्रत्येक दावाकर्ता उक्त निधि से उनके अंतरण के लिए ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर, जो विहित किए जाएं, दावा करने का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त लगातार सात वर्ष की कालावधि के दौरान किसी लाभांश के संदाय या दावा किए जाने की दशा में, शेयर को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित नहीं किया जाएगा।”।

143. मूल अधिनियम की धारा 46 और धारा 47 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 46 और धारा 47 का प्रतिस्थापन ।

निगम या समितियों के गठन में या निदेशकों की नियुक्ति या नामनिर्देशन में त्रुटि के कारण कार्यो या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण।

धारा 48 का संशोधन।

'46. (1) निगम या इसके बोर्ड या उसकी कोई समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल, यथास्थिति, निगम या बोर्ड या ऐसी समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि होने मात्र के कारण प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) इस बात के होते हुए भी कि तत्पश्चात् यह जानकारी में आया था कि किसी निदेशक की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन में किसी त्रुटि या निरर्हता के कारण या इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के आधार पर पर्यवसान के कारण उस व्यक्ति द्वारा निदेशक के रूप में किया गया कोई कार्य अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक के रूप में, यथास्थिति, उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन के पश्चात् उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता देने वाली नहीं समझी जाएगी जिसे निगम द्वारा अविधिमान्य या पर्यवसित होना नोटिस किया गया है।

47. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही निगम के किसी निदेशक या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) कोई निदेशक, जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, उसे निगम के केवल ऐसे कृत्यों के लोप या उन्हें करने के संबंध में, जो उसकी जानकारी में किए गए थे, जो बोर्ड की प्रक्रियाओं के माध्यम से किए गए माने जा सकते हैं, और जो उसकी सहमति या मौनानुकूलता से किए गए थे या जहां उसने तत्परता से कार्य नहीं किया था, दायी ठहराया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “बोर्ड” के प्रतिनिर्देश के अंतर्गत बोर्ड की समितियां भी होंगी।

144. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में, “सदस्यों” शब्द के स्थान पर, “निदेशकों” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) खंड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) धारा 4ख के अधीन निदेशक द्वारा हित के प्रकटन की रीति ;

(कख) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए बोर्ड धारा 4ग के अधीन संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को सहमति दे सकेगा ;

(कग) वे प्रतिभूतियां और लिखतें जिन्हें धारा 5 के अधीन जारी किया जा सकेगा ;

(कघ) धारा 5 की उपधारा (9) के खंड (क) के अधीन पब्लिक इश्यू के संबंध में जीवन बीमा पालिसी धारकों के पक्ष में आरक्षण की रीति और ऐसे आरक्षण के लिए आबंटन ;”;

(iii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(जक) वह रीति जिसमें साधारण बैठकें की जाएंगी और उनमें संव्यवहार किया जाने वाला कारबार और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(जख) साधारण बैठक के लिए गणपूर्ति और बैठक करने की रीति यदि इसे धारा 23क के अधीन गणपूर्ति के अभाव में आयोजित नहीं किया था और स्थगित कर दिया गया था ;

(जग) वह रीति जिसमें व्यक्ति साधारण बैठक में उपस्थित हो सकेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे ;

(जघ) वह रीति जिसमें सदस्यों या अन्य व्यक्तियों पर निगम की ओर से सूचना की तामील की जा सकेगी ;

(जड) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 24ख की उपधारा (8) में निर्दिष्ट वित्तीय विवरण जारी, परिचालित या प्रकाशित किए जा सकेंगे;

(जच) वे विषय जिन्हें धारा 24ग की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन विहित किया जा सकेगा ;

(जछ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षकों के चयन की रीति और प्रक्रिया तथा नियुक्ति की शर्तें ;

(जज) वह प्ररूप जिसमें कोई संपरीक्षक, जिसने पदत्याग कर दिया है, धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन पदत्याग के सुसंगत कारणों और अन्य तथ्यों को उपदर्शित करेगा ;

(जझ) धारा 25ख की उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय ;

(जञ) धारा 25ख की उपधारा (6) के अधीन निगम की शाखा या कार्यालय की संपरीक्षा के संदर्भ में निगम के संपरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां और उसके संपरीक्षक ;

(जट) धारा 28ग की उपधारा (6) में निर्दिष्ट ब्यौरे, प्रक्रिया और दस्तावेज ;”।

145. मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

धारा 49 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, “निगम” शब्द के स्थान पर, “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (क) में, “निगम” शब्द के स्थान पर, “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (ङ) में, “निधि” शब्द के स्थान पर, “निधि या निधियां” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ज) वह रीति जिसमें बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकें की जाएंगी, उनमें संव्यवहार किया जाने वाला कारबार और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, तथा उनके लिए गणपूर्ति ;”;

(ड) खंड (झ) का लोप किया जाएगा ;

(च) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ढ) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन निदेशकों के निर्वाचन की रीति ;

(ण) धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन रखे और अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्ट्रों का प्ररूप और रीति ;

(त) धारा 5ड के अधीन, व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत सदस्य या शेयरों के संयुक्त धारक द्वारा नामनिर्देशन की रीति, ऐसे नामनिर्देशन के परिवर्तन या निरस्तीकरण की रीति और अल्पवय के पक्ष में नामनिर्देशन की रीति ;

(थ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन शेयर, जिनके अंतर्गत भागतः समादत्त शेयर भी हैं, जारी किए जा सकेंगे, धारित किए जा सकेंगे, अंतरित किए जा सकेंगे या रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे ;

(द) धारा 24 के अधीन निधियों और आरक्षितियों का अनुरक्षण और प्रचालन ;

(ध) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 24क में निर्दिष्ट बहियों और अभिलेखों को रखा जा सकेगा ;”;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

‘(2क) वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 132 के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त विनियमों में, “विनिधान समिति” के प्रतिनिर्देश का धारा 19क में निर्दिष्ट बोर्ड की विनिधान समिति के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।’।

धारा 50 और धारा 51 का अंतःस्थापन ।

146. मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

उपांतरणों के साथ आवेदन करने के लिए कंपनियों के लिए प्ररूप, रीति, आदि ।

“50. जहां यह अधिनियम उपबंध करता है कि की जाने वाली किसी घोषणा या अनुरक्षित किए जाने वाले किसी रजिस्टर में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियों के संबंध में प्ररूप या रीति या अवधि या ब्यौरे वे होंगे जो कंपनी अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किए जाएं, यथास्थिति, ऐसे विहित प्ररूप या रीति या अवधि अथवा ब्यौरे या व्यष्टियां किन्हीं उपांतरणों, अपवादों और शर्तों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

51. (1) यदि वित्त अधिनियम, 2021 के अध्याय 6 के भाग 3 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश वित्त अधिनियम, 2021 के अध्याय 6 के भाग 3 के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।”।

भाग 4

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ ।

147. इस भाग के उपबंध 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

148. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, —

1956 का 42

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(घक) “सामूहिक विनिधान इकाई” से भारत में किसी न्यास के रूप में या अन्यथा, स्थापित कोई निधि जैसे कोई पारस्परिक निधि, वैकल्पिक विनिधान निधि, सामूहिक विनिधान स्कीम या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (13क) में यथा परिभाषित कोई कारबार, न्यास और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत है या ऐसी अन्य निधि अभिप्रेत है, जो विनिधानकर्ताओं से धन जुटाती है या धन का संग्रहण करती है और ऐसी निधियों का भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले ऐसे विनियमों के अनुसार विनिधान करती है ;”;

1961 का 43

(ii) खंड (ज) में,—

(क) उपखंड (i) में, “अन्य निगमित निकाय” शब्दों के स्थान पर, “या कोई सामूहिक विनिधान इकाई या अन्य निगमित निकाय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (iघ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iघक) किसी सामूहिक विनिधान इकाई द्वारा जारी की गई यूनिट या कोई अन्य लिखत ;”।

149. मूल अधिनियम की धारा 30क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 30ख
का
अंतःस्थापन।

सामूहिक
विनिधान इकाई
से संबंधित विशेष
उपबंध ।

1882 का 2

“30ख. (1) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सामूहिक विनिधान इकाई, चाहे उसे एक न्यास के रूप में या अन्यथा गठित किया गया हो और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हो, ऐसी रीति में और उस सीमा तक, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए, उधार लेने और ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के लिए पात्र होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सामूहिक विनिधान इकाई को, न्यास विलेख के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उधारदाताओं को, ऐसी सामूहिक विनिधान इकाई द्वारा प्रविष्ट किए गए सुविधा दस्तावेजों के निबंधनानुसार प्रतिभूति हित उपलब्ध कराने की अनुमति होगी ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी कोई सामूहिक विनिधान इकाई, मूल धन के प्रतिसंदाय या ब्याज या उधारदाता को ऐसी किसी शोध्य रकम के संदाय में व्यतिक्रम करती है, वहां उधारदाता, व्यतिक्रम की गई रकम की वसूली करेगा और सुविधा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार, ऐसी सामूहिक विनिधान इकाई की ओर से कार्य करने वाले न्यासी के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ करके, न्यास की आस्तियों के प्रति प्रतिभूति हित, यदि कोई हो, का प्रवर्तन करेगा :

परन्तु न्यास आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने पर, न्यासी वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा और उसकी आस्तियों का ऐसे ऋण की वसूली के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(4) न्यास की आस्तियां, जो उधार देने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यतिक्रम की रकम की वसूली के पश्चात् शेष रह जाती हैं, आनुपातिक आधार पर यूनिट धारकों को वापस कर दी जाएंगी ।”।

भाग 5

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का संशोधन

1956 का 74

150. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (3) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 8 का
संशोधन ।

“(ख) उस वर्ग या उन वर्गों के माल हैं, जो माल को खरीदने वाले रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी के रजिस्टर करने के प्रमाणपत्र में ऐसे माल के रूप में विनिर्दिष्ट है, जो उसके द्वारा पुनःविक्रय के लिए या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा धारा 2 के खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट मालों के विक्रय के लिए विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है ;”।

भाग 6

आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

151. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1974 के अधिनियम संख्यांक 12 का संशोधन।

152. आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- | | |
|--|------------|
| “22. बेनामी संपत्ति व्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 ; | 1988 का 45 |
| 23. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ; | 2017 का 12 |
| 24. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ; | 2017 का 13 |
| 25. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ; और | 2017 का 14 |
| 26. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017।”। | 2017 का 15 |

भाग 7

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

153. इस भाग के उपबंध 1 जुलाई, 2021 को प्रभावी होंगे।

1988 के अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन।

154. बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (1) में, “के अधीन नियुक्त” शब्दों के स्थान पर “में निर्दिष्ट” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 7 का प्रतिस्थापन।

155. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

“7. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी होगा।”।

1976 का 13

धारा 8 से धारा 17 का लोप।

156. धारा 8 से धारा 17 का लोप किया जाएगा।

धारा 26 का संशोधन।

157. धारा 26 में, उपधारा (7) के पश्चात् किन्तु स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का 1 जुलाई, 2021 से प्रारंभ होकर 29 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर अवसान हो जाता है, वहां ऐसा आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का विस्तार 30 सितंबर, 2021 तक किया जाएगा।”।

धारा 68 का संशोधन।

158. धारा 68 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

भाग 8

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

1992 के अधिनियम सं. 15 का संशोधन।

159. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 की उपधारा (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2021 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1ग) कोई व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (13क) में यथा 1961 का 43

परिभाषित किसी वैकल्पिक विनिधान निधि या किसी कारबार न्यास के क्रियाकलाप तब तक प्रायोजित नहीं करेगा या नहीं करवाएगा या नहीं चलाएगा या नहीं चलवाएगा जब तक बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं कर दिया जाता है।”।

भाग 9

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का संशोधन

1956 का 42

160. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2 के खंड (छ) में, “किसी व्यक्ति” शब्दों के पश्चात् “या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (घक) में यथा परिभाषित कोई सामूहिक विनिधान इकाई” शब्द 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

1993 के
अधिनियम 51
का संशोधन।

भाग 10

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

161. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में,—

सातवीं अनुसूची
का संशोधन।

(क) “(धारा 138 देखें)” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “(धारा 136 देखें)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 2403 99 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, 1 जनवरी, 2022 से, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“2404 11 00	--	तंबाकू या पुनर्गठित तंबाकू सहित	कि.ग्रा.	25%
2404 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	25%”।

भाग 11

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन

2002 का 54

162. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2021 से—

2002 के
अधिनियम सं0
54 का संशोधन।

(i) खंड (च) में,—

1956 का 42

(क) “उधार लेने वाला” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है शब्दों के स्थान पर, “उधार लेने वाला” से ऐसा कोई व्यक्ति या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (घक) में यथा परिभाषित कोई सामूहिक विनिधान इकाई अभिप्रेत है शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) “इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है” शब्दों के स्थान पर, “इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या कोई सामूहिक विनिधान इकाई भी है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (यघ) के उपखंड (iv) में, “प्रतिभूत ऋण के लिए किसी कंपनी द्वारा नियुक्त बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर न्यासी” शब्दों के स्थान पर, “किसी बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत और प्रतिभूत ऋण के लिए नियुक्त डिबेंचर न्यासी” शब्द रखे जाएंगे।

भाग 12

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

163. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2021 से “31 मार्च, 20p21” अंकों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2023” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2002 के
अधिनियम
संख्यांक 58 का
संशोधन।

भाग 13

औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 का संशोधन

इस भाग का
प्रारंभ।

164. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 3 का
संशोधन।

165. औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (2) में,—

2003 का 53

(i) आरंभिक पैरा में, “ऐसे कारबार के अतिरिक्त, जो विकास बैंक द्वारा किया जा सकेगा या उसके द्वारा संव्यवहृत किया जा सकेगा,” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि परन्तुक के खंड (क) के उपबंध वित्त अधिनियम, 2021 के भाग 13 के प्रारंभ के ठीक पश्चात् लागू नहीं रहेंगे और ऐसे प्रारंभ से, कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्रास कर ली है।”।

1949 का 10

भाग 14

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

इस भाग का
प्रारंभ।

166. इस भाग के उपबंध 1 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होंगे और प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

धारा 97 का
संशोधन।

167. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 97 में, —

2004 का 23

(i) खंड (13) के उपखंड (ख) में “पारस्परिक निधि” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“पारस्परिक निधि” ; या

(खक) 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् ऐसी बीमा कंपनी द्वारा जारी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के संबंध में, किसी बीमा कंपनी को, परिपक्वता पर या आंशिक निकासी पर साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिट का विक्रय या उसका वापस किया जाना या उसका मोचन ;”;

(ii) खंड (13) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(13क) “यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी” का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा (10घ) के स्पष्टीकरण में उसका है।”।

1961 का 43

धारा 98 का
संशोधन।

168. मूल अधिनियम की धारा 98 की सारणी में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“5क. 1 फरवरी, 2021 को या उसके [0.001] प्रतिशत विक्रेता”।

पश्चात् ऐसी बीमा कंपनी द्वारा जारी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के संबंध में किसी बीमा कंपनी को, परिपक्वता पर या आंशिक निकासी पर साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिट का विक्रय या उसका वापस किया जाना या उसका मोचन।”।

169. मूल अधिनियम की धारा 100 में, “पारस्परिक निधि” शब्दों के पश्चात्, जहां-जहां वे आते हैं, “या बीमा कंपनी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 100 का संशोधन।

170. मूल अधिनियम की धारा 101 में, “पारस्परिक निधि” शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, “या बीमा कंपनी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 101 का संशोधन।

भाग 15

वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन

171. वित्त अधिनियम, 2016 में,—

2016 के अधिनियम संख्यांक 28 का संशोधन।

(क) निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे और ये 1 अप्रैल, 2020 से किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) धारा 163 की उपधारा (3) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए और ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल में ऐसे प्रतिफल को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 या धारा 90क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित करार के साथ पठित उक्त अधिनियम के अधीन भारत में स्वामिस्व या फीस के रूप में तकनीकी सेवाओं के लिए कराधेय हैं।”;

1961 का 43

(ii) धारा 164 के खंड (गख) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “माल का आनलाइन विक्रय” और “सेवाओं की आनलाइन व्यवस्था” में निम्नलिखित एक या अधिक आनलाइन क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) विक्रय के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति ; या

(ख) क्रय आदेश देना ; या

(ग) क्रय आदेश की स्वीकृति ; या

(घ) प्रतिफल का संदाय ; या

(ङ) आंशिक या पूर्ण रूप से माल की पूर्ति या सेवाओं की व्यवस्था ;’;

(iii) धारा 165क की उपधारा (3) में,—

(अ) आरंभिक भाग में, ‘इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट परिस्थितियों” से,—’ शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :—

‘इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिर्दिष्ट परिस्थितियों” से—’;

(आ) इस प्रकार यथासंशोधित खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं से प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(i) इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि क्या ई-वाणिज्य प्रचालक माल का स्वामी है

अथवा नहीं है, माल के विक्रय के लिए प्रतिफल किन्तु इस प्रकार कि इसके अंतर्गत ऐसे माल के विक्रय के लिए प्रतिफल सम्मिलित नहीं होगा जिनका स्वामी भारत में निवासी व्यक्ति है या भारत में अनिवासी किसी व्यक्ति का स्थायी स्थापन के स्वामित्वाधीन है यदि ऐसे माल का विक्रय प्रभावी रूप से ऐसे स्थायी स्थापन से संबद्ध है ;

(ii) इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि क्या सेवा किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रदान की गई है या उसके द्वारा सुकर बनाई गई है, किन्तु इस प्रकार कि इसमें ऐसी सेवाओं के लिए प्रतिफल सम्मिलित नहीं होगा जिन्हें भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा या भारत में अनिवासी व्यक्ति के भारत में स्थायी स्थापन द्वारा उपलब्ध कराया गया है यदि ऐसी सेवाओं का उपबंध प्रभावी रूप से ऐसे स्थायी स्थापन से संबद्ध है।”;

(ख) धारा 191 के परन्तुक में, “प्रतिदेय होगा” शब्दों के स्थान पर “बिना किसी ब्याज के प्रतिदेय होगा” शब्द रखे जाएंगे और 1 जून, 2016 से रखे गए समझे जाएंगे।

भाग 16

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 का संशोधन

2020 के अधिनियम संख्यांक 3 का संशोधन।

172. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 में 17 मार्च, 2020 से निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे और किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि “अपीलार्थी” पद में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा और कभी भी सम्मिलित हुआ नहीं समझा जाएगा, जिसके मामले में या तो उसके द्वारा या आय-कर प्राधिकारी द्वारा अथवा दोनों के द्वारा, किसी अपील मंच के समक्ष आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 19 के अधीन समझौता आयोग के किसी आदेश से उद्भूत होने वाली कोई रिट याचिका या विशेष इजाजत याचिका या कोई अन्य कार्यवाही फाइल की गई है और ऐसी याचिका या अपील या तो लंबित है या उसका निपटारा कर दिया गया है।”;

1961 का 43

(ii) खंड (ज) के दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, यथास्थिति, किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में “विवादित कर” पद में आय-कर अधिनियम के अध्याय 19 के अधीन समझौता आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में या तो कर, शास्ति अथवा ब्याज के माध्यम से संदेय कोई राशि सम्मिलित नहीं होगी और कभी सम्मिलित हुई नहीं समझी जाएगी।”;

(iii) खंड (ण) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि “कर बकाया” पद के अंतर्गत आय-कर अधिनियम के अध्याय 19क के अधीन समझौता आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में या तो कर, शास्ति अथवा ब्याज के माध्यम से संदेय कोई राशि सम्मिलित नहीं होगी और कभी सम्मिलित हुई नहीं समझी जाएगी।’

भाग 17

कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 का संशोधन

173. कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 में 1 अप्रैल, 2021 से धारा 4 में,—

2020 के
अधिनियम
संख्यांक 38 का
संशोधन।

(i) खंड (XIV) के उपखंड (क) में, उपमद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ii) खंड (i) में दीर्घ पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में आय पर संगणित आय-कर की रकम, यदि कोई हो, जिसे कुल आय में सम्मिलित किया गया है,—

(अ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की दशा में बीस प्रतिशत की दर पर ;

(आ) विनिर्दिष्ट निधि की दशा में दस प्रतिशत की दर पर :

परंतु धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के माध्यम से आय पर संगणित आय-कर की रकम पांच प्रतिशत की दर पर होगी ;”;

(ii) खंड (XXIV) में “(9) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी” से प्रारंभ होने वाले और “ऐसा निर्धारण इस धारा के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया है”, के साथ समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(10) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन सत्यापन एकक का कृत्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या अधिसूचित किसी अन्य स्कीम के अधीन स्थापित किसी अन्य पहचान विहीन केन्द्र में अवस्थित किसी सत्यापन एकक द्वारा भी किया जा सकेगा ; और सत्यापन के अनुरोध को राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र द्वारा ऐसी सत्यापन यूनिट को भी सौंपा जा सकेगा।”

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (ii) और मद (iii) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

- | | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

- | | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

- | | |
|---|------------|
| (1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
|---|------------|

- | | |
|---|---|
| (2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है । | 1,00,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों या धारा 115खकग के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, —

(क) जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) जिनकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिनकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक कुल आय का 10 प्रतिशत ;
नहीं है
- (2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है 1,000 रुपए धन उस रकम का 20
किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000
रुपए से अधिक हो जाती है ;
- (3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है 3,000 रुपए धन उस रकम का 30
प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000
रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में, —

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ड

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

- | | |
|--|------------------------|
| (i) जहां पूर्ववर्ष 2018-19 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां चार अरब रुपए से अधिक न हो | कुल आय का 25 प्रतिशत; |
| (ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय | कुल आय का 30 प्रतिशत । |

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में, —

- | | |
|---|--------------|
| (i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है, — | 50 प्रतिशत ; |
|---|--------------|

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| (ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो | 40 प्रतिशत । |
|--------------------------------------|--------------|

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित, दर से, —

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194छख, धारा 194छखख, धारा 194छखख और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	

(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;

(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति

(vi) किसी अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—

(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—

(अ) विनिधान से किसी आय पर 20 प्रतिशत ;

(आ) धारा 115ड या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;

(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;

(ई) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में अन्य आय पर जो एक लाख रुपए से अधिक है 20 प्रतिशत ;

(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 15 प्रतिशत ;

(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194छ या धारा 194छग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;

(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 10 प्रतिशत ;

(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत

सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(त्रट) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—

(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;

(ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(अं) लाभांश के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ;

(अः) अन्य सम्पूर्ण आय पर 30 प्रतिशत ;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—

(अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194छ या धारा 194छग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;

(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 10 प्रतिशत ;

(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय 10 प्रतिशत ;

स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर

(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;

(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 15 प्रतिशत ;

(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;

(ऐ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;

(ओ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है] 20 प्रतिशत ;

(औ) लाभांश के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ;

(अं) अन्य सम्पूर्ण आय पर 30 प्रतिशत ।

2. किसी कंपनी की दशा में,—

(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—

(i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;

(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(iv) किसी अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—

(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

- (ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा किसी विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;
- (iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 10 प्रतिशत ;
- (v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—
- (अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है 50 प्रतिशत ;
- (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है 10 प्रतिशत ;
- (vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—
- (अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है 50 प्रतिशत ;
- (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है 10 प्रतिशत ;
- (vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 15 प्रतिशत ;

(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ix) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक आय पर	10 प्रतिशत ;
(x) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(xi) लाभांश के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(xii) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, “विनिधान से आय” और “अनिवासी भारतीय” के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित

नहीं है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह उपखंड (III) और उपखंड (IV) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और “अग्रिम कर” की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन काटा जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की प्रवृत्त दर या दरों पर संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ख या धारा 115खग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में “अग्रिम कर” नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खकक या धारा 115खकख या धारा 115खकघ या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखख या धारा 115खखघ या धारा 115खखङ या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115ङ या धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे “अग्रिम कर” पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या

आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

- | | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

(II) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

- | | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

- | | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,00,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार या आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ; और

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है	3,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत।
-------------------	-------------

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के

एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परन्तु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2019-2020 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्ति 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है कुल आय का 25 प्रतिशत ;

(ii) मद (i) में निर्दिष्ट देशी कंपनी से भिन्न कुल आय का 30 प्रतिशत।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,— 50 प्रतिशत ;

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से, प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 4**[धारा 2(13)(ग) देखिए]****शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम**

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “गृह-संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माकड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परन्तु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी किसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्दे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल

(vi) 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन प्राप्त हैं ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 104(i) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 28 में, टैरिफ मद 2803 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 39 में, शीर्ष 3925 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 70 में, शीर्ष 7007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 71 में, टैरिफ मद 7104 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 84 में,—

(i) टैरिफ मद 8414 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 8414 40 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 8414 80 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 85 में,—

(i) उपशीर्ष 8501 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8501 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52 और 8501 53 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8504 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8512 90 00, 8536 41 00 और 8536 49 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 8537 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 8544 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 90 में,—

(i) टैरिफ मद 9031 80 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 9032 89 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 91 में, टैरिफ मद 9104 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 104(ii) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 27 में, 1 अप्रैल, 2021 से, शीर्ष 2709, टैरिफ मद 2709 10 00 और टैरिफ मद 2709 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाती
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2709	पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, कच्चा तेल			
2709 00	-- पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, कच्चा तेल			
2709 00 10	--- पेट्रोलियम कच्चा तेल	कि.ग्रा.	5%	-
2709 00 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	5%	-"।

चौथी अनुसूची

[धारा 104(iii) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाती
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) अध्याय 2 के टिप्पण में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) खाद्य, अजीवित कीट (शीर्ष 0410) ;”;

(ii) विद्यमान खंड (ख) और खंड (ग) को क्रमशः खंड (ग) और खंड (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा ;

(2) अध्याय 3 में,—

(i) टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3. शीर्ष 0305 से शीर्ष 0308 के अंतर्गत मानव उपभोग के लिए उपयुक्त आटे, अवचूर्ण और गुटिकाएं नहीं आती हैं (शीर्ष 0309)।”;

(ii) शीर्ष 0302 में स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर,—

(क) टैरिफ मद 0302 29 00 के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- ट्यूना (जीनस ध्युन्नस की), स्किपजैक ट्यूना (पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो) (कातसूवोनसपेलामिस), उपशीर्ष 0302 91 से उपशीर्ष 0302 99 तक की खाद्य मछली के अवशिष्ट से भिन्न :”;

(ख) टैरिफ मद 0302 33 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“-- स्किपजैक ट्यूना (पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो) (कातसूवोनसपेलामिस)”;

(ग) टैरिफ मद 0302 55 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“-- अलास्का पोलैक (थेरोग्ता कोलकोग्रामा)”;

(iii) शीर्ष 0303 में,—

(क) टैरिफ मद 0303 39 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- ट्यूना (जीनस थ्यून्नस की), स्किपजैक ट्यूना (पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो) (कातसूवोनस पेलासिस), उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 0303 99 तक के खाद्य मछली अपशिष्ट से भिन्न :”;

(ख) टैरिफ मद 0303 43 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“-- स्किपजैक ट्यूना (पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो) (कातसूवोनसपेलामिस)”;

(ग) टैरिफ मद 0303 67 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

-- अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा);

(iv) शीर्ष 0304 में,—

(क) टैरिफ मद 0304 75 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

-- अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा);

(ख) टैरिफ मद 0304 87 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

-- ट्यूना (जीनस थ्युन्नस की), स्किपजैक ट्यूना (पट्टीदार तुंदवाली बोनिटो) (कातसूवोनसपेलामिस);

(ग) टैरिफ मद 0304 94 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

-- अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा);

(घ) टैरिफ मद 0304 95 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

-- अलास्का पोलैक (थेरोग्रा कोलकोग्रामा) से भिन्न, (ब्रेगमासेरोटाइडिए, इयूक्लिचथिडिए, गेडिडाय, मैक्रयूरिडिए, मेलानोनिडाए, मरल्यूसिडाए) मोरिडाय और मुरेनोलेपिडिडाए कुलों की मछली;

(v) शीर्ष 0305 में,—

(क) शीर्ष 0305 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“मछली शुष्कित, लवण जल में रखी ; धूम्रित मछली, चाहे वह धूमन प्रक्रिया से पूर्व या उसके दौरान पकाई गई या नहीं”;

(ख) टैरिफ मद 0305 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vi) शीर्ष 0306 में,—

(क) शीर्ष 0306 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“क्रस्टेशियन, चाहे कवचयुक्त हों या नहीं, जीवित, ताजे, द्रुत शीतित, हिमशीतित शुष्कित, सूखे, लवणित या लवण जल में रखी ; धूम्रित क्रस्टेशियन, कवचयुक्त क्रस्टेशिया जो भापन द्वारा या जल में उबालकर पकाई गई है, चाहे द्रुतशीतित, हिमशीतित शुष्कित लवणित या लवण जल में रखी है या नहीं”;

(ख) टैरिफ मद 0306 19 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

-- अन्य”;

(ग) टैरिफ मद 0306 39 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

-- अन्य”;

(घ) टैरिफ मद 0306 99 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“— अन्य”;

(vii) शीर्ष 0307 में,—

(क) शीर्ष 0307 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“मोलस्क, चाहे कवचयुक्त है या नहीं ; जीवित, ताजी, द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी हुई, धूम्रित मोलस्क, चाहे कवच में हों या नहीं, चाहे वह धूमन प्रक्रिया के पूर्व या उसके दौरान पकाई गई हों या नहीं”;

(ख) टैरिफ मद 0307 19 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“— स्केलोप्स और पैक्टीनीडि कुल के अन्य मोलस्क :”;

(ग) टैरिफ मद 0307 88 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“— अन्य”;

(viii) शीर्ष 0308 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“क्रस्टेशियन और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरुकीय, जीवित, ताजी, द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित, लवणित या लवण जल में रखी ; और क्रस्टेशियन और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकीय चाहे वह धूमन प्रक्रिया से पूर्व या उसके दौरान पकाई गई है या नहीं”;

(ix) टैरिफ मद 0308 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“0309 मछली, क्रस्टेशिया, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकीय के आटे, अवचूर्ण और गुटिकाएं जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है

0309 10	-	मछली के :			
0309 10 10	---	ताजा या द्रुतशीतित	कि.ग्रा.	30%	-
0309 10 20	---	हिमशीतित	कि.ग्रा.	30%	-
0309 10 30	---	लवणित या लवण जल में रखी हुई, शुष्कित या धूम्रित	कि.ग्रा.	30%	-
0309 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90	-	अन्य :			
	---	क्रस्टेशिया के, ताजे या द्रुतशीतित :			
0309 90 11	----	वेनेमई झींगी (लिटोपेनियस वेनेमई)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 12	----	भारतीय श्वेत झींगी (फेनेरोपेनियस इंडीकस)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 13	----	ब्लैक टाइगर झींगी (पेनियस मोनोडोन)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 14	----	फ्लावर झींगी (पेनियस सेमीसलकेटस)	कि.ग्रा.	30%	-

0309 90 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	---	हिमशीतित हुए क्रस्टेशियन:			
0309 90 21	----	वेनेमई झींगी (लिटोपेनियस वेनेमई)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 22	----	भारतीय सफेद झींगी (फेनेरोपेनियस इंडीकस)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 23	----	ब्लैक टाइगर झींगी (पेनियस मोनोडोन)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 24	----	फ्लावर झींगी (पेनियस सेमीसलकेटस)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	---	क्रस्टेशियन के, लवणित, लवण जल में रखे हुए, शुष्कित या धूम्रित:			
0309 90 31	----	वेनेमई झींगी (लिटोपेनियस वेनेमई)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 32	----	भारतीय सफेद झींगी (फेनेरोपेनियस इंडीकस)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 33	----	ब्लैक टाइगर झींगी (पेनियस मोनोडोन)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 34	----	फ्लावर झींगी (पेनियस सेमीसलकेटस)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 40	---	अन्य, क्रस्टेशियन के	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 50	---	मोलस्क के, ताजे या द्रुतशीतित	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 60	---	मोलस्क के, जमे हुए	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 70	---	मोलस्क के, लवणित, लवण जल में रखे, शुष्कित या धूम्रित	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 80	---	अन्य, मोलस्क के	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(3) अध्याय 4 में,—

(i) टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2. शीर्ष 0403 के प्रयोजनों के लिए, योगर्ट सांद्रित या सुरुचित हो सकेगा और उसमें मिलाई हुई चीनी या अन्य मधुरण पदार्थ, फल, गिरियां, कोकोआ, चाकलेट, मसाले, काफी या काफी के सत्व, पौधे, पौधों के भाग, अन्न या बेकर वेयर हो सकेंगे, परन्तु किसी भी मिलाए हुए तत्व को पूर्णतः या भागतः किसी दुग्ध संघटक को बदलने के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और उत्पाद योगर्ट के आवश्यक चरित्र को बनाए रखेगा।”;

(ii) विद्यमान टिप्पण 2 और टिप्पण 3 को क्रमशः टिप्पण 3 और टिप्पण 4 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ;

(iii) विद्यमान टिप्पण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“5. इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं :

(क) मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त, अजीवित कीट (शीर्ष 0511) ;

(ख) छेने के पानी से प्राप्त उत्पाद, जिनमें शुष्क पदार्थ के आधार पर संगणित, अजलीय लैक्टोस के रूप में अभिव्यक्त, लैक्टोस भार के आधार पर 95% से अधिक है (शीर्ष 1702) ;

(ग) किसी अन्य तत्व (उदाहरण के लिए तेल वसा) द्वारा इसके एक या अधिक प्राकृतिक संघटकों (उदाहरण के लिए ब्यूट्रिक वसा) से बदलकर दुग्ध से प्राप्त उत्पाद (शीर्ष 1901 या शीर्ष 2106) ; या

(घ) एल्बुमिन (जिनके अन्तर्गत दो या अधिक छेना पानी प्रोटीन के सांद्र हैं जिनके भार के आधार 80% से अधिक छेना पानी प्रोटीन है जो शुष्क पदार्थ पर परिकलित किए गए हैं) (शीर्ष 3502) या ग्लोबूलिन (शीर्ष 3504) ।

6. शीर्ष 0410 के प्रयोजनों के लिए, “कीट” पद से खाद्य अजीवित कीट, पूर्णतः या भागतः, ताजे, द्रुतशीतित, हिमशीतित, शुष्कित, धूम्रित, लवणित या लवण जल में रखे हुए के और साथ ही मानव उपभोग के लिए उपयुक्त कीटों के आटे और अवचूर्ण अभिप्रेत हैं। तथापि, इसके अंतर्गत अन्यथा तैयार या परिरक्षित किए गए खाद्य अजीवित कीट नहीं आते हैं (साधारणतया अनुभाग 4)।”;

(iv) शीर्ष 0403 में,—

(क) शीर्ष 0403 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“दही ; द्वाछ, जमाया हुआ दूध और क्रीम, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लित दूध और क्रीम, चाहे वे सांद्रित हों या नहीं या उसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य हैं या नहीं वह सुरुचित है या नहीं अथवा उसमें मिलाया गया फल, गिरियां या कोको है अथवा नहीं;”;

(ख) टैरिफ मद 0403 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0403 20 00 - दही कि.ग्रा. 30% -”;

(v) शीर्ष 0410, उपशीर्ष 0410 00, टैरिफ मद 0410 00 10 से टैरिफ मद 0410 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0410		कीट तथा प्राणिजन्य और अन्य खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं			
0410 10	-	कीट :			
0410 10 10	---	ताजे, द्रुतशीतित या हिमशीतित	कि.ग्रा.	30%	-
0410 10 20	---	लवणित, लवण जल में रखे हुए, शुष्कित या धूम्रित	कि.ग्रा.	30%	-
0410 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
0410 90	-	अन्य :			
0410 90 10	---	वन्य प्राणी	कि.ग्रा.	30%	-
0410 90 20	---	कछुए के अंडे और सेलेनगेंस के घोंसले (“पक्षियों के घोंसले”)	कि.ग्रा.	30%	-
0410 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-”;

(4) अध्याय 7 में,—

(i) टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“5. शीर्ष 0711 उन वनस्पतियों को लागू होता है, जिन्हें उपयोग के पहले परिवहन या भंडारण के दौरान उनका अनंतिम परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः उपचारित किया गया है (उदाहरणार्थ, सल्फर डाईआक्साईड गैस में लवण जल में, गंधक जल में या अन्य परिरक्षक घोल में), परन्तु वे उस स्थिति में तुरंत उपभोग के लिए अनुपयुक्त रहते हैं।”;

(ii) शीर्ष 0704 में, टैरिफ मद 0704 10 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- फूल गोभी और ब्रोकली”;

(iii) शीर्ष 0709 में, टैरिफ मद 0709 51 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“0709 52 00	--	बोलेटस वंश की खुंबी	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 53 00	--	केंथरेलस वंश की खुंबी	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 54 00	--	शिटके (लेंटीनस इडोडस)	कि.ग्रा.	30%	20%

0709 55 00	--	मटसूटेक (ट्राईकोलोमा मटसूटेक, ट्राईकोलोमा कि.ग्रा. 30% 20% मेगनीवेलर, ट्राईकोलोमा एनाटोलिकम, ट्राईकोलोमा डलकियोलेस, ट्राईकोलोमा केलीगेटम)
------------	----	---

0709 56 00	--	ट्रफल (ट्यूबर स्पी.) कि.ग्रा. 30% 20%";
------------	----	---

(iv) शीर्ष 0711 में, शीर्ष 0711 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“वनस्पतियां जो अनंतिम रूप से परिरक्षित वनस्पतियां हैं, किंतु तुरंत उपभोग के लिए उस स्थिति में अनुपयुक्त हैं,”

(v) शीर्ष 0712 में, टैरिफ मद 0712 33 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0712 34 00	--	शिट्टेक (लेंटीनस इडोडस) कि.ग्रा. 30% 20%";
-------------	----	--

(5) अध्याय 8 में,—

(i) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4. शीर्ष 0812 उस फल और गिरियों को लागू होता है, जिन्हें उपयोग के पहले परिवहन या भंडारण के दौरान (उदाहरण के लिए सल्फर डाईआक्साईड गैस, लवण जल में, सल्फर जल में या अन्य परिरक्षक विलयनों से) उनका अनंतिम परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः उपचारित किया गया है, परन्तु वे उस स्थिति में तुरंत उपभोग के लिए अनुपयुक्त रहते हैं।”;

(ii) शीर्ष 0802 में, टैरिफ मद 0802 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- अन्य :

0802 91 00	--	पाइन गिरी, कवचयुक्त कि.ग्रा. 100% 90%
0802 92 00	--	पाइन गिरी, कवचरहित कि.ग्रा. 100% 90%
0802 99 00	--	अन्य कि.ग्रा. 100% 90%";

(iii) शीर्ष 0805 में, टैरिफ मद 0805 40 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- छोटा चकोतरा और चकोतरा”;

(iv) शीर्ष 0812 में, शीर्ष 0812 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“अनंतिम रूप से परिरक्षित फल और गिरियां, परन्तु उस स्थिति में तुरंत उपभोग के लिए अनुपयुक्त”;

(6) अध्याय 10 के टिप्पण 1 में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) इस अध्याय के अंतर्गत वे अन्न नहीं हैं, जिनका तुष निकाला गया है या जिन्हें अन्यथा कर्मित किया है। तथापि ऐसे चावल को जिसकी भूसी निकाली गई है जिसे कूटा गया है, जिस पर पालिश की गई है, जो चमकाया गया है, जो उसना गया है या जो टूट गया है, शीर्ष 1006 में वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार, सेपोनिन को अलग करने के लिए क्विनोआ, जिससे पेरीकार्प पूर्णतः या भागतः हटा दी गई है, शीर्ष 1008 में वर्गीकृत की गई है।”;

(7) अध्याय 12 में, शीर्ष 1211 में, टैरिफ मद 1211 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1211 60 00	-	अफ्रीकन चैरी की पल्क (पूनस अफ्रीकन) कि.ग्रा. 30% -";
-------------	---	--

(8) अनुभाग 3 में, अनुभाग शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुभाग शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्राणी, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल और उनके विदलन उत्पाद ; निर्मित खाद्य वसा ; प्राणी या वनस्पति मोम”;

(9) अध्याय 15 में,—

(i) अध्याय शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्राणी, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल और उनके विदलन उत्पाद ; निर्मित खाद्य वसा ; प्राणी या वनस्पति मोम”;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 1509 30 के प्रयोजनों के लिए, 2.0 ग्रा./100 ग्रा. से अधिक तेल अम्ल के रूप में अभिव्यक्त सुअम्लता वाला प्राकृत जैतून का तेल है और उसे कोडेक्स एलीमेनटेरियस मानक 33-1981 में इंगित विशेषताओं के अनुसार अन्य प्राकृत जैतून के तेल प्रवर्गों से अलग-अलग दिखाया जा सकता है।

2. उपशीर्ष 1514 11 और उपशीर्ष 1514 19 के प्रयोजनों के लिए, “निम्न एरुसिक अम्ल तोरिया या कोल्जा तेल” पद से वह अवाष्पशील तेल अभिप्रेत है, जिसमें भार के आधार पर 2% से कम एरुसिक अम्ल अन्तर्वस्तु है।”;

(iii) शीर्ष 1509 में, टैरिफ मद 1509 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“1509 20 00	-	अतिरिक्त प्राकृत जैतून का तेल	कि.ग्रा.	45%	35%
1509 30 00	-	प्राकृत जैतून का तेल	कि.ग्रा.	45%	35%
1509 40 00	-	अन्य प्राकृत जैतून के तेल	कि.ग्रा.	45%	35%”;

(iv) शीर्ष 1510, उपशीर्ष 1510 00, टैरिफ मद 1510 00 10 से टैरिफ मद 1510 00 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“1510		अन्य तेल और उनके प्रभाज जो केवल जैतून से अभिप्राप्त हैं चाहे परिष्कृत हैं या नहीं किन्तु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं जिसके अन्तर्गत शीर्ष सं. 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण है			
1510 10 00	-	कच्चा जैतून फलमेष तेल	कि.ग्रा.	45%	35%
1510 90	-	अन्य :			
1510 90 10	---	परिष्कृत जैतून फलमेष तेल	कि.ग्रा.	45%	35%
1510 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	45%	35%”;

(v) शीर्ष 1515 में,—

(क) शीर्ष 1515 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, “या वनस्पति वसा” शब्दों के स्थान पर, “, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 1515 50 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“1515 60 00	-	सूक्ष्मजीवी वसा और तेल तथा उनके प्रभाज	कि.ग्रा.	100%	90%”;
-------------	---	--	----------	------	-------

(vi) शीर्ष 1516 में,—

(क) शीर्ष 1516 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, “या वनस्पति वसा” शब्दों के स्थान पर, “, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 1516 20 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“1516 30 00	-	सूक्ष्मजीवी वसा और तेल तथा उनके प्रभाज	कि.ग्रा.	30%	-”;
-------------	---	--	----------	-----	-----

(vii) शीर्ष 1517 में, शीर्ष 1517 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“मार्गरीन, शीर्ष 1516 की खाद्य वसा या तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के प्राणी या वनस्पति या सूक्ष्मजीवी की वसा या तेलों या विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्यमिश्रण या निर्मितियां ;”;

(viii) शीर्ष 1518 में,—

(क) शीर्ष 1518 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“प्राणी, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल और उनके प्रभाज, स्वाधित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलीकृत या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको छोड़कर जो शीर्ष सं.1516 के अन्तर्गत आते हैं, इस अध्याय के, प्राणी, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के अखाद्य मिश्रण या निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित हैं”;

(ख) उपशीर्ष 1518 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(10) अनुभाग 4 में, अनुभाग शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुभाग शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“निर्मित खाद्य पदार्थ ; मादक पेय, स्पिरिट और सिरका; तंबाकू और तंबाकू विनिर्मित अनुकल्प; उत्पाद, चाहे उनमें निकोटिन हों या नहीं, जो दहन के बिना अन्तःश्वसन के लिए आशयित हैं; मानव शरीर में निकोटिन अन्तर्ग्रहण के लिए आशयित निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले अन्य उत्पाद”;

(11) अध्याय 16 में,—

(i) अध्याय शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“मांस की मछली की, क्रेस्टेशिया, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी के, या कीटों की निर्मितियां”;

(ii) टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“1. इस अध्याय के अंतर्गत, अध्याय 2 या अध्याय 3, अध्याय 4 के टिप्पण 6 या शीर्ष 0504 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित या परिरक्षित मांस, मांसावशिष्ट, मछली, क्रेस्टेशिया, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी और साथ ही कीट नहीं आते हैं।”;

(iii) टिप्पण 2 में, “रक्त, मछली” शब्दों के स्थान पर, “रक्त, कीट, मछली” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपशीर्ष टिप्पण 1 में,—

(क) “मांस, मांसावशिष्ट या रक्त की निर्मितियां” शब्दों के स्थान पर, “मांस, मांसावशिष्ट, रक्त या कीटों की निर्मितियां” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “मांस या मांसावशिष्ट के दृश्यमान टुकड़े” शब्दों के स्थान पर, “मांस, मांसावशिष्ट या कीटों के दृश्यमान टुकड़े” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) टैरिफ मद 1601 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“मांस, मांसावशिष्ट, रक्त या कीटों के सासेज और वैसे ही उत्पाद ; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य निर्मितियां”;

(vi) शीर्ष 1602 में, शीर्ष 1602 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“अन्य निर्मित या परिरक्षित मांस, मांसावशिष्ट, रक्त या कीट”;

(vii) शीर्ष 1604 में, उपशीर्ष 1604 14 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“-- ट्यूना मछलियां, स्किपजैक ट्यूना और बोनिटो (साडी सभी जातियां):”;

(12) अध्याय 18 में, टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“1. इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं :

(क) खाद्य निर्मितियां, जिनमें भार के आधार पर 20% से अधिक सासेज, मांस, मांसावशिष्ट, रक्त, कीट, मछली या क्रस्टेशिया, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी या उनका कोई संयोजन है (अध्याय 16) ;

(ख) शीर्ष 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 या 3004 की निर्मितियां।”;

(13) अध्याय 19 में, टिप्पण 1 के खंड (क) में, “रक्त, मछली” शब्दों के स्थान पर, “रक्त, कीट, मछली” शब्द रखे जाएंगे ;

(14) अध्याय 20 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ख) वनस्पति वसा और तेल (अध्याय 15);

(ग) खाद्य निर्मितियां, जिनमें भार के आधार पर 20% से अधिक सासेज, मांस, मांसावशिष्ट, रक्त, कीट, मछली या क्रस्टेशिया, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी या उनका कोई संयोजन है (अध्याय 16);”;

(आ) विद्यमान खंड (ग) और खंड (घ) को क्रमशः खंड (घ) और खंड (ङ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 2008 में, टैरिफ मद 2008 93 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“-- करौंदा (वैक्सीनियम मेक्रोकार्पन वैक्सीनियम आक्सीकोकस,) ; लिंगोबेरीज (वैक्सीनियम विटिस-इंडिया)”;

(iii) शीर्ष 2009 में स्तंभ (2) की प्रविष्टि में,—

(क) शीर्ष 2009 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“फल और गिरी के रस (जिसके अंतर्गत अंगूर की कच्ची शराब और नारियल पानी भी है) और वनस्पति रस, जो अकिण्वित है और जिनमें मिलाई गई स्फिरिट नहीं हैं, चाहे उनमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य है या नहीं”;

(ख) टैरिफ मद 2009 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- अंगूर फल रस ; चकोतरा रस :”;

(ग) टैरिफ मद 2009 79 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- किसी अन्य एकल फल, गिरी या वनस्पति का रस :”;

(घ) टैरिफ मद 2009 81 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

-- करौंदा (वैक्सीनियम मेक्रोकार्पन, आक्सीकोकस वैक्सीनियम) रस ; लिंगोबेरीज (वैक्सीनियम विटिस-इडिया) रस”;

(15) अध्याय 21 के टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(च) शीर्ष 2404 के उत्पाद ;”;

(आ) विद्यमान खंड (च) और खंड (छ) को क्रमशः खंड (छ) और खंड (ज) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा ;

(16) अध्याय 22 के शीर्ष 2202 में, शीर्ष 2202 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, “वनस्पति वसा” शब्दों के स्थान पर, “वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(17) अध्याय 23 के शीर्ष 2306 में, शीर्ष 2306 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, “वनस्पति वसा” शब्दों के स्थान पर, “वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(18) अध्याय 24 में,—

(i) अध्याय शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“ ऐसे उत्पाद जिनमें तंबाकू, पुनर्रचित तंबाकू निकोटिन अनुकल्प या तंबाकू या निकोटीन ; अंतर्विष्ट हों, जो दहन के बिना अन्तःश्वसन के लिए आशयित हैं ; अन्य निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले पदार्थ जो मानव शरीर में निकोटिन के अन्तःग्रहण के लिए आशयित हैं”;

(ii) टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“टिप्पण :

1. इस अध्याय के अंतर्गत औषधीय सिगरेट नहीं आती है (अध्याय 30);

2. शीर्ष 2404 और अध्याय के किसी अन्य शीर्ष में वर्गीकरणीय कोई उत्पाद शीर्ष 2404 में वर्गीकृत किए जाएं ।

3. शीर्ष 2404 के प्रयोजनों के लिए, “दहन के बिना अन्तःश्वसन” पद से दहन के बिना, ऊष्मित परिदान या अन्य साधनों के माध्यम से अन्तःश्वसन अभिप्रेत है ।”;

(iii) टैरिफ मद 2403 99 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2404

ऐसे उत्पाद जिनमें तंबाकू, पुनर्रचित तंबाकू वाले, निकोटिन या तंबाकू या निकोटिन अनुकल्प अन्तर्विष्ट हैं, जो दहन के बिना अन्तःश्वसन के लिए आशयित हैं ; अन्य निकोटिन जिनके ऐसे पदार्थ अन्तर्विष्ट हैं जो मानव शरीर में निकोटिन ग्रहण करने के लिए आशयित हैं

- दहन के बिना अन्तःश्वसन के लिए आशयित उत्पाद :

2404 11 00	--	जिनमें तंबाकू या पुनर्रचित तंबाकू अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	30%	-
2404 12 00	--	अन्य, जिनमें निकोटिन अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	30%	-
2404 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
-	-	अन्य :			
2404 91 00	--	मुख उपयोजन के लिए	कि.ग्रा.	30%	-
2404 92 00	--	ट्रांस डर्मल उपयोजन के लिए	कि.ग्रा.	30%	-
2404 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-”;

(19) अध्याय 25 में,—

(i) टिप्पण 2 में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(इ) डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण (शीर्ष 3816) ;”;

(ii) विद्यमान खंड (इ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झज) को क्रमशः खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) खंड (झज) और खंड (ट) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा;

(iii) शीर्ष 2518 में,—

(क) शीर्ष 2518 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, “डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2518 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(20) अध्याय 27 में, उपशीर्ष टिप्पण 5 में, “प्राणी या वनस्पति वसा” शब्दों के स्थान पर, “प्राणी, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(21) खंड 6 में, टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4. जहां कोई उत्पाद नाम से या कार्य द्वारा वर्णित किए जाने के आधार पर खंड 6 के एक या अधिक शीर्षों तथा शीर्ष 3827 के भी वर्णन के अनुरूप हैं, वहां यह उस शीर्ष में वर्गीकरणीय है जो नाम या कार्य द्वारा उत्पाद के प्रति निर्देश हैं और शीर्ष 3827 के अधीन नहीं।”;

(22) अध्याय 28 में,—

(i) शीर्ष 2844 में, टैरिफ मद 2844 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“-		रेडियो एक्टिव तत्व और समस्थानिक और यौगिक उनसे भिन्न जो उपशीर्ष 2844 10, उपशीर्ष 2844 20 या उपशीर्ष 2844 30 मिश्रातुएं परिक्षेपण में है (जिसके अंतर्गत सरमेट भी हैं), चीनी मिट्टी उत्पाद और ऐसे मिश्रण में, जिनमें तत्व, समस्थानिक या यौगिक अंतर्विष्ट है, रेडियोसक्रिय अपशिष्ट :			
2844 41 00	--	ट्रिटियम और इसके यौगिक ; मिश्रातु, परिक्षेपण (सर्मेट सहित), चीनी मिट्टी उत्पाद और ट्रिटियम या इसके यौगिक अंतर्विष्ट करने वाले मिश्रण	कि.ग्रा.	10%	-
2844 42 00	--	एक्टिनियम-225, एक्टिनियम-227, केलीफोरनियम-253, क्यूरियम-240, क्यूरियम-241, क्यूरियम -242, क्यूरियम -243, क्यूरियम -244, आइनस्टीनियम-253, आइनस्टीनियम -254, गेडोलिनियम-148, पोलोनियम-208, पोलोनियम -209, पोलोनियम -210, रेडियम-223, यूरेनियम-230 या यूरेनियम -232, और उनके यौगिक ; मिश्रातु, परिक्षेपण (सर्मेट सहित) और इसके तत्व या यौगिक अंतर्विष्ट करने वाले चीनी मिट्टी उत्पाद और मिश्रण	कि.ग्रा.	10%	-
2844 43 00	--	अन्य रेडियोएक्टिव तत्व और समस्थानिक और यौगिक; अन्य मिश्रातु, परिक्षेपण (सर्मेट सहित) और इसके तत्व, समस्थानिक या यौगिक अंतर्विष्ट करने वाले चीनी मिट्टी उत्पाद और मिश्रण	कि.ग्रा.	10%	-
2844 44 00	--	रेडियोएक्टिव अपशिष्ट	कि.ग्रा.	10%	-”;

(ii) शीर्ष 2845 में, टैरिफ मद 2845 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2845 20 00	-	बोरोन-10 से भरपूर बोरोन और इसके यौगिक	कि.ग्रा.	10%	-
-------------	---	---------------------------------------	----------	-----	---

2845 30 00	-	लिथियम-6 से पूरित लिथियम और इसके यौगिक	कि.ग्रा.	10%	-
2845 40 00	-	हीलियम-3	कि.ग्रा.	10%	-";

(23) अध्याय 29 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (छ) में, “गंधयुक्त पदार्थ” शब्दों के पश्चात्, “या वामक” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 4 में, “शीर्ष 2911” शब्द और अंकों से आरंभ होने वाले और “निर्बंधित किया जाएगा” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘शीर्ष 2911, शीर्ष 2912, शीर्ष 2914, शीर्ष 2918 और शीर्ष 2922 के प्रयोजनों के लिए, “आक्सीजन कृत्यों” को शीर्ष 2905 से शीर्ष 2920 तक में निर्दिष्ट आक्सीजन कृत्यों, अभिलक्षण कार्बनिक आक्सीजन वाले समूह तक निर्बंधित किया जाएगा’;

(iii) शीर्ष 2903 में, टैरिफ मद 2903 29 00 से टैरिफ मद 2903 31 00 तक, उपशीर्ष 2903 39, टैरिफ मद 2903 39 11 से टैरिफ मद 2903 76 30 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2903 29 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
-	-	एसआईक्लिक हाइड्रोकार्बनों के संतृप्त फ्लूओरोनेटित व्युत्पन्न :			
2903 41 00	--	ट्राईफ्लोरोमीथेन (एचएफसी-23)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 42 00	--	डाईफ्लोरोमेथेन (एचएफसी-32)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 43 00	--	फ्लोरोमेथेन (एचएफसी-41), 1,2-डाईफ्लोरोईथेन (एचएफसी-152) और 1,1- डाईफ्लोरोईथेन (एचएफसी-152ए)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 44 00	--	पेंटाफ्लोरोईथेन (एचएफसी-125), 1,1,1-ट्राईफ्लोरोईथेन (एचएफसी-143ए) और 1,1,2-ट्राईफ्लोरोईथेन (एचएफसी-143)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 45 00	--	1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन (एचएफसी-134ए) और 1,1,2,2-टेट्राफ्लोरोईथेन (एचएफसी-134)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 46 00	--	1,1,1,2,3,3,3-हेक्साफ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-227ईए), 1,1,1,2,2,3-हेक्साफ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-236सीबी), 1,1,1,2,3,3- हेक्साफ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-236ईए) और 1,1,1,3,3,3-हेक्सा फ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-236एफए)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 47 00	--	1,1,1,3,3-पेंटाफ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-245एफए) और 1,1,2,2,3-पेंटा फ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-245सीए)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 48 00	--	1,1,1,3,3- पेंटाफ्लोरोब्यूटेन (एचएफसी-365एमएफसी) और 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-डेकाफ्लोरोपेंटेन (एचएफसी-43-10एमईई)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
-	-	एसआईक्लिक हाइड्रोकार्बनों के असंतृप्त फ्लूओरोनेटिव व्युत्पन्न :			
2903 51	--	2,3,3,3-टेट्राफ्लोरोप्रोपेन (एचएफओ-1234वाईएफ), 1,3,3,3-टेट्राफ्लोरोप्रोपेन (एचएफओ-1234जेडई) और (जेड)-1,1,1,4,4,4-हेक्साफ्लोरो-2-ब्यूटेन(एचएफओ-1336एमजेडजेड)	कि.ग्रा.	10%	-

2903 59	--	अन्य :			
2903 59 10	---	1,1,3,3,3-पेंटाफ्लोरो-2-(ट्राईफ्लोरोमेथिल) प्रोप-1-एन	कि.ग्रा.	10%	-
		[परफ्लोरोआइसोब्यूटेन (पीएफआईबी)]			
2903 59 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	एसआईक्लिक हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमिनेटिव या आयोडिनेटित व्युत्पन्न:			
2903 61 00	--	मेथिल ब्रोमाइड (ब्रोमोमीथेन)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 62 00	--	ईथलिन डाईब्रोमाइल (आईएसओ) (1,2-डाइब्रोमोईथेन)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	एसआईक्लिक हाइड्रोकार्बनों के दो या अधिक विभिन्न हेलोजन अंतर्विष्ट करने वाले हेलोजनेटित व्युत्पन्न :			
2903 71 00	--	क्लोरोडाईफ्लोरोमीथेन (एचसीएफसी-22)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 72 00	--	डाईक्लोरोट्राईफ्लोरोईथेन (एचसीएफसी-123)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 73 00	--	डाईक्लोरोफ्लोरोईथेन (एचसीएफसी-141, 141बी)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 74 00	--	क्लोरोडाईफ्लोरोईथेन (एचसीएफसी-142, 142बी)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 75 00	--	डाईक्लोरोपेंटाफ्लोरोप्रोपेन (एचसीएफसी-225, 225सीए, 225सीबी)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 76	--	ब्रोमोक्लोरोडाईफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1211), ब्रोमोट्राईफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1301) और डाइब्रोमोटेट्राफ्लोरोईथेन (हेलोन-2402) :			
2903 76 10	---	ब्रोमोक्लोरोडाईफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1211)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 76 20	---	ब्रोमोट्राईफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1301)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 76 30	---	डाइब्रोमोटेट्राफ्लोरोईथेन (हेलोन-2402)	कि.ग्रा.	10%	-";

(iv) शीर्ष 2909 में, शीर्ष 2909 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "ईथर पैरोक्साइड" शब्दों के स्थान पर, "ईथर पैरोक्साइड, एसिटल और हेमिएसिटल पैरोक्साइड" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) शीर्ष 2930 में,—

(क) शीर्ष 2930 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"2930 10 00	-	2-(एन, एन-डाइमेथिलएमिनो) ईथेनेथियोल	कि.ग्रा.	10%	-";
-------------	---	-------------------------------------	----------	-----	-----

(ख) टैरिफ मद 2930 90 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 2930 90 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) शीर्ष 2931 के उपशीर्ष 2931 10, टैरिफ मद 2931 10 10 से टैरिफ मद 2931 39 00, उपशीर्ष 2931 90, टैरिफ मद 2931 90 10 से टैरिफ मद 2931 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"2931		अन्य कार्ब-अकार्बनिक यौगिक			
2931 10	-	टेट्रामेथाइल सीसा और टेट्राएथाइल सीसा :			
2931 10 10	---	टेट्रामेथाइल सीसा	कि.ग्रा.	10%	-
2931 10 90	---	टेट्राएथाइल सीसा	कि.ग्रा.	10%	-
2931 20 00	-	ट्राइबुटीलाइन यौगिक	कि.ग्रा.	10%	-

-	गैर-हेलोजेनेटित कार्बनिक फास्फोरस व्युत्पन्न:				
2931 41 00	--	डाईमेथिल मेथिलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 42 00	--	डाईमेथिल प्रोपिलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 43 00	--	डाईएथिल एथिलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 44 00	--	मेथिलफास्फोनिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-
2931 45 00	--	मेथिलफास्फोनिक अम्ल का लवण और (एमिनोइमिनोमेथिल) यूरिया (1 : 1)	कि.ग्रा.	10%	-
2931 46 00	--	2,4,6-ट्राईप्रोपिल-1,3,5,2,4,6-ट्राईओक्साट्राईफोस्फिनेन 2,4,6-ट्राईआक्साइड	कि.ग्रा.	10%	-
2931 47 00	--	(5-एथिल-2-मेथिल-2-ओक्सिडो-1,3,2-डाईओक्साफोस्फिनेन -5-वाईएल) मेथिल मेथिल मेथिलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 48 00	--	3,9-डाइमेथिल-2,4,8,10-टेट्राओक्सा-3,9-डाईफोसफास्पाइरो [5.5] अनडिकेन 3,9-डाईओक्साइड	कि.ग्रा.	10%	-
2931 49	--	अन्य :			
2931 49 10	---	सोडियम 3-(ट्राईहाईड्रोक्सिसिलाइल) प्रोपिल मेथिलफोस्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 49 20	---	बिस[(5-एथिल-2-मेथिल-2-ओक्सिडो-1,3,2-डाईओक्साफोस्फिनेन-5-वाईएल)मेथिल] मेथिलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 49 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
-	हेलोजेनेटित कार्बनिक फास्फोरस व्युत्पन्न :				
2931 51 00	--	मिथाइलफोस्फोनिक डाइक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2931 52 00	--	प्रोपिलफोस्फोनिक डाइक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2931 53 00	--	O-(3-क्लोरोप्रोपिल) O-[4-नाइट्रो-3-(ट्राईफ्लोरोमेथिल) फेनिल] मेथिलफास्फोनोथायोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 54 00	--	ट्राईक्लोरोफोन (आईएसओ)	कि.ग्रा.	10%	-
2931 59 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90	-	अन्य :			
---	कार्ब आर्सेनिक यौगिक :				
2931 90 11	----	मेथिलआर्सेनिक अम्ल और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 12	----	केकोडाइलिक अम्ल और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 13	----	पी-एमिनोफोनिल आर्सेनिक अम्ल और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 14	----	एमिनो-हाइड्रोक्सीफेनिल आर्सेनिक अम्ल, उनके फार्मिल और एसिटिल व्युत्पन्न और उनके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 15	----	आर्सेनो बेंजीन और इसके व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 20	---	कार्बनिक-सिलिकोन यौगिक	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 30	---	ओ-आयोडोसोबेंजोएक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(vii) शीर्ष 2932 में, टैरिफ मद 2932 95 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2932 96 00	--	कार्बोफ्यूरेन (आईएसओ)	कि.ग्रा.	10%	-”;
-------------	----	-----------------------	----------	-----	-----

(viii) शीर्ष 2933 में,—

(क) टैरिफ मद 2933 33 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2933 33	--	एल्फेंटानिल (आईएनएन), एनिलेरिडीन (आईएनएन), बेजीट्रामाड (आईएनएन), ब्रोमाजेपेन (आईएनएन), कारफेंटानिल (आईएनएन), डाइफेनोक्सिन (आईएनएन), डाइफेनोक्सीलेट (आईएनएन), डाइपाइपानोन (आईएनएन), फेंटानिल (आईएनएन), कीटोबेमीडोन (आईएनएन), मेथिलफेनीडेट (आईएनएन), पेंटाजोसीन (आईएनएन), पेथीडीन (आईएनएन), पेथीडीन (आईएनएन), इंटरमीडिएट ए, फेनसाक्लीडीन (आईएनएन) (पीसीपी), फेनोरेरीडीन (आईएनएन), पीपराडोल (आईएनएन), पिरिट्रामाड (आईएनएन), प्रोपीरिम (आईएनएन), रेमीफेंटानिल (आईएनएन) और ट्राइमेपेरीडीन (आईएनएन); और उनके लवण :			
		--- एल्फेंटानिल (आईएनएन), एनिलेरिडीन (आईएनएन), बेजीट्रामाड (आईएनएन), ब्रोमाजेपेन (आईएनएन), कारफेंटानिल (आईएनएन), डाइफेनोक्सिन (आईएनएन), डाइफेनोक्सीलेट (आईएनएन), डाइपाइपानोन (आईएनएन); और उनके लवण :			
2933 33 11	----	एल्फेंटानिल (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 12	----	एनिलेरिडीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 13	----	बेजीट्रामाड (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 14	----	ब्रोमाजेपेन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 15	----	कारफेंटानिल (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 16	----	डाइफेनोक्सिन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 17	----	डाइफेनोक्सीलेट (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 18	----	डाइपाइपानोन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
	---	फेंटानिल (आईएनएन), कीटोबेमीडोन (आईएनएन), मेथिलफेनीडेट (आईएनएन), पेंटाजोसीन (आईएनएन), पेथीडीन (आईएनएन), पेथीडीन (आईएनएन), इंटरमीडिएट ए, फेनसाक्लीडीन (आईएनएन) (पीसीपी), फेनोपेरीडीन (आईएनएन); उनके लवण :			
2933 33 21	----	फेंटानिल (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 22	----	कीटोबेमीडोन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 23	----	मेथिलफेनीडेट (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 24	----	पेंटाजोसीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 25	----	पेथीडीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-

2933 33 26	----	पेथीडीन (आईएनएन) इंटरमीडिएट ए और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 27	----	फेनसाक्लीडीन (आईएनएन)(पीसीपी) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 28	----	फेनोपेरीडीन (आईएनएन) और इसके लवण:	कि.ग्रा.	10%	-
	---	पिप्राडोल (आईएनएन) पिरीट्रामाइड (आईएनएन), प्रोपिरैम (आईएनएन) रेमीफेनानिल (आईएनएन) और ट्राईमेपेरीडीन (आईएनएन) ; उनके लवण:			
2933 33 31	----	पिप्राडोल (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 32	----	पिरीट्रामाइड (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 33	----	प्रोपिरैम (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 34	----	रेमीफेनानिल (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 35	----	ट्राईमेपेरीडीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 34 00	--	अन्य फेनानिल और उनके व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	10%	-
2933 35 00	--	3-क्यूनुक्लीडीनोल	कि.ग्रा.	10%	-
2933 36 00	--	4-एनीलिनो-एन-फेनेथाइलपिपेरीडीन (एएनपीपी)	कि.ग्रा.	10%	-
2933 37 00	--	एन-फेनएथिले-4-पिपेरीडोन (एनपीपी)	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2933 39 20 और टैरिफ मद 2933 39 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ix) शीर्ष 2934 में, टैरिफ मद 2934 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2934 92 00	--	अन्य फेनानिल और उनके व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	10%	-";
-------------	----	---------------------------------	----------	-----	-----

(x) शीर्ष 2936 में, टैरिफ मद 2936 24 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

-- डी- या डीएल-पेंटोथीनिक अम्ल (विटामिन बी5) और
उनके व्युत्पन्न";

(xi) शीर्ष 2939 में,—

(क) उपशीर्ष और टैरिफ मद 2939 30 00 से टैरिफ मद 2939 49 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2939 30 00	-	कैफीन और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
	-	इफेड्रा के एल्केलायड और उनके व्युत्पन्न; उनके लवण:			
2939 41 00	--	इफेड्रीन और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
2939 42 00	--	स्यूडोइफेड्रीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
2939 43 00	--	कैथीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
2939 44 00	--	नोरफेड्रीन और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2939 45 00	--	लीवोमेटाफेटामाइन, मेटाफेटामाइन (आईएनएन) मेटाफेटामाइनरेसीमेट और उनके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
2939 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%";

(ख) टैरिफ मद 2939 69 00 से टैरिफ मद 2939 71 00, उपशीर्ष 2939 79, टैरिफ मद 2939 79 10 से टैरिफ मद 2939 79 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2939 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
-	-	अन्य, वनस्पति उद्भव के :			
2939 72 00	--	कोकेन, एक्मोनाइन ; उनके लवण, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	10%	-
2939 79 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(24) अध्याय 30 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) उत्पाद, जैसे टिकियाएं, च्यूईगम या पैच (ट्रांसडर्मल प्रणाली), जिनमें निकोटिन अंतर्विष्ट है और जो तंबाकू के उपयोग को रोकने में सहायता करने के लिए आशयित हैं (शीर्ष 2404);”;

(आ) खंड (छ) में, “या” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(इ) खंड (ज) में, “(शीर्ष 3502)” कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, “(शीर्ष 3502);या” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ई) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(झज) शीर्ष 3822 के नैदानिक अभिकर्मक ”;

(ii) टिप्पण 4 में, खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ड) मान्यताप्राप्त क्लीनिकल ट्रायल में उपयोग के लिए मापित मात्रा में रखी गई छद्म औषधियां और ब्लाइंडेड (या डबल-ब्लाइंडेड) क्लीनिकल ट्रायल किट, चाहे उनमें सक्रिय औषध द्रव्य अंतर्विष्ट हैं ;”;

(iii) शीर्ष 3002 में,—

(क) शीर्ष 3002 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, “वैसे ही उत्पाद” शब्दों के स्थान पर, “या तो वैसे ही उत्पाद ; कोशिका संवर्धन, चाहे उपांतरित हो या नहीं” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 3002 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ष 3002 13, टैरिफ मद 3002 13 10, उपशीर्ष 3002 14, टैरिफ मद 3002 14 10 से 3002 19 00, उपशीर्ष 3002 20, टैरिफ मद 3002 20 11 से टैरिफ मद 3002 30 00, उपशीर्ष 3002 90, टैरिफ मद 3002 90 10 से टैरिफ मद 3002 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3002 13 00	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, अमिश्रित, जो फुटकर विक्रय के लिए मापित मात्रा में या रूप या पैकिंग में नहीं रखे गए	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 14 00	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, मिश्रित, जो फुटकर विक्रय के लिए मापित मात्रा में या रूप या पैकिंग में नहीं रखे गए	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 15 00	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, फुटकर जो विक्रय के लिए मापित मात्रा में या रूप या पैकिंग में रखे गए	कि.ग्रा.	10%	10%
-	-	वैक्सीन, आविष, सूक्ष्मजीव (यीस्ट को छोड़कर) के संवर्धन और वैसे ही उत्पाद			
3002 41	--	मानव चिकित्सा के लिए वैक्सीन:			
	---	निम्नलिखित के लिए एकल वैक्सीन :			
3002 41 11	----	हैजा और टाइफाइड	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 12	----	यकृतशोथ	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 13	----	टेटनस	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 14	----	पोलियो	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 15	----	यक्ष्मा	कि.ग्रा.	10%	10%

3002 41 16	----	रेबीज	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 17	----	जापानी मस्तिष्क ज्वर	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 18	----	काली खांसी (कूकरखांसी)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
	---	निम्नलिखित के लिए मिश्रित वैक्सीन :			
3002 41 21	----	डिफ्थीरिया, कूकर खांसी और टेटनेस (डीपीटी)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 22	----	डिफ्थीरिया और टेटनेस (डीटी)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 23	----	खसरा, कनफेड और अरुणचर्मता (एमएमआर)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 24	----	आन्त्र ज्वर-अपान्त्रज्वर (टीएबी)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 25	----	आन्त्रज्वर-अपान्त्र ज्वर-हैजा (टीएबीसी)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 29	----	अन्य :	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 42 00	--	पशु चिकित्सा के लिए वैक्सीन	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 49	--	अन्य			
3002 49 10	---	सूक्ष्मजीवी (यीस्ट को छोड़कर) के संवर्धन	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 49 20	---	आविष	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 49 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
	-	कोशिका संवर्धन, चाहे उपांतरित हों या नहीं :			
3002 51 00	--	कोशिका उपचार उत्पाद	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 59 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 90	-	अन्य :			
3002 90 10	---	मानव रक्त	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 90 20	---	चिकित्सीय, रोग निरोधी या नैदानिक उपयोगों के लिए तैयार किया गया जान्तव रक्त	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%”;

(iv) शीर्ष 3006 में,—

(क) टैरिफ मद 3006 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 3006 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3006 93 00	--	मान्यताप्राप्त क्लीनिकल ट्रायल में उपयोग के लिए मापित मात्रा में रखी गई छद्म औषद्य और ब्लाइंडेड (या डबल-ब्लाइंडेड) क्लीनिकल ट्रायल किट”	कि.ग्रा.	10%	-”;
-------------	----	---	----------	-----	-----

(25) अध्याय 32 में, शीर्ष 3204 में, टैरिफ मद 3204 17 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3204 18 00	--	कैरोटिनोएड रंगकारी पदार्थ और उन पर आधारित निर्मितियां	कि.ग्रा.	10%	-”;
-------------	----	---	----------	-----	-----

(26) अध्याय 34 में,—

(i) टिप्पण 1 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) जान्तव वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेलों के ऐसे खाद्य मिश्रण या निर्मितियां जिनका उपयोग संचमोचन विनिर्मितियों के रूप में किया जाता है (शीर्ष 1517) ;”;

(ii) शीर्ष 3402 में, शीर्ष 3402 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि, उपशीर्ष 3402 11, टैरिफ मद 3402 11 10 से टैरिफ मद 3402 19 00, उपशीर्ष 3402 20, टैरिफ मद 3402 20 10 से टैरिफ मद 3402 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	ऋणायन कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय कर्मक, चाहे फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हों या नहीं :			
3402 31 00	--	रेखीय एल्लिकलबेंजीनसल्फोनिक अम्ल और उनके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
3402 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
	-	अन्य कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय कर्मक, चाहे फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हों या नहीं			
3402 41 00	--	धनायनी	कि.ग्रा.	10%	10%
3402 42 00	--	अनायनी	कि.ग्रा.	10%	10%
3402 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
3402 50 00	-	फुटकर विक्रय के लिए रखी गई निर्मितियां	कि.ग्रा.	10%	-”;

(27) अध्याय 36 में, शीर्ष 3603, उपशीर्ष 3603 00, टैरिफ मद 3603 00 11 से टैरिफ मद 3603 00 59 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3603		सुरक्षा फ्यूज; अधिस्फोटी रज्जु; आघात या अधिस्फोटी टोपियां; प्रज्वालक, विद्युत अधिस्फोटक			
3603 10 00	-	सुरक्षा फ्यूज	कि.ग्रा.	10%	-
3603 20 00	-	अधिस्फोटी रज्जु	कि.ग्रा.	10%	-
3603 30 00	-	आघात टोपियां	कि.ग्रा.	10%	-
3603 40 00	-	अधिस्फोटी टोपियां	कि.ग्रा.	10%	-
3603 50 00	-	प्रज्वालक	कि.ग्रा.	10%	-
3603 60 00	-	विद्युत अधिस्फोटक	कि.ग्रा.	10%	-”;

(28) अध्याय 37 के टिप्पण 2 में, “प्रकाश संवेदी पृष्ठ” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाश संवेदी पृष्ठ, जिसके अंतर्गत ऊष्मा संवेदी पृष्ठ भी हैं,” शब्द रखे जाएंगे ;

(29) अध्याय 38 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) शीर्ष 2404 के उत्पाद ;”;

(आ) विद्यमान खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) को क्रमशः खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा ;

(ii) टिप्पण 4 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) अपशिष्ट से अलग की गई व्यक्ति सामग्री या वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, पेपर, वस्त्र, कांच या धातु, वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रेप (भुक्तशेष बैटरियां समेत) जो नाम पद्धति के समुचित शीर्षों के अंतर्गत आती हैं ;”;

(iii) टिप्पण 7 में, “वनस्पतियों की वसा” शब्दों के स्थान पर, “वनस्पतियों की या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपशीर्ष टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“1. उपशीर्ष 3808 52 और उपशीर्ष 3808 59 के अंतर्गत केवल शीर्ष 3808 के माल हैं, जिनके अंतर्गत एक या अधिक निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैं : एलाक्लोर (आईएसओ) ; एल्डीकार्ब (आईएसओ) ; एल्ड्रिन (आईएसओ) ; एजिनफोस-मेथिल(आईएसओ) ; बाइनापैक्राइल (आईएसओ) ; कैम्फेक्लोर (आईएसओ) (टोक्साफेन) ; कैप्टाफोल (आईएसओ) ; कार्बोफ्यूरेन (आईएसओ) ; क्लोरडेन (आईएसओ) ; क्लोरडाइमेफार्म (आईएसओ) ; क्लोरोबेन्जिलेट (आईएसओ) ; डी.डी.टी. (आईएसओ) ; क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन.), 1, 1, 1-ट्राईक्लोरो- 2-2-बिस (पी-क्लोरोफेनाइल) ईथेन ; डाइएल्ड्रिन (आईएसओ, आई.एन.एन.),

4, 6-डाइनाइट्रो-ओ-क्रेसोल डीएनओसी (आईएसओ) या उसके लवण ; डाइनोसेब (आईएसओ), उसके लवण या उसके एस्टर; एंडोसल्फान (आईएसओ) ; एथिलीन डाईब्रोमाइड (आई.एस.ओ.) (1, 2-डाईब्रोमोएथेन); एथिलीन डाईक्लोराइड (आई.एस.ओ.) (1, 2-डाईक्लोरोएथेन); फ्लूरोएसीटामाइड (आई.एस.ओ.); हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.एस.ओ.); 1, 2, 3, 4, 5, 6-हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (एच.सी.एच.) (आई.एस.ओ.) लिन्डेन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.) सहित; पारा यौगिक; मेथामिडोफोस (आई.एस.ओ.); मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.); आक्सीरैन (एथिलीन आक्साइड); पैराथियन (आई.एस.ओ.); पैराथियनमिथाइल (आई.एस.ओ.); (मिथाइल-पैराथियन); पेंटाक्लोरोफोनोल (आई.एस.ओ.), उसके लवण या उसके एस्टर, परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल और उसके लवण; परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनेमाइड ; परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनिल फ्लोराइड; फास्फामिडान (आई.एस.ओ.) 2, 4, 5-टी (आई.एस.ओ.) (2, 4, 5-ट्राईक्लोरोफेनोक्सीएसेटिक अम्ल), उसके लवण या उसके एस्टर; ट्राईबुटाइलिटिन यौगिक; ट्राईक्लोरफोन (आईएसओ)।”;

(v) उपशीर्ष टिप्पण 3 के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. उपशीर्ष 3824 81 से उपशीर्ष 3824 89 के अंतर्गत केवल मिश्रण और निर्मितियां हैं, जिनमें एक या अधिक निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैं : आक्सीरैन (इथिलेन आक्साइड); पालीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल (पीबीबी); पालीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल (पीसीबी); पालीक्लोरीनेटेड टरफिनाइल (पीसीटी); ट्रिस(2,3-डाईब्रोमोप्रोपिल) फास्फेट ; एल्ट्रिन (आईएसओ); केम्फेक्लोर (आईएसओ) (टोक्सोफीन); क्लोरडोन (आईएसओ); क्लोरडीकोन (आईएसओ); डीडीटी (आईएसओ); (क्लोफीनोटेन (आईएनएन); 1,1,1-ट्राईक्लोरो-2,2- बिस(पी-क्लोरोफिनाइल) ईथेन); डाइएल्ट्रिन (आईएसओ, आईएनएन); एंडोसल्फान (आईएसओ); एंद्रिन (आईएसओ); हेप्टाक्लोर (आईएसओ); मायरेक्स (आईएसओ); 1,2,3,4,5,6-हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (एचसीएच (आईएसओ)); लिंडेन सहित (आईएसओ, आईएनएन); पेंटाक्लोरोबेन्जीन (आईएसओ); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आईएसओ) ; परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल, इसके लवण; परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनेमाइड ; परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनिल फ्लोराइड ; टेट्रा-, पेंटा-, हेक्सा-, हेप्टा- या ऑक्टाब्रोमोबाइफिनाइल ईथर ; लघु श्रृंखला क्लोरीनीकृत पैराफिन ।

लघु श्रृंखला क्लोरीनित पैराफिन भार के आधार पर 48% से अधिक क्लोरीनित डिग्री वाले : $C_xH_{(2x-y+2)Cl_y}$, जहां $x=10-13$ और $y=1-13$. आणविक सूत्र वाले यौगिकों के मिश्रण हैं।”;

(vi) टैरिफ मद 3816 00 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“उच्च ताप सह सीमेंट, मसाला, कंक्रीट और वैसे ही
घटक, जिसके अंतर्गत डोलोमाईट रेमिंग मिक्स भी हैं,
जो शीर्ष 3801 के उत्पादों से भिन्न हैं”;

(vii) शीर्ष 3822, उपशीर्ष 3822 00, टैरिफ मद 3822 00 11 से टैरिफ मद 3822 00 90 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3822	पृष्ठक पर नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक, तैयार नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक, चाहे पृष्ठक पर हों या नहीं, चाहे किट के रूप में रखे गए हों या नहीं, उनसे भिन्न जो शीर्ष 3006 में है ; प्रमाणित निर्देश सामग्री				
-	पृष्ठक पर नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक, तैयार नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक, चाहे पृष्ठक पर हों या नहीं, चाहे किट के रूप में रखे गए हों या नहीं:				
3822 11 00	-- मलेरिया के लिए	कि.ग्रा.	10%	-	
3822 12 00	-- जीका और एडीज वंश के मच्छरों द्वारा संचारित अन्य रोगों के लिए	कि.ग्रा.	10%	-	
3822 13 00	-- रक्त-समूहन के लिए	कि.ग्रा.	10%	-	
3822 19	-- अन्य :				
3822 19 10	--- गर्भ पुष्टि किट	कि.ग्रा.	10%	-	
3822 19 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-	

3822 90	-	अन्य :			
3822 90 10	---	प्रमाणीकृत निर्देश सामग्री	कि.ग्रा.	30%	-
3822 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(viii) शीर्ष 3824 में,—

(क) टैरिफ मद 3824 60 90 से टैरिफ मद 3824 79 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3824 60 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";
-------------	-----	------	----------	-----	-----

(ख) टैरिफ मद 3824 88 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, "हैक्सा, हैप्टा-" शब्दों के स्थान पर, "हैक्साए, हैप्टा-", शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) टैरिफ मद 3824 88 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3824 89 00	--	लघु-शृंखला क्लोरोनित पैराफिन अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-";
-------------	----	---	----------	-----	-----

(घ) टैरिफ मद 3824 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3824 92 00	--	मेथिल फास्फोनिक अम्ल के पोलिग्लाइकोल एस्टर	कि.ग्रा.	10%	-";
-------------	----	--	----------	-----	-----

(ix) टैरिफ मद 3826 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3827		मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हेलोजेनेटित व्युत्पन्न अंतर्विष्ट करने वाले मिश्रण जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं			
-		जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट है चाहे उनमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी), परफ्लोरोकार्बन (पीएफसी) या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) अंतर्विष्ट है या नहीं; जिनमें हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन (एचबीएफसी) अंतर्विष्ट है; जिनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड अंतर्विष्ट है; जिनमें 1,1,1-ट्राईक्लोरोईथेन (मेथिल क्लोरोफार्म) अंतर्विष्ट है :			
3827 11 00	--	जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट है, चाहे उनमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी); परफ्लोरोकार्बन (पीएफसी) या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) अंतर्विष्ट है या नहीं	कि.ग्रा.	10%	-
3827 12 00	--	जिनमें हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन (एचबीएफसी) अंतर्विष्ट है;	कि.ग्रा.	10%	-
3827 13 00	--	जिनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड अंतर्विष्ट है;	कि.ग्रा.	10%	-
3827 14 00	--	जिनमें 1,1,1-ट्राईक्लोरोईथेन (मेथिल क्लोरोफार्म) अंतर्विष्ट है;	कि.ग्रा.	10%	-
3827 20 00	-	जिनमें ब्रोमोक्लोरोडाईफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1211), ब्रोमोक्लोरोट्राईफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1301) या डाईब्रोमोटेट्राफ्लोरोईथेन (हेलोन-2402) अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
-		जिनमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट है, चाहे उनमें परफ्लोरोकार्बन (पीएफसी) या, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) अंतर्विष्ट है या नहीं,			

		किंतु जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट नहीं है:			
3827 31 00	--	जिनमें उपशीर्ष 2903 41 से उपशीर्ष 2903 48 के पदार्थ अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
3827 32 00	--	जिनमें अन्य, उपशीर्ष 2903 71 से उपशीर्ष 2903 75 के पदार्थ अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
3827 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
3827 40 00	-	जिनमें मेथिल ब्रोमाइड (ब्रोमोमीथेन) या ब्रोमोक्लोरोमीथेन अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
	-	जिनमें ट्राईफ्लोरोमीथेन (एचएफसी-23) या परफ्लोरोकार्बन (पीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले किंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) या हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट नहीं है:			
3827 51 00	--	जिनमें ट्राईफ्लोरोमीथेन (एचएफसी-23) अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
3827 59 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	जिनमें अन्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) अंतर्विष्ट है किंतु इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) अंतर्विष्ट नहीं है			
3827 61 00	--	जिनमें 1,1,1- ट्राईफ्लोरोईथेन (एचएफसी-143ए) के द्रव्यमान का 15% या इसमें अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
3827 62 00	--	जिनमें अन्य, ऊपर उपशीर्ष के अंतर्गत नहीं आने वाले पेंटाफ्लोरोईथेन (एचएफसी- 125) के द्रव्यमान का 55% या अधिक अंतर्विष्ट है, किंतु अचक्रीय हाइड्रोकार्बन (एचएफओ) के असंतृप्त फ्लोरीनीकृत व्युत्पन्न अंतर्विष्ट नहीं है	कि.ग्रा.	10%	-
3827 63 00	--	अन्य, पेंटाफ्लोरोईथेन(एचएफसी-125) उपशीर्ष के द्रव्यमान का 40% या अधिक अंतर्विष्ट करने वाले, ऊपर उपशीर्षों के अंतर्गत नहीं आते हैं	कि.ग्रा.	10%	-
3827 64 00	--	अन्य, 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन (एचएफसी-134ए) के द्रव्यमान का 30% या इससे अधिक अंतर्विष्ट है, ऊपर उपशीर्षों के अंतर्गत नहीं आते हैं किंतु अचक्रीय हाइड्रोकार्बन (एचएफओ) के असंतृप्त फ्लोरीनीकृत व्युत्पन्न अंतर्विष्ट नहीं है	कि.ग्रा.	10%	-
3827 65 00	--	अन्य, ऊपर उपशीर्षों के अंतर्गत नहीं आने वाले, डाईफ्लोरोमीथेन (एचएफसी-32) के द्रव्यमान का 20% या अधिक तथा पेंटाफ्लोरोईथेन (एचएफसी-125) के द्रव्यमान का 20% या इससे अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
3827 68 00	--	अन्य, ऊपर उपशीर्षों के अंतर्गत नहीं आने वाले, उपशीर्ष 2903 41 से उपशीर्ष 2903 48 के पदार्थ अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
3827 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
3827 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(30) खंड 7 में, टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. शीर्ष 3918 या शीर्ष 3919 के माल के सिवाय, प्लास्टिक, रबड़ और उनकी वस्तुएं, जिन पर मोटिफ, अक्षर या चित्रमय रूपण मुद्रित है, जो माल के मात्र प्राथमिक उपयोग के लिए आनुषंगिक नहीं हैं, अध्याय 49 के अंतर्गत आती हैं।”;

(31) अध्याय 39 में,—

(i) टिप्पण 2 के खंड (भ) में, “लैंप और प्रकाश फिटिंगें”, शब्दों के स्थान पर, “प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 3907 में, उपशीर्ष 3907 20, टैरिफ मद 3907 20 10 और टैरिफ मद 3907 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	अन्य पोलीथर:			
3907 21 00	--	बिस (पोलीआक्सीइथलीन) मेथिलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
3907 29	--	अन्य :	कि.ग्रा.	10%	-
3907 29 10	---	पोली (इथर एल्कोहल)	कि.ग्रा.	10%	-
3907 29 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-”;

(iii) शीर्ष 3911 में, टैरिफ मद 3911 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3911 20 00	-	पोली (1,3-फेनीलीन मेथिल फास्फोनेट)	कि.ग्रा.	10%	-”;
-------------	---	------------------------------------	----------	-----	-----

(32) अध्याय 40 में, शीर्ष 4015 में टैरिफ मद 4015 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4015 12 00	--	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रकार का	जोड़ा	10%	-”;
-------------	----	--	-------	-----	-----

(33) अध्याय 42 के टिप्पण 2 के खंड (ट) में, “लैंप और प्रकाश फिटिंगें”, शब्दों के स्थान पर, “प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे ;

(34) अध्याय 44 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ण) में, “लैंप और प्रकाश फिटिंगें”, शब्दों के स्थान पर, “प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : —

‘2. उपशीर्ष 4401 32 के प्रयोजनों के लिए, “काष्ठ इष्टिका” पद से उत्पाद अभिप्रेत हैं, जैसे कि यांत्रिक काष्ठ संक्रिया उद्योग, फर्नीचर बनाने वाले उद्योग या अन्य काष्ठ रूपांतरण क्रियाकलापों के कटरसेविंग, बुरादा अथवा चिप, जिन्हें सीधे या कंप्रेशन द्वारा भार द्वारा 3% से अनधिक किसी अनुपात में बाईंडर को जोड़कर संपीड़ित किया गया है। ऐसी इष्टिकाएं घनाकार, बहुफलक या बेलनाकार इकाइयों के रूप में हैं जिनका न्यूनतम अनुप्रस्थ व्यास माप 25 मि.मी. से अधिक है।

3. उपशीर्ष 4407 13 के प्रयोजनों के लिए, “एस-पी-एफ” से स्पूस, पाईन और फर के मिश्रित स्टैंड से प्राप्त काष्ठ निर्दिष्ट हैं, जहां प्रत्येक प्रजाति का अनुपात परिवर्तित होता है और अज्ञात है।

4. उपशीर्ष 4407 14 के प्रयोजनों के लिए, “हेम-फर” वेस्टर्न हेमलाक और फर के मिश्रित स्टैंड से प्राप्त काष्ठ को निर्दिष्ट करता है, जहां प्रत्येक प्रजाति का अनुपात परिवर्तित होता है और अज्ञात है।’;

(iii) शीर्ष 4401 में,—

(क) टैरिफ मद 4401 22 00 के पश्चात् स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में “लट्टों, इष्टिकाओं, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में, संपीड़ित”, शब्दों के स्थान पर, “लट्टों, इष्टिकाओं, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में संपीड़ित” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 4401 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4401 32 00	--	काष्ठ इष्टिकाएं	मी.ट.	5%	-”;
-------------	----	-----------------	-------	----	-----

(ग) टैरिफ मद 4401 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	बुरादा और काष्ठ अपशिष्ट और स्कैप, संपीड़ित नहीं :			
4401 41 00	--	बुरादा	मी.ट.	5%	-

4401 49 00	--	अन्य	मी.ट.	5%	-";
------------	----	------	-------	----	-----

(iv) शीर्ष 4402 में, उपशीर्ष 4402 90, टैरिफ मद 4402 90 10 से टैरिफ मद 4402 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4402 20	-	कोश या गिरी :			
4402 20 10	---	नारियल कोश	मी.ट.	5%	-
4402 20 90	---	अन्य	मी.ट.	5%	-
4402 90 00	-	अन्य	मी.ट.	5%	-";

(v) शीर्ष 4403 में,—

(क) उपशीर्ष 4403 21 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"-- चीड़ (पाइनस एसपीपी), जिसका सबसे छोटा अनुप्रस्थ व्यास माप 15 सेमी. या अधिक है :";

(ख) उपशीर्ष 4403 23 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"-- फर (एबीज एसपीपी) और स्पू (पाइशिया एसपीपी), जिसका सबसे छोटा अनुप्रस्थ व्यास माप 15 सेमी. या अधिक हैं।";

(ग) उपशीर्ष 4403 25 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"-- अन्य, जिसका सबसे छोटा अनुप्रस्थ व्यास माप 15 सेमी. या अधिक हैं।";

(घ) उपशीर्ष 4403 49, टैरिफ मद 4403 49 10 से टैरिफ मद 4403 49 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4403 42 00	--	सागौन	घ.मी.	5%	-
4403 49 00	--	अन्य	घ.मी.	5%	-";

(ङ) टैरिफ मद 4403 93 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"-- बीच के (फगस एसपीपी), जिसका सबसे छोटा अनुप्रस्थ व्यास माप 15 सेमी. या अधिक है";

(च) टैरिफ मद 4403 95 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"-- बिर्च (बिटूला एसपीपी), जिसका सबसे छोटा अनुप्रस्थ व्यास माप 15 सेमी. या अधिक है";

(vi) शीर्ष 4407 में,—

(क) टैरिफ मद 4407 12 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4407 13 00	--	एस-पी-एफ के [स्पूस (पीशिया एसपीपी), चीड़ (पाइनस एसपीपी) और फर (एबीज एसपीपी)]	घ.मी.	10%	-
4407 14 00	--	हेम-फिर के (वेस्टर्न हेमलोक (सूगाहेटैरोफाइला) और फिर (एबीज एसपीपी)	घ.मी.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 4407 22 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4407 23 00	--	सागौन	घ.मी.	10%	-”;
-------------	----	-------	-------	-----	-----

(ग) उपशीर्ष 4407 29, टैरिफ मद 4407 29 10 से टैरिफ मद 4407 29 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4407 29 00	--	अन्य	घ.मी.	10%	-”;
-------------	----	------	-------	-----	-----

(vii) शीर्ष 4412, टैरिफ मद 4412 39 90 से टैरिफ मद 4412 94 00, उपशीर्ष 4412 99, टैरिफ मद 4412 99 10 से टैरिफ मद 4412 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4412 39 90	---	अन्य	घ.मी.	10%	-
-		पटलित बेनीर्ड लंबर (एलवीएल):			
4412 41 00	--	जिसमें उष्ण कटिबंधीय काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई है	घ.मी.	10%	-
4412 42 00	--	अन्य, अशंकुधारी काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई है	घ.मी.	10%	-
4412 49 00	--	अन्य, जिसमें शंकुधारी काष्ठ की दोनों बाह्य प्लाई है	घ.मी.	10%	-
-		ब्लैकबोर्ड, लेमिन बोर्ड और बैटन बोर्ड:			
4412 51 00	--	जिसमें उष्ण कटिबंधीय काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई है :	घ.मी.	10%	-
4412 52 00	--	अन्य, जिसमें अशंकुधारी काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई है :	घ.मी.	10%	-
4412 59 00	--	अन्य, जिसमें शंकुधारी काष्ठ की दोनों बाह्य प्लाई है	घ.मी.	10%	-
-		अन्य :			
4412 91	--	जिसमें उष्ण कटिबंधीय काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई है :			
4412 91 10	---	सजावटी प्लाईवुड	घ.मी.	10%	-
4412 91 20	---	सेटों में पैक किए हुए टी चेस्ट पैनल या शूक	घ.मी.	10%	-
4412 91 30	---	सामुद्रिक जहाज और वायुयान प्लाईवुड	घ.मी.	10%	-
4412 91 40	---	प्लाईवुड की कटाई और छंटाई, जो 5 सेमी. से अधिक न हों	घ.मी.	10%	-
4412 91 90	---	अन्य	घ.मी.	10%	-
4412 92	--	अन्य, जिसमें अशंकुधारी काष्ठ की कम से कम एक बाह्य प्लाई है :			
4412 92 10	---	सजावटी प्लाईवुड	घ.मी.	10%	-
4412 92 20	---	सेटों में पैक किए हुए टी चेस्ट पैनल या शूक	घ.मी.	10%	-
4412 92 30	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाईवुड	घ.मी.	10%	-
4412 92 40	---	ऐसी प्लाईवुड की कटाई और छंटाई, जो 5 सेमी. से अधिक न हों	घ.मी.	10%	-
4412 92 90	---	अन्य	घ.मी.	10%	-
4412 99	--	अन्य, जिसमें शंकुधारी काष्ठ की दोनों बाह्य प्लाई है :			
4412 99 10	---	सजावटी प्लाईवुड	घ.मी.	10%	-
4412 99 20	---	सेटों में पैक किए हुए टी चेस्ट पैनल या शूक	घ.मी.	10%	-

4412 99 30	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाईवुड	घ.मी.	10%	-
4412 99 40	---	प्लाईवुड की कटाई और छंटाई, जो 5 सेमी. से अधिक न हों	घ.मी.	10%	-
4412 99 90	---	अन्य	घ.मी.	10%	-";

(viii) टैरिफ मद 4414 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4414		रंगचित्रों, फोटोचित्रों, दर्पण या वैसे ही वस्तुओं के लिए काष्ठ के फ्रेम			
4414 10 00	-	उष्ण कटिबंधीय काष्ठ के	कि.ग्रा.	10%	-
4414 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ix) शीर्ष 4418 में,—

(क) टैरिफ मद 4418 10 00, उपशीर्ष 4418 20 और टैरिफ मद 4418 20 10 से टैरिफ मद 4418 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	खिड़कियां, फ्रेंच खिड़कियां और उनकी चौखटें:			
4418 11 00	--	उष्ण कटिबंधीय काष्ठ के	कि.ग्रा.	10%	-
4418 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	दरवाजे और उनकी चौखटें तथा दहलीज :			
4418 21	--	उष्ण कटिबंधीय काष्ठ के :			
4418 21 10	---	फ्लश के दरवाजे	कि.ग्रा.	10%	-
4418 21 20	---	फ्लश के दरवाजे की चौखटें और दहलीज	कि.ग्रा.	10%	-
4418 21 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
4418 29	--	अन्य :			
4418 29 10	---	फ्लश के दरवाजे	कि.ग्रा.	10%	-
4418 29 20	---	फ्लश के दरवाजे उनकी चौखटें तथा दहलीज	कि.ग्रा.	10%	-
4418 29 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
4418 30 00	-	उपशीर्ष 4418 81 से उपशीर्ष 4418 89 के उत्पादों से भिन्न पोस्ट और बीम	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 4418 60 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 4418 79 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	“-	अभियांत्रिकी संरचनात्मक प्रकाष्ठ उत्पाद :			
4418 81 00	--	ग्लू पटलित प्रकाष्ठ (ग्लूलेम)	कि.ग्रा.	10%	-
4418 82 00	--	क्रास पटलित प्रकाष्ठ (सीएलटी या एक्सलेम)	कि.ग्रा.	10%	-
4418 83 00	--	आइ बीम	कि.ग्रा.	10%	-
4418 89 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(घ) टैरिफ मद 4418 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4418 92 00	--	सेलुलर प्रकाष्ठ पैनल	कि.ग्रा.	10%	-";
-------------	----	----------------------	----------	-----	-----

(x) टैरिफ मद 4419 19 00 उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4419 20 00	-	उष्ण कटिबंधीय काष्ठ के	कि.ग्रा.	10%	-";
-------------	---	------------------------	----------	-----	-----

(xi) टैरिफ मद 4420 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	लघु प्रतिमाएं और अन्य अलंकरण :			
4420 11 00	--	उष्ण कटिबंधीय काष्ठ के	कि.ग्रा.	10%	-
4420 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-”;

(xii) टैरिफ मद 4421 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4421 20 00	-	ताबूत	कि.ग्रा.	10%	-”;
-------------	---	-------	----------	-----	-----

(35) अध्याय 46 में, टिप्पण 2 के खंड (ड) में, “लैंप और प्रकाश फिटिंगें”, शब्दों के स्थान पर, “प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे ;

(36) अध्याय 48 में,—

(i) टिप्पण 2 में, खंड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(थ) अध्याय 96 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ बटन, सेनिटरी टावेल (पैड) और टैम्पोन, नेपकिन (डाइपर) और नेपकिन लाइनर)”;

(ii) टिप्पण 4 में, “लागू होते हैं”, शब्दों के स्थान पर, “लागू होता है” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) टिप्पण 5 में,—

(क) “150 ग्राम/वर्गमीटर से अनधिक भार वाले कागज या पेपर बोर्ड के लिए :” अंकों और शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(अ) 150 ग्राम/वर्गमीटर से अनधिक भार वाले कागज या पेपर बोर्ड के लिए :”;

(ख) “150 ग्राम/वर्गमीटर से अधिक भार वाले कागज या पेपर बोर्ड के लिए :” अंकों और शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(आ) 150 ग्राम/वर्गमीटर से अधिक भार वाले कागज या पेपर बोर्ड के लिए :”;

(ग) “(जिसके अंतर्गत टी-बैग पेपर भी है) या पेपर बोर्ड नमदा कागज” कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, “(जिसके अंतर्गत टी-बैग पेपर भी है) या नमदा कागज या पेपर बोर्ड” कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) टिप्पण 12 में, “आनुषंगिक” शब्द के स्थान पर, “समनुषंगी” शब्द रखा जाएगा ;

(37) अध्याय 49 के शीर्ष 4905 में, टैरिफ मद 4905 10 00 से 4905 91 00, उपशीर्ष 4905 99, टैरिफ मद 4905 99 10 से 4905 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4905 20 00	-	पुस्तक के रूप में	कि.ग्रा.	निःशुल्क	-
4905 90	-	अन्य :			
4905 90 10	---	भौगोलिक, जल विज्ञानीय, खगोलीय, नक्शे या चार्ट	कि.ग्रा.	निःशुल्क	-
4905 90 20	---	ग्लोब	कि.ग्रा.	निःशुल्क	-
4905 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	निःशुल्क	-”;

(38) अनुभाग 11 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(क) खंड (ध) में, “लैम्प और प्रकाश फिटिंगें” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाश पुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (प) में, “शिशुओं के लिए” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) टिप्पण 14 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“15. अनुभाग 11 के टिप्पण 1 के अधीन रहते हुए, टेक्सटाइल, कपड़े और अन्य टेक्सटाइल वस्तुएं, अतिरिक्त अभिलाक्षणिकता के लिए रासायनिक, यांत्रिक या विद्युत घटकों को सम्मिलित करते हुए, चाहे वे अंतःनिर्मित घटकों के रूप में अथवा रेशे या फैब्रिक में सम्मिलित किए गए हों, अनुभाग 11 में उनके संबंधित शीर्षों में वर्गीकृत हैं, परन्तु यह तब जब कि वे इस अनुभाग के माल के आवश्यक लक्षणों को बनाए रखते हैं।”;

(39) अध्याय 55 के शीर्ष 5501 में, टैरिफ मद 5501 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“—	नायलान या अन्य पोलीएमाइड्स का :			
5501 11 00	--	एरामीड के	कि.ग्रा.	20%	-
5501 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	20%	-”;

(40) अध्याय 56 के टिप्पण 1 के खंड (च) में, “शिशुओं के लिए” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(41) अध्याय 57 में, शीर्ष 5703 के उपशीर्ष 5703 10 में, टैरिफ मद 5703 10 10 से 5703 10 90, उपशीर्ष 5703 20 टैरिफ मद 5703 20 10 से 5703 20 90, उपशीर्ष 5703 30 टैरिफ मद 5703 30 10 से 5703 30 90, उपशीर्ष 5703 90, टैरिफ मद 5703 90 10 से 5703 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“5703		कालीन और अन्य टैक्सटाइल की फर्श की बिछायतें (जिसके अंतर्गत टर्फ है), मुर्धित, चाहे निर्मित है या नहीं			
5703 10	-	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के :			
5703 10 10	---	कालीन	व.मी.	25%	-
5703 10 20	---	पायदान और चटाई	व.मी.	25%	-
5703 10 90	---	अन्य	व.मी.	25%	-
	-	नायलान या अन्य पालीएमाइड के :			
5703 21 00	--	टर्फ	व.मी.	25% या 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5703 29	--	अन्य :			
5703 29 10	---	कालीन, कारपेटिंग और रग	व.मी.	25% या 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5703 29 20	---	जूट, रबड लेटेक्स या पीछे पी.यू. फोम सहित 100% पालीएमाइड मुर्धित मखमल, कर्तित रोआं या लूप रोआं कालीन दरी	व.मी.	25% या 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5703 29 90	---	अन्य	व.मी.	25% या 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
	-	मानव निर्मित अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :			

5703 31 00	--	टर्फ	व.मी.	25% या - 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
5703 39	--	अन्य :		
5703 39 10	---	कालीन, कारपेटिंग और रग	व.मी.	25% या - 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
5703 39 20	---	जूट, रबड लेटेक्स या पीछे पी.यू. फोम सहित 100% पालीप्रोपलीन कालीन दरी	व.मी.	25% या - 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
5703 39 90	---	अन्य	व.मी.	25% या - 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
5703 90	-	अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :		
5703 90 10	---	दरियों से भिन्न, सूत के कालीन और अन्य कालीन बिछायतें	व.मी.	25% -
5703 90 20	---	कयर के कालीन और कालीन बिछायतें	व.मी.	25% -
5703 90 90	---	अन्य	व.मी.	25% -";

(42) अध्याय 58 में, शीर्ष 5802 के टैरिफ मद 5802 11 00, उपशीर्ष 5802 19 के टैरिफ मद 5802 19 10 से 5802 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5802		रोएंदार तौलिया कपडा और वैसे ही व्यूतित रौआंदार फेब्रिक शीर्ष 5806 के संकीर्ण फेब्रिक से भिन्न ; मुर्धित टैक्सटाइल शीर्ष 5703 के उत्पादों से भिन्न		
5802 10	-	रोएंदार तौलिया और वैसे ही व्यूतित रोएंदार फेब्रिक कपास के :		
5802 10 10	---	अविरंजित	व.मी.	25% -
5802 10 20	---	रंजित	व.मी.	25% या - 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो

5802 10 30	---	थान रंजित (पीस)	व.मी.	25% या - 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
5802 10 40	---	सूत रंजित	व.मी.	25% या - 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
5802 10 50	---	छपे हुए	व.मी.	25% या - 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
5802 10 60	---	हथकरघा के	व.मी.	25% या - 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
5802 10 90	---	अन्य	व.मी.	25% या -"; 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो

(43) अध्याय 59 में,—

(i) टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3. शीर्ष 5903 के प्रयोजनों के लिए, “प्लास्टिक के साथ पटलित टैक्सटाइल फैब्रिक” से एक या अधिक फैब्रिक की परतों के संयोजन से एक या अधिक शीटों से या प्लास्टिक की फिल्म से मिलकर बनने वाले उत्पाद अभिप्रेत है, जिन्हें किसी प्रक्रिया द्वारा संयोजित किया जाता है, जो परतों को इकट्ठा जोड़ देती है, चाहे अनुप्रस्थ में नग्न आंखों से शीटें या प्लास्टिक की फिल्म, दृश्यमान हो या न हो।”;

(ii) विद्यमान टिप्पण 3, टिप्पण 4, टिप्पण 5, टिप्पण 6 और टिप्पण 7 को क्रमशः टिप्पण 4, टिप्पण 5, टिप्पण 6 और टिप्पण 7 और टिप्पण 8 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 8 के, खंड (क) में उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) टैक्सटाइल सामग्री या मानवकेश का इस प्रकार का फिल्टर करने वाला या छाना कपड़ा जिसका उपयोग तेल प्रेसों या वैसे ही कार्यों में किया जाता है;”;

(iii) शीर्ष 5911 में,—

(क) शीर्ष 5911 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “टिप्पण 7” शब्द और अंक के स्थान पर, “टिप्पण 8” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 5911 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- तेल प्रेसों में या वैसे ही कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाला इस प्रकार या फिल्टरीकरण या छना कपड़ा जिसमें मानवकेश का छना कपड़ा भी है”;

(44) अध्याय 61 में,—

(i) टिप्पण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘4. शीर्ष 6105 और 6106 में के अन्तर्गत ऐसे वस्त्र नहीं हैं जिनमें कमर के नीचे जेबें हैं और वस्त्र के निचले भाग को कसने के लिए पर्शुक कमरबंद या अन्य बंधन हैं अथवा ऐसे वस्त्र नहीं हैं जिनमें कम से कम 10 सेंटीमीटर X 10 सेंटीमीटर माप वाले क्षेत्र पर संगणित प्रत्येक दिशा में प्रति रेखिक सेंटीमीटर पर औसतन 10 टांकों से कम है शीर्ष 6105 के अन्तर्गत बिना आस्तीन के वस्त्र नहीं हैं।

“कमीज” और “कमीज-ब्लाउज” ऐसे वस्त्र हैं, जिनको शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिनमें लंबे या छोटे बाजू होते हैं और ग्रीवा से प्रारंभ होकर पूर्ण या आंशिक रूप से खुले होते हैं। “ब्लाउज” या ढीली फिटिंग वाले वस्त्र हैं, जिसको शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए डिजाइन किया जाता है, किंतु वह बिना बाजूओं के और ग्रीवा से खुले या नहीं खुले हो सकते हैं। “कमीज”, “कमीज-ब्लाउज” और “ब्लाउज” में कालर भी हो सकता है।’;

(ii) शीर्ष 6116 में, टैरिफ मद 6116 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6116 10 00 - प्लास्टिक या रबड़ से संसेचित, विलेपित, आच्छादित या पटलित किया हुआ”;

(45) अध्याय 62 के,—

(i) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘4. शीर्ष 6205 और शीर्ष 6206 के अंतर्गत ऐसे वस्त्र नहीं हैं जिसमें कमर के नीचे जेबें हैं और वस्त्र के निचले भाग को कसने के लिए पर्शुक कमरबंद या अन्य बंधन हैं। शीर्ष 6205 के अन्तर्गत बिना आस्तीन के वस्त्र नहीं हैं।

“कमीज” और “कमीज-ब्लाउज” ऐसे वस्त्र हैं, जो ऐसे शरीर के, जिसकी लम्बी या छोटी आस्तीन हैं, ऊपरी भाग को ढकने के लिए डिजाइन किए गए हैं और ग्रीवा के आरंभ में पूर्ण या आंशिक रूप से खुलते हैं। “ब्लाउज” ऐसे ढीली फिटिंग वाले वस्त्र हैं, जिन्हें शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए डिजाइन किया गया है, किन्तु ये बिना आस्तीन के हो सकते हैं और नेकलाइन पर इन्हें खोला या बंद किया जा सकता है। “कमीज”, “कमीज-ब्लाउज” और “ब्लाउज” में कालर भी लगे हो सकते हैं।’;

(ii) विद्यमान टिप्पण 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए ;

(iii) शीर्ष 6201, टैरिफ मद 6201 11 00, उपशीर्ष 6201 12, टैरिफ मद 6201 12 10 से 6201 12 90, उपशीर्ष 6201 13, टैरिफ मद 6201 13 10 से 6201 13 90, उपशीर्ष 6201 19, टैरिफ मद 6201 19 10 से 6201 93 00, उपशीर्ष 6201 99, टैरिफ मद 6201 99 10 से 6201 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6201		पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, कारकोट, केप, चोगा, एनोरेक (जिनके अंतर्गत स्की जैकेटें भी हैं), विंडचीटर, विंड जैकेट और वैसे ही वस्तुएं, उनसे भिन्न, जो शीर्ष 6203 के अंतर्गत आती हैं	
6201 20	-	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम की :	
6201 20 10	---	ओवरकोट, बरसाती, कारकोट, केप, चोगा और वैसे ही वस्तुएं	इ. 25% या. 385 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो

6201 20 90	---	अन्य	इ.	25% या 220 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो	
6201 30	-	सूत के :			
6201 30 10	---	ओवरकोट, बरसाती, कारकोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% या 385 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6201 30 90	---	अन्य	इ.	25% या 210 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6201 40	-	मानव निर्मित फाइबर की :			
6201 40 10	---	ओवरकोट, बरसाती, कारकोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% या 320 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6201 40 90	---	अन्य	इ.	25% या 180 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6201 90	-	अन्य टेक्सटाइल सामग्रियों की :			
6201 90 10	---	ओवरकोट, बरसाती, कारकोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25%	-
6201 90 90	---	अन्य	इ.	25%	-";
(iv) शीर्ष 6202, उपशीर्ष 6202 11, टैरिफ मद 6202 11 10 से 6202 13 00, उपशीर्ष 6202 19, टैरिफ मद 6202 19 10 से 6202 19 90, उपशीर्ष 6202 91, टैरिफ मद 6202 91 10 से 6202 91 90, उपशीर्ष 6202 92, टैरिफ मद 6202 92 10 से 6202 92 90, उपशीर्ष 6202 93, टैरिफ मद 6202 93 10 से 6202 93 90, उपशीर्ष 6202 99, टैरिफ मद 6202 99 11 से 6202 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—					
"6202		स्त्रियों या लड़कियों के ओवरकोट, कारकोट, केप, चोगा, ऐनोरेक (जिनके अंतर्गत स्की जैकेटें भी हैं) विंडचीटर, विंड जैकेट और वैसी ही वस्तुएं उनसे भिन्न, जो शीर्ष 6204 के अंतर्गत आती हैं			
6202 20	-	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम की :			
6202 20 10	---	ओवरकोट, बरसाती, कारकोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% या 385 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6202 20 90	---	अन्य	इ.	25% या 220 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो	-

6202 30	-	सूत के :			
6202 30 10	---	ओवरकोट, बरसाती, कारकोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% या 210 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6202 30 90	---	अन्य	इ.	25% या 160 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6202 40	-	मानव निर्मित फाइबर के :			
6202 40 10	---	ओवरकोट, बरसाती, कारकोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% या 385 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6202 40 90	---	अन्य	इ.	25% या 220 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6202 90	-	अन्य टेक्सटाइल सामग्रियों की :			
6202 90 10	---	ओवरकोट, बरसाती, कारकोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25%	-
6202 90 90	---	अन्य	इ.	25%	-";

(v) शीर्ष 6210 में, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान,—

(क) उपशीर्ष 6210 20 के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- शीर्ष 6201 में वर्णित प्रकार के अन्य वस्त्र”;

(ख) उपशीर्ष 6210 30 के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- शीर्ष 6202 में वर्णित प्रकार के अन्य वस्त्र”;

(46) अध्याय 63 के शीर्ष 6306 में, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर,—

(क) शीर्ष 6306 के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“तिरपाल, सायबान और धूप ब्लाईंड ; तंबू (जिनमें अस्थायी शामियाने और वैसी ही वस्तुएं भी हैं) ; नौकाओं के लिए पाल, पालबोर्ड या भू-यान; शिविर लगाने का माल”;

(ख) टैरिफ मद 6306 19 90 के पश्चात् आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- तम्बू (जिनमें स्थायी शामियाने और वैसी ही वस्तुएं भी हैं):”;

(47) अध्याय 68 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ट) में “लैम्प और प्रकाश फिटिंगें” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 6802 में, “अधिकतम पृष्ठ क्षेत्र” शब्दों के स्थान पर, “अधिकतम फलक” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 6812 में, उपशीर्ष 6812 92, टैरिफ मद 6812 92 11 से 6812 93 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष 6815 में,—

(क) उपशीर्ष 6815 10, टैरिफ मद 6815 10 10 से 6815 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“कार्बन फाइबर, गैर-विद्युत उपयोग के लिए कार्बन फाइबर की वस्तुएं ; ग्रेफाइट की अन्य वस्तुएं या गैर-विद्युत उपयोग के लिए अन्य कार्बन :

6815 11 00	--	कार्बन फाइबर	कि.ग्रा.	10%	-
6815 12 00	--	कार्बन फाइबर के फैब्रिक्स	कि.ग्रा.	10%	-
6815 13 00	--	कार्बन फाइबर की अन्य वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-
6815 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-”;

(ख) टैरिफ मद 6815 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“— जिसमें मैग्नीसाइट और चूर्ण के रूप में मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, जिसके अंतर्गत डोलाइम या क्रोमाइट का रूप भी है”;

(48) अध्याय 69 में,—

(i) टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“1. यह अध्याय केवल ऐसे चीनी मिट्टी के उत्पादों को लागू होता है, जिन्हें आकार देने के पश्चात् आग में पकाया जाता है:-

(क) शीर्ष 6904 से 6914 केवल ऐसे उत्पादों को लागू होते हैं, जो ऐसे उत्पादों से भिन्न हैं, जो शीर्ष 6901 से 6903 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं ;

(ख) रेसिन को संसाधित करने, जलीयकरण प्रतिक्रियाओं को त्वरित करने जैसे प्रयोजनों के लिए या जल या अन्य वाष्पशील संघटकों के हटाए जाने के लिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर तापित वस्तुएं आग में पकाई हुई नहीं मानी जाएंगी। ऐसी वस्तुओं को अध्याय 69 से अपवर्जित किया गया है ; और

(ग) चीनी मिट्टी की वस्तुएं अकार्बनिक, गैर-धात्विक सामग्रियों को आग में पकाकर प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें पूर्व में साधारणतया कक्ष तापमान पर तैयार किया गया है और आकार दिया गया है। कच्ची सामग्री में, अन्य बातों के साथ-साथ, मृत्तिका, सिलिकामय सामग्री जिसके अंतर्गत फ्यूज्ड सिलिका भी है, उच्च गालन बिन्दु वाली सामग्री, जैसे आक्साइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, ग्रेफाइट या अन्य कार्बन और कुछ अन्य मामलों में बाइंडर्स जैसे उच्चतापसह मृत्तिका या फास्फेट भी सम्मिलित हैं।”;

(ii) टिप्पण 2 के खंड (झज) में “लैम्प और प्रकाश फिटिंगें” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) शीर्ष 6903 में,—

(क) शीर्ष 6903 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “आवरक और छड़े” शब्दों के स्थान पर, “आवरक, छड़े और स्लिज गेट” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपशीर्ष 6903 10, टैरिफ मद 6903 10 10 से 6903 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6903 10 00	-	जिसमें कार्बनरहित भार के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक है	मी.ट.	10%	-”;
-------------	---	--	-------	-----	-----

(49) अध्याय 70 में,—

(क) टिप्पण 1 में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(घ) अध्याय 86 से 88 के यानों के लिए विरचित अग्र विंडस्क्रीन (विंडशील्ड), पश्च खिड़कियां और अन्य खिड़कियां ;

(ड) अध्याय 86 से 88 के यानों के लिए, तापन युक्तियों या अन्य विद्युत या इलैक्ट्रानिक युक्तियों को समाविष्ट करते हुए अग्र विंडस्क्रीन (विंडशील्ड), पश्च खिड़कियां और अन्य खिड़कियां, चाहे विरचित हो या नहीं ;”;

(ii) विद्यमान खंड (घ), (ड), (च) और (छ) को क्रमशः खंड (च), (छ), (ज) और (झज) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःअक्षरांकित खंड (छ) में, “लैंप या प्रकाश फिटिंगें” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) शीर्ष 7001 में,—

(i) शीर्ष 7001 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“भग्न कांच और कांच के अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप, जिनमें कैथोड किरण ट्यूबों से कांच या शीर्ष 8549 के अन्य सक्रियकृत कांच नहीं हैं ; स्थूल रूप में कांच”;

(ii) उपशीर्ष 7001 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- भग्न कांच और कांच के अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप, जिनमें कैथोड किरण ट्यूबों से कांच या शीर्ष 8549 के अन्य सक्रियकृत कांच नहीं हैं ; स्थूल रूप में कांच”;

(ग) शीर्ष 7011 में, शीर्ष 7011 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों में, “विद्युत लैंपों,” शब्दों के स्थान पर, “विद्युत लैंपों और प्रकाश स्रोत,” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) शीर्ष 7019, टैरिफ मद 7019 11 00 से 7019 59 00, उपशीर्ष 7019 90, टैरिफ मद 7019 90 10 से 7019 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7019	कांच फाइबर (जिनके अंतर्गत कांच ऊर्ण है) और उनकी वस्तुएं (उदाहरणार्थ सूत, रोविंग्स, व्यूतित फैब्रिक)				
-	स्लिवर, रोविंग्स, सूत और चोपड स्ट्रैंड और उनकी चटाइयां :				
7019 11 00	--	चोपड स्ट्रैंड, जिनकी लंबाई 50 मि.मी. से अधिक न हो	कि.ग्रा.	10%	-
7019 12 00	--	रोविंग्स	कि.ग्रा.	10%	-
7019 13 00	--	अन्य सूत, स्लिवर	कि.ग्रा.	10%	-
7019 14 00	--	यांत्रिक रूप से बंधित चटाइयां	कि.ग्रा.	10%	-
7019 15 00	--	रासायनिक रूप से बंधित चटाइयां	कि.ग्रा.	10%	-
7019 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
-	यांत्रिक रूप से बंधित फैब्रिक :				
7019 61 00	--	रोविंग्स के संवृत्त व्यूतित फैब्रिक	कि.ग्रा.	10%	-
7019 62 00	--	रोविंग्स के अन्य संवृत्त फैब्रिक	कि.ग्रा.	10%	-
7019 63 00	--	सूत, जो विलेपित या पटलित नहीं है, के संवृत्त व्यूतित फैब्रिक, सादी व्यूति	कि.ग्रा.	10%	-
7019 64 00	--	सूत, जो विलेपित या पटलित है, के संवृत्त व्यूतित फैब्रिक, सादी व्यूति	कि.ग्रा.	10%	-
7019 65 00	--	विवृत व्यूतित फैब्रिक, जिसकी चौड़ाई 30 से.मी. से अधिक न हो	कि.ग्रा.	10%	-
7019 66 00	--	विवृत व्यूतित फैब्रिक, जिसकी चौड़ाई 30 से.मी. से अधिक हो	कि.ग्रा.	10%	-
7019 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
-	रासायनिक रूप से बंधित फैब्रिक :				

7019 71 00	--	वेल (पतली चादर)	कि.ग्रा.	10%	-
7019 72 00	--	अन्य संवृत्त फैब्रिक	कि.ग्रा.	10%	-
7019 73 00	--	अन्य विवृत फैब्रिक	कि.ग्रा.	10%	-
7019 80 00	-	कांच ऊर्ण और कांच ऊर्ण की वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-
7019 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10%	—”;

(50) अध्याय 71 में,—

(i) शीर्ष 7104 में, उपशीर्ष 7104 20, टैरिफ मद 7104 20 10 से 7104 20 90, उपशीर्ष 7104 90, टैरिफ मद 7104 90 10 से 7104 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- अन्य, अकर्मित या मात्र कर्तित या स्थूल रूप से आकारित:

7104 21 00	--	हीरक	सी/के	10%	-
7104 29 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
-	-	अन्य :			
7104 91 00	--	हीरक	सी/के	10%	-
7104 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	—”;

(ii) शीर्ष 7112 में, शीर्ष 7112 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “बहुमूल्य धातु की पुनः प्राप्ति” शब्दों के स्थान पर, “शीर्ष 8549 के माल से भिन्न बहुमूल्य धातु की पुनःप्राप्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(51) अनुभाग 15 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ट) में, “लैंप और प्रकाश फिटिंगें” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 2 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) शीर्ष 7307, 7312, 7315, 7317 या 7318 की वस्तुएं और अन्य आधार धातु की वैसी ही वस्तुएं, जो उन वस्तुओं से भिन्न हैं, जिन्हें विशेष रूप से चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंत या पशु चिकित्सीय (शीर्ष 9021) के रोपण में अनन्यतः उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है ;”;

(iii) टिप्पण 7 में, “निर्वचनात्मक नियमों” शब्दों के स्थान पर, “साधारण निर्वचनात्मक नियम” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) टिप्पण 8 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) अपशिष्ट और स्क्रेप :

(i) सभी धातु अपशिष्ट और स्क्रेप ;

(ii) धातु माल, जो निश्चित रूप में टूट, कटाव, घिसाव या अन्य कारण से उपयोग के योग्य नहीं है।”;

(v) टिप्पण 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘9. अध्याय 74 से अध्याय 76 और अध्याय 78 से अध्याय 81 के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित पदों का वही अर्थ होगा, जो उनके निम्नलिखित में हैं :

(क) शलाकाएं और छड़ें :

वेल्लित, उत्सारित, कर्षित या फोर्जित उत्पाद, जो कुंडलियों में नहीं हैं, जिनमें उनकी संपूर्ण लंबाई में वृत्तों, अंडवक्रों, आयतों (जिनके अंतर्गत वर्ग हैं), समबाहु त्रिभुजों या नियमित उत्तल बहुभुजों के (जिनके अंतर्गत “सपाट वृत्त” और “उपांतरित आयत” हैं, जिनकी आमने-सामने की दो भुजाएं उत्तल चाप के रूप में है और अन्य दो भुजाएं सीधी लंबाई में बराबर और समानान्तर हैं) आकार की एक समान ठोस अनुप्रस्थ काट है। आयताकार (जिनके अंतर्गत वर्गाकार है), त्रिभुजाकार या बहुभुजीय अनुप्रस्थ काट वाले उत्पादों के किनारे उनकी संपूर्ण लंबाई में गोल किए हुए हो सकते हैं। ऐसे उत्पादों की मोटाई, जो आयताकार (जिनके अंतर्गत उपांतरित वर्गाकार भी है) अनुप्रस्थ काट वाले हैं, चौड़ाई के दशमांश से अधिक हैं। इस पद के अंतर्गत वैसे ही रूप और विमा के, ऐसे ढलवां या सेंटरित उत्पाद भी हैं, जिन्हें

उत्पादन के पश्चात् (साधारण समाकर्तन या विशल्कन से अन्यथा) कर्मित किया गया है, परन्तु यह तब जबकि ऐसे उत्पाद, तद्द्वारा अन्य शीर्षों की वस्तुओं या उत्पादों के गुण ग्रहण नहीं कर लेते हैं।

अध्याय 74 की उन तार शलाकाओं और विलेटों को, जिनके सिरे केवल इसलिए शृङ्गाकार या अन्यथा कर्मित किए गए हैं, जिससे कि उन्हें, उदाहरणार्थ, कर्षण स्टाक (तार छड़) या नलिकाओं में संपरिवर्तित करने के लिए, मशीनों में उनका प्रवेश सुगम किया जा सके, शीर्ष 7403 का अनगढ़ ताम्र माना जाएगा। यह उपबंध अध्याय 81 के उत्पादों को आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होता है।

(ख) प्रोफाइल

वेल्लित, उत्सारित, कर्षित, फोर्जित या अभिरूपित उत्पाद, चाहे कुंडलित हैं या नहीं, जिनकी संपूर्ण लंबाई में एक समान अनुप्रस्थ काट है और जो शलाकाओं, छड़ों, तार, प्लेटों, चादरों, पट्टियों, पर्णिकाओं, नलिकाओं या पाइपों में से किसी की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। इस पद के अंतर्गत वैसे ही रूप के ढलवां या सिंटरित उत्पाद भी हैं, जिन्हें उत्पादन के पश्चात् (साधारण समाकर्तन या विशल्कन से अन्यथा) कर्मित किया गया है; परन्तु यह तब जब ऐसे उत्पाद, तद्द्वारा अन्य शीर्षों की वस्तुओं या उत्पादों के गुण ग्रहण नहीं कर लेते हैं।

(ग) तार

वेल्लित, उत्सारित या कर्षित उत्पाद, जो कुंडलियों में नहीं हैं, जिनमें उनकी संपूर्ण लंबाई में वृत्तों, अंडवक्रों, आयतों (जिनके अंतर्गत वर्ग भी हैं), समबाहु त्रिभुजों या नियमित उत्तल बहुभुजों के (जिनके अंतर्गत “सपाट वृत्त” और “उपांतरित आयत” हैं, जिनकी आमने-सामने की दो भुजाएं उत्तल चाप के रूप में हैं और अन्य दो भुजाएं सीधी हैं, लंबाई में बराबर और समानान्तर हैं) आकार की एक समान ठोस अनुप्रस्थ काट है। आयताकार (जिनके अंतर्गत वर्गाकार है), त्रिभुजाकार या बहुभुजीय अनुप्रस्थ काट वाले उत्पादों के किनारे उनकी संपूर्ण लंबाई में गोल किए हुए हो सकते हैं। ऐसे उत्पादों की मोटाई, जो आयताकार (जिनके अंतर्गत “उपांतरित वर्गाकार” भी है) अनुप्रस्थ काट वाले हैं, चौड़ाई के दशमांश से अधिक है।

(घ) प्लेटें, चादरें पट्टी और पर्णिका

सपाट सतह वाले उत्पाद (शीर्ष 8001 के अनगढ़ उत्पादों से भिन्न), चाहे कुंडलित हैं या नहीं, जो ठोस आयताकार (वर्गाकार से भिन्न) अनुप्रस्थ काट वाले हैं, उनके कोने (जिसके अंतर्गत “उपांतरित आयत” है, जिनकी आमने-सामने की दो भुजाएं उत्तल चाप के रूप में हैं, अन्य दो भुजाएं सीधी हैं, लंबाई में बराबर और समानान्तर है) एक समान मोटाई की गोलाई वाले नहीं हैं, जो :

- आयताकार (जिनके अंतर्गत वर्गाकार है) आकार के हैं, जिनकी मोटाई, चौड़ाई के दशमांश से अधिक नहीं है;

- आयताकार या वर्गाकार से भिन्न किसी आकार के, किसी भी आमाप के हैं, परन्तु यह तब जब वे अन्य शीर्षों की वस्तुओं या उत्पादों के गुण ग्रहण नहीं कर लेते हैं।

प्लेटों, चादरों, पट्टी और पर्णिकाओं के शीर्ष, अन्य बातों के साथ, प्लेटों, चादरों, पट्टियों और पर्णिकाओं को, जिन पर पैटर्न (उदाहरणार्थ, खांचे, पर्शुक, जालचिती, विदारण, बटन, लोंजेज) है और ऐसे उत्पादों को, जो छिद्रित, नालीदार, पालिशकृत, विलेपित हैं, लागू होते हैं, परन्तु यह तब जबकि वे तद्द्वारा अन्य शीर्षों की वस्तुओं या उत्पादों के गुण ग्रहण नहीं कर लेते हैं।

(ङ) नलिकाएं और पाइपें

खोखले उत्पाद, चाहे कुंडलित हैं या नहीं, जिनमें उनकी संपूर्ण लंबाई में वृत्तों, अंडवक्रों, आयतों (जिनके अंतर्गत वर्ग है), समबाहु त्रिभुजों या नियमित उत्तल बहुभुजों के आकार में केवल एक परिवर्द्ध रक्ति वाली एक समान अनुप्रस्थ काट है और जिनकी दीवार की मोटाई एक समान है। आयताकार (जिनके अंतर्गत वर्गाकार है), समबाहु त्रिभुज या नियमित उत्तल बहुभुज की अनुप्रस्थ काट वाले उत्पाद भी, जिनकी संपूर्ण लंबाई में कोने गोल किए हुए हो सकते हैं, नलिकाएं और पाइप समझे जाएंगे, परन्तु यह तब जब आंतरिक और बाह्य अनुप्रस्थ काट संकेन्द्रीय और समान आकार तथा अभिन्यास की हैं। पूर्वगामी अनुप्रस्थ काट वाली नलिकाएं और पाइपें पालिशकृत, विलेपित, बंकित चूड़ीदार, प्रवेधित, कटि आकार वाली, प्रसारित, शंकु आकार वाली अथवा फ्लेज, कालर या वलय से फिट की हुई हो सकती है।

(52) अध्याय 74 में,—

(i) टिप्पण 1 में, खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 7419, उपशीर्ष 7419 10, टैरिफ मद 7419 10 10 से 7419 91 00, उपशीर्ष 7419 99, टैरिफ मद 7419 99 10 से 7419 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7419		ताम्र की अन्य वस्तुएं				
7419 20 00	-	संचकित, संचित, स्टांपित या फोर्जित हैं, किंतु और कि.ग्रा.	10%	-		
		कर्मित नहीं है				
7419 80	-	अन्य :				
7419 80 10	---	जलाशय, टंकी, कुंड और वैसे ही आधान	कि.ग्रा.	10%	-	
7419 80 20	---	निकिल-सिल्वर के साथ विद्युत लेपित मिश्रातु की ताम्र	कि.ग्रा.	10%	-	
		की वस्तुएं				
7419 80 30	---	पीतल की वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-	
7419 80 40	---	ताम्र कर्मित वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-	
7419 80 50	---	ताम्र जंजीर	कि.ग्रा.	10%	-	
7419 80 90	---	ताम्र की अन्य वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-”;	

(53) अध्याय 75 में,—

(i) टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(ii) “अध्याय टिप्पण 1 (ग)” शब्दों, अंक, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “अनुभाग 15 के टिप्पण 9 (ग)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(54) अध्याय 76 में,—

(i) टिप्पण 1 का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 में, “अध्याय टिप्पण 1 (ग)” शब्दों, अंक, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “अनुभाग 15 के टिप्पण 9 (ग)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(55) अध्याय 78 के टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(56) अध्याय 79 के टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(57) अध्याय 80 के टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(58) अध्याय 81 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 8103 में, टैरिफ मद 8103 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“-		अन्य :				
8103 91 00	--	मूषा	कि.ग्रा.	10%	-	
8103 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-”;	

(iii) शीर्ष 8106 में, उपशीर्ष 8106 00, टैरिफ मद 8106 00 10 से 8106 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8106		बिस्मथ और उसकी वस्तुएं, जिनके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप भी हैं				
8106 10	-	जिसमें भार के आधार पर बिस्मथ का 99.99% अंतर्विष्ट हों				
8106 10 10	---	बिस्मथ, अनगढ़	कि.ग्रा.	5%	-	
8106 10 20	---	बिस्मथ की वस्तुएं	कि.ग्रा.	5%	-	
8106 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-	

8106 90	-	अन्य :			
8106 90 10	---	विस्मथ के अपशिष्ट और स्क्रेप तथा विस्मथ मिश्र धातुएं	कि.ग्रा.	5%	-
8106 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(iv) शीर्ष 8107, टैरिफ मद 8107 20 00 से 8107 30 00, उपशीर्ष 8107 90, टैरिफ मद 8107 90 10 से 8107 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(v) शीर्ष 8109, टैरिफ मद 8109 20 00 से 8109 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	-	अनगढ़ जर्कोनियम; चूर्ण :			
8109 21 00	--	जिसमें भार के आधार पर 500 अंश जर्कोनियम का 1 अंश हैफनियम से कम अंतर्विष्ट हो	कि.ग्रा.	10%	-
8109 29 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	अपशिष्ट और स्क्रेप:			
8109 31 00	--	जिसमें भार के आधार पर 500 अंश जर्कोनियम का 1 अंश हैफनियम से कम अंतर्विष्ट हो	कि.ग्रा.	10%	-
8109 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	अन्य :			
8109 91 00	--	जिसमें भार के आधार पर 500 अंश जर्कोनियम का 1 अंश हैफनियम से कम अंतर्विष्ट हो	कि.ग्रा.	10%	-
8109 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(vi) शीर्ष 8112 में,—

(क) शीर्ष 8112 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“बेरीलियम, क्रोमियम, हैफनियम, रीनियम, थैलियम, कैडमियम, जर्मेनियम, वैनेडियम, गैलियम, इंडियम और नायोबियम (कोलम्बियम), इन धातुओं की वस्तुएं, जिनके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप भी हैं”;

(ख) टैरिफ मद 8112 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	-	हैफनियम :			
8112 31	--	अनगढ़ ; अपशिष्ट और स्क्रेप ; चूर्ण :			
8112 31 10	---	अनगढ़	कि.ग्रा.	10%	-
8112 31 20	---	अपशिष्ट और स्क्रेप	कि.ग्रा.	10%	-
8112 31 30	---	चूर्ण	कि.ग्रा.	10%	-
8112 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	रीनियम :			
8112 41	--	अनगढ़ ; अपशिष्ट और स्क्रेप ; चूर्ण :			
8112 41 10	---	अनगढ़	कि.ग्रा.	10%	-
8112 41 20	---	अपशिष्ट और स्क्रेप	कि.ग्रा.	10%	-
8112 41 30	---	चूर्ण	कि.ग्रा.	10%	-
8112 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 8112 59 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

	“-	कैडमियम :			
8112 61 00	--	अपशिष्ट और स्क्रेप	कि.ग्रा.	10%	-
8112 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-”;

(59) अनुभाग 16 के टिप्पणों में,—

(i) टिप्पण 2 के खंड (ख) में, “किंतु ऐसे पुर्जों” शब्दों से आरंभ होने वाले और “शीर्ष 8517 में वर्गीकृत किया जाएगा” शब्दों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“किंतु ऐसे पुर्जों को, जो शीर्ष सं0 8517 और शीर्ष सं0 8525 से शीर्ष सं0 8528 के माल के साथ भी प्रधानतः उपयोग किए जाने के लिए समान रूप से उपयुक्त हैं शीर्ष सं0 8517 में वर्गीकृत किया जाएगा और ऐसे पुर्जों को, जो शीर्ष सं0 8524 के माल के साथ एकमात्र या प्रधानतः उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त हैं, शीर्ष सं0 8529 में वर्गीकृत किया जाएगा ;”;

(ii) टिप्पण 5 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘6. (क) संपूर्ण नामपद्धति में, “विद्युत और इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट और स्क्रेप” पद से विद्युत और इलैक्ट्रानिक संयोजन, मुद्रित परिपथ बोर्ड, और विद्युत या इलैक्ट्रानिक वस्तुएं अभिप्रेत हैं, जो :—

(i) टूट-फूट, कर्तन या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा उनके मूल प्रयोजनों के लिए अनुपयोज्य हो गई हैं और मितव्ययी रूप से उन्हें उनके मूल प्रयोजनों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु मरम्मत, पुनःसज्जा या नवीकरण के लिए अनुपयुक्त हैं ; और

(ii) ऐसी रीति में, जो परिवहन, लदाई तथा उतराई संक्रियाओं के दौरान व्यष्टिक वस्तुओं को नुकसान से बचाने के लिए आशयित नहीं हैं, पैक की गई हैं या पोत में लादी गई हैं ;

(ख) “विद्युत और इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट तथा स्क्रेप” के मिश्रित पारेषणों और अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप को शीर्ष 8549 में वर्गीकृत किया जाएगा;

(ग) इस अनुभाग के अंतर्गत नगरपालिक अपशिष्ट, जो अध्याय 38 के टिप्पण 4 में परिभाषित हैं, नहीं आते हैं।’;

(60) अध्याय 84 में,—

(i) टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. अनुभाग 16 के टिप्पण 3 के प्रवर्तन के अधीन रहते हुए और इस अध्याय के टिप्पण 9 के अधीन रहते हुए, ऐसी किसी मशीन या साधित्र को, जो शीर्ष सं0 8401 से शीर्ष सं0 8424, या शीर्ष सं0 8486 के एक या अधिक शीर्षों में के वर्णन के और इसके साथ ही शीर्ष सं0 8425 से शीर्ष सं0 8480 तक में से किसी एक या अधिक शीर्ष में के वर्णन के अनुरूप हैं, यथास्थिति, पहले समूह के समुचित शीर्ष या शीर्ष सं0 8486 के अधीन, न कि पश्चात्पूर्वी समूह के अधीन, वर्गीकृत किया जाएगा।

(अ) शीर्ष सं0 8419 के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :

(i) अंकुरण संयंत्र ऊष्मायित्र या शावकित्र (शीर्ष सं0 8436) ;

(ii) अन्न शीलन मशीन (शीर्ष सं0 8437) ;

(iii) गन्ना रस-निष्कर्षण के लिए विसरणकारी उपकरण (शीर्ष सं0 8438) ;

(iv) टैक्सटाइल सूत, फैब्रिक या निर्मित टैक्सटाइल वस्तुओं के ऊष्ण उपचार के लिए मशीनरी (शीर्ष सं0 8451) ;
या

(v) यांत्रिक प्रचालन के लिए अभिकल्पित, मशीनरी या संयंत्र, जिसमें तापमान परिवर्तन, आवश्यक होते हुए भी, गौण है।

(आ) शीर्ष सं0 8422 के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :

(i) थैले या बैसे ही आधानों के बंद करने के लिए सिलाई मशीनें (शीर्ष सं0 8452) ; या

(ii) शीर्ष सं0 8472 की कार्यालय मशीनरी।

(इ) शीर्ष सं0 8424 के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :

(i) इंक-जेट मुद्रण मशीनें (शीर्ष सं0 8443) ; या

(ii) वाटर-जेट कटिंग मशीनें (शीर्ष सं0 8456)।”;

(ii) टिप्पण 4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘5. शीर्ष सं0 8462 के प्रयोजनों के लिए, सपाट उत्पादों के लिए “विदारण पंक्ति” किसी विवृतक, कुंडली सपाटकर्ता, विदारक और पुनः विवृतक की सम्मिश्रित प्रसंस्करण पंक्ति है। सपाट उत्पादों के लिए “दीर्घतर पंक्ति तक कर्तित” किसी विवृतक, कुंडली सपाटकर्ता और कंचा की सम्मिश्रित प्रसंस्करण पंक्ति है।’;

(iii) विद्यमान टिप्पण 5, 6, 7, 8 और 9 को क्रमशः टिप्पण 6, 7, 8, 9 और 11 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 9 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘10. शीर्ष सं0 8485 के प्रयोजनों के लिए, “योज्यक विनिर्माण” पद (जिसे 3डी मुद्रण भी कहा गया है) से क्रमिक परिवर्धन और परतीकरण द्वारा डिजिटल मॉडल पर आधारित भौतिक वस्तुओं की विरचना तथा सामग्री (उदाहरणार्थ धातु, प्लास्टिक या चीनी मिट्टी) का समेकन और संपिंडन अभिप्रेत है।

अनुभाग 16 के टिप्पण 1 और अध्याय 84 के टिप्पण 1 के अधीन रहते हुए, शीर्ष सं0 8485 में के वर्णन के अनुरूप मशीनें उस शीर्ष में, न कि नामपद्धति के अन्य शीर्ष में, वर्गीकृत की जाएंगी।”;

(iv) विद्यमान टिप्पण 9 को उसके टिप्पण 11 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 11 के खंड (क) के, “टिप्पण 9(क) और 9(ख)” शब्द, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “टिप्पण 12 (क) और 12(ख)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(v) उपशीर्ष टिप्पण 2 में, “टिप्पण 5 (ग)”, शब्द, अंक, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “टिप्पण 6 (ग)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(vi) शीर्ष 8414 में,—

(क) शीर्ष 8414 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “फिल्टर” शब्द के स्थान पर, “फिल्टर ; गैस-संपीड़ित जैव सुरक्षा पेटी, चाहे वे फिल्टरों से सज्जित हैं या नहीं” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 8414 60 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“8414 70 00	-	गैस-संपीड़ित जैव सुरक्षा पेटी	इ.	7.5%	-”
-------------	---	-------------------------------	----	------	----

(vii) शीर्ष 8418 में, उपशीर्ष 8418 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- संयुक्त प्रशीतित्र-हिमित्र, जिनमें पृथक् बाह्य दरवाजे या दराज या उनके संयोजन फिट किए गए हैं।”;

(viii) शीर्ष 8419 में,—

(क) टैरिफ मद 8419 11 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“8419 12 00	--	सौर जल तापित्र	इ.	10%	-”;
-------------	----	----------------	----	-----	-----

(ख) टैरिफ मद 8419 31 00 से 8419 32 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8419 33 00	--	ल्योफाइलेशन उपस्कर, हिमित्र शुष्कण यूनितें और स्प्रे शुष्कित्र	इ.	7.5%	-
8419 34 00	--	अन्य, कृषि उत्पादों के लिए	इ.	7.5%	-
8419 35 00	--	अन्य, काष्ठ, कागजी लुगदी, कागज या पेपरबोर्ड	इ.	7.5%	-”;

(ix) शीर्ष 8421 में, टैरिफ मद 8421 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8421 32 00	--	उत्प्रेरक संपरिवर्तक या विविक्त फिल्टर, चाहे वे इ. 15% -”;
		अन्तर्दहन इंजनों से निःशेष गैसों के शुद्धिकरण या उनको फिल्टर करने के लिए, संयोजित किए गए हैं या नहीं

(x) शीर्ष 8428 में, टैरिफ मद 842860 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8428 70 00	-	औद्योगिक रोबोट इ. 7.5% -”;
-------------	---	----------------------------

(xi) शीर्ष 8438 में, शीर्ष 8438 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “अवाष्पशील वनस्पति वसा” शब्दों के स्थान पर, “अवाष्पशील वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(xii) शीर्ष 8462 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“8462		फोर्जन, धनताइन या रूपदाफोर्जन (जिनके अंतर्गत वेलन मिलें नहीं हैं) द्वारा धातु कर्मण के लिए मशीन औजार (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र भी हैं) ; बंकन, वलन, ऋजुकरण, सपाटन, संकर्तन, छिद्रण, खांचन या कुतरण (जिसके अंतर्गत ड्रा-बेंच नहीं हैं) द्वारा कर्मण धातु के लिए मशीन औजार (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र, विदारण पंक्ति और दीर्घतर पंक्ति तक कर्तित भी हैं) ; कर्मण धातु या धातु कार्बाइड के लिए निपीड़ित्र, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है			
	-	फोर्जन, रूपदास्टांपन (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र भी हैं) के लिए ऊष्ण रूपक मशीनें और ऊष्ण धनताइन :			
8462 11 00	--	बंद रूपदास्टांपन मशीनें	इ.	7.5%	-
8462 19 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-
	-	सपाट उत्पादों के लिए बंकन, वलन, ऋजुकरण या सपाटन मशीनें (जिनके अंतर्गत प्रेस ब्रेक्स भी हैं) :			
8462 22 00	--	प्रोफाइल रूपक मशीनें	इ.	7.5%	-
8462 23 00	--	संख्यात्मकतः नियंत्रित प्रेस ब्रेक	इ.	7.5%	-
8462 24 00	--	संख्यात्मकतः नियंत्रित पैनल बंकन	इ.	7.5%	-
8462 25 00	--	संख्यात्मकतः नियंत्रित वेलन रूपक मशीनें	इ.	7.5%	-
8462 26 00	--	अन्य संख्यात्मकतः नियंत्रित बंकन, वलन, ऋजुकरण, सपाटन मशीनें	इ.	7.5%	-
8462 29 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-
	-	सपाट उत्पादों के लिए विदारण पंक्तियां, दीर्घतर पंक्तियों तक कर्तित और अन्य समाकर्तन मशीनें (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र नहीं हैं), संयुक्त छिद्रण और समाकर्तन मशीनों से भिन्न :			
8462 32 00	--	विदारण पंक्तियां और दीर्घतर पंक्तियों तक कर्तित	इ.	7.5%	-
8462 33 00	--	संख्यात्मकतः नियंत्रित समाकर्तन मशीनें	इ.	7.5%	-

8462 39 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-
-		सपाट उत्पादों के लिए छिद्रन, खांचन या कुतरण मशीनें (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र नहीं हैं), जिनके अंतर्गत संयुक्त छिद्रण और समाकर्तन मशीनें भी हैं :			
8462 42 00	--	संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	7.5%	-
8462 49 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-
-		कर्मण ट्यूब, पाइप, खोखला भाग और छड़ (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र नहीं हैं) के लिए मशीनें :			
8462 51 00	--	संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	7.5%	-
8462 59 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-
-		अतस धातु कर्मण निपीड़ित्र :			
8462 61 00	--	हाइड्रोलिक निपीड़ित्र	इ.	7.5%	-
8462 62 00	--	यांत्रिक निपीड़ित्र	इ.	7.5%	-
8462 63 00	--	सर्वो-निपीड़ित्र	इ.	7.5%	-
8462 69 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-
8462 90 00	-	अन्य	इ.	7.5%	-";

(xiii) शीर्ष 8479 में,—

(क) उपशीर्ष 8479 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- प्राणी या अवाष्पशील वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेल के निष्कर्षण या निर्मिति के लिए मशीनरी”;

(ख) टैरिफ मद 8479 82 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8479 83 00 -- अतस समस्थितिक निपीड़ित्र इ. 7.5% -”;

(xiv) शीर्ष 8482 में, टैरिफ मद 8482 40 00, उपशीर्ष 8482 50, टैरिफ मद 8482 50 11 से 8482 50 23 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8482 40 00 - सुई रोलर बेयरिंग, जिसके अंतर्गत कक्षिका और सुई इ. 7.5% -
रोलर संयोजन भी हैं

8482 50 00 - अन्य बेलनकार रोलर बेयरिंग, जिसके अंतर्गत कक्षिका इ. 7.5% -";
और रोलर संयोजन भी हैं

(xv) टैरिफ मद 8484 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8485 योज्यक विनिर्माण के लिए मशीन

8485 10 00 - धातु भंडार के आधार पर इ. 7.5% -

8485 20 00 - प्लास्टिक या रबड़ भंडार के आधार पर इ. 7.5% -

8485 30 00 - प्लास्टर, सीमेंट, चीनी-मिट्टी या कांच भंडार के आधार इ. 7.5% -
पर

8485 80 00 - अन्य इ. 7.5% -

8485 90 00 - पुर्जे इ. 7.5% -";

(xvi) शीर्ष 8486 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में,—

(क) शीर्ष 8486 के सामने आने वाले “टिप्पण 9 (ग)”, शब्द, अंक, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “टिप्पण 11 (ग)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 8486 40 00 के सामने आने वाले “टिप्पण 9 (ग)” शब्द, अंक, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “टिप्पण 11 (ग)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(61) अध्याय 85 में,—

(i) टिप्पण 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘5. शीर्ष 8517 के प्रयोजनों के लिए, “स्मार्टफोन” पद से सेलूलर नेटवर्कों के लिए ऐसे टेलीफोन अभिप्रेत हैं, जो साथ-साथ बहुअनुप्रयोगों, जिनके अंतर्गत तृतीय पक्षकार अनुप्रयोग भी हैं, को डाउनलोड करने तथा चलाने वाली स्वतः डाटा प्रक्रमण मशीन के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए अभिकल्पित मोबाइल प्रचालन प्रणाली से सज्जित हैं, और चाहे वे डिजिटल कैमरों और नेवीगेशन संबंधी सहायता प्रणालियों जैसी अन्य विशेषताओं को समाकलित करते हैं या नहीं।’;

(ii) विद्यमान टिप्पण 5 को उसके टिप्पण 6 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 6 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘7. शीर्ष 8524 के प्रयोजनों के लिए, “सपाट पैनल प्रदर्शन मोड्यूल” सूचना के प्रदर्शन जो प्रदर्शन स्क्रीन सहित न्यूनतम पर सज्जित है, के लिए युक्तियों या उपकरण के प्रतिनिर्देश है, जिन्हें प्रयोग करने से पूर्व अन्य शीर्षों की वस्तुओं में समाविष्ट किए जाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। सपाट पैनल प्रदर्शन मोड्यूल के लिए प्रदर्शन स्क्रीन में, किंतु जो उन तक सीमित नहीं है, और जो सपाट हैं, वक्र, नम्य, वलनीय या तननीय रूप की है। सपाट पैनल प्रदर्शन मोड्यूल में अतिरिक्त तत्वों को, जिनके अंतर्गत वे तत्व भी हैं, जो वीडियो संकेतों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं और प्रदर्शन पर पिक्सल तक उन संकेतों के आबंटन को समाविष्ट कर सकते हैं। तथापि, शीर्ष 8524 में ऐसे प्रदर्शन मोड्यूल सम्मिलित नहीं हैं, जो संपरिवर्तनकारी वीडियो संकेतों (उदाहरणार्थ, सेकेलर आईसी, डिकोडर आईसी या अनुप्रयोग प्रक्रमणक) के लिए संघटकों से सज्जित हैं या जो अन्य शीर्षों के माल के लक्षणों को अन्यथा ग्रहण किए हुए हैं।

इस टिप्पण में परिभाषित सपाट पैनल प्रदर्शन मोड्यूल के वर्गीकरण के लिए, शीर्ष 8524 की नामपद्धति में किसी अन्य शीर्ष पर अग्रता होगी।’;

(iii) विद्यमान टिप्पण 6 और 7 को क्रमशः टिप्पण 8 और 9 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(iv) विद्यमान टिप्पण 8 को उसके टिप्पण 10 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और,—

(क) विद्यमान टिप्पण 10 का लोप किया जाएगा ;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘11. शीर्ष 8539 के प्रयोजनों के लिए, “प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोत” पद के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं :

(क) “प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) मोड्यूल”, जो विद्युत परिपथों में व्यवस्थित प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) पर आधारित विद्युत प्रकाश स्रोत हैं, और जिनमें विद्युत, यांत्रिकी, तापीय या प्रकाशीय तत्वों जैसे अतिरिक्त तत्व भी अंतर्विष्ट हैं। उनमें पृथक् सक्रिय तत्व, पृथक् निष्क्रिय तत्व या विद्युत प्रदाय या विद्युत नियंत्रण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए शीर्ष 8536 या शीर्ष 8542 की वस्तुएं भी अंतर्विष्ट हैं। प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) मोड्यूल में प्रकाश पुंज में सहज संस्थापन या प्रतिस्थापन करने के लिए अभिकल्पित कैप नहीं है और वे यांत्रिकी तथा विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करते हैं।

(ख) “प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) लैंप”, जो विद्युत, यांत्रिकी, तापीय या प्रकाशीय तत्वों जैसे अतिरिक्त तत्वों को अंतर्विष्ट करने वाले एक या अधिक प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) मोड्यूल अंतर्विष्ट करने वाले विद्युत प्रकाश स्रोत हैं। प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) मोड्यूल और प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) लैंपों के बीच यह अंतर है कि लैंपों में किसी प्रकाशपुंज में सहज संस्थापन या प्रतिस्थापन करने के लिए अभिकल्पित कैप होती है और वे यांत्रिकी और विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करते हैं।’;

(v) विद्यमान टिप्पण 9 को टिप्पण 12 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 12 में,—

(क) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(क) (i) “अर्धचालक युक्तियाँ” ऐसी अर्धचालक युक्तियाँ हैं, जिनका प्रचालन किसी विद्युत क्षेत्र में अनुप्रयोग पर प्रतिरोधकता में परिवर्तन पर या अर्धचालक आधारित ऊर्जा परिवर्तकों पर निर्भर करता है।

अर्धचालक युक्तियों में अनेक तत्व समुच्चय, चाहे वे सक्रिय और निष्क्रिय सहायक कृत्य युक्ति से सुसज्जित हैं या नहीं, भी सम्मिलित हो सकेंगे।

“अर्धचालक आधारित ऊर्जा परिवर्तक” इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, अर्धचालक आधारित संवेदक, अर्धचालक आधारित प्रेरक, अर्धचालक आधारित अनुनादक और अर्धचालक आधारित दोलक हैं, जो पृथक् अर्धचालक आधारित युक्तियों के प्रकार हैं और जो मूलभूत कृत्य हैं, जो किसी भी प्रकार की भौतिक या रासायनिक परिघटना या किसी कार्रवाई को इलैक्ट्रिक संकेत में या किसी इलैक्ट्रिक संकेत को किसी प्रकार की भौतिक घटना या कार्रवाई में परिवर्तित करने में समर्थ होते हैं।

अर्धचालक आधारित ऊर्जा परिवर्तक के सभी तत्व अभाज्य रूप से सम्मूचयित होते हैं और उसमें आवश्यक सामग्री, जो अभाज्य रूप से संलग्न होती है, उनके संनिर्माण या कृत्यों को समर्थ बनाती है, भी सम्मिलित है।

निम्नलिखित पदों से अभिप्रेत है,—

(1) “अर्धचालक आधारित” से अर्धचालक आधार पर निर्मित या विनिर्मित या अर्धचालक सामग्री से बनाए गए, अर्धचालक प्रौद्योगिकी द्वारा विनिर्मित अभिप्रेत है, जिसमें अर्धचालक आधार या सामग्री, ऊर्जा परिवर्तक कृत्य और पालन में महत्वपूर्ण और अप्रतिस्थाप्य भूमिका निभाते हैं और जिसका प्रचालन अर्धचालक विशेषताओं पर, जिसके अंतर्गत भौतिक, विद्युत, रासायनिक और प्रकाशिक विशेषताएँ भी हैं, आधारित है।

(2) “भौतिक या रासायनिक परिघटना” ऐसी परिघटनाओं से संबंधित है, जैसे कि दाब, ध्वनि-तरंगें, त्वरण, दोलन, गति, दिग्विन्यास, तनाव, चुम्बकीय क्षेत्र की शक्ति, विद्युत क्षेत्र की शक्ति, प्रकाश, रेडियोधर्मिता, आर्द्रता, प्रवाह, रासायनिक सांद्रता, आदि।

(3) “अर्धचालक आधारित संवेदक” एक अर्धचालक युक्ति का प्रकार है, जिसमें ऐसी सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिक या यांत्रिक संरचनाएँ सम्मिलित होती हैं, जो पुंज में या अर्धचालक की सतह पर सृजित की जाती हैं और जिनका कार्य भौतिक या रासायनिक परिमाण का पता लगाना है और उन्हें विद्युत विशेषताओं के परिवर्तन के परिणामस्वरूप या यांत्रिक अवसंरचना के विस्थापन द्वारा विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना है।

(4) “अर्धचालक आधारित प्रेरक” अर्धचालक युक्ति का प्रकार है, जिसमें सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिक या यांत्रिक संरचनाएँ सम्मिलित होती हैं, जो पुंज में या अर्धचालक की सतह पर सृजित की जाती हैं और जिनका कार्य विद्युत संकेतों को भौतिक गति में परिवर्तित करना है।

(5) “अर्धचालक आधारित अनुनादक” अर्धचालक युक्ति का प्रकार है, जिसमें सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिक या यांत्रिक संरचनाएँ सम्मिलित होती हैं, जो पुंज में या अर्धचालक की सतह पर सृजित की जाती हैं और जिनका कार्य पूर्व निर्धारित आवृत्ति के यांत्रिक या विद्युत दोलन को उत्पन्न करना है, जो एक बाह्य निवेश के प्रत्युत्तर में इन संरचनाओं की भौतिक ज्यामिति पर निर्भर करते हैं।

(6) “अर्धचालक आधारित दोलक” अर्धचालक युक्ति का प्रकार है, जिसमें सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिक या यांत्रिक संरचनाएँ सम्मिलित होती हैं, जो पुंज में या अर्धचालक की सतह पर सृजित की जाती हैं और जिनका कार्य पूर्व निर्धारित आवृत्ति के यांत्रिक या विद्युत दोलन को उत्पन्न करना है, जो इन संरचनाओं की भौतिक ज्यामिति पर निर्भर करते हैं।

(ii) “प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी)” अर्धचालक सामग्री पर आधारित अर्धचालक ऐसी युक्तियाँ हैं, जो विद्युत ऊर्जा को दृश्य, अवरक्त या पराबैंगनी किरणों में परिवर्तित करता है, चाहे वह एक-दूसरे से विद्युत रूप से संयोजित है या नहीं और चाहे वह रक्षक डायोड के साथ सम्मूचयित है या नहीं। शीर्ष 85.41 वाले प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी)

विद्युत आपूर्ति या विद्युत नियंत्रण प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए संयोगी तत्व नहीं होते हैं ;'

(ख) खंड (ख) के उपखंड (iv) के, उपपैरा (3) में, मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(क) “सिलिकान आधारित संवेदक” में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक संरचनाएं सम्मिलित होती हैं, जो पुंज में या अर्धचालक की सतह पर सृजित की जाती है और जिनका कार्य भौतिक या रासायनिक परिघटनाओं का पता लगाना है और उन्हें विद्युत विशेषताओं के परिवर्तन के परिणामस्वरूप या यांत्रिक अवसंरचना के विस्थापन द्वारा विद्युत संकेतों में ऊर्जा परिवर्तन करना है। “भौतिक या रासायनिक परिघटना” दाब, ध्वनि-तरंगें, त्वरण, दोलन, गति, दिग्विन्यास, तनाव, चुम्बकीय क्षेत्र की शक्ति, विद्युत क्षेत्र की शक्ति, प्रकाश, रेडियोधर्मिता, आर्द्रता, प्रवाह, रासायनिक सांद्रता, आदि जैसी परिघटना से संबंधित है,।’;

(vi) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 8525 81 में केवल उच्च-गति टेलीविजन कैमरों, डिजीटल कैमरों और वीडियो कैमरा रिकार्डरों, जो निम्नलिखित एक या अधिक विशेषताएं रखते हैं, समाविष्ट होते हैं :

- 0.5 मिलीमीटर प्रति माइक्रो सेकेंड से अधिक लेखन गति ;
- 50 नैनो सेकेंड या उससे कम समय रिजोल्यूशन ;
- 225,000 फ्रेम प्रति सेकेंड से अधिक फ्रेम दर ।

2. उपशीर्ष 8525 82 के संबंध में, विकिरण-दृढीभूत या विकिरण-सहिष्णु टेलीविजन कैमरे, डिजीटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकार्डर, उच्च-विकिरण वातावरण में प्रचालन को समर्थ बनाने हेतु परिकल्पित या परिरक्षित किए जाते हैं। ये कैमरे प्रचालन अवकर्षण के बिना कम से कम 50 x 103 जीवाई (सिलिकान) (5x106 आरएडी सिलिकान), विकिरण डोज को सहन करने के लिए परिकल्पित किए जाते हैं।

3. उपशीर्ष 8525 83 के अन्तर्गत रात्रि दृश्य टेलीविजन कैमरे, डिजीटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकार्डर आते हैं, जो एक फोटोकैथोड का उपलब्ध प्रकाश को इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें एक दृश्य प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए वर्धित और परिवर्तित किया जा सकता है। इस उपशीर्ष में ऊष्मीय बिंब कैमरे (साधारणतया उपशीर्ष 8525 89) सम्मिलित नहीं हैं।

4. उपशीर्ष 8527 12 के अन्तर्गत अन्तःनिर्मित प्रवर्धक सहित अन्तःनिर्मित लाउडस्पीकर के बिना केवल कैसेट प्लेयर आता है, जो विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत के बिना चलने में समर्थ है और जिनकी विमाएं 170 मिमी x 100 मिमी x 45 मिमी से अधिक नहीं होती है।

5. उपशीर्ष 8549 11 से 8549 19 उपशीर्षों के प्रयोजनों के लिए “भुक्तशेष प्राथमिक सेल, भुक्तशेष प्राथमिक बैटरियां और मुक्तशेष इलेक्ट्रिक संचायक” वे हैं, जो टूट-फूट, कटाई, घर्षण या अन्य कारणों से उपयोग्य नहीं है और न ही उन्हें फिर से चार्ज किया जा सकता है।’;

(vii) शीर्ष 8501 में,—

(क) टैरिफ मद 8501 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- प्रकाश-वोल्टीय जनरेटरों से भिन्न अन्य डीसी मोटर ;
डीजी जनरेटर :”;

(ख) टैरिफ मद 8501 53 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- प्रकाश-वोल्टीय जनरेटरों से भिन्न एसी जनरेटर
(प्रत्यावर्तित) :”;

(ग) टैरिफ मद 8501 64 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

	“-	प्रकाश-वोल्टीय डीसी जनरेटर :			
8501 71 00	--	50 वाट से अनधिक आउटपुट का	इ.	10%	-
8501 72 00	--	50 वाट से अधिक आउटपुट का	इ.	10%	-
8501 80 00	-	प्रकाश-वोल्टीय एसी जनरेटर	इ.	10%	-”;

(viii) शीर्ष 8507, टैरिफ मद 8507 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ix) शीर्ष 8514,—

(क) टैरिफ मद 8514 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	ताप प्रतिरोधी भट्टियां और चूल्हे :			
8514 11 00	--	ऊष्म समस्थितिक चूल्हे	इ.	7.5%	-
8514 19 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-”;

(ख) उपशीर्ष 8514 30, टैरिफ मद 8514 30 10 और 8514 30 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	अन्य भट्टियां और चूल्हे :			
8514 31 00	--	इलैक्ट्रान बीम भट्टियां	इ.	7.5%	-
8514 32 00	--	प्लाज्मा और निर्वात आर्क भट्टियां	इ.	7.5%	-
8514 39 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-”;

(x) शीर्ष 8517,—

(क) शीर्ष 8517 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों में, “टेलीफोन” शब्दों के स्थान पर, “स्मार्टफोन और अन्य टेलीफोन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) शीर्ष 8517 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “टेलीफोन” शब्दों के स्थान पर, “स्मार्टफोन और अन्य टेलीफोन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपशीर्ष 8517 12, टैरिफ मद 8517 12 11 से 8517 12 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8517 13 00	--	स्मार्टफोन	इ.	20%	-
8517 14 00	--	सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए अन्य टेलीफोन	इ.	20%	-”;

(घ) उपशीर्ष 8517 70, टैरिफ मद 8517 70 10 और 8517 70 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“-	पुर्जे :			
8517 71 00	--	ऐरियल और सभी प्रकार के ऐरियल परावर्तक उसमें उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे	इ.	20%	-
8517 79	--	अन्य :			
8517 79 10	---	पोपुलेटेड, भारित या भरे हुए मुद्रित परिपथ बोर्ड	इ.	20%	-
8517 79 90	---	अन्य	इ.	15%	-”;

(xi) शीर्ष 8519, टैरिफ मद 8519 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xii) टैरिफ मद 8523 80 90 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8524		फ्लैट पैनल प्रदर्शन माड्यूल, चाहे स्पष्ट संवेदी स्क्रीन संस्थापित है या नहीं			
-		ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ के बिना :			
8524 11 00	--	तरल क्रिस्टल का			
8524 12 00	--	जैविक प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (ओएलईडी) का	इ.	15%	-
8524 19 00	--	अन्य	इ.	15%	-
-		अन्य :			
8524 91 00	--	तरल क्रिस्टल का	इ.	15%	-
8524 92 00	--	जैविक प्रकाश, उत्सर्जक डायोड (ओएलईडी) का	इ.	15%	-
8524 99 00	--	अन्य	इ.	15%	-”;

(xiii) शीर्ष 8525 में उपशीर्ष 8525 80, टैरिफ मद 8525 80 10 से 8528 80 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“-		टेलीविजन कैमरे, डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकार्डर :			
8525 81 00	--	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में यथाविनिर्दिष्ट उच्च-गति माल	इ.	20%	-
8525 82 00	--	अन्य, इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 2 में यथाविनिर्दिष्ट विकिरण दृढीकृत या विकिरण सहिष्णु माल	इ.	20%	-
8525 83 00	--	अन्य, इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 3 में यथाविनिर्दिष्ट रात्रि दृश्य माल	इ.	20%	-
8525 89 00	--	अन्य	इ.	20%	-”;

(xiv) शीर्ष 8529 में, —

(क) शीर्ष 8529 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों में, “8525” अंकों के स्थान पर, “8524” अंक रखे जाएंगे;

(ख) टैरिफ मद 8529 90 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xv) शीर्ष 8539 में,—

(क) शीर्ष 8539 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों में, “प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लैम्प” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोत” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 8539 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“-		प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोत :			
8539 51 00	--	प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) माड्यूल	इ.	20%	-
8539 52 00	--	प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लैम्प	इ.	20%	-”;

(xvi) शीर्ष 8541 में, —

(क) शीर्ष 8541 शीर्ष के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की गई प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“अर्धचालक युक्तियां (उदाहरण के लिए डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक आधारित ऊर्जा परिवर्तक) ; प्रकाश-सुग्राही अर्धचालक युक्तियां, जिसके अंतर्गत

प्रकाश-वोल्टीय सेल भी है, चाहे माड्यूल में समुच्चयित है या नहीं या पैनलों में तैयार है या नहीं ; प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) चाहे अन्य प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) से समुच्चयित है या नहीं ; आरुढ़ दाब-विद्युत क्रिस्टल”;

(ख) उपशीर्ष 8541 40, टैरिफ मद 8541 40 11 से 8541 50 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“-	प्रकाश-सुग्राही अर्धचालक युक्तियां, जिसके अंतर्गत प्रकाश-वोल्टीय सेल भी है, चाहे माड्यूल में समुच्चयित है या नहीं या पैनलों में तैयार है या नहीं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) :			
8541 41 00	--	प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी)	इ.	निःशुल्क -
8541 42 00	--	प्रकाश-वोल्टीय सेल, जो माड्यूल में समुच्चयित नहीं है या पैनलों में तैयार नहीं है	इ.	20% -
8541 43 00	--	माड्यूल में समुच्चयित है या पैनलों में तैयार है	इ.	20% -
8541 49 00	--	अन्य	इ.	20% -
	-	अन्य अर्धचालक युक्तियां :		
8541 51 00	--	अर्धचालक आधारित ऊर्जा प्रवर्तक	इ.	20% -
8541 59 00	--	अन्य	इ.	20% -”;

(xvii) शीर्ष 8543 में, टैरिफ मद 8543 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8543 40 00	-	इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और समान व्यक्ति विद्युत वाष्पीकरण युक्तियां	इ.	7.5% -”;
-------------	---	---	----	----------

(xviii) शीर्ष 8548 के उपशीर्ष 8548 10 की टैरिफ मद 8548 10 10 से 8548 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8548 00 00		मशीनरी या उपकरण के विद्युत पुर्जे, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं	इ.	10% -
8549		विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रेप		
	-	प्राथमिक सेल के अपशिष्ट और स्क्रेप, प्राथमिक बैटरी और विद्युत संचायक ; भुक्तशेष प्राथमिक सेल, भुक्तशेष प्राथमिक बैटरियां और भुक्तशेष विद्युत संचायक :		
8549 11 00	--	लेड-एसिड संचायकों के अपशिष्ट और स्क्रेप ; भुक्तशेष लेड-एसिड संचायक	कि.ग्रा.	10% -
8549 12 00	--	अन्य, जिसमें लेड, कैडमियम या पारा अंतर्विष्ट हो	कि.ग्रा.	10% -
8549 13 00	--	रासायनिक प्रकार द्वारा छंटे हुए और जिसमें लेड, कैडमियम या पारा अन्तर्विष्ट न हो	कि.ग्रा.	10% -
8549 14 00	--	छांटे न गए और जिसमें लेड, कैडमियम या पारा अन्तर्विष्ट न हो	कि.ग्रा.	10% -
8549 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10% -
	-	ऐसा प्रकार जिसका उपयोग मूल रूप से मूल्यवान धातु के प्रत्युद्धरण के लिए किया जाता है :		

8549 21 00	--	जिसमें प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियां, विद्युत संचायक, पारा-स्विच, कैथोड किरण नलियों से कांच या अन्य सक्रिय कांच, या विद्युत या इलैक्ट्रानिक अवयव हैं, जिसमें कैडमियम, पारा, लेड या पोलिक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल (पीसीबी) अन्तर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
8549 29 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	अन्य विद्युत और इलैक्ट्रानिक संयोजन और मुद्रित परिपथ बोर्ड :			
8549 31 00	--	जिसमें प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियां, विद्युत संचायक, पारा-स्विच, कैथोड किरण नलियों से कांच या अन्य सक्रिय कांच, या विद्युत या इलैक्ट्रानिक अवयव हैं, जिसमें कैडमियम, पारा, लेड या पोलिक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल (पीसीबी) अन्तर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
8549 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	अन्य :			
8549 91 00	--	जिसमें प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियां, विद्युत संचायक, पारा-स्विच, कैथोड किरण नलियों से कांच या अन्य सक्रिय कांच, या विद्युत या इलैक्ट्रानिक अवयव हैं, जिसमें कैडमियम, पारा, लेड या पोलिक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल (पीसीबी) अन्तर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
8549 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(62) खंड 17 के टिप्पण 1 के खंड (ट) में, "लैम्प और प्रकाश फिटिंगें", शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें तथा उनके पुर्जे," शब्द रखे जाएंगे ;

(63) अध्याय 87 में,—

(i) टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 8708 22 में आते हैं :

(क) अग्र विंडस्क्रीन (विंडशील्ड), पश्च खिड़की और अन्य खिड़कियां, फ्रेम सहित ; और

(ख) अग्र विंडस्क्रीन (विंडशील्ड), पश्च खिड़की और अन्य खिड़कियां, चाहे फ्रेम सहित है या नहीं, समावेशी तापन युक्तियां या अन्य विद्युत या इलैक्ट्रानिक युक्तियां,

जब शीर्ष 8701 से 8705 के मोटर यानों के साथ एकल रूप से या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त है।";

(ii) शीर्ष 8701 के उपशीर्ष 8701 20 की टैरिफ मद 8701 20 10 और 8701 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- अर्ध-ट्रेलरों के लिए रोड ट्रैक्टर :

8701 21 00	--	केवल संपीडन प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) सहित	इ.	10%	-
8701 22 00	--	संपीडन प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और प्रणोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर सहित	इ.	10%	-
8701 23 00	--	स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटर सहित	इ.	10%	-
8701 24 00	--	प्रणोदन के लिए केवल विद्युत मोटर सहित	इ.	10%	-
8701 29 00	--	अन्य	इ.	10%	-";

(iii) शीर्ष 8702 के उपशीर्ष 8702 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “पश्चात्” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष 8703 में,—

(क) टैरिफ मद 8703 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “प्रत्यागामी” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 8703 40 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “प्रत्यागामी” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ष 8703 60 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “प्रत्यागामी” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(v) शीर्ष 8704 में, टैरिफ मद 8704 10 90 के उपशीर्ष 8704 21, टैरिफ मद 8704 21 10 से 8704 21 90 के उपशीर्ष 8704 22, टैरिफ मद 8704 22 11 से 8704 22 90 के उपशीर्ष 8704 23, टैरिफ मद 8704 23 11 से 8704 23 90 के उपशीर्ष 8704 31, टैरिफ मद 8704 31 10 से 8704 31 90 के उपशीर्ष 8704 32, टैरिफ मद 8704 32 11 से 8704 32 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

		-	अन्य, केवल संपीड़न प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) सहित				
8704 21 00	--		जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अनधिक है	इ.	40%	-	
8704 22 00	--		जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक है किन्तु 20 टन से अधिक नहीं है	इ.	40%	-	
8704 23 00	--		जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 20 टन से अनधिक है	इ.	40%	-	
		-	अन्य, स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन सहित :				
8704 31 00	--		जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अनधिक है	इ.	40%	-	
8704 32 00	--		जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक है	इ.	40%	-	
		-	अन्य, संपीड़ित प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और प्रणोदन के लिए मोटर के लिए विद्युत मोटर सहित :				
8704 41 00	--		जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अनधिक है	इ.	40%	-	
8704 42 00	--		जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक है किन्तु 20 टन से अधिक नहीं है	इ.	40%	-	
8704 43 00	--		जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 20 टन से अधिक है	इ.	40%	-	
		-	अन्य, स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए मोटर के लिए विद्युत मोटर सहित :				
8704 51 00	--		जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अनधिक है	इ.	40%	-	
8704 52 00	--		जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक है	इ.	40%	-	
8704 60 00	-		अन्य, प्रणोदन के लिए केवल विद्युत मोटर सहित	इ.	40%	-	

(vi) शीर्ष 8708 की टैरिफ मद 8708 21 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8708 22 00	--	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट अग्र कि.ग्रा. 15% -”;
		विंडस्क्रीन (विंडशील्ड), पश्च खिड़की और अन्य खिड़कियां

(vii) शीर्ष 8711 में,—

(क) उपशीर्ष 8711 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “प्रत्यागामी” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 8711 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “प्रत्यागामी” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ष 8711 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “प्रत्यागामी” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपशीर्ष 8711 40 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “प्रत्यागामी” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ङ) उपशीर्ष 8711 50 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “प्रत्यागामी” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(64) अध्याय 88 में,—

(i) टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

टिप्पण :

‘1. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, “मानवरहित वायुयान” पद से ऐसे वायुयान अभिप्रेत हैं जो शीर्ष 8801 से भिन्न हैं, फलक पर पायलट के बिना उड़ाए जाने के लिए परिकल्पित हैं। उन्हें अर्जकभार ले जाने के लिए परिकल्पित किया जा सकेगा या स्थायी एकीकृत डिजिटल कैमरे या अन्य उपस्करों, जो उन्हें उनकी उड़ान के दौरान उपयोगी कृत्यों का पालन करने में समर्थ बनाते हैं, से सुसज्जित होगा।

“मानवरहित वायुयान” पद में, तथापि, उड़ान खिलौने, जो केवल मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए परिकल्पित हैं, नहीं आते हैं (शीर्ष 9503)।

उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 8802 11 से 8802 40 के प्रयोजनों के लिए “लदान रहित भार” पद से उपस्कर की स्थायी रूप से फिट की गई मदों से भिन्न कूल और ईंधन तथा उपस्कर के भार को छोड़कर सामान्य उड़ान अनुक्रम में मशीन का भार अभिप्रेत है।

2. उपशीर्ष 8806 21 से 8806 24 और उपशीर्ष 8806 91 से 8806 94 के प्रयोजनों के लिए, “अधिकतम उड़ान भार” पद से सामान्य उड़ान अनुक्रम में उड़ान पर मशीन का अधिकतम भार अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आयुभार, उपस्कर और ईंधन का भार भी है।’

(ii) शीर्ष 8802 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “वायुयान” शब्द के स्थान पर, “वायुयान, शीर्ष 8806 में मानवरहित वायुयान के सिवाय” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 8803 में, टैरिफ मद 8803 10 00 से 8803 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) टैरिफ मद 8805 29 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“8806		मानवरहित वायुयान			
8806 10 00	-	यात्रियों के वहन के लिए परिकल्पित	इ.	10%	-
	-	अन्य, केवल रिमोट से नियंत्रित उड़ान के लिए			
8806 21 00	--	250 ग्राम से अनधिक अधिकतम उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 22 00	--	250 ग्राम से अधिक किन्तु 7 किलोग्राम से अनधिक उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 23 00	--	7 किलोग्राम से अधिक किन्तु जो 25 किलोग्राम से अधिक नहीं है उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 24 00	--	25 किलोग्राम से अधिक किन्तु जो 150 किलोग्राम से अधिक नहीं है उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 29 00	--	अन्य	इ.	10%	-
	-	अन्य :			
8806 91 00	--	250 ग्राम से अनधिक अधिकतम उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 92 00	--	250 ग्राम से अधिक किन्तु जो 7 किलोग्राम से अधिक नहीं है उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 93 00	--	7 किलोग्राम से अधिक किन्तु 25 किलोग्राम से अनधिक उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 94 00	--	25 किलोग्राम से अधिक किन्तु जो 150 किलोग्राम से अधिक नहीं है उड़ान भार सहित	इ.	10%	-

8806 99 00	--	अन्य	इ.	10%	-
8807		शीर्ष 8801, 8802 या 8806 के माल के पुर्जे			
8807 10 00	-	नोदक और घूर्णक और उनके पुर्जे	कि.ग्रा.	3%	-
8807 20 00	-	अधोयान और उनके पुर्जे	कि.ग्रा.	3%	-
8807 30 00	-	वायुयान, हेलीकाप्टर या मानवरहित वायुयान के अन्य पुर्जे	कि.ग्रा.	3%	-
8807 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";
(65) अध्याय 89 में, शीर्ष 8903 की टैरिफ मद 8903 10 00 से 8903 92 00, उपशीर्ष 8903 99, टैरिफ मद 8903 99 10 और 8903 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—					
	-	स्फीत्य (जिसमें कठोर हल्ल स्फीत्य भी है) नावः			
8903 11 00	--	मोटर के साथ फिट की गई या फिट किए जाने के लिए परिकल्पित, जिसका लदान रहित (शुद्ध) भार (मोटर को छोड़कर) 100 किलोग्राम से अनधिक है	इ.	25%	-
8903 12 00	--	मोटर के साथ उपयोग के लिए परिकल्पित नहीं है और उसका लदान रहित (शुद्ध) भार 100 किलोग्राम से अधिक नहीं है	इ.	25%	-
8903 19 00	--	अन्य	इ.	25%	-
	-	पाल-नौका सहायक मोटर सहित या उसके बिना, स्फीतीय से भिन्न :			
8903 21 00	--	7.5 मीटर से अनधिक लंबाई की	इ.	25%	-
8903 22 00	--	7.5 मीटर से अधिक लंबाई की, किन्तु जो 24 मीटर से अधिक नहीं है	इ.	25%	-
8903 23 00	--	24 मीटर से अधिक लंबाई की	इ.	25%	-
	-	स्फीतीय से भिन्न मोटर नौका, जिसके अंतर्गत अवहिस्य मोटर नौका नहीं है :			
8903 31 00	--	7.5 मीटर से अनधिक लंबाई की	इ.	25%	-
8903 32 00	--	7.5 मीटर से अधिक लंबाई की, किन्तु जो 24 मीटर से अधिक नहीं है	इ.	25%	-
8903 33 00	--	24 मीटर से अधिक लंबाई की	इ.	25%	-
	-	अन्य :			
8903 93 00	--	7.5 मीटर से अनधिक लंबाई की	इ.	25%	-
8903 99 00	--	अन्य	इ.	25%	-";

(66) अध्याय 90 में,—

(i) टिप्पण 1 में, खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(च) आधार धातु (अनुभाग 15) या वैसे ही प्लास्टिक के माल (अध्याय 39) के अनुभाग 15 के टिप्पण 2 में यथा परिभाषित साधारण उपयोग के लिए पुर्जे ; तथापि, वस्तुएं शीर्ष 9021 में वर्गीकृत की जानी वाली चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दन्त चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय में अनन्य रूप से आरोपण में उपयोग के लिए विशिष्ट रूप से परिकल्पित की गई है ;”;

(ii) शीर्ष 9006 में,—

(क) टैरिफ मद 9006 51 00 और 9006 52 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 9006 53 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी,

अर्थात् :—

“-- 35 मिमी चौड़ाई की रोल फिल्म के लिए :”;

(iii) शीर्ष 9013 में,—

(क) उपशीर्ष 9013 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“लेजर, डायोड से भिन्न लेजर ; अन्य प्रकाशीय साधित्र और यंत्र, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं”;

(ख) उपशीर्ष 9013 80 की टैरिफ मद 9013 80 10 से 9013 80 90, उपशीर्ष 9013 90 और टैरिफ मद 9013 90 10 तथा 9013 90 90 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“9013 80 00	-	अन्य युक्तियां, साधित्र और यंत्र	इ.	7.5%	-
9013 90 00	-	पुर्जे और उपसाधन	इ.	7.5%	-”;

(iv) शीर्ष 9022 में,—

(क) शीर्ष 9022 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “या गामा” शब्दों के स्थान पर, “, गामा या अन्य आयनकारी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 9022 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “या गामा” शब्दों के स्थान पर, “गामा या अन्य आयनकारी” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) शीर्ष 9027 में, उपशीर्ष 9027 80 की टैरिफ मद 9027 80 10 से 9027 80 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“-	अन्य यंत्र और उपकरण :				
9027 81 00	--	समग्र स्पेक्ट्रोमापी	इ.	निःशुल्क	-
9027 89	--	अन्य :			
9027 89 10	---	विस्कोमापी	इ.	निःशुल्क	-
9027 89 20	---	कैलोरीमापी	इ.	निःशुल्क	-
9027 89 30	---	द्रवों के सतहों या तरल या इन्टर फ़ॉसियल दाब को मापने के लिए यंत्र और उपस्कर	इ.	निःशुल्क	-
9027 89	---	अन्य	इ.	निःशुल्क	-”;

(vi) शीर्ष 9030 में,—

(क) टैरिफ मद 9030 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में “विद्युत” शब्द के स्थान पर, “विद्युत (उनसे भिन्न, जो अर्धचालक वेफर या युक्तियों को मापने या जांचने के लिए हैं)” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 9030 82 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“-- जो अर्धचालक वेफर या युक्तियों को मापने या जांचने के लिए है (जिसके अंतर्गत एकीकृत परिपथ भी हैं)”;

(vii) शीर्ष 9031 में, टैरिफ मद 9031 41 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“-- अर्धचालक वेफर या युक्तियों के निरीक्षण करने के लिए है (जिसके अंतर्गत एकीकृत परिपथ भी हैं) या अर्धचालक युक्तियों (जिसके अंतर्गत एकीकृत परिपथ भी हैं) के विनिर्माण में प्रयुक्त फोटो मास्क या रेटिकल के निरीक्षण करने के लिए”;

(67) अध्याय 91 में,—

(i) उपशीर्ष 9114 10 की टैरिफ मद 9114 10 10 और 9114 10 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(ii) टैरिफ मद 9114 90 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“9114 90 40 --- स्प्रिंग, जिसके अंतर्गत हेयर-स्प्रिंग भी हैं कि.ग्रा. 10% -”;

(68) अध्याय 94 में,—

(i) अध्याय के शीर्ष में “लैम्प और प्रकाश फिटिंगें” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाश-पुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (च) में, “लैम्प या प्रकाश फिटिंगें” शब्दों के स्थान पर, “लैम्प या प्रकाश स्रोत और उनके पुर्जे” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (झ) में,—

(क) “लैम्प या प्रकाश फिटिंगें” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाश-पुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “विद्युत लड़ी” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाश लड़ी” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) टिप्पण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘4. शीर्ष 9406 के प्रयोजनों के लिए “पूर्व संविरचित निर्माण” पद से ऐसे निर्माण अभिप्रेत हैं, जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं या स्थल पर जैसे कि आवासन को कार्यस्थल वास-सुविधा, कार्यालयों, विद्यालयों, दुकानों, शेडों, गैराजों या वैसे ही निर्माण के रूप में, समंजित किए जाने के लिए, साथ-साथ प्रस्तुत अवयवों के रूप में, रखे जाते हैं।

‘संविरचित भवन निर्माण में इस्पात की “माड्युलर निर्माण इकाई” सम्मिलित है, जो साधारणतया मानक पोत आधान के माप और आकृति में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन सारवान् रूप से या पूर्ण रूप से, आंतरिक रूप से पूर्व समंजित होती है। ऐसी माड्युलर निर्माण इकाइयां साधारणतया स्थायी निर्माण करने के लिए परिकल्पित की जाती हैं।’;

(iv) शीर्ष 9401 में,—

(क) टैरिफ मद 9401 30 00 और 9401 40 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- परिवर्ती ऊंचाई समायोजन सहित भ्रामी सीटें :

9401 31 00 -- लकड़ी की इ. 25% -

9401 39 00 -- अन्य इ. 25% -

- उद्यान-कुर्सी या शिविर उपस्कर से भिन्न सीटें, सैय्याओं में संपरिवर्तनीय :

9401 41 00 -- लकड़ी की इ. 25% -

9401 49 00 -- अन्य इ. 25% -”;

(ख) टैरिफ मद 9401 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- पुर्जे :

9401 91 00 -- लकड़ी के कि.ग्रा. 25% -

9401 99 00 -- अन्य कि.ग्रा. 25% -”;

(v) शीर्ष 9403 में, टैरिफ मद 9403 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- पुर्जे :

9403 91 00 -- लकड़ी के कि.ग्रा. 25% -

9403 99 00 -- अन्य कि.ग्रा. 25% -”;

(vi) शीर्ष 9404 में,—

(क) टैरिफ मद 9404 30 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“9404 40	-	रजाई, पलंग पोश, ईडर कोमल पिच्छ और मुलायम मोटी रजाई (रजाइयां) :			
9404 40 10	---	रजाई	इ.	25%	-
9404 40 20	---	पलंग पोश	इ.	25%	-
9404 40 30	---	ईडर कोमल पिच्छ	इ.	25%	-
9404 40 40	---	मुलायम मोटी रजाई (रजाइयां)	इ.	25%	-”;

(ख) उपशीर्ष 9404 90 की टैरिफ मद 9404 90 11 से 9404 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“9404 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	25%	-”;
-------------	---	------	----------	-----	-----

(vii) शीर्ष 9405 में,—

(क) शीर्ष 9405 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “लैम्प और प्रकाश फिटिंग” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंग” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपशीर्ष 9405 10 की टैरिफ मद 9405 10 10 से 9405 10 90, उपशीर्ष 9405 20 की टैरिफ मद 9405 20 10 से 9405 30 00, उपशीर्ष 9405 40 की टैरिफ मद 9405 40 10 से 9405 40 90, उपशीर्ष 9405 50 की टैरिफ मद 9405 50 10 से 9405 50 59, उपशीर्ष 9405 60 की टैरिफ मद 9405 60 10 से 9405 60 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“-	झाड़-फनूस और अन्य विद्युत अंतःशुद्ध या भित्ति प्रकाश फिटिंगें, जिनके अंतर्गत इस प्रकार की फिटिंग नहीं हैं, जिनका उपयोग सार्वजनिक खुले स्थानों या आम रास्तों को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है :				
9405 11 00	--	प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित	इ.	25%	-
9405 19 00	--	अन्य	इ.	25%	-
-	विद्युत मेज, डेस्क, शैय्या पार्श्वस्थ या फर्श पर खड़े होने वाले प्रकाशपुंज :				
9405 21 00	--	प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित	इ.	25%	-
9405 29 00	--	अन्य	इ.	25%	-
-	जिनका उपयोग क्रिसमस ट्री के लिए किया जाता है इस प्रकार की प्रकाश लड़ी :				
9405 31 00	--	प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित	इ.	25%	-
9405 39 00	--	अन्य	इ.	25%	-
-	अन्य विद्युत प्रकाश पुंज और प्रकाश फिटिंगें :				
9405 41 00	--	प्रकाश वोल्टीय, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित है	इ.	25%	-
9405 42 00	--	अन्य, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित है	इ.	25%	-
9405 49 00	--	अन्य	इ.	25%	-
9405 50 00	-	अविद्युत प्रकाश पुंज और प्रकाश फिटिंग	इ.	25%	-

	-	प्रदीप्त चिह्न, प्रदीप्त नामपट्ट और वैसी ही वस्तुएं:			
9405 61 00	--	जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित है	इ.	25%	-
9405 69 00	--	अन्य	इ.	25%	-";
(viii) शीर्ष 9406 में, टैरिफ मद 9406 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—					
"9406 20 00	-	इस्पात की माज्युलर निर्माण इकाइयां	इ.	10%	-";
(69) अध्याय 95 में,—					
(i) टिप्पण 1 में,—					
(अ) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—					
“(त) मानवरहित वायुयान (शीर्ष 8806);”;					
(आ) विद्यमान खंड (त), खंड (थ), खंड (द), खंड (ध), खंड (न), खंड (प), खंड (फ) और खंड (ब) को क्रमशः खंड (थ), खंड (द), खंड (ध), खंड (न), खंड (प), खंड (फ), खंड (ब) और खंड (भ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा ;					
(ख) टिप्पण 5 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—					
‘6. शीर्ष 9508 के प्रयोजनों के लिए :					
(क) “विनोद उपवन सवारी” पद से एक युक्ति अथवा युक्तियों या उपस्कर का समुच्चय अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को विनोद या मनोरंजन के प्राथमिक प्रयोजनों के लिए नियत या निर्बंधित मार्ग से या उससे होकर, जिसके अंतर्गत जल मार्ग भी हैं या परिभाषित क्षेत्र के भीतर करता है या पहुंचाता है या निदेशित करता है। ऐसी सवारी में विनोद उपवन, थीम उपवन, जल उपवन या मेला स्थान सम्मिलित हो सकेंगे, इन विनोद उपवन सवारियों में निवास या खेल स्थलों में सामान्य रूप से प्रतिष्ठापित प्रकार का कोई उपस्कर सम्मिलित नहीं है ;					
(ख) “जल उपवन विनोद” पद से ऐसी युक्ति अथवा युक्तियों या उपस्करों का समुच्चय अभिप्रेत है, जो पथ बनाए जाने के प्रयोजनों के बिना जल को अंतर्वलित करने वाले परिभाषित क्षेत्र द्वारा विशेषित किया जाता है। जल उपवन विनोद में केवल जल उपवनों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से परिकल्पित उपस्कर सम्मिलित होते हैं ; और					
(ग) “मेला स्थल विनोद” पद से संयोग, शक्ति या कौशल का खेल अभिप्रेत है, जो सामान्यतः किसी प्रचालक या परिचालक को नियोजित करता है और स्थायी भवनों या स्वतंत्र रियायत स्टालों में प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। मेला स्थल विनोद में शीर्ष 9504 के उपस्कर सम्मिलित नहीं हैं।					
इस शीर्ष में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से कहीं और नामावली में वर्गीकृत उपस्कर सम्मिलित नहीं हैं।’;					
(ii) शीर्ष 9504 में, शीर्ष 9504 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—					
“वीडियो गेम कन्सोल और मशीनें, टेबल या कक्ष खेलों के लिए वस्तु, जिनके अंतर्गत पिन-टेबल, बिलियर्ड, कैसिनो खेलों के लिए विशेष मेज और स्वचालित बालिंग उपस्कर, सिक्कों, बैंक नोटों, बैंक कार्डों, टोकनों द्वारा या संदाय के किसी अन्य साधनों से प्रचालित विनोद मशीन”;					
(iii) शीर्ष 9508 के टैरिफ मद 9508 10 00 और 9508 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—					
"9508		चल सर्कस और चल प्राणीशालाएं ; विनोद उपवन सवारी और जल उपवन विनोद ; विनोद मेला स्थल, जिसके अंतर्गत निशानेबाजी दीर्घाएं ; चल नाट्यशालाएं भी हैं			
9508 10 00	-	चल सर्कस और चल प्राणीशालाएं	कि.ग्रा.	20%	-
	-	विनोद उपवन सवारी और जल उपवन विनोद :			
9508 21 00	--	रोलर कोस्टर	इ.	20%	-
9508 22 00	--	चक्र दोला, झूले और चक्कर झूले	इ.	20%	-

9508 23 00	--	दाएं-बाएं दौड़ने वाली कार	इ.	20%	-
9508 24 00	--	गति अनुरूपक और गतिमान नाट्यशालाएं	इ.	20%	-
9508 25 00	--	जल सवारी	इ.	20%	-
9508 26 00	--	जल उपवन विनोद	इ.	20%	-
9508 29 00	--	अन्य	इ.	20%	-
9508 30 00	-	मेला स्थल विनोद	इ.	20%	-
9508 40 00	-	चल नाट्यशालाएं	इ.	20%	-";

(70) अध्याय 96 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ट) में “लैंप और प्रकाश फिटिंगें” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टैरिफ मद 9609 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“- पेंसिलें और क्रेयान, जिनके लेड दृढ़ आवरण में है”;

(iii) शीर्ष 9617 के उपशीर्ष 9617 00 की टैरिफ मद 9617 00 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“9617		निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, पूर्ण ; उनके पुर्जे कांच की अंतर्वस्तु से भिन्न			
9617 00	-	निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, पूर्ण ; उनके पुर्जे कांच की अंतर्वस्तु से भिन्न ;			
	---	निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, पूर्ण :			
9617 00 11	----	निर्वात-फ्लास्क, जिनकी क्षमता 0.75 ली. से अनधिक है	कि.ग्रा.	20%	-";

(iv) शीर्ष 9619, उपशीर्ष 9619 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“9619		सैनेटरी तौलिए (पैड) और टैम्पन, शिशुओं के लिए नैपकिन (डायपर) और नैपकिन लाइनर और किसी सामग्री की वैसी ही वस्तुएं			
9619 00	-	सैनेटरी तौलिए (पैड) और टैम्पन, शिशुओं के लिए नैपकिन (डायपर), नैपकिन लाइनर और किसी सामग्री की वैसी वस्तुएं :”;			

(71) अध्याय 97 में,—

(i) टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2. शीर्ष 9701 ऐसे पच्चीकारी पर लागू नहीं होता है, जो वाणिज्यिक स्वरूप की परम्परागत शिल्पकारी का पुंज में उत्पादित पुनरुत्पादन, सांचानिर्मितियों या कृतियों के हैं, भले ही ये वस्तुएं कलाकारों द्वारा परिकल्पित या सृजित हैं।”;

(ii) विद्यमान टिप्पण 2, 3, 4 और 5 को क्रमशः टिप्पण 3, 4, 5 और 6 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(iii) शीर्ष 9701 के उपशीर्ष 9701 10 की टैरिफ मद 9701 10 10 से 9701 10 90, उपशीर्ष 9701 90 की टैरिफ मद 9701 90 91 से 9701 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“9701		पूर्णतया हाथ से बनाए गए चित्र, ड्राइंग और पेस्टल, जो शीर्ष 4906 की ड्राइंगों से भिन्न हस्त चित्रित या हस्त-सज्जित विनिर्मित वस्तुओं से भिन्न है ; समुचित चित्र, पच्चीकारी और वैसे ही सजावटी पट्टिकाएं			
	-	100 वर्ष से अधिक पुराने :			
9701 21 00	--	चित्र, ड्राइंग और पेस्टल	इ.	10%	-
9701 22 00	--	पच्चीकारी	इ.	10%	-
9701 29 00	--	अन्य	इ.	10%	-
	-	अन्य :			
9701 91 00	--	चित्र, ड्राइंग और पेस्टल	इ.	10%	-
9701 92 00	--	पच्चीकारी	इ.	10%	-

9701 99 00 -- अन्य इ. 10% -";

(iv) टैरिफ मद 9702 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

9702 मौलिक उत्कीर्णन, प्रिंट और लिथोमुद्रण

9702 10 00 - 100 वर्ष से अधिक पुराने इ. 10% -

9702 90 00 - अन्य इ. 10% -";

(v) शीर्ष 9703, उपशीर्ष 9703 00, टैरिफ मद 9703 00 10 से 9703 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9703 मौलिक शिल्प और मूर्ति संग्रह, किसी भी सामग्री के

9703 10 - 100 से अधिक की है :

9703 10 10 --- धातु के इ. 10% -

9703 10 20 --- पत्थर के इ. 10% -

9703 10 90 --- अन्य इ. 10% -

9703 90 - अन्य :

9703 90 10 --- धातु के इ. 10% -

9703 90 20 --- पत्थर के इ. 10% -

9703 90 90 --- अन्य इ. 10% -";

(vi) शीर्ष 9705 के उपशीर्ष 9705 00 की टैरिफ मद 9705 00 10 और 9705 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9705 संग्रह और संग्राही वस्तुएं, जो पुरातत्वीय, मानवजातीय, ऐतिहासिक, प्राणी विज्ञानीय, वानस्पतिक, खनिजीय, शारीरिक, जीवाश्मकीय या सिक्कीय अभिरुचि की है

9705 10 00 - संग्रह और संग्राही वस्तुएं, जो पुरातत्वीय, मानवजातीय इ. 10% -
या ऐतिहासिक अभिरुचि की है

- संग्रह और संग्राही वस्तुएं, जो प्राणी विज्ञानीय, वानस्पतिक, खनिजीय, शारीरिक या जीवाश्मकीय अभिरुचि की है :

9705 21 00 -- मानव नमूने और उनके भाग इ. 10% -

9705 22 00 -- लुप्त या संकटापन्न जाति और उनके भाग इ. 10% -

9705 29 00 -- अन्य इ. 10% -

- संग्रह और संग्राही वस्तुएं, जो सिक्कीय अभिरुचि की है :

9705 31 00 -- जो 100 वर्ष से अधिक की हैं इ. 10% -

9705 39 00 -- अन्य इ. 10% -";

(vii) टैरिफ मद 9706 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9706 100 वर्ष से अधिक पुरावस्तुएं

9706 10 00 - जो 250 वर्ष से अधिक की हैं इ. 10% -

9709 90 00 - अन्य इ. 10% -"।

पांचवीं अनुसूची

[धारा 105(i) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में, शीर्ष 2709, टैरिफ मद 2709 10 00 और टैरिफ मद 2709 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

टैरिफ मद		माल का विवरण	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
"2709		पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, कच्चा तेल		
2709 00	--	पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, कच्चा तेल		
2709 00 10	---	पेट्रोलियम कच्चा तेल	कि.ग्रा.	1 रुपया प्रति टन
2709 00 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	"।

छठी अनुसूची

[धारा 105(ii) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में, 1 जनवरी, 2022 से,—

टैरिफ मद	माल का विवरण	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
(क) अनुभाग 4 में, अनुभाग शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित अनुभाग शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—			
“तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प ; उत्पाद, चाहे उनमें निकोटिन अंतर्विष्ट हों या नहीं, जो दहन के बिना अन्तःश्वसन के लिए आशयित हैं ; अन्य निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले पदार्थ, जो मानव शरीर में निकोटिन अन्तःग्रहण के लिए आशयित हैं”;			
(ख) अध्याय 24 में,—			
(i) अनुभाग शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित अनुभाग शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—			
“तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प ; उत्पाद, चाहे उनमें निकोटिन अंतर्विष्ट हों या नहीं, जो दहन के बिना अन्तःश्वसन के लिए आशयित हैं ; अन्य निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले पदार्थ, जो मानव शरीर में निकोटिन अन्तःग्रहण के लिए आशयित हैं”;			
(ii) टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—			
“4. शीर्ष 2404 और अध्याय के किसी अन्य शीर्ष में वर्गीकरणीय कोई उत्पाद, जो शीर्ष 2404 में वर्गीकृत किए जाने हैं।			
5. शीर्ष 2404 के प्रयोजनों के लिए, “दहन के बिना सूंघना” पद से दहन के बिना, ऊष्मित परिदान या अन्य साधनों के माध्यम से सूंघना अभिप्रेत है।”;			
(iii) टैरिफ मद 2403 99 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—			
“2404	तंबाकू, पुनर्रचित तंबाकू अंतर्विष्ट करने वाले उत्पाद, निकोटिन या तंबाकू या निकोटिन अनुकल्प, जो दहन के बिना अन्तःश्वसन के लिए आशयित हैं ; अन्य निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले पदार्थ जो मानव शरीर में निकोटिन अन्तःग्रहण के लिए आशयित हैं		
-	दहन के बिना अन्तःश्वसन के लिए आशयित उत्पाद :		
2404 11 00	-- तंबाकू या पुनर्रचित तंबाकू अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	81%
2404 12 00	-- अन्य, निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	
2404 19 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	81%
-	अन्य :		
2404 91 00	-- मौखिक उपयोग के लिए	कि.ग्रा.	
2404 92 00	-- त्वचा के भीतर उपयोग के लिए	कि.ग्रा.	
2404 99 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	

सातवीं अनुसूची
[धारा 125(1) देखिए]

मद सं.	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)
1.	पेट्रोल के रूप में सामान्यतया ज्ञात मोटर स्प्रिट	2.50 रुपए प्रति लीटर
2.	उच्च गति डीजल	4.00 रुपए प्रति लीटर

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 14)

[28 मार्च, 2021]

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तियों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के
विनियमन और बनाए रखने, संस्थाओं के निर्धारण, केन्द्रीय और राज्य
रजिस्टर रखे जाने तथा पहुंच, अनुसंधान और विकास में सुधार करने
के लिए किसी प्रणाली के सृजन और नवीनतम वैज्ञानिक
उन्नतियों को अपनाए जाने तथा उससे संबंधित
या उसके आनुषंगिक विषयों का
उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित
हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति
आयोग अधिनियम, 2021 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,
नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की
जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी उपबन्ध में किसी निर्देश का अर्थ उस
उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “सलाहकार परिषद्” से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय सहबद्ध और देख-रेख सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) “सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था” से ऐसी शैक्षिक या अनुसंधान संस्था अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन किसी सहबद्ध और देख-रेख वृत्ति में डिप्लोमा या पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टर डिग्री या कोई अन्य डिग्री पश्च-प्रमाणीकरण प्रदान करती है ;

(ग) “सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक” से इस अधिनियम के अधीन कोई भी सहबद्ध देख-रेख वृत्तिक या देख-रेख वृत्तिक अभिप्रेत है ;

(घ) “सहबद्ध और स्वास्थ्य वृत्तिक” के अन्तर्गत कोई सहयुक्त, टेक्नीशियन या प्रौद्योगिकीविद् सम्मिलित है जो रूग्णता, रोग, क्षति या ह्रास के निदान और उपचार में सहायता तथा किसी चिकित्सीय, परिचर्या या किसी अन्य स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक द्वारा सिफारिश किए गए किसी देख-रेख उपचार और रेफरल योजना के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए तकनीकी और व्यवहारिक कार्य करने के लिए प्रशिक्षित है और जिसने इस अधिनियम के अधीन डिप्लोमा या डिग्री की कोई ऐसी अर्हता अभिप्राप्त की हुई है, जिसकी अवधि दो हजार घंटों से कम की नहीं होगी, जिसका विस्तार दो वर्ष से चार वर्ष की अवधि में विनिर्दिष्ट सेमेस्टर्स में विभाजित होगा ;

(ङ) “सहबद्ध और देख-रेख अर्हता” से किसी सहबद्ध और देख-रेख वृत्तिक द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियमित शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया गया कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या उसके पश्चात् अभिप्राप्त कोई भी अतिरिक्त मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम अभिप्रेत है ;

(च) “स्वशासी बोर्ड” से धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन गठित स्वशासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(छ) “केन्द्रीय रजिस्टर” से धारा 13 के अधीन आयोग द्वारा रखा गया केन्द्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ज) “अध्यक्ष” से आयोग का धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(झ) “आयोग” से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अभिप्रेत है ;

(ञ) “स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक” के अन्तर्गत ऐसा वैज्ञानिक, चिकित्सक या अन्य वृत्तिक सम्मिलित है जो अध्ययन करता है, सलाह देता है, अनुसंधान करता है, पर्यवेक्षण करता है या निवारक, आरोग्यकारी, पुनर्वासीय, चिकित्सीय या संवर्धन सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और जिसने इस अधिनियम के अधीन डिग्री जिसकी अवधि तीन हजार छह सौ घंटों से कम की नहीं होगी, जिसका विस्तार तीन वर्ष से छह वर्ष की अवधि में विनिर्दिष्ट सेमेस्टर्स में विभाजित होगा की कोई भी ऐसी अर्हता अभिप्राप्त की है ;

(ट) “अंतरिम आयोग” से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन गठित अंतरिम आयोग अभिप्रेत है ;

(ठ) “सदस्य” से, यथास्थिति, आयोग या राज्य परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य भी है ;

(ड) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ;

(ढ) “अंशकालिक सदस्य” से आयोग का धारा 3 के खंड (घ) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित तथा खंड (घ) के उपखंड (iii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है ;

(ण) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(त) “वृत्तिक परिषद्” से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक परिषद् अभिप्रेत है ;

(थ) “मान्यताप्राप्त प्रवर्ग” से अनुसूची में विनिर्दिष्ट सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों का कोई भी प्रवर्ग अभिप्रेत है ;

(द) “विनियम” से आयोग द्वारा बनाया गया कोई विनियम अभिप्रेत है ;

(ध) “अनुसूची” से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(न) “राज्य परिषद्” से धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन गठित कोई राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् अभिप्रेत है ;

(प) “राज्य सरकार” के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी है ;

(फ) “राज्य रजिस्टर” से धारा 32 के अधीन रखा गया राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ब) “कृत्तिक परिवर्तन” से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा उन्नत स्वास्थ्य देख-रेख के लिए स्वास्थ्य कार्य बल को दक्षतापूर्वक पुनर्संगठित करके विनिर्दिष्ट कृत्तिकों को, जहां उचित हो, उन कार्यों में विशेषीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख कृत्तिकों के पास भेजा जाता है ;

(भ) “विश्वविद्यालय” से विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन परिभाषित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कोई संस्था भी है ;

(म) “उपाध्यक्ष” से आयोग का धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग

3. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग नामक एक आयोग का ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन अधिकथित किए जाएं, का गठन किया जाएगा ।

(2) आयोग, पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी जिसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद जाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की किसी भी मान्यताप्राप्त वृत्ति में स्नातकोत्तर डिग्री और सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान के

आयोग का गठन और संरचना ।

क्षेत्र में पच्चीस वर्ष से अन्यून का अनुभव, जिसमें से कम से कम दस वर्ष अग्रणी के रूप में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के क्षेत्र में होंगे, विख्यात योग्यता साबित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा रखने वाला व्यक्ति, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी — अध्यक्ष ;

(ख) किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की किसी भी मान्यताप्राप्त वृत्ति में स्नातकोत्तर डिग्री और सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान के क्षेत्र में बीस वर्ष से अन्यून का अनुभव, जिसमें से कम से कम दस वर्ष अग्रणी के रूप में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के क्षेत्र में होंगे, विख्यात योग्यता साबित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा रखने वाला व्यक्ति — उपाध्यक्ष;

(ग) निम्नलिखित व्यक्ति आयोग के पदेन सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग का संयुक्त सचिव — पदेन सदस्य ;

(ii) भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव — पदेन सदस्य ;

(iii) भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव — पदेन सदस्य;

(iv) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग का संयुक्त सचिव — पदेन सदस्य ;

(v) भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव — पदेन सदस्य ;

(vi) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जो उप-महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो — पदेन सदस्य ;

(vii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जो उप-महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो — पदेन सदस्य ;

(viii) निम्नलिखित में से किसी का, द्विवार्षिक चक्रानुक्रम आधार पर, प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जो भारत सरकार के उप-सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — पदेन सदस्य,—

(क) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ;

(ख) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ; और

(ग) भारतीय पुनर्वास परिषद् ;

(ix) निम्नलिखित का द्विवार्षिक चक्रानुक्रम आधार पर, प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति, जो उप-निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाए — पदेन सदस्य—

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ;

(ख) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई;

(ग) जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी ;

(घ) इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग ;

(ङ) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, दिल्ली ;

(च) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु ;

(छ) राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ;

(ज) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक ;

(झ) राष्ट्रीय विकलांग विद्या संस्थान, कोलकाता ;

(ञ) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर, कर्नाटक ;

(ट) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम्, केरल ; और

(ठ) टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई ;

(घ) निम्नलिखित व्यक्ति आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे,—

(i) राज्य परिषदों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह मंडलों में प्रत्येक से ऐसी अर्हता और अनुभव, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, रखने वाले दो व्यक्ति, जो मंडलीय वितरण के अनुसार वर्ण क्रमानुसार द्विवार्षिक चक्रानुक्रम में संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं ;

(ii) वृत्तिक परिषद् का अध्यक्ष और प्रत्येक वृत्तिक परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जिसका चयन ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन पदेन सदस्य से मिलकर बनी समिति द्वारा वृत्तियों के द्विवार्षिक चक्रानुक्रम से किया जाए; और

(iii) किसी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग से संबंधित शिक्षा और सेवाओं में लगी हुई पूर्त संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति, जो ऐसी अर्हता और अनुभव रखते हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

4. (1) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्देशित अंशकालिक सदस्य उस तारीख से, जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और अधिकतम दो पदावधियों के लिए पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे ।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

(2) आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्देशित अंशकालिक सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

5. (1) धारा 4 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्देशित अंशकालिक सदस्य—

सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना ।

(i) केन्द्रीय सरकार को तीन मास से अन्यून का लिखित नोटिस देकर अपना पद छोड़ सकेगा ; या

(ii) उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि—

(क) वह दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है ; या

(ख) वह किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे अंशकालिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है ; या

(ङ) उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन कोई अंशकालिक सदस्य अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

सदस्यता का नहीं
रहना और
आकस्मिक रिक्ति
का भरा जाना ।

6. (1) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (i) से खंड (ix) के अधीन कोई सदस्य उस सेवा में उसके नहीं रहने पर, जिसके कारण वह आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, आयोग का सदस्य नहीं रहेगा ।

(2) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (i) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य राज्य परिषद् के रजिस्टर से उसका नाम हटाए जाने पर आयोग का सदस्य नहीं रहेगा ।

(3) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयोग में किसी भी आकस्मिक रिक्ति के अधीन नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, केवल उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया था की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।

आयोग की बैठकें ।

7. (1) आयोग, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए, बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(2) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि वह आयोग की बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी कारण से असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) आयोग के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों से, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी हैं, गणपूर्ति होगी और आयोग के सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे; और मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

रिक्तियों इत्यादि से
आयोग की
कार्यवाहियों का
अविधिमान्य न
होना ।

8. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) आयोग के किसी सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता है ।

आयोग के अधिकारी
और अन्य कर्मचारी।

9. (1) ऐसे नियमों के अधधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, केन्द्रीय सरकार, आयोग को एक सचिवालय उपलब्ध कराएगी, जो एक सचिव और अन्य

अधिकारी से मिलकर बनेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(2) आयोग के सचिव और अन्य अधिकारियों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(3) आयोग का सचिवालय वृत्तिक परिषद् और सलाहकारी परिषद् को सचिवीय सहायता भी प्रदान करेगा।

10. (1) आयोग, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग के लिए वृत्तिक परिषद् का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में प्रत्येक वृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम चार और चौबीस से अनधिक ऐसे सदस्य होंगे, जिनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए :

वृत्तिक परिषद्।

परंतु जहां किसी वृत्तिक परिषद् में वृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से अधिक वृत्तिक हैं, वहां अध्यक्ष मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में वृत्तिकों के बीच द्विवार्षिक चक्रानुक्रम रखेगा।

(2) जहां आयोग में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विशिष्ट मान्यताप्राप्त वृत्ति से कोई व्यक्ति नहीं है, वहां यदि आयोग की यह राय है कि उसके द्वारा किया गया विनिश्चय उस वृत्ति को प्रभावित करता है तो वह ऐसा विनिश्चय करने से पहले संबंधित वृत्तिक परिषद् के माध्यम से उस वृत्ति को सुनवाई का अवसर देगा।

(3) वृत्तिक परिषद् का अध्यक्ष और सदस्य अपने-अपने प्रवर्ग के रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक होंगे।

11. (1) आयोग का ऐसे सभी उपाय करने का कर्तव्य होगा जो इस अधिनियम के अधीन सेवाओं के परिदान के मानक बनाए रखने और शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे और अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजनों के लिए आयोग निम्नलिखित कर सकेगा—

आयोग के कृत्य।

(क) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख से सम्बन्धित शिक्षा और वृत्तिक सेवाओं के शासन के लिए नीतियां और मानक विरचित करना ;

(ख) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों द्वारा इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन पालन किए जाने वाले वृत्तिक आचार, नैतिक और शिष्टाचार संहिता को विनियमित करना ;

(ग) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों की शैक्षणिक अर्हताओं, संस्थाओं, प्रशिक्षण, कौशल और सक्षमताओं के उनकी वृत्ति से संबंधित ऐसे व्यौरों सहित, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं, आनलाइन और कार्यशील रजिस्टर बनाना और उनको अध्ययन बनाए रखना ;

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ, कार्य परिवर्तन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वृत्ति के व्यवसाय का कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराना ;

(ङ) शिक्षा, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, भौतिक और शिक्षा संबंधी सुविधाओं, कर्मचारियों के पैटर्न, कर्मचारियों की अर्हता, क्वालिटी शिक्षण, निर्धारण, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, निरंतर वृत्तिक शिक्षा, विभिन्न प्रवर्गों की बाबत संदेय अधिकतम अध्यापन फीस, सीटों के आनुपातिक वितरण के आधारभूत मानक उपबंधित करना और प्रवर्गों में उत्तरोत्तर नवीनताओं को ऐसी रीति में प्रोन्नत करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(च) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों द्वारा अभिप्रास की जाने वाली सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताएं विहित करना, जिसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश मानदंड, अवधि और ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हैं जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(छ) डिप्लोमा, पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर की सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं में सामान्य परामर्श से एकरूप प्रवेश परीक्षा के लिए ऐसी रीति में उपबंध करना या उपबंध करवाया जाना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ज) शिक्षाविदों हेतु वृत्तिक व्यवसाय के लिए या स्नातकोत्तर या डॉक्ट्रल स्तर और राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रवेश के लिए सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के लिए निकास या अनुज्ञप्ति परीक्षा का ऐसी रीति में उपबंध करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(झ) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के लिए दक्ष मानव शक्ति के व्यवस्थित अभिनियोजन, कार्य प्रदर्शन प्रबंध प्रणाली, कार्य परिवर्तन और सहयुक्त कैरियर विकास के मार्ग के लिए रणनीतिक ढांचे का उपबंध करना ;

(ञ) मशीनरी, सामग्री और सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक ढांचे का उपबंध करना ;

(ट) इस अधिनियम के अधीन राज्य परिषदों द्वारा उनके प्रभावी कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे उपाय करना, जो आवश्यक हों ;

(ठ) आयोग के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए अनुसूची में यथा सूचीबद्ध किसी वृत्ति के संबंध में तकनीकी सलाह के लिए समितियां गठित करना या स्वतंत्र विशेषज्ञों को नियुक्त करना ;

(ड) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय परिषद् के साथ आयोग की वार्षिक बैठक आयोजित करना ;

2019 का 30

1973 का 59

(ढ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) आयोग अपने ऐसे कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, वृत्तिक परिषद् को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख सलाहकारी परिषद् ।

12. (1) केन्द्रीय सरकार, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों से संबंधित मुद्दों पर आयोग को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख सलाहकारी परिषद् नामक सलाहकारी परिषद् का गठन करेगी ।

(2) सलाहकारी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(i) आयोग का अध्यक्ष — अध्यक्ष ;

(ii) आयोग के सभी सदस्य — पदेन सदस्य ;

(iii) प्रत्येक राज्य से चिकित्सीय शिक्षा से संबंधित प्रधान सचिव या उसका नामनिर्देशिती — सदस्य ;

(iv) राज्य परिषद् का अध्यक्ष — सदस्य ; और

(v) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला चिकित्सीय शिक्षा से संबंधित प्रधान सचिव या उसका नामनिर्देशिती — सदस्य ।

(3) सलाहकारी परिषद् वर्ष में एक बार दिल्ली में बैठक करेगी, जैसा सलाहकारी

परिषद् के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए।

13. (1) आयोग, आनलाइन और कार्यशील केन्द्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर के नाम से ज्ञात प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग के पृथक् भाग में व्यक्तियों का रजिस्टर, जिसमें जानकारी अन्तर्विष्ट होगी, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो उनके क्रमिक किसी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग से सम्बन्धित अर्हताएं रखता है, ऐसी रीति में रखेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

केन्द्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए आयोग, केन्द्रीय रजिस्टर को बनाए रखने के लिए ऐसा मानक रूपविधान अंगीकार कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

1872 का 1

(3) केन्द्रीय रजिस्टर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थान्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जाएगा और उसे आयोग द्वारा दी गई प्रमाणित प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा।

14. कतिपय मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय की बाबत इस अधिनियम में अधिकथित शर्तों और निर्वधनों के अधीन, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय केन्द्रीय रजिस्टर में है, इस अधिनियम के अधीन किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के रूप में व्यवसाय के परिनिश्चित प्रविषय के भीतर अपनी अर्हताओं के अनुसार कोई भी सेवा प्रदान करने का तथा ऐसी सेवा की बाबत कोई भी व्यय, प्रभार या कोई भी ऐसी अन्य फीस प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसका वह हकदार हो।

केन्द्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए विशेषाधिकार।

15. किसी रजिस्ट्रीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक से भिन्न कोई भी व्यक्ति,—

केन्द्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों के अधिकार।

(क) सरकार में या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही किसी भी संस्था में किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक (चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो) के रूप में पद धारण नहीं करेगा ;

(ख) किसी भी राज्य में किसी भी मान्यताप्राप्त प्रवर्गों में सेवाएं प्रदान नहीं करेगा; और

(ग) सम्यक् रूप से अर्हित किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किए जाने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अपेक्षित किसी प्रमाणपत्र को हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित करने का हकदार नहीं होगा।

16. आयोग, किसी राज्य के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण की रिपोर्ट की प्राप्ति पर या किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, किए गए किसी आवेदन पर उसका नाम केन्द्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट कर सकेगा।

केन्द्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण।

17. (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम केन्द्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट कर दिया गया है, इस निमित्त ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए हकदार होगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाता।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, आयोग आवेदक को, ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(3) जहां आयोग के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, वहां आयोग ऐसी फीस के संदाय पर, ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

18. (1) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम केन्द्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट है, किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता के अतिरिक्त किसी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में कोई अन्य मान्यताप्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करता है, तो वह इस निमित्त ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में की जाए आवेदन पर तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, ऐसी डिग्री या डिप्लोमा या ऐसी अन्य अर्हता का कथन करते हुए उसके नाम के सामने ऐसे रजिस्टर में पूर्व में की गई किसी प्रविष्टि के अतिरिक्त प्रविष्टि करवाने का हकदार होगा।

अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत राज्य रजिस्टर में प्रविष्टियों को केन्द्रीय रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाएगा।

केन्द्रीय रजिस्टर से नाम का हटाया जाना।

19. यदि राज्य के रजिस्टर में नामांकित किसी व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर से इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में हटा दिया जाता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति का नाम ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय रजिस्टर से हटाए जाने का निदेश देगा :

परंतु उसका नाम, यथास्थिति, केन्द्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर से हटा दिए जाने पर ऐसा प्रमाणपत्र विधिमान्य नहीं रहेगा।

अंतरिम आयोग।

20. (1) केन्द्रीय सरकार, यथाशीघ्र, किन्तु उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, साठ दिन की अवधि के भीतर, तीन वर्ष के लिए या धारा 3 के अधीन नियमित आयोग गठित किए जाने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, एक अंतरिम आयोग गठित करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित अंतरिम आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव — अध्यक्ष ;

(ख) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव— सदस्य ;

(ग) भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय में विधि कार्य विभाग में संयुक्त सचिव — सदस्य ;

(घ) भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव — सदस्य ;

(ङ) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव — सदस्य ;

(च) भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव — सदस्य ;

(छ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का एक प्रतिनिधि, जो उप महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

(ज) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

2019 का 30

(झ) भारतीय पुनर्वास परिषद् का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

(ञ) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के उपसचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

(ट) प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखते हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं — सदस्य :

परंतु अंतरिम आयोग अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले वृत्तिकों में से ऐसे विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा, जो आवश्यक हों ।

(3) अंतरिम आयोग, इस अधिनियम के अधीन आयोग को सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी स्वयं की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, अंतरिम आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी ।

21. (1) केन्द्रीय सरकार, खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव नियुक्त करेगी ।

खोजबीन-सह-चयन समिति ।

(2) खोजबीन-सह-चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का सचिव — अध्यक्ष ;

(ख) शिक्षा मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

(ग) चार विशेषज्ञ, जो सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा, जन स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं तथा कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखते हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा — सदस्य ;

(घ) एक व्यक्ति, जो प्रबंधन या विधि या अर्थशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं तथा कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा — सदस्य ; और

(ङ) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव— संयोजक सदस्य ।

(3) केन्द्रीय सरकार, किसी रिक्ति के, जिसके अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति भी है, होने की तारीख से तीन मास के भीतर या आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव की पदावधि की समाप्ति से पहले तीन मास के भीतर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के चयन के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति को निर्देश करेगी ।

(4) खोजबीन-सह-चयन समिति, प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के पैल की सिफारिश करेगी ।

(5) खोजबीन-सह-चयन समिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो ।

(6) आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव की कोई भी नियुक्ति केवल खोजबीन-सह-चयन समिति में किसी सदस्य की रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

(7) खोजबीन-सह-चयन समिति, उपधारा (3) से उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी ।

अध्याय 3

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद्

राज्य परिषद् का गठन और उसकी संरचना।

22. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, अधिसूचना द्वारा, राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् नामक एक परिषद् का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो इस अधिनियम द्वारा अधिकथित किए जाएं।

(2) राज्य परिषद् पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, जिसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन की, तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उस नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) राज्य परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की किसी भी मान्यताप्राप्त वृत्ति में स्नातकोत्तर डिग्री और सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान के क्षेत्र में पच्चीस वर्ष से अन्यून का अनुभव, जिसमें से कम से कम दस वर्ष अग्रणी के रूप में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के क्षेत्र में होंगे, विख्यात योग्यता साबित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा रखने वाला व्यक्ति, जिसको राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा — अध्यक्ष ;

(ख) राज्य सरकार में चिकित्सा या स्वास्थ्य विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक — पदेन सदस्य ;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों से दो व्यक्ति, जो संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष की पंक्ति से नीचे के न हों — पदेन सदस्य ;

(घ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद् द्वारा गठित स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष — पदेन सदस्य ;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति, जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखते हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं — सदस्य ;

(च) किसी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग से संबंधित शिक्षा या सेवाओं में लगे हुए पूर्व संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति, जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखते हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए — सदस्य।

सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

23. (1) राज्य परिषद् के अध्यक्ष और धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, उस तारीख से, जिसको वे अपना पदग्रहण करते हैं, दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा अधिकतम दो पदावधियों के लिए पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे।

(2) धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन राज्य परिषद् के नामनिर्देशित सदस्य ऐसा यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

सदस्यों का त्यागपत्र और उनको हटाया जाना।

24. (1) धारा 23 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य परिषद् का अध्यक्ष और धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य,—

(i) राज्य सरकार को तीन मास से अन्यून का लिखित में नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा ; या

(ii) अपने पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है ; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है ; या

(ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन ऐसा कोई सदस्य अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

25. (1) धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन कोई सदस्य उसके उस सेवा में नहीं रहने पर, जिसके आधार पर उसे राज्य परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, राज्य परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा ।

सदस्यता का नहीं रहना और सदस्यों की आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना ।

(2) राज्य परिषद् में, धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन किसी भी आकस्मिक रिक्ति के अधीन नियुक्त किया गया अध्यक्ष या कोई भी अन्य सदस्य केवल उस सदस्य की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया था ।

26. (1) राज्य परिषद्, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसे नियमों का (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) पालन ऐसी रीति में करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

राज्य परिषद् की बैठक ।

(2) राज्य परिषद् का अध्यक्ष, यदि किसी कारण से वह राज्य परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चयन किया गया कोई भी अन्य सदस्य, बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) राज्य परिषद् की किसी भी बैठक में उनके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाला सदस्य निर्णायक मत देगा ।

27. राज्य परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) राज्य परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) राज्य परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) राज्य परिषद् की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता है ।

रिक्तियों, आदि से राज्य परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

28. (1) ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, राज्य परिषद् एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक समझे ।

राज्य परिषद् के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

(2) राज्य परिषद् का उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

स्वशासी बोर्डों का गठन और उनके कृत्य।

29. (1) राज्य परिषद्, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों को विनियमित करने के लिए अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित स्वशासी बोर्डों का गठन करेगी, अर्थात् :—

- (क) पूर्व स्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड ;
- (ख) स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड ;
- (ग) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति निर्धारण और श्रेणीकरण बोर्ड ; और
- (घ) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित स्वशासी बोर्डों में एक अध्यक्ष और प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग से उतनी संख्या में सदस्य होंगे, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं और उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) पूर्व स्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड और स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर तथा अति विशिष्टता स्तर पर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा के मानक अवधारित करेंगे, गतिशील पाठ्यचर्या अंतर्वस्तु, प्रमाणों के लिए संस्थागत मानकों के पुनर्विलोकन, संकाय विकास, मान्यताप्राप्त अर्हताओं के पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर आधारित सक्षमता का विकास करेंगे तथा ऐसे अन्य कृत्य करेंगे, जो पूर्व स्नातक शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए राज्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

(4) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति निर्धारण और श्रेणीकरण बोर्ड, संस्थाओं के निरीक्षण का उपबंध करके सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं के निर्धारण और श्रेणीकरण के लिए प्रक्रिया अवधारित करेगा, नई सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं की स्थापना और स्थानों की संख्या के लिए अनुज्ञा प्रदान करेंगे, निर्धारकों का पैनल तैयार करेंगे, चेतावनी या जुर्माने अधिरोपित करेंगे, ऐसे अन्य कृत्य संस्थानों की मान्यता को वापस लेने की सिफारिश करेगा, जो न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

(5) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, राज्य में सभी अनुज्ञप्तिधारी, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायियों का आनलाइन और वास्तविक राज्य रजिस्टर रखेगा, वृत्तिक आचार और नैतिकता के संवर्द्धन को विनियमित करेगा और ऐसे अन्य कृत्य करेगा, जो राज्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

(6) पूर्व स्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति निर्धारण और श्रेणीकरण बोर्ड तथा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ऐसे अन्य कृत्य करेंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

राज्य परिषद् के कृत्य।

30. राज्य परिषद् का, ऐसे सभी उपाय करने का कर्तव्य होगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन शिक्षा के समन्वयित और एकीकृत विकास तथा सेवाओं के प्रदान का स्तर बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए ठीक समझे और अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए राज्य परिषद्—

- (क) राज्य में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों द्वारा पालन किए जाने के लिए वृत्तिक आचरण, नैतिक संहिता और शिष्टाचार का पालन कराएगी और अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगी, जिसके अंतर्गत राज्य रजिस्टर से किसी वृत्तिक का नाम हटाना भी है ;

(ख) शिक्षा, पाठ्यक्रम, परिचर्या, भौतिक और शैक्षणिक सुविधाओं, स्टाफ पैटर्न, स्टाफ अर्हताओं, क्वालिटी शिक्षण, निर्धारण, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, निरंतर वृत्तिक शिक्षा के न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करेगी ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन डिप्लोमा, पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं में प्रवेश के लिए सामान्य मंत्रणा से एकरूप प्रवेश परीक्षा सुनिश्चित करेगी ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के लिए एकरूप निकास या अनुज्ञप्ति परीक्षा सुनिश्चित करेगी ;

(ङ) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगी और राज्य में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों को रजिस्टर करेगी ;

(च) आयोग द्वारा जारी किए गए सभी निदेशों का पालन सुनिश्चित करेगी ;

(छ) मशीनरी, सामग्रियों और सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक रूपरेखा का उपबंध करेगी ;

(ज) पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों के लिए भर्ती क्षमता को अनुमोदन या मान्यता प्रदान करेगी ;

(झ) मानक बनाए रखने के क्रम में संस्थाओं पर जुर्माना अधिरोपित करेगी ; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा उसको सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

31. राज्य परिषद् इतनी संख्या में वृत्तिक सलाहकारी बोर्डों का गठन करेगी, जो एक या अधिक मान्यताप्राप्त प्रवर्गों से संबंधित विनिर्दिष्ट मुद्दों की परीक्षा करने और राज्य परिषद् को उनके बारे में सिफारिश करने और ऐसे किसी अन्य क्रियाकलाप को भी करने, जो राज्य परिषद् द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, करने के लिए आवश्यक हों ।

सलाहकार बोर्ड का गठन ।

32. (1) राज्य परिषद् प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग के पृथक् भागों में राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर के नाम से व्यक्तियों का आनलाइन और वास्तविक राज्य रजिस्टर, ऐसी रीति में, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, रखेगी, जिसमें ऐसी सूचना होगी, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम और उनकी अपने-अपने मान्यताप्राप्त किन्हीं प्रवर्गों से संबंधित अर्हता भी है ।

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर ।

(2) राज्य रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों की वृत्ति से संबंधित शैक्षणिक अर्हता संस्थाओं, प्रशिक्षण, कौशल और सक्षमता के ब्यौरे ऐसी रीति में होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) राज्य रजिस्टर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थातर्गत लोक दस्तावेज समझा जाएगा और उसे राज्य परिषद् द्वारा प्रदान की गई प्रमाणित प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा ।

33. (1) कोई व्यक्ति, आवेदन करने पर और राज्य सरकार द्वारा विहित फीस के संदाय पर अपना नाम राज्य रजिस्टर में दर्ज कराने का हकदार होगा, यदि वह राज्य में निवास करता है और यदि वह मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता रखता है ।

राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण ।

(2) राज्य परिषद् को आवेदन किए जाने पर, यदि राज्य परिषद् की यह राय है कि आवेदक, राज्य रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार है, तो राज्य परिषद् उसमें आवेदक का नाम दर्ज कर देगी ।

(3) इस धारा के अधीन किसी नाम के राज्य रजिस्टर में दर्ज किए जाने पर, राज्य परिषद् का सचिव आवेदक को ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के रजिस्टर का प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो उस वृत्ति के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(5) कोई भी व्यक्ति, जिसके रजिस्ट्रीकरण का आवेदन राज्य परिषद् द्वारा नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे नामंजूर किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा।

अनुलिपि प्रमाणपत्र का जारी किया जाना।

34. जहां राज्य परिषद् के सचिव के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या नवीकरण प्रमाणपत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, तो राज्य परिषद् ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी।

राज्य रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तियों के नाम का नवीकरण।

35. (1) राज्य रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तियों के नाम के नवीकरण के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य परिषद् को ऐसी फीस का संदाय, ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, किया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट फीस का संदाय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां राज्य परिषद् का सचिव, व्यक्तिक्रमी का नाम राज्य रजिस्टर से हटा देगा :

परंतु इस प्रकार हटाया गया नाम, उक्त रजिस्टर में ऐसी फीस के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन फीस के संदाय पर, राज्य परिषद् का सचिव नवीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का सबूत होगा।

राज्य रजिस्टर से किसी व्यक्ति के नाम का हटाया जाना।

36. (1) राज्य परिषद्, किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् यदि यह उचित समझे,—

(क) कि उसका नाम राज्य रजिस्टर में गलती से या सारभूत तथ्यों के मिथ्या व्यपदेशन या छिपाए जाने के कारण दर्ज किया गया है ; या

(ख) कि वह उस अपराध से दोषसिद्ध कर दिया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और जो कारावास से दंडनीय है या वह किसी वृत्तिक आदर में किसी कुत्सित आचरण का दोषी रहा है या उसने वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार या सदाचार संहिता के मानकों का अतिक्रमण किया है, जो राज्य परिषद् की राय में उसे उक्त रजिस्टर में रखने के अयोग्य कर देते हैं,

तो आदेश द्वारा राज्य रजिस्टर से उस व्यक्ति का नाम हटा सकेगी।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम उपधारा (1) के अधीन राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, इस अधिनियम के अधीन या तो स्थायी रूप या ऐसी अवधि के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए अपात्र हो जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उसकी तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, यदि कोई हो, के अंतिम रूप से निपटारा किए जाने तक, इसमें जो भी तारीख पश्चात्पूर्ती हो, प्रभावी नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की संसूचना से तीस दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा और आयोग सुनवाई का अवसर देने के

पश्चात् ऐसी अपील फाइल करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।

(5) कोई व्यक्ति, जिसका नाम इस धारा के अधीन या धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और नवीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, राज्य परिषद् को तुरंत अभ्यर्पित कर देगा और इस प्रकार हटाया गया नाम राज्य परिषद् की वेबसाइट पर और जनभाषा के एक दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(6) कोई व्यक्ति, जिसका नाम इस धारा के अधीन राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, उस राज्य परिषद् के, जिसके रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया गया है, अनुमोदन के सिवाय राज्य रजिस्टर में या किसी अन्य राज्य रजिस्टर में नाम रजिस्टर कराने का हकदार नहीं होगा।

37. राज्य परिषद्, किसी भी समय, उसे पर्याप्त प्रतीत होने वाले कारणों से तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, यह आदेश कर सकेगी कि किसी राज्य रजिस्टर से हटाया गया किसी व्यक्ति का नाम प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और नाम को राज्य परिषद् की वेबसाइट पर तथा जनभाषा के एक दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

राज्य रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम की पुनःबहाली।

38. प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के प्रारंभ को या उससे पहले मान्यताप्राप्त किसी प्रवर्ग में अपनी सेवाएं देता है, ऐसे प्रारंभ से ऐसी अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व सेवाएं देने वाले व्यक्तियों की मान्यता।

अध्याय 4

मान्यता और व्यतिकारिता

39. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भारत के बाहर की संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई कोई भी तत्स्थानी अर्हता ऐसी मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता समझी जाएगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं की मान्यता और व्यतिकारिता।

(2) भारत का ऐसा नागरिक, जिसके पास उपधारा (1) के अधीन तत्स्थानी अर्हताएं हैं, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के अधीन तत्स्थानी ऐसी अर्हताओं को, जिनकी बाबत व्यतिकारिता की स्कीम प्रवृत्त नहीं है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जाएगी या ऐसा तब होगा, जब किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् ही प्रदान की गई हों :

परंतु ऐसी अर्हता रखने वाले विदेशी राष्ट्रिक—

(क) केवल तभी अनुज्ञात किए जाएंगे, यदि ऐसे व्यक्ति, उस देश में तत्समय प्रवृत्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के रूप में नामांकित किए गए हों;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक सीमित होंगे।

(4) किन्हीं ऐसी अर्हताओं, उपधारा (1) के अधीन तत्स्थानी अर्हताओं की बाबत, केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श से अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इसे सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता को मान्यता केवल तभी दी जाएगी, जब उन्हें विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्रदान किया गया हो।

(5) आयोग, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताओं की मान्यता के लिए व्यक्तिकारिता की स्कीम को आरंभ करने के लिए, भारत के बाहर किसी देश में किसी ऐसे प्राधिकरण के साथ बातचीत कर सकेगी, जिसे ऐसे देश की विधि द्वारा तत्स्थानी अर्हताओं की मान्यता न्यस्त की गई है और ऐसी किसी स्कीम के अनुसरण में तत्स्थानी अर्हता को, जिसे प्रदान करने का आयोग ने विनिश्चय किया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।

अध्याय 5

नई सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था की स्थापना

नई सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं, नए अध्ययन पाठ्यक्रमों, आदि की स्थापना के लिए अनुज्ञा।

40. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(क) कोई भी व्यक्ति किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था की स्थापना नहीं करेगा; या

(ख) कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त राज्य परिषद् की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय—

(i) ऐसा नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (जिसके अंतर्गत स्नातक पश्च पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण भी है) प्रारंभ नहीं करेगा, जो प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के छात्रों को किसी मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता के प्रदान किए जाने के लिए उसे अर्हक करने में समर्थ बनाए; या

(ii) किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में, (जिसके अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण भी है) अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा; या

(iii) किसी भी अमान्यताप्राप्त अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में, (जिसके अंतर्गत स्नातक पश्च पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण भी है) छात्रों के किसी नए बैच को प्रवेश नहीं देगा :

परंतु राज्य परिषद् की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी नए या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम की बाबत किसी व्यक्ति को या नए बैच को प्रदत्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता नहीं समझा जाएगा :

परंतु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य परिषद् का गठन नहीं किया जाता है वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए पूर्व अनुज्ञा आयोग देगा।

(2) (क) प्रत्येक व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार राज्य परिषद् के समक्ष कोई स्कीम प्रस्तुत करेगा।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट स्कीम ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी और उसे ऐसी रीति में किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी स्कीम की प्राप्ति पर राज्य परिषद् संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियां अभिप्राप्त कर सकेगी, जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं और उसके पश्चात् वह,—

(क) यदि स्कीम त्रुटिपूर्ण है और उसमें कोई आवश्यक विशिष्टियां नहीं हैं, तो संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को लिखित अभ्यावेदन करने के

लिए युक्तियुक्त अवसर दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था ऐसी त्रुटि को, यदि कोई हो, जो राज्य परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सुधारने के लिए स्वतंत्र होगी ;

(ख) उपधारा (5) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए स्कीम पर विचार कर सकेगी ।

(4) राज्य परिषद् स्कीम पर विचार करने के पश्चात् और जहां आवश्यक हो, वहां संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था से उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य विशिष्टियां अभिप्राप्त करने के पश्चात्, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, तथा उपधारा (5) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्कीम का ऐसी शर्तों के साथ, यदि कोई हों, जो वह आवश्यक समझे या तो अनुमोदन या अननुमोदन कर सकेगी और ऐसा अनुमोदन उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के रूप में माना जाएगा :

परंतु राज्य परिषद् द्वारा किसी ऐसी स्कीम का अननुमोदन संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही किया जाएगा अन्यथा नहीं :

परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को, जिसकी स्कीम का राज्य परिषद् द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है, नई स्कीम प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगी और इस धारा के उपबंध ऐसी स्कीम को इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसी स्कीम उपधारा (2) के अधीन पहली बार प्रस्तुत की गई थी ।

(5) राज्य परिषद्, उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगी, अर्थात् :—

(क) क्या नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना चाहने वाली प्रस्तावित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था या विद्यमान सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था, शिक्षा के ऐसे आधारभूत स्तर प्रस्थापित करने की स्थिति में होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) क्या किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था की स्थापना चाहने वाले व्यक्ति या नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना या अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहने वाली विद्यमान सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय साधन हैं ;

(ग) क्या कर्मचारी, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण, अस्पताल की बाबत सुविधाएं और सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के समुचित कार्यकरण या नए अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को संचालित करने या प्रवेश क्षमता में वृद्धि को समायोजित करना सुनिश्चित करने के लिए स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट अन्य आवश्यक सुविधाएं दी गई हैं या दी जाएंगी ;

(घ) क्या ऐसे सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था या अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या प्रवेश क्षमता बढ़ाने के परिणामस्वरूप उपस्थित होने वाले संभाव्य छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट यथोचित सुविधाएं प्रदान की गई हैं या की जाएंगी ;

(ङ) क्या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था या अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले संभाव्य छात्रों को मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा समुचित प्रशिक्षण देने के लिए कोई इंतजाम किया गया है या कोई कार्यक्रम बनाया गया है ;

(च) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था में जनशक्ति की अपेक्षा ; और

(छ) कोई अन्य कारक, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(6) जहां राज्य परिषद् उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करती है, वहां आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को संसूचित की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "व्यक्ति" के अंतर्गत कोई भी विश्वविद्यालय, संस्था या कोई न्यास भी है, किन्तु इसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार नहीं है ;

(ख) किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था में किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के संबंध में, (जिसके अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण भी है) "प्रवेश क्षमता" से छात्रों की वह अधिकतम संख्या अभिप्रेत है, जो ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में प्रवेश दिए जाने के लिए समय-समय पर राज्य परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए।

सहबद्ध और
स्वास्थ्य देख-रेख
संस्थाओं से
जानकारी की
अपेक्षा करने की
शक्ति।

41. (1) किसी भी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था इस अधिनियम के अधीन किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के रूप में अध्यपेक्षित अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए राज्य परिषद् को अध्ययन पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अवधि, निर्धारण और परीक्षाओं की स्कीम और अन्य पात्रता शर्तों की बाबत ऐसी जानकारी देंगे, जिसकी राज्य परिषद् समय-समय पर अपेक्षा करे।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी भी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था, राज्य परिषद् को ऐसी जानकारी ऐसी रीति में देगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

राज्य परिषद् द्वारा
सहबद्ध और
स्वास्थ्य देख-रेख
अर्हताओं की
मान्यता।

42. (1) राज्य परिषद्, जहां मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में शिक्षा दी गई है या उस सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताओं की मान्यता के प्रयोजन के लिए किसी भी शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के मानक ऐसी रीति में सत्यापित करवाएगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया सत्यापन किसी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा परन्तु शिक्षा के मानकों की उपयुक्तता पर राज्य परिषद् को रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए होगा, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, मान्यताप्राप्त प्रवर्गों में शिक्षा देने के लिए कर्मचारिवृंद, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं या प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्तता, जिसमें वे उपस्थित होते हैं, भी हैं।

(3) राज्य परिषद् मानकों के सत्यापन के रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को और एक प्रति उस पर संस्था की टिप्पणी सहित आयोग को भेजेगी।

मान्यता का वापस
लिया जाना।

43. (1) राज्य परिषद् से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि आयोग की यह राय है कि—

(क) यथास्थिति, किसी विश्वविद्यालय या किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था द्वारा आयोजित किसी अध्ययन पाठ्यक्रम और उसमें ली गई परीक्षा या किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित दक्षता या क्रमशः उन पाठ्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है ; या

(ख) क्रमशः उन पाठ्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा यथा अवधारित संस्था में अवसंरचना के मानक और प्रमाण, संकाय और शिक्षा की क्वालिटी का, यथास्थिति, किसी विश्वविद्यालय या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था द्वारा अनुसरण नहीं किया

गया है और ऐसा विश्वविद्यालय या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल हो गए हैं,

तो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

(2) आयोग, ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करने और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद् से प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आदेश द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को प्रदान की गई मान्यता वापस ले सकेगा :

परंतु किसी आदेश को पारित करने से पूर्व आयोग सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था तथा उस राज्य सरकार को, जिसकी अधिकारिता के भीतर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था स्थित है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि आयोग, किसी विश्वविद्यालय या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था द्वारा प्रदत्त व्यवसायिक अर्हता की अनुदत्त मान्यता को वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई करने से पूर्व संबंधित राज्य परिषद् के परामर्श से जुर्माना अधिरोपित करेगा।

(3) आयोग, ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि—

(क) कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त अर्हता केवल तभी होगी, जब वह विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्रदान की जाए ; या

(ख) कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता, यदि विनिर्दिष्ट सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के छात्रों को प्रदान की जाती है, तभी मान्यताप्राप्त अर्हता होगी, जब विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्रदान की जाए ; या

(ग) किसी विनिर्दिष्ट सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के संबंध में कोई भी अर्हता मान्यताप्राप्त अर्हता तभी समझी जाएगी, जब विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्रदान की गई हो।

44. राज्य परिषद्, इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक बनाए रखने में असफलता के लिए किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के विरुद्ध ऐसे उपाय कर सकेगी, जिसके अंतर्गत चेतावनी जारी करना, जुर्माना अधिरोपित करना, प्रवेश क्षमता में कमी करना या प्रवेश बंद करना और आयोग को मान्यता वापस लिए जाने की सिफारिश भी है।

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं द्वारा न्यूनतम आवश्यक मानक बनाए रखने में असफलता।

अध्याय 6

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

45. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

46. (1) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि नामक एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि।

(क) आयोग द्वारा प्राप्त समस्त सरकारी अनुदान, फीस ;

(ख) आयोग द्वारा अनुदान, उपकृति, वसीयत और अंतरण के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां ; और

(ग) आयोग द्वारा किसी अन्य रीति से या किन्हीं ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, प्राप्त समस्त धनराशियां।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उपगत उसके खर्चों के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

आयोग के लेखे और संपरीक्षा।

47. (1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो जारी किए जाएं और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट किए जाएं, तुलनपत्र भी है।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के, ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं तथा उसे विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा और सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट।

48. आयोग, पूर्ववर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार करेगा और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और वह सरकार उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

विवरणी और सूचना।

49. आयोग, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणी और अन्य सूचना देगा, जिसकी वह सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

50. राज्य सरकार, राज्य विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य परिषद् को ऐसी धन राशियों का अनुदान दे सकेगी, जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि।

51. (1) राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि नामक एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) राज्य सरकार से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(ख) राज्य परिषद् द्वारा अनुदान, फीस, उपकृति, वसीयत और अंतरण के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां ; और

(ग) राज्य परिषद् द्वारा किसी अन्य रीति से किन्हीं ऐसे अन्य स्रोतों से, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त समस्त धनराशियां।

(2) आयोग और राज्य परिषद् की सभी प्राप्तियां आयोग के किसी आनलाइन संदाय पोर्टल के माध्यम से होंगी और उस पोर्टल के माध्यम से सभी प्राप्तियों का एक-चौथाई भाग राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि को अंतरित कर दिया जाएगा और सभी प्राप्तियों

का तीन-चौथाई भाग सुसंगत राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् निधि को अंतरित कर दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग, राज्य परिषद् के कृत्यों के निर्वहन में उपगत उसके खर्चों के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

52. (1) राज्य परिषद् समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी, जिसके अंतर्गत ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो जारी किए जाएं और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट किए जाएं, तुलनपत्र भी है।

राज्य परिषद् के लेखे और संपरीक्षा।

(2) राज्य परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय राज्य परिषद् द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा राज्य परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के, ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं तथा उसे विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और राज्य परिषद् के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित राज्य परिषद् के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा और राज्य सरकार उन्हें विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बना है और जहां एक सदन वाला विधान-मंडल है, उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

53. राज्य परिषद्, पूर्ववर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण और सही हिसाब देते हुए एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार करेगी और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, राज्य सरकार को भेजेगी और वह सरकार उसे विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बना है या जहां एक सदन वाला विधान-मंडल है, उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

राज्य परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट।

54. यथास्थिति, आयोग या राज्य परिषद् के सभी आदेशों और विनिश्चयों तथा उसके द्वारा जारी लिखतों को सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

आदेशों आदि का अधिप्रमाणन।

55. कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक ऐसे किसी कर्तव्य का निर्वहन या किसी कृत्य का पालन नहीं करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत नहीं है या ऐसा कोई भी उपचार नहीं करेगा, जो उसकी वृत्ति के व्यवसाय के क्षेत्र में प्राधिकृत नहीं है।

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक द्वारा व्यवसाय।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

56. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम केन्द्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में तत्समय दर्ज नहीं है, मिथ्या रूप से यह व्यपदिष्ट करता है कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज है या उसके नाम या अभिधान के संबंध में ऐसे शब्द या अक्षर का प्रयोग करता है, जिसकी युक्तियुक्त संगणना यह सुझाती है कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज है, पहली दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा किसी पश्चात्तवर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से अधिक का नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

केन्द्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर में दर्ज कराने हेतु मिथ्या दावा करने के लिए शास्ति।

अभिधानों का
दुरुपयोग।

57. यदि कोई व्यक्ति,—

(क) केन्द्रीय रजिस्टर या किसी राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति न होते हुए किसी सहवृद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक की भांति का उपयोग करता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कोई सहवृद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता नहीं रखते हुए ऐसी अर्हता को उपदर्शित या उपलक्षित करने वाली किसी डिग्री या किसी डिप्लोमा या किसी अनुज्ञप्ति या किसी संक्षेपाक्षर का प्रयोग करता है,

पहली दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा तथा किसी पश्चात्पूर्ति दोषसिद्धि पर कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से अधिक का नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण
प्रमाणपत्र
अभ्यर्पित करने में
असफलता।

58. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम केन्द्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, अपना, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या नवीकरण प्रमाणपत्र या दोनों तुरंत अभ्यर्पित कर देगा, जिसमें विफल होने पर वह ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे पहले दिन के पश्चात्, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पांच हजार रुपए प्रतिदिन तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

इस अधिनियम के
उपबंधों के उल्लंघन
के लिए शास्ति।

59. जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अपराधों का
संज्ञान।

60. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य परिषद् के आदेश से किए गए परिवाद पर ही लेगा, अन्यथा नहीं।

(2) किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

अधिकारिता का
वर्जन।

61. किसी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर से किसी नाम के हटाए जाने या नाम दर्ज करने से इंकार करने के संबंध में आयोग या राज्य परिषद् द्वारा किए गए किसी भी आदेश की बाबत कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई
कार्रवाई के लिए
संरक्षण।

62. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या आयोग के किसी सदस्य या राज्य परिषद् के किसी सदस्य या वृत्तिक परिषद् के किसी सदस्य या स्वशासी बोर्ड के किसी सदस्य के विरुद्ध, उनके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक कार्य करने या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी।

केन्द्रीय सरकार
द्वारा निदेश।

63. (1) केन्द्रीय सरकार, आयोग को समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो उक्त सरकार की राय में, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए सहायक हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किसी भी निदेश के अंतर्गत आयोग को किन्हीं विनियमों को बनाना या पहले से बनाए गए किन्हीं विनियमों को संशोधित या प्रतिसंहत करना भी है।

64. इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम के उपबंधों से भिन्न किसी विधि के आधार पर किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, अध्यारोही प्रभाव होगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

65. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के अधीन पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (i) के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (ii) के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों की चयन की रीति ;

(ग) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (iii) के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और चयन की रीति ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ङ) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों के लिए यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते ;

(च) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आयोग की बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के नियम ;

(छ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के सचिव और अन्य अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन वृत्तिक परिषद् के सदस्यों की अर्हता और अनुभव ;

(झ) धारा 16 के अधीन केन्द्रीय रजिस्टर में व्यक्ति का नाम दर्ज करने के आवेदन का प्ररूप और रीति ;

(ञ) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन का प्ररूप, रीति और फीस ;

(ट) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप ;

(ठ) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन अनुलिपि प्रमाणपत्र के लिए फीस और प्ररूप ;

(ड) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में अतिरिक्त प्रविष्टि के लिए आवेदन का प्ररूप, रीति और फीस ;

(ढ) धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन अंतरिम आयोग के सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और नियुक्ति की रीति ;

(ण) धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन स्कीम के लिए प्ररूप, रीति, विशिष्टियां और फीस ;

(त) धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयोग द्वारा प्राप्त धनराशि की रीति ;

(थ) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उपगत खर्चों के लिए निधि के उपयोग की रीति ;

(द) धारा 48 के अधीन आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप और समयावधि ; और

(ध) कोई अन्य विषय, जिसे नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या किया जाए या जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

विनियम बनाने की शक्ति।

66. (1) आयोग, जनता से परामर्श और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए साधारणतया विनियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन शिक्षा, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, भौतिक और अनुदेशक सुविधाओं, कर्मचारियों के पैटर्न, कर्मचारियों की अर्हता, क्वालिटी शिक्षण, निर्धारण, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, निरंतर वृत्तिक शिक्षा, मान्यताप्राप्त विभिन्न प्रवर्गों की बाबत संदेय अधिकतम अध्यापन फीस, सीटों के आनुपातिक वितरण के आधारभूत मानक उपबंधित करना और मान्यताप्राप्त प्रवर्गों में उत्तरोत्तर नवीनताओं को प्रोत्त करना ;

(ख) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताओं के लिए अन्य विशिष्टियां ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन प्रवेश के लिए सामान्य परामर्श से एकरूप परीक्षा उपबंध करने की रीति ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों और राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एकरूप निकास या अनुज्ञप्ति परीक्षा का उपबंध करने की रीति ;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन उपाय करने की रीति ;

(च) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन सूचना अंतर्विष्ट करने की रीति, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय रजिस्टर में क्रमिक मान्यताप्राप्त प्रवर्गों में किसी से संबंधित व्यक्ति के नाम और अर्हता भी है ;

(छ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय रजिस्टर को जनसंख्यांकिक और अनुरक्षित करने के लिए मानकीकृत रूपविधान अंगीकृत करने की रीति ;

(ज) धारा 19 के अधीन केन्द्रीय रजिस्टर से व्यक्ति का नाम हटाने की रीति ;

(झ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग से सदस्यों की संख्या ;

(ञ) धारा 29 की उपधारा (6) के अधीन पूर्वस्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा, स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति निर्धारण और श्रेणीकरण तथा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति नैतिकता और रजिस्ट्रीकरण के अन्य कृत्य ;

(ट) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन सूचना अंतर्विष्ट करने की रीति, जिसके अंतर्गत इन क्रमिक मान्यताप्राप्त प्रवर्गों में से किसी से संबंधित व्यक्ति का नाम और अर्हता भी है ;

(उ) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन राज्य रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तियों की वृत्ति से संबंधित उनकी शैक्षणिक अर्हता, संस्थाओं, प्रशिक्षण, कौशल और सक्षमताओं के व्यौरे अंतर्विष्ट करने की रीति ;

(ड) धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्ररूप और रीति ;

(ढ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की अवधि ;

(ण) धारा 38 के अधीन ऐसे व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण की अवधि और रीति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उससे पहले मान्यता प्राप्त किसी प्रवर्ग में सेवाएं देते हैं ;

(त) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन भारत के बाहर प्रदान की गई तत्स्थानी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताओं की मान्यता ;

(थ) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन भारत के बाहर की संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई अर्हताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार होने की रीति ;

(द) धारा 40 की उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन कोई नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ करने की मांग करने के लिए शिक्षा के आधारभूत स्तर ;

(ध) धारा 40 की उपधारा (5) के खंड (छ) के अधीन कोई अन्य कारक ;

(न) धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था द्वारा सूचना देने की रीति ;

(प) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद् द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं में शिक्षा मानकों के सत्यापन की रीति ;

(फ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किया जा सके ।

67. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा; तथापि नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नियमों और
विनियमों का रखा
जाना ।

68. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के अधीन पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ड) के अधीन राज्य परिषद् के सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव ;

(ख) धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन राज्य परिषद् के सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव ;

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन राज्य परिषद् के सदस्यों को यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते ;

(घ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन बैठकों का समय, स्थान और कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के नियम की रीति, जिसके अंतर्गत राज्य परिषद् की गणपूर्ति भी है ;

(ङ) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन राज्य परिषद् के सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ;

(च) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस ;

(छ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप ;

(ज) धारा 34 के अधीन अनुलिपि प्रमाणपत्र के लिए फीस और प्ररूप ;

(झ) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन फीस और ऐसी फीस के संदाय की रीति;

(ञ) धारा 35 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन राज्य रजिस्टर में नाम की पुनः बहाली के लिए फीस ;

(ट) धारा 37 के अधीन राज्य रजिस्टर में नाम की पुनः बहाली के लिए फीस ;

(ठ) धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन राज्य परिषद् के कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्ययों के लिए निधि के आवेदन की रीति ;

(ड) धारा 53 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय ; और

(ढ) कोई अन्य विषय, जिसे नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या किया जाए या जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां विधान-मंडल दो सदनों वाला है और जहां एक सदन वाला विधान-मंडल है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

69. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों :

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, नियत दिन से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

70. (1) केन्द्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुसूची को बढ़ा सकेगी या अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तदुपरान्त उक्त अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए प्रारूप में रखी जाएगी और यदि दोनों सदन, अधिसूचना के जारी किए जाने का अननुमोदन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो अधिसूचना, यथास्थिति, जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जिस पर दोनों सदन सहमत हो जाएं ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।

अनुसूची
[धारा 2(द) देखिए]

क्र.सं.	मान्यताप्राप्त प्रवर्ग	सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक	आईएससीओ कोड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चिकित्सा प्रयोगशाला और जीव विज्ञान		
	जीव विज्ञान वृत्तिक	(i) जैव प्रौद्योगिकीविद्,	2131
	टिप्पण : जीव विज्ञान वृत्तिक एक ऐसा व्यक्ति है जो नए ज्ञान को विकसित करने और मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए मानव पर शोध तथा अन्य जीव रूपों पर एक-दूसरे के साथ अपनी अन्योन्य क्रियाओं और पर्यावरण के अनुप्रयोग की जानकारी रखता हो और जो विभिन्न क्षेत्रों, जैसे-जीवाणु विज्ञान, जैव रसायन, जननिक, प्रतिरक्षा विज्ञान, औषध विज्ञान, विष विज्ञान और विषाणु विज्ञान में कार्य करता है और जो अन्य क्षेत्रों में नई प्रक्रियाओं तथा तकनीकों की पहचान और उन्हें विकसित करने के लिए प्रयोगात्मक तथा क्षेत्रीय आंकड़े संग्रहीत करता है, उनका विश्लेषण करता है तथा मूल्यांकन करता है।	(ii) जैव रासायनज्ञ (गैर-नैदानिक) (iii) कोशिका आनुवंशिकीविद् (iv) सूक्ष्मजीवविज्ञानी (गैर-नैदानिक) (v) आणविक जीवविज्ञानी (गैर-नैदानिक) (vi) आणविक आनुवंशिकीविद्	
	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान वृत्तिक	(i) कोशिका प्रौद्योगिकीविद्	3212
	टिप्पण : चिकित्सा और रोग विज्ञान प्रयोगशाला वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो रोगी के स्वास्थ्य या मृत्यु के कारण के बारे में और चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी या सम्बन्धित क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण रखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कायिक तरल पदार्थ और उत्तकों के नमूनों पर नैदानिक परीक्षण करता है जिनमें रक्त, मूत्र और मेरुदंडीय तरल पदार्थ सहित जैविक सामग्री के विश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर और फ्लेमफोटोमीटरों जैसे परीक्षण और प्रचालन उपस्कर भी हैं।	(ii) न्यायालयिक विज्ञान प्रौद्योगिकीविद् (iii) उत्तक प्रौद्योगिकीविद् (iv) रूधिर प्रौद्योगिकीविद् (v) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	
2.	मानसिक आघात, बर्न केयर और शल्य/असंवेदनता सम्बद्ध प्रौद्योगिकी		
	मानसिक आघात और बर्न केयर वृत्तिक	(i) प्रगत देख-रेख पराचिकित्सकीय	2240
	टिप्पण : मानसिक आघात और ज्वलन देख-रेख वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो चिकित्सकों द्वारा की गई चिकित्सीय सेवाएं, जिनके अन्तर्गत आपातकालीन सेवा भी है, की तुलना में कार्यक्षेत्र और जटिलता में अधिक सीमित सलाहकारी, नैदानिक, उपचारात्मक और निवारक चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करता है और बर्न केयर प्रौद्योगिकीविद् ऐसा व्यक्ति है जो स्वायत्त रूप से, या चिकित्सकों के सीमित पर्यवेक्षण के साथ	(ii) ज्वलन देख-रेख प्रौद्योगिकीविद् (iii) आपातकालीन चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (पराचिकित्सकीय)	2240 3258

(1)	(2)	(3)	(4)
	कार्य करता है और उपहृतियों तथा अन्य शारीरिक विकृतियों का उपचार करने और उनका निवारण करने के लिए उन्नत नैदानिक प्रक्रिया का अनुप्रयोग करता है।		
	शल्य और असंवेदनता सम्बद्ध प्रौद्योगिकी वृत्तिक	(i) असंवेदनता सहायक और प्रौद्योगिकीविद्	3259
	टिप्पण : शल्य और असंवेदनता सम्बद्ध प्रौद्योगिकी वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो शल्यक्रिया कक्षों में बहु-अनुशासनिक टीम का सदस्य है जो शल्यक्रिया करने वाले कक्ष की तैयारी करता है और उसका रखरखाव करता है, निश्चेतक तथा शल्य दल की शल्यक्रिया संबंधी अवधि के दौरान निश्चेतक और शल्य दल की सहायता करता है तथा स्वास्थ्य लाभ कक्ष में रोगियों को सहायता प्रदान करता है तथा उसकी मुख्य भूमिका में व्यवस्था, जांच भी है और वह असंवेदनता उपस्कर, शल्य क्रिया कक्ष की तैयारी तथा मेज, केन्द्रीय जीवाणुहीन सेवा विभाग के कृत्यों के प्रबंधन, आपातकालीन परिस्थितियों और आपदा तैयारी में सहायता करता है तथा किसी अन्य सम्बद्ध नैदानिक क्षेत्र में शल्यकार और निश्चेतकों की सहायता को बनाए रखता है।	(ii) शल्यक्रिया कक्ष (ओटी) प्रौद्योगिकीविद्	3259
		(iii) अंतःदर्शन और लैप्रोस्कोपी प्रौद्योगिकीविद्	3259
3.	भौतिक चिकित्सा वृत्तिक	(i) भौतिक चिकित्साविद्	2264
	टिप्पण : भौतिक चिकित्सा वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो संचलन या क्रियात्मक दुष्क्रिया, अपक्रिया, विकार, दिव्यांगता, मानसिक आघात और बीमारी से आरोग्यकर होने और पीड़ा के लिए या उनके प्रयोजन के लिए या उनके सम्बन्ध में शारीरिक रूपात्मकताओं, जिनके अन्तर्गत निवारण, सिक्रीनिंग, रोग निदान, उपचार, स्वास्थ्य संवर्धन और स्वस्थता के लिए व्यायाम, गतिशीलता, हस्तोपचार, विद्युत और थर्मल कर्मक तथा अन्य विद्युत चिकित्सा विज्ञान भी हैं, का प्रयोग करके किन्हीं प्रारम्भिक व्यक्तियों की व्यापक जांच और उचित अन्वेषण करके भौतिक चिकित्सा का व्यवसाय करता है, उपचार प्रदान करता है और सलाह देता है। भौतिक चिकित्सक स्वतंत्र रूप से या बहु-अनुशासनिक टीम के भाग के रूप में व्यवसाय कर सकता है और उसके पास स्नातक उपाधि की न्यूनतम अर्हता है।		
4.	पोषाहार विज्ञान वृत्तिक	(i) पोषण आहार विज्ञानी (जिनमें नैदानिक पोषणविद्, आहार सेवा पोषणविद् भी हैं)	2265
	टिप्पण : पोषाहार विज्ञान वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो स्वास्थ्य पर, आहार और पोषण के संघात का वर्धन करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए, व्यक्तियों, समूहों, समुदायों और जनसंख्या और साथ	(ii) पोषणविद् (जिनमें लोक स्वास्थ्य पोषणविद्, खेल पोषणविद् भी हैं)	2265

(1)	(2)	(3)	(4)
	ही आहार तथा पोषाहार विज्ञान में प्रशिक्षण सहित मानव स्वास्थ्य पर पोषण और आहार विज्ञानियों के स्वास्थ्य को अनुकूलतम बनाने हेतु बीमारी को रोकने और उसका उपचार करने के लिए कार्यक्रम का मूल्यांकन करने, उसकी योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करता है।		
5.	नेत्र विज्ञान वृत्तिक टिप्पण: नेत्र विज्ञान वृत्तिक एक ऐसा व्यक्ति है जो नेत्र सम्बन्धी रोगों का अध्ययन करता हो और नेत्र तथा दृश्य तंत्र के विकारों के प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त हो, जिसे ऐसे किसी चिकित्सक द्वारा यथा निष्पादित किया गया हो जो परिधि तथा जटिलता में सीमित है और जिसके पास ऐसे दृष्टि विज्ञानी हैं जो न्यूनतम चार वर्षीय स्नातक उपाधि रखते हों और ऐसे नेत्र विज्ञानी सहायक या दृष्टि तकनीशियन हों, जिनके पास न्यूनतम दो वर्षीय मान्यताप्राप्त डिप्लोमा कार्यक्रम है।	(i) दृष्टि विज्ञानी (ii) नेत्र विज्ञान सहायक (iii) दृष्टि तकनीशियन	2267 3256 3256
6.	व्यवसाय चिकित्सा वृत्तिक टिप्पण : व्यावसायिक चिकित्सा वृत्तिक एक ऐसा व्यक्ति है, जो दिन-प्रतिदिन जीवन के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए लोगों को समर्थ बनाने हेतु व्यवसाय के माध्यम से स्वास्थ्य तथा कल्याण के संवर्धन से सम्बन्धित ग्राहक केन्द्रित सेवाएं परिदत्त करता है, जिनमें वृत्तिक जैसे व्यावसायिक चिकित्सक भी हैं जो उन व्यवसायों, जिन्हें उनसे करवाने की अपेक्षा की जाती है, में विनियोजित करने की उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए लोगों और समाज के साथ कार्य करके या उनके व्यावसायिक विनियोजन में बेहतर ढंग से सहायता करने के लिए व्यवसाय या पर्यावरण को उपांतरित करके इस परिणाम को प्राप्त करता है। व्यवसाय चिकित्सक स्वतंत्र रूप से या बहु-अनुशासनिक टीम के भाग के रूप में प्रैक्टिस कर सकता है और वह बैकालारिएट डिग्री की न्यूनतम अर्हता रखता हो।	(i) व्यवसाय चिकित्सक	2269
7.	सामुदायिक देख-रेख, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य विज्ञान और अन्य वृत्तिक प्राथमिक सामुदायिक और अन्य प्रकीर्ण देख-रेख वृत्तिक टिप्पण : प्राथमिक और सामुदायिक देख-रेख वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो क्षेत्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट समुदायों को स्वास्थ्य शिक्षा, अभिनिर्देश, अनुवर्तन, मामला प्रबंधन और मूलभूत रोकथाम और स्वास्थ्य देख-रेख तथा गृह परिदर्शन सेवाएं प्रदान करता है और स्वास्थ्य	(i) पर्यावरण संरक्षण अधिकारी (ii) पारिस्थितिकी विज्ञानी (iii) सामुदायिक स्वास्थ्य संप्रवर्तक (iv) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी (निरीक्षक)	2133 2133 3253 3257

(1)	(2)	(3)	(4)
	और सामाजिक सेवा प्रणाली के मार्ग निर्देशन में व्यक्तियों और कुटुम्बों को सहयोग और सहायता प्रदान करता है तथा अभिनिर्देश नेटवर्क की स्थापना करता है। व्यवहार स्वास्थ्य विज्ञान वृत्तिक टिप्पण : व्यवहार स्वास्थ्य विज्ञान वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्यता, दैनिक जीवन में कार्य करने की अपनी समर्थता और अपने स्वयं की धारणा से सम्बन्धित मनोविकार, व्यवहार और जीवविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। "व्यवहार स्वास्थ्य", "मानसिक स्वास्थ्य" का अधिमानित पद है और इसके अन्तर्गत परामर्शदाता, विश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक और सहायक कर्मकार जैसे वृत्तिक भी हैं जो सामाजिक और वैयक्तिक कठिनाइयों के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को परामर्श, चिकित्सा और मध्यकता संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। अन्य देख-रेख वृत्तिक	(i) मनोवैज्ञानिक (दिव्यांग के लिए आरसीआई के अन्तर्गत आने वाले नैदानिक मनोवैज्ञानिक के सिवाय) (ii) व्यवहार विश्लेषक (iii) एकीकृत व्यवहार स्वास्थ्य परामर्शदाता (iv) स्वास्थ्य शिक्षक और परामर्शदाता, जिसमें रोग परामर्शदाता, डायबिटीज शिक्षक, दुग्ध स्त्रवण परामर्शदाता भी हैं (v) सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं (vi) ह्यूमेन इम्यूनो डेफिसियेंसी वायरस (एचआईवी) परामर्शदाता या परिवार नियोजन परामर्शदाता (vii) मानसिक स्वास्थ्य सहायता कर्मकार (i) पाद-रोग विज्ञान (ii) उपशामक देख-रेख वृत्तिक (iii) संचलन चिकित्सक (जिनमें कला, नृत्य और संचलन चिकित्सक या आमोद-प्रमोद चिकित्सक भी हैं)	2634 2635 2635 2635 2635 3259 3259 2269 3259 2269 2111 3211 3211 3211 3211
8.	चिकित्सा विकिरण विज्ञान, इमेजिंग और चिकित्सीय प्रौद्योगिकीविद् वृत्तिक टिप्पण : चिकित्सा इमेजिंग और चिकित्सीय उपस्कर प्रौद्योगिकी वृत्तिकों में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो उपहति, बीमारी और अन्य विकृतियों के निदान और उपचार के लिए शरीर संरचनाओं की इमेजों को उत्पन्न करने के लिए रेडियोग्राफ सम्बन्धी अल्ट्रासाउंड और अन्य चिकित्सीय इमेजिंग उपस्कर का परीक्षण करते हैं और उसे प्रचालित करते हैं या अन्य विकिरण उपचारों को प्रशासित करते हैं और रेडियोलोजिस्ट या अन्य चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षणाधीन चिकित्सा प्रौद्योगिकी, विकिरण विज्ञान, सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, नाभिकीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी, एमआरआई, मात्रामितिय या विकिरण चिकित्सा में प्रशिक्षण सहित रोगियों की अवस्थाओं की निगरानी करते हैं।	(i) चिकित्सा भौतिक विज्ञानी (ii) नाभिकीय ओषधि प्रौद्योगिकीविद् (iii) विकिरण विज्ञान और इमेजिंग प्रौद्योगिकीविद् (नैदानिक चिकित्सा विकिरण चित्रकार, मैग्नेटिक रेशोनेंस इमेजिंग (एमआरआई), कंप्यूटिड टोमोग्राफी (सीटी), मेमोग्राफर नैदानिक चिकित्सा सोनोग्राफर) (iv) विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (v) मात्रामितिय	2111 3211 3211 3211 3211
9.	चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् और चिकित्सा सहयोगी जैव चिकित्सा और चिकित्सा उपस्कर प्रौद्योगिकी वृत्तिक चिकित्सक सहयोगी या चिकित्सक सहायक टिप्पण : चिकित्सक सहयोगी या चिकित्सक सहायक ऐसा व्यक्ति है जो रोगी की देखभाल में सहायता करने के लिए मूलभूत नैदानिक और प्रशासनिक कार्य निष्पादन करता है और वह चिकित्सा मॉडल में इस	(i) जैव चिकित्सा इंजीनियर (ii) चिकित्सा उपस्कर प्रौद्योगिकीविद् (i) चिकित्सा सहयोगी	2149 3211 3256

(1)	(2)	(3)	(4)
	प्रकार प्रशिक्षक होता है कि वह चिकित्सक के पर्यवेक्षण से निवारक, नैदानिक और चिकित्सीय सेवाएं निष्पादित करने के लिए अर्हता प्राप्त और सक्षम है। हृदयवाहिका, तंत्रिका विज्ञान और फुफुसीय, प्रौद्योगिकी वृत्तिक टिप्पण : हृदयवाहिका, तंत्रिका विज्ञान और फुफुसीय, प्रौद्योगिकी वृत्तियों में वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्होंने श्वसन, तंत्रिका और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया है और वे उनका संपूर्ण ज्ञान रखते हैं और जिनके पास उसमें सम्बन्धित मिश्रित उपस्करों को प्रचालित करने का सामर्थ्य है और उनमें द्रवनिवेशक, हृदयवाहिका प्रौद्योगिकीविद् श्वसन प्रौद्योगिकीविद् और निद्रा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् जैसे वृत्तिक भी हैं। वृद्ध प्रौद्योगिकी वृत्तिक टिप्पण : वृद्ध प्रौद्योगिकी वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो रोगी के प्रति प्रभावी डायलिसिस चिकित्सा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डायलिसिस चिकित्सा प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित है और इसमें ऐसे डायलिसिस चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् भी हैं जिनके पास स्नातक की उपाधि है और जो कृत्रिम वृद्ध मशीन को अनुमोदित पद्धतियों का अनुसरण करके प्रचालित करते हैं और उसे अनुरक्षित रखते हैं।	(i) हृदयवाहिका प्रौद्योगिकीविद् (ii) द्रव निवेशक (iii) श्वसन प्रौद्योगिकीविद् (iv) इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) प्रौद्योगिकीविद् या इकोकार्डियोग्राम (ईसीएचओ) प्रौद्योगिकीविद् (v) इलैक्ट्रोएनसीफेलोग्राम (ईईजी)या इलैक्ट्रोएनसिरोडायग्नोस्टिक (ईएनडी) या इलैक्ट्रोमायोग्राफी (ईएमजी) प्रौद्योगिकीविद् या तंत्रिका प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् या निद्रा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (i) डायलिसिस चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् या मूत्र विज्ञान प्रौद्योगिकीविद्	3259 3259 3259 3259 3259 3259
10.	स्वास्थ्य सूचना प्रबंध और स्वास्थ्य सूचना वृत्तिक टिप्पण : स्वास्थ्य और सूचना प्रबंध वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है, जो स्वास्थ्य सेवा परिदान की विधिक, वृत्तिक, नैतिक और प्रशासनिक अभिलेख पालन सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चिकित्सा सुविधाओं और अन्य देख-रेख स्थापनों में स्वास्थ्य अभिलेख प्रक्रिया, भंडारण और पुनःप्राप्य प्रणालियों को विकसित करता है, कार्यान्वित करता है और उनका मूल्यांकन करता है तथा स्वास्थ्य देख-रेख औद्योगिक संख्यात्मक कूटलेखन प्रणाली से संगत रीति में स्वास्थ्य अपेक्षाओं और मानकों के लिए रोगी की जानकारी पर प्रक्रिया करता है, उसे बनाए रखता है, उसका संकलन करता है और उसकी रिपोर्ट करता है।	(i) स्वास्थ्य सूचना प्रबंध वृत्तिक (जिसमें चिकित्सा विश्लेषक भी हैं) (ii) स्वास्थ्य सूचना प्रबंध प्रौद्योगिकीविद् (iii) नैदानिक कोडर कूटलेखक (iv) चिकित्सा सचिव और चिकित्सा प्रतिलेखक	3252 3252 3252 3344

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 20)

[31 जुलाई, 2021]

भारत में नौचालन सहायता के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन; नौचालन सहायता प्रचालक के प्रशिक्षण और प्रमाणन, उसके ऐतिहासिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य का विकास करने के लिए ; सामुद्रिक संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखतों, जिनमें भारत एक पक्षकार है, के अधीन बाध्यताओं की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत सामुद्रिक संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखतों जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन फार दि सेफ्टी आफ लाइफ ऐट सी, 1974, यथासंशोधित ; और अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ मैरीन एंड्स एंड लाइट हाउस अथॉर्टीज मैरीटाइम बोएज सिस्टम में एक हस्ताक्षरकर्ता है ;

और उक्त संधियों और लिखतों को प्रभावी करना आवश्यक समझा गया है, जो अन्य बातों के साथ, नौचालन सहायता, जलयान यातायात सेवाओं और ध्वस्त पोत सामग्री के चिह्नांकन का उपबंध करता है ;

और भारत में जलयान यातायात सेवाओं के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए एक ढांचे का सृजन करने का उपबंध करना, नौचालन सहायता प्रचालक का प्रशिक्षण और प्रमाणन करना तथा नौचालन सहायता के ऐतिहासिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य का विकास करना आवश्यक समझा गया है ;

और भारत में सामुद्रिक नौचालन सहायता और जलयान यातायात सेवाओं के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के प्रभुतासंपन्न कृत्यों के निर्वहन हेतु नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्यों के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए ढांचे और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का सरकार द्वारा सृजन करना और आवश्यक समझा गया है

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त
विस्तार
प्रारंभ।

नाम,
और

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथा विनिर्दिष्ट भारत के सामुद्रिक क्षेत्र भी हैं।

1976 का 80

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति किया जाएगा।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्रत्यायित प्रशिक्षण संगठन” से कोई ऐसा संगठन अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 20 के अधीन प्रत्यायित किया गया है ;

(ख) “नौचालन सहायता” से जलयानों से बाह्य कोई युक्ति, प्रणाली या सेवा अभिप्रेत है, जिसको व्यष्टिक जलयानों और जलयान यातायात के सुरक्षित और दक्ष नौचालन के लिए डिजाइन किया गया है और प्रचालित किया जाता है, किन्तु इसका अर्थान्वयन जलयान यातायात सेवाओं को सम्मिलित करने के लिए तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ;

(ग) “महानिदेशक” से धारा 4 के अधीन नियुक्त नौचालन सहायता महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(घ) “जिला” से कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जिले के रूप में चिह्नित किया गया है ;

(ङ) “नौचालन में साधारण सहायता” से नौचालन में कोई सहायता अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नौचालन में साधारण सहायता घोषित कर सकेगी ;

(च) “विरासत प्रकाश स्तंभ” से धारा 23 के अधीन उस रूप में अभिहित नौचालन सहायता अभिप्रेत है ;

(छ) “नौचालन में स्थानीय सहायता” से नौचालन में कोई सहायता अभिप्रेत है, जो नौचालन में साधारण सहायता नहीं है ;

(ज) “स्थानीय प्राधिकारी” से कोई राज्य सरकार या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका स्थानीय नौचालन सहायता पर अधीक्षण और प्रबंधन है ;

(झ) “नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध” से धारा 24 के अधीन उद्गृहीत शोध अभिप्रेत है ;

(ञ) “अधिसूचना” से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का उसके व्याकरणिय रूपभेदों के साथ और सजातीय पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ट) “स्वामी” से जलयान का स्वामी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रीकृत स्वामी, कोई व्यक्ति, जिसके पास जलयान का कोई भाग है, अनावृत नौका को चार्टर करने वाला, जलयान का प्रबंधक और प्रचालक भी है ;

1908 का 15

(ठ) “पत्तन” से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में यथा परिभाषित कोई पत्तन अभिप्रेत है ;

(ड) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

1963 का 54

(ढ) इस अधिनियम के अधीन निष्पादित किए जाने वाले किन्हीं कृत्यों के संबंध में “समुचित अधिकारी” से सीमाशुल्क अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा वे कृत्य सौंपे गए हैं तथा इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति सम्मिलित है ;

(ण) “नियम” से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(त) “पोत” के अंतर्गत कोई चलत जलयान सम्मिलित है ;

(थ) “जलयान” के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार का जलयान सम्मिलित है, जो सामुद्रिक वातावरण में उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए सक्षम है जैसे पोत, नाव, चलत जलयान, मत्स्य जलयान, निमज्जनी, अर्ध निमज्जनी, हाइड्रोफवायल्स, अप्लवमान यान, जल-थल में चलने वाले यान, विंग-इन-ग्राउंड यान, प्लेजर यान, बार्जेस, लाइटर्स, चलत अपतट भेदन इकाइयां या चलत अपतट इकाइयां हैं ;

(द) “जलयान यातायात सेवा” से जलयान यातायात की सुरक्षा और दक्षता में सुधार करने के लिए तथा वातावरण की संरक्षा के लिए इस अधिनियम के अधीन कार्यान्वित की जाने वाली कोई सेवा अभिप्रेत है ।

1958 का 44

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में उनके हैं ।

अध्याय 2

नौचालन में साधारण सहायता अभिहित करना

3. केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नौचालन में किसी सहायता को नौचालन में साधारण सहायता के रूप में अभिहित कर सकेगी ।

नौचालन में साधारण सहायता को अभिहित करने की शक्ति ।

अध्याय 3

महानिदेशक नौचालन सहायता

4. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) महानिदेशक ;

(ख) उपमहानिदेशकों ; और

(ग) जिलों के लिए निदेशकों,

की नियुक्ति कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसे क्षेत्रों को जिलों के रूप में चिह्नित कर सकेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, महानिदेशक के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

महानिदेशक, उपमहानिदेशकों और निदेशकों की नियुक्ति ।

महानिदेशक के
कर्तव्य ।

5. महानिदेशक, केंद्रीय सरकार को नौचालन में सहायता से संबंधित विषयों पर सलाह देगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

केंद्रीय सलाहकार
समिति ।

6. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक केंद्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सलाहकार समिति से परामर्श करेगी—

(क) नौचालन सहायता की स्थापना या प्राप्ति या उनसे संबंधित कोई संकर्म ; या

(ख) नौचालन में किसी सहायता का वर्धन या फेरफार या हटाना ; या

(ग) नौचालन में किसी सहायता में या उसके उपयोग के तरीके में फेरफार ; या

(घ) नौचालन में सहायता से संबंधित किसी प्रस्ताव की लागत ; या

(ङ) उपधारा (3) के अधीन किसी उप-समिति की नियुक्ति ; या

(च) इस अधिनियम के अधीन सामुद्रिक नौचालन सहायता शोध्यों के लिए किन्हीं नियमों या दरों का बनाया जाना या परिवर्तन करना ।

(3) केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है तो, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के संबंध में उसे सलाह देने के प्रयोजनों के लिए उप-समितियों की नियुक्ति कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार समिति और उप-समितियां इस अधिनियम द्वारा प्रभावित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए या उसके विषय-वस्तु की विशेष जानकारी रखने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी ।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार समिति और उप-समितियों के कारबार के संचालन की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

केंद्रीय सलाहकार
समिति की
कार्यवाहियों का
अविधिमान्य नहीं
होना ।

7. केंद्रीय सलाहकार समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) उसके गठन में कोई रिक्ति या कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में मामले के गुणावगुण को प्रभावित न करने वाली कोई अनियमितता है ।

अध्याय 4

नौचालन में साधारण सहायता का प्रबंधन

नौचालन में
साधारण सहायता
का प्रबंधन ।

8. नौचालन में सभी साधारण सहायता का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन केंद्रीय सरकार में निहित होगा ।

नौचालन में
सहायता से संबंधित
केंद्रीय सरकार की
शक्तियां ।

9. (1) केंद्रीय सरकार को नौचालन साधारण सहायता के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) नौचालन सहायता की स्थापना और अनुरक्षण ;

(ख) किसी नौचालन सहायता में वर्धन, फेरफार या उसे हटाना ;

- (ग) किसी नौचालन सहायता का फेरफार या परिवर्तन ;
- (घ) नौचालन में किसी सहायता, जो नौचालन की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करना ;
- (ङ) किसी संपत्ति, चाहे सार्वजनिक या प्राइवेट हो, में किसी नौचालन सहायता का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रविष्ट होने के लिए प्राधिकृत करना ;
- (च) निम्नलिखित से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति के माध्यम से, चाहे सार्वजनिक हो या प्राइवेट, किन्हीं मालों का परिवहन करना या परिवहन करवाना—
- (i) नौचालन में किसी सहायता का अनुरक्षण ; या
- (ii) नौचालन में किसी सहायता की स्थापना ;
- (छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भूमि का अर्जन, आवश्यक हो—
- (i) अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए ; या
- (ii) संकर्म का अनुरक्षण करने के लिए ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत करेगी ।

अध्याय 5

जलयान यातायात सेवाओं का प्रबंधन

10. (1) जलयान यातायात सेवाओं का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन केंद्रीय सरकार में निहित होगा ।

जलयान यातायात सेवाओं का प्रबंधन ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को जलयान यातायात सेवा प्रदाता के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी ।

11. केंद्रीय सरकार की जलयान यातायात सेवाओं के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

केंद्रीय सरकार की जलयान यातायात सेवाओं से संबंधित शक्तियां ।

(क) जलयान यातायात सेवा प्रदाता को किसी प्राधिकृत क्षेत्र के भीतर जलयान यातायात सेवा प्रचालक के रूप में घोषित और प्राधिकृत करना ;

(ख) जलयान यातायात सेवा प्रशिक्षण और प्रमाणन का प्रत्ययन और अनुमोदन करना ;

(ग) जहां वह आवश्यक समझे, जलयान यातायात सेवाओं की स्थापना और प्रचालन करना ;

(घ) जलयान यातायात सेवा के किसी परिप्रेक्ष्य में वर्धन करना या फेरफार करना अथवा वर्धन करने या फेरफार करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा करना ।

12. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 11 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जलयान यातायात सेवाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी ।

जलयान यातायात सेवाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी ।

(2) सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऐसे कृत्यों का ऐसी रीति में निर्वहन करेगा, जो विहित की जाए ।

जलयान यातायात सेवाओं की स्थापना और प्रचालन के मानक।

13. भारत में जलयान यातायात सेवाओं की स्थापना और प्रचालन के मानक वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

अध्याय 6

नौचालन में स्थानीय सहायता का निरीक्षण और प्रबंधन

नौचालन में स्थानीय सहायता का निरीक्षण करने की शक्ति।

14. (1) केंद्रीय सरकार धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को किसी स्थानीय नौचालन सहायता में किसी भी समय प्रविष्ट होने और निरीक्षण करने के लिए तथा उनके संबंध में ऐसी जांच करने के लिए या उनके प्रबंधन के लिए, जैसा ऐसा अधिकारी ठीक समझे, लिखित में प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी स्थानीय नौचालन सहायता का प्रभारी है या उनके प्रबंधन से संबंधित है, उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे नौचालन सहायता का निरीक्षण करने के लिए ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत करेगा, जिसकी अधिकारी अपेक्षा करे।

(3) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी केंद्रीय सरकार को उसके पर्यवेक्षण और प्रबंधन के अधीन नौचालन सहायता या उनमें से किसी के भी संबंध में ऐसी सभी विवरणियां और अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार अपेक्षा करे।

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानीय नौचालन सहायता का नियंत्रण।

15. (1) यदि केंद्रीय सरकार का धारा 14 के अधीन किसी निरीक्षण के पश्चात् या ऐसी अन्य जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि जलयानों के हित में उनकी सुरक्षा के लिए या अन्यथा इस उपधारा के अधीन कोई निदेश आवश्यक या समीचीन है तो वह किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को—

(क) उसके अधीक्षण और प्रबंधन के अधीन किसी नौचालन सहायता को हटाने या चालू न रखने या चलाने या चालू न रखने से विरत रहने या नौचालन में ऐसी किसी सहायता की प्रकृति में या उसके उपयोग के ढंग में कोई फेरफार करने या न करने से विरत रहने का ;

(ख) स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, किसी नौचालन सहायता को खड़ा करने, रखने या अनुरक्षण करने या उसे खड़ा करने, रखने या उसका अनुरक्षण करने से विरत रहने का,

निदेश दे सकेगी।

(2) स्थानीय प्राधिकारी नौचालन में किसी सहायता को खड़ा नहीं करेगा, रखेगा नहीं, हटाएगा नहीं या चालू न रखना रोकेगा नहीं या किसी नौचालन सहायता की प्रकृति या उपयोग के ढंग में तब तक फेरफार नहीं करेगा जब तक कि उसके ऐसा करने के आशय का कम से कम एक मास पूर्व केंद्रीय सरकार को लिखित नोटिस नहीं दे दिया जाता है :

परंतु आपात स्थिति की दशा में स्थानीय प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे तथा उसका तुरंत नोटिस केंद्रीय सरकार को और नौचालन सहायता में पहुंचने वाले या उसकी परिधि में आने वाले सभी जलयानों को यथासंभव देगा।

(3) यदि कोई स्थानीय प्राधिकारी—

(क) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है ; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन किसी नौचालन सहायता के अधीक्षण या प्रबंधन से संबंधित प्रदत्त या अधिरोपित किसी शक्ति या कर्तव्य का पालन या निष्पादन करने में असफल रहता है या पालन या निष्पादन किसी अनुचित, अक्षम या अनुपयुक्त रीति में करता है ; या

(ग) किसी ऐसे कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय उपबंध करने में असफल रहता है,

तो केंद्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी से निदेश का अनुपालन करने की शक्ति का उचित उपयोग करने या कर्तव्य के निष्पादन के लिए उस सरकार के समाधानप्रद रूप में, यथास्थिति, प्रबंध करने के लिए या उस सरकार के समाधानप्रद रूप से वित्तीय उपबंध करने में कर्तव्यों के निष्पादन के लिए ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, उचित प्रबंध करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(4) यदि स्थानीय प्राधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार अनुज्ञात करे, उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो केंद्रीय सरकार, यथास्थिति, शक्ति का उपयोग या कर्तव्यों का निष्पादन कर सकेगी या अपेक्षित वित्तीय उपबंध कर सकेगी और स्थानीय प्राधिकारी केंद्रीय सरकार को ऐसा करने में उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा।

16. केंद्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकारी के अनुरोध पर, उसके निमित्त स्थानीय नौचालन सहायता के अधीक्षण और प्रबंधन को हाथ में ले सकेगी तथा स्थानीय प्राधिकारी केंद्रीय सरकार को अधीक्षण और प्रबंधन की लागत को चुकाने के लिए यथा सहमत धनराशियों का संदाय करेगा।

केंद्रीय सरकार द्वारा नौचालन में स्थानीय सहायता का प्रबंधन।

अध्याय 7

नौचालन सहायता के कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करना

17. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी गतिविधियों पर निर्बंधनों को विनिर्दिष्ट करेगी, जो ऐसे नौचालन सहायता से विनिर्दिष्ट दूरी के भीतर किसी नौचालन सहायता के प्रचालन में हस्तक्षेप करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं।

केंद्रीय सरकार की नौचालन सहायता में बाधाओं को हटाने या फेरफार करने की शक्ति।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी नौचालन सहायता या जलयान यातायात सेवा के कार्यकरण में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हस्तक्षेप किया जा रहा है, केंद्रीय सरकार यदि उचित समझती है तो ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह ऐसे हस्तक्षेप को हटाने या उसमें फेरफार करने के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय 8

प्रशिक्षण और प्रमाणन

18. (1) किसी भी व्यक्ति को यथाविहित किन्हीं अनुषंगी कार्यकलापों सहित किसी नौचालन सहायता को किसी स्थान पर तब तक प्रचालित करने या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह यह प्रमाणित करते हुए एक वैध प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारण नहीं करता है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे नौचालन सहायता के प्रचालन में प्रशिक्षित किया गया है।

सरकार की नौचालन सहायता और जलयान यातायात सेवाओं के प्रचालकों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने की शक्ति।

(2) किसी व्यक्ति को यथाविहित किन्हीं अनुषंगी कार्यकलापों सहित किसी जलयान यातायात सेवा को किसी स्थान पर तब तक प्रचालित करने या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह यह प्रमाणित करते हुए एक वैध प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारण नहीं करता है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे जलयान यातायात सेवाओं के प्रचालन में प्रशिक्षित किया गया है।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में वैध और प्रभावी होगा।

19. धारा 18 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में वर्णित प्रमाणपत्र धारा 20 में निर्दिष्ट किसी प्रत्यायित प्रशिक्षण संगठन द्वारा ऐसे प्ररूप में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जारी किया जाएगा।

प्रमाणन।

प्रशिक्षण संगठनों का प्रत्यायन।

20. (1) केन्द्रीय सरकार, नौचालन के लिए सहायता और जलयान यातायात सेवाओं का प्रचालन करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए या उनका निर्धारण करने के लिए प्रशिक्षण संगठनों को प्रत्यायित करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रशिक्षण संगठनों का प्रत्यायन करेगी जो प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए या नौचालन के लिए सहायता और जलयान यातायात सेवाओं का प्रचालन करने वाले व्यक्तियों का निर्धारण करने के लिए ऐसे मानदंड, जो विहित किए जाएं, पूरा करते हों।

अध्याय 9

ध्वस्त पोत सामग्री का चिह्नांकन

ध्वस्त पोत सामग्री का चिह्नांकन।

21. केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझे, धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, किसी ध्वस्त पोत सामग्री को चिह्नित करने का निदेश दे सकेगी।

ध्वस्त पोत सामग्री को चिह्नित करने के लिए प्रतिपूर्ति।

22. ध्वस्त पोत सामग्री को चिह्नित करने के लिए खर्च, ऐसे जलयान के स्वामी या प्रचालक द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, वहन किया जाएगा या उससे वसूल किया जाएगा।

अध्याय 10

विरासत प्रकाशस्तंभों का विकास

किसी नौचालन के लिए सहायता को विरासत प्रकाशस्तंभ के रूप में अभिहित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

23. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसके नियंत्रण के अधीन किसी नौचालन के लिए सहायता को विरासत प्रकाशस्तंभ के रूप में अभिहित कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अभिहित विरासत प्रकाशस्तंभों का नौचालन के लिए सहायता या अन्यथा के रूप में उनके कृत्यों के अतिरिक्त ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, शैक्षिक, सांस्कृतिक और पर्यटन प्रयोजनों के लिए विकास करेगी।

अध्याय 11

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध का उद्ग्रहण और संग्रहण।

24. (1) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध, ऐसी दरों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, उद्गृहीत और संग्रहित किए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध भारत में किसी पत्तन पर पहुंचने वाले या उससे प्रस्थान करने वाले प्रत्येक पोत के संबंध में ऐसे व्यक्ति से, ऐसी रीति और ऐसे समय में जो विहित की जाएं, समुचित अधिकारी द्वारा संग्रहित किया जाएगा।

(3) संग्रहित किए गए, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध के आगम भारत की संचित निधि में, ऐसी रीति में जो विहित की जाएं, जमा किए जाएंगे।

(4) प्रत्येक स्वामी, जो भारत के किसी पत्तन पर किसी पोत को पहुंचाता है या उससे प्रस्थान कराता है, शोध प्रदत्त करने के उसके दायित्व को स्वतः निर्धारित करते हुए समुचित अधिकारी के समक्ष, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाएं, एक विवरणी फाइल करेगा।

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध का उपयोग।

25. इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध इस अधिनियम की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए और उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा।

26. (1) स्वामी, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध केन्द्रीय सरकार के खाते में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जमा करेगा।

(2) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध के संदाय का निम्नलिखित के संबंध में उचित अधिकारी के द्वारा निकासी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए सत्यापन किया जाएगा—

(क) पत्तन, जिस पर नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध संदत्त किया गया है;

(ख) संदाय की रकम ;

(ग) तारीख, जिसको नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध संदेय हुआ था ; और

(घ) पोत का नाम, टनभार और अन्य उचित वर्णन जिसके संबंध में संदाय किया गया है।

27. (1) उचित अधिकारी, जिसको धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन विवरणी प्रस्तुत की गई है ऐसी जांच करने या कराए जाने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे और उसका यह समाधान होने के पश्चात् कि विवरणी में कथित विशिष्टियां सही हैं, आदेश द्वारा, पोत के स्वामी या मास्टर द्वारा संदेय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध की रकम निर्धारित करेगा।

(2) यदि धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन उचित अधिकारी को विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, वह ऐसी जांच करने या कराए जाने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा, पोत के स्वामी या मास्टर द्वारा संदेय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध की रकम निर्धारित करेगा।

(3) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध उद्गृहीत करने के लिए, पोत के टनभार पर संदेय ऐसे शोध के लिए, पोत का या चलत जलयान का टनभार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अनुसार गिना जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थोरा के वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे स्थान के कारण जहाज के टनभार में उक्त अधिनियम के अधीन जोड़े गए किसी स्थान का टनभार भी है।

(4) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध उद्गृहीत करने के प्रयोजन के लिए किसी पोत का टनभार अभिनिश्चित करने के क्रम में उचित अधिकारी, यदि वह उचित समझे, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किन्हीं दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने, किसी व्यक्ति की उपस्थिति और किसी जलयान के निरीक्षण की अपेक्षा कर सकेगा।

28. (1) यदि किसी पोत का स्वामी, पोत के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन देय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध की रकम का संदाय करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है तो उचित अधिकारी पोत को उसके उपस्कर या उसके किसी भाग के साथ अभिगृहीत कर सकेगा और उसे अभिग्रहण या निरोध के खर्च के साथ नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध की रकम संदत्त किए जाने तक निरुद्ध कर सकेगा।

(2) यदि अभिग्रहण की तारीख से आगामी तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् ऐसे नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध का कोई भाग असंदत्त रहता है तो उचित अधिकारी पोत या अभिगृहीत की गई अन्य चीजों का विक्रय करा सकेगा और विक्रय के आगम से अधिशेष असंदत्त नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध का विक्रय के खर्च के साथ तुष्ट कर सकेगा और उसके अधिशेष का, यदि कोई हो ऐसे व्यक्ति को जिसको वह देय है, प्रतिदाय करेगा।

29. अधिकारी जिसका कर्तव्य किसी पोत के लिए पोत निकासी प्रदान करना है पोत निकासी तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि पोत के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन देय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध की रकम और उसके अधीन अधिरोपित कोई

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध से संबंधित प्राप्तियां और उनका सत्यापन।

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध का निर्धारण और टनभार का अभिनिश्चयन।

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध की वसूली।

पोत निकासी से इंकार।

जुर्माना संदत्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसके संदाय के लिए प्रतिभूति उसका समाधान होने तक नहीं दी जाती है।

संदाय के लिए दायित्व के विषय में विवादों का अवधारण।

30. यदि कोई विवाद उद्भूत होता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी पोत के संबंध में नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध, व्यय या खर्च अथवा ऐसे शोध, व्यय या खर्च की रकम देय है तो ऐसा विवाद, विवाद के किसी भी पक्षकार द्वारा इस संबंध में आवेदन किए जाने पर ऐसे स्थान, जहां विवाद उत्पन्न हुआ है, पर अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय द्वारा सुना जाएगा और अवधारित किया जाएगा।

एक पत्तन पर देय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध का दूसरे पर वसूलनीय होना।

31. (1) किसी पोत का मास्टर, जिसके संबंध में किसी पोत पर नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध देय है, ऐसा शोध संदत्त किए बिना ऐसे पत्तन से पोत का प्रस्थान करा देता है तो उस पत्तन का उचित अधिकारी लिखित में भारत के किसी अन्य पत्तन, जिसको ऐसा पोत अग्रसर होना है, के उचित अधिकारी से अधिशेष असंदत्त नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध की वसूली अपेक्षित कर सकेगा।

(2) कोई उचित अधिकारी, जिसको ऐसी अध्यपेक्षा निर्देशित की जाती है, ऐसी रकम का उद्ग्रहण ऐसे करेगा जैसे कि वह इस अधिनियम के अधीन उस पत्तन पर देय था जिसका वह उचित अधिकारी है और उस पत्तन के उचित अधिकारी द्वारा जिस पर नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध प्रथम बार देय था, संदेय रकम वर्णित करते हुए दिया गया प्रमाणपत्र, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में इस बात का पर्याप्त सबूत होगा कि ऐसी रकम देय है।

छूट।

32. केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से संबद्ध किसी पोत को, जो माल भाड़े या यात्री भाड़े के लिए स्थोरा या यात्रियों का वहन नहीं करता है; या

(ख) किसी अन्य पोत या पोतों के वर्गों अथवा विनिर्दिष्ट जलयात्राएं करने वाले किन्हीं अन्य पोतों को,

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध के संदाय से पूर्ण रूप से या उस विस्तार तक जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, छूट प्रदान कर सकेगी।

संदाय के आधिक्य का प्रतिदाय।

33. जहां नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध, इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम के आधिक्य में किसी पोत के संबंध में संदत्त किया गया है तो ऐसे संदाय के आधिक्य के प्रतिदाय का कोई दावा तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे संदाय की तारीख से छह मास के भीतर नहीं किया जाता है।

फीस।

34. जलयानों को विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस की दर ऐसी होगी जो विहित की जाए।

अध्याय 12

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

प्राप्ति और व्यय।

35. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध, व्यय, खर्च और जुर्माने के माध्यम से प्राप्त की गई सभी रकमों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपगत सभी व्यय का पृथक् लेखा अनुरक्षित कराएगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र केन्द्रीय सलाहकार समिति के समक्ष ऐसा लेखा रखवाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

36. (1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन प्राक्कलित प्राप्तियों और उसके प्रयोजनों के लिए व्यय का विवरण आगामी वर्ष के दौरान केन्द्रीय सलाहकार समिति के समक्ष रखवाएगी।

(2) प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके ऐसी रीति में जो विहित की जाए, तैयार किया जाएगा।

अध्याय 13

अपराध और शास्तियां

37. (1) जो कोई, साशय कोई कार्य करेगा या किसी कार्य का लोप करेगा, जिसका परिणाम किसी नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवा की प्रभावकारिता में बाधा या कमी या निर्बंधन है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवाओं को साशय बाधित करना।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति दंड का दायी नहीं होगा, यदि वह—

(क) कार्य या लोप किसी जीवन या जलयान की रक्षा के लिए आवश्यक था; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने बाधा, कमी या निर्बंधन से बचने के लिए सभी समुचित कदम उठाए थे।

38. (1) जो कोई, उपेक्षापूर्वक कोई कार्य करेगा या किसी कार्य का लोप करेगा, जिसका परिणाम किसी नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवा की प्रभावकारिता में बाधा या कमी या निर्बंधन है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवाओं को उपेक्षापूर्वक बाधित करना।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति दंड का दायी नहीं होगा, यदि वह—

(क) कार्य या लोप किसी जीवन या जलयान की रक्षा के लिए आवश्यक था; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने बाधा, कमी या निर्बंधन से बचने के लिए सभी समुचित कदम उठाए थे।

39. (1) जो कोई साशय, कोई कार्य करेगा या किसी कार्य का लोप करेगा, जिसका परिणाम किसी नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवा को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो बारह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवाओं को साशय नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति दंड का दायी नहीं होगा, यदि वह—

(क) कार्य या लोप किसी जीवन या जलयान की रक्षा के लिए आवश्यक था; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने बाधा, कमी या निर्बंधन से बचने के लिए सभी समुचित कदम उठाए थे।

40. (1) जो कोई, उपेक्षापूर्वक कोई कार्य करेगा या किसी कार्य का लोप करेगा, जिसका परिणाम किसी नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवा को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवाओं को उपेक्षापूर्वक नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा, यदि वह—

(क) कार्य या लोप किसी जीवन या जलयान की रक्षा के लिए आवश्यक था; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने बाधा, कमी या निर्बंधन से बचने के लिए सभी समुचित कदम उठाए थे।

41. (1) जो कोई, ऐसा कार्य करेगा या कोई कार्य करने का लोप करेगा, जिसका परिणाम किसी विरासत प्रकाशस्तंभ को नुकसान पहुंचाना या नष्ट होना है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

विरासत प्रकाशस्तंभ को नुकसान पहुंचाना।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा, यदि वह—

(क) कार्य या लोप किसी जीवन या जलयान की रक्षा के लिए आवश्यक था ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने बाधा, कमी या निर्बंधन से बचने के लिए सभी समुचित कदम उठाए थे ।

नौचालन के लिए
सामुद्रिक सहायता
शोध के संदाय का
अपवंचन ।

42. किसी पोत का प्रत्येक स्वामी या मास्टर, जो इस अधिनियम के अधीन पोत के संबंध में देय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध, व्यय या खर्चों के संदाय का अपवंचन करता है या अपवंचन करने का प्रयत्न करता है तो वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो इस प्रकार देय धनराशि के पांच गुना तक हो सकेगा ।

जलयान यातायात
सेवा प्रदाता के
निदेशों का
अनुपालन ।

43. किसी पोत का प्रत्येक स्वामी या मास्टर, जो इस अधिनियम के अधीन जलयान यातायात सेवा से संबंधित जलयान यातायात सेवा प्रदाता द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

अपराधों का
संज्ञान ।

44. (1) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों का संज्ञान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत के सिवाय नहीं करेगा ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

विचारण का स्थान
और न्यायालय की
अधिकारिता ।

45. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन कोई अपराध कारित करता है, उसकी जांच और विचारण साधारणतया ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर—

(क) ऐसा अपराध कारित किया गया था; या

(ख) ऐसा व्यक्ति पाया गया था; या

(ग) किसी ऐसे न्यायालय में, जिसे केन्द्रीय सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निदेश दे; या

(घ) किसी ऐसे न्यायालय में, जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विचारण किया जा सकता हो ।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति ।

46. (1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 के अधीन महानिदेशक के कर्तव्य;

(ख) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय सलाहकार समिति तथा गठित उपसमितियों की प्रक्रिया और कारबार का संचालन ;

(ग) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की रीति और उपधारा (3) के अधीन उसके कृत्य;

(घ) धारा 13 के अधीन जलयान यातायात सेवाओं के स्थापन और प्रचालन के लिए मानक;

(ङ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नौचालन के लिए सहायता से संबंधित

सहायक क्रियाकलाप और उपधारा (2) के अधीन जलयान यातायात सेवाओं से संबंधित सहायक क्रियाकलाप ;

(च) धारा 19 के अधीन जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररूप और रीति तथा वह शर्तें जिनके अधीन रहते हुए प्रत्यायन प्रशिक्षण संगठन द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और महानिदेशक द्वारा विधिमान्य किया जाएगा;

(छ) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन प्रशिक्षण संगठन के प्रत्यायन के लिए मानदंड ;

(ज) धारा 21 के अधीन ध्वस्त पोत सामग्री का चिह्नांकन;

(झ) धारा 22 के अधीन ध्वस्त पोत सामग्री के चिह्नांकन के लिए जलयान के स्वामी से खर्च की वसूली की रीति;

(ञ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित किए गए विरासत प्रकाशस्तंभों का विकास;

(ट) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन उद्गृहीत नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध के उचित अधिकारी द्वारा एकत्रण की रीति और उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार संग्रहित शोध के आगमों को जमा करने की रीति ;

(ठ) धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन विवरणी फाइल करने का प्ररूप और रीति;

(ड) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध के संदाय की रीति ;

(ढ) धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन दस्तावेजों को पेश करने, किसी व्यक्ति की उपस्थिति और उचित अधिकारी द्वारा किसी जलयान के निरीक्षण की रीति ;

(ण) धारा 34 के अधीन विशेष सेवाओं के लिए फीस की दरें ;

(त) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके तैयार किए जाने वाली प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों के विवरण का प्ररूप और रीति;

(थ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किया जाए या विहित किया जाए ।

47. केन्द्रीय सरकार, उसके किन्हीं अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन उसके सभी या किन्हीं कृत्यों और उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

48. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से बाध्य होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर लिखित में दिए जाएं ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

(2) क्या प्रश्न नीति का है या नहीं इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

49. केन्द्रीय सरकार या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के विरुद्ध, ऐसी किसी बात, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण ।

50. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियमों और
अधिसूचनाओं का
संसद् के समक्ष रखा
जाना।

51. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाया या जारी की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् वह यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी। तथापि, नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरसन और
व्यावृत्तियां।

52. (1) प्रकाशस्तंभ अधिनियम, 1927 को निरसित किया जाता है।

1927 का 17

(2) प्रकाशस्तंभ अधिनियम, 1927 (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) के निरसन के होते हुए भी,—

1927 का 17

(क) निरसित अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, उपविधि, आदेश या जारी, दी गई या प्रदान की गई छूट, प्रतिसंहत किए जाने तक ऐसे प्रभावी होगी मानो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई थी, दी या प्रदान की गई थी;

(ख) निरसित अधिनियम के अधीन स्थापित या सृजित कोई कार्यालय, नियुक्त अधिकारी और निर्वाचित अथवा गठित कोई निकाय बना रहेगा और इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति स्थापित, सृजित, नियुक्त, निर्वाचित या गठित माना जाएगा;

(ग) निरसित अधिनियम में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज का इस अधिनियम या इस अधिनियम के उपबंधों में यथा निर्दिष्ट अर्थ लगाया जाएगा;

(घ) निरसित अधिनियम में उद्गृहीत कोई जुर्माना ऐसे वसूलनीय हो सकेगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया गया था;

(ङ) निरसित अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए ऐसे अभियोजन किया जा सकेगा और ऐसे दंडित किया जा सकेगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन किया गया है;

(च) निरसित अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किन्हीं कार्यवाहियों का विचारण या निपटारा इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा ;

(छ) निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए और इस अधिनियम के प्रारंभ के दौरान बने रहने वाले अधिकारी ऐसे बने रहेंगे मानो उन्हें इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया है;

(ज) निरसित अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा उस पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा ;

(झ) निरसित अधिनियम के अधीन आदेश किया गया कोई निरीक्षण, अन्वेषण या जांच इस प्रकार जारी रहेगा मानो ऐसा निरीक्षण, अन्वेषण या जांच करने के लिए आदेश इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया था।

फेक्टर विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 21)

[7 अगस्त, 2021]

फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित
है:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम फेक्टर विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021
है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,
नियत करे।

2012 का 12

2. फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम
कहा गया है) की धारा 2 में,—

धारा 2 का
संशोधन।

(i) खंड (क) में, “से किसी फेक्टर के पक्ष में” से प्रारंभ होने वाले और “इसके
अंतर्गत समनुदेशन भी है” पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर “किसी फेक्टर को
किसी देनदार से शोध्य प्राप्यों में किसी समनुदेशक के किसी अविभाजित हित का, पूर्णतः
या भागतः, करार द्वारा अन्तरण अभिप्रेत है और जहां या तो समनुदेशक या देनदार
भारत के बाहर अवस्थित या स्थापित है, वहां इसके अन्तर्गत ऐसा अन्तरण भी है” शब्द
रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ज) में,—

(अ) “से समनुदेशक के प्राप्यों का” शब्दों से आरंभ होने वाले और “अर्जन
का कारबार अभिप्रेत है, किंतु” के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “ऐसे

प्राप्तियों के संग्रहण के प्रयोजन के प्रतिफलार्थ समनुदेशक के प्राप्तियों के समनुदेशन के रूप में अर्जन या वित्तपोषण के लिए, चाहे ऐसे समनुदेशन के प्रति उधार या अग्रिम के रूप में देने या अन्यथा, किन्तु” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (i) में, “बैंक” शब्द के पश्चात् “या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(त) “प्राप्य” से ऋणी द्वारा देय ऐसा धन अभिप्रेत है जिसका माल या सेवाओं के लिए समनुदेशक को अभी तक संदाय नहीं किया गया है तथा इसके अन्तर्गत पथकर के लिए या किसी अवसंरचना सुविधा या सेवाओं के उपयोग के लिए संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित किसी राशि, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का संदाय भी सम्मिलित है ;

(तक) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;’;

(iv) खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(धक) “व्यापार प्राप्य मितिकाटा प्रणाली” से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा व्यापार प्राप्तियों को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत संदाय प्रणाली अभिप्रेत है ;’।

2007 का 51

धारा 3 का
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) उपधारा (2) में परंतुक और स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(4) रिजर्व बैंक, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसी रीति में अनुदत्त कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।”।

धारा 19 का
संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) प्रत्येक फेक्टर, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 20 के अधीन स्थापित केंद्रीय रजिस्ट्री के पास अपने पक्ष में प्राप्य पारेषण के प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियों को ऐसे पारेषण के ऐसे समय और तारीख के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, रजिस्टर करेगा।”;

2002 का 54

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) जहां किसी व्यापार प्राप्य का वित्तपोषण किसी व्यापार प्राप्य मितिकाटा प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, वहां संबंधित व्यापार प्राप्य मितिकाटा प्रणाली द्वारा फेक्टर के निमित्त केंद्रीय रजिस्ट्री में उपधारा (1) और उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, फाइल किया जाएगा।”।

नई धारा 31क का
अंतःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विनियम बनाने की
शक्ति।

“31क. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की रीति ;

(ख) धारा 19 की उपधारा (1क) के अधीन फेक्टर के निमित्त केंद्रीय रजिस्ट्री के पास संव्यवहारों की विशिष्टियां फाइल करने की रीति ;

(ग) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार द्वारा उसकी एक प्रति को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”।

6. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (क) में, “वह प्ररूप और रीति” शब्दों के स्थान पर, “वह समय, जिसके भीतर, प्ररूप और रीति” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 32 का संशोधन।

डॉ रीटा वशिष्ठ,
सचिव, भारत सरकार।